LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Thursday, December 12, 2024 / Agrahayana 21, 1946 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, December 12, 2024 / Agrahayana 21, 1946 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

RE: MAINTAINING DIGNITY AND DECORUM OF THE HOUSE	**1**
ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 241 – 247)	**1A – 30**
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 248 – 260)	**31 – 50**
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 2761 – 2990)	**51 – 280**

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Thursday, December 12, 2024 / Agrahayana 21, 1946 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, December 12, 2024 / Agrahayana 21, 1946 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	281
PAPERS LAID ON THE TABLE	281 - 300
COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS 2nd to 4th Reports	300
COMMITTEE ON THE WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES Statements	301
STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS 1st Report	302
STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES Statement	302
STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ 1st to 3rd Reports	302
STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 7TH, 25TH, 35TH, 18TH AND 26TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON ENERGY– LAID Shri Shripad Yesso Naik	303
DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS	303
MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE	304 - 08

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	**309 - 18B**
Shri Ravindra Shukla *Alias* Ravi Kishan	**309**
Dr. Manna Lal Rawat	**309**
Shri Kali Charan Singh	**310**
Shri Dulu Mahato	**310**
Shri Ashish Dubey	**311**
Shri Damodar Agrawal	**311**
Shri Darshan Singh Choudhary	**312**
Adv Gowaal Kagada Padavi	**312**
Dr. Prashant Yadaorao Padole	**313**
Shri Manish Tewari	**313**
Dr. Mohammad Jawed	**314**
Dr. Dharamvira Gandhi	**314**
Sushri Iqra Choudhary	**315**
Shri Devesh Shakya	**315**
Dr. Rani Srikumar	**316**
Dr. Alok Kumar Suman	**316**
Shri Sanjay Dina Patil	**317**
Shri Subbarayan K.	**317**
Dr. D. Ravi Kumar	**318**
Adv. Chandra Shekhar	**318**
Shri Raju Bista	**318A**
Shri Vijay Baghel	**318A**
Shri Rahul Kaswan	**318B**
Shri Naresh Ganpat Mhaske	**318B**
…	**319**

DISASTER MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL (Contd. – Concluded)	320 - 443
Shri Ram Shiromani Verma	320 - 21
Shrimati Kanimozhi Karunanidhi	322 - 27
Shri Kesineni Sivanath	328 - 29
Shri Dinesh Chandra Yadav	330 - 31
Shri Anil Yeshwant Desai	332 - 34
Shri Rajesh Verma	335 - 36
Shri Saptagiri Sankar Ulaka	337 - 39
Shri Ganesh Singh	340 - 43
Dr. Gumma Thanuja Rani	344 - 46
Shri Shrirang Appa Chandu Barne	347 - 48
@ Shri K. Radhakrishnan	349
Shri Sudhakar Singh	350 - 51
Shri Chhotelal	352 - 53
Prof. Sougata Ray	354 - 56
$ Shri Navaskani K.	357
Captain Viriato Fernandes	358 - 60
Shri Arun Govil	361 - 62
Shri Gurmeet Sigh Meet Hayer	363 - 64
% Shri Subbarayan K.	365

@ For English translation of the speech made by the hon. Member, Shri K. Radhakrishnan in Malayalam, please see the Supplement (PP 349A to 349B).

$ For English translation of the speech made by the hon. Member, Shri Navaskani K. in Tamil, please see the Supplement (PP 357A to 357B).

% For English translation of the speech made by the hon. Member, Shri Subbarayan K. in Tamil, please see the Supplement (PP 365A to 365B).

Shri Rajesh Ranjan	**366 - 67**
Shri Anil Baluni	**368 - 69**
Adv. Gowaal Kagada Padavi	**370 - 72**
Mian Altaf Ahmad	**373 - 74**
Shri Putta Mahesh Kumar	**375**
Shri Chandan Chauhan	**376 - 77**
Shri Sudama Prasad	**378**
Shri M. Mallesh Babu	**379**
Shri Virendra Singh	**380 - 81**
@ Shri VE. Vaithilingam	**382**
Shri Shankar Lalwani	**383**
Shri Durai Vaiko	**384 - 85**
Shri Hanuman Beniwal	**386 - 87**
Shri Arun Nehru	**388**
Shri Santosh Pandey	**389 - 90**
Shri Shyamkumar Daulat Barve	**391 - 92**
Shri N.K. Premachandran	**393 - 96**
Shrimati Lovely Anand	**397**
Shri Asaduddin Owaisi	**398 - 99**
% Shri Sanjay Uttamrao Deshmukh	**400**
Adv. Chandra Shekhar	**401 - 02**
Shri Umesh Babubhai Patel	**403**
Dr. Indra Hang Subba	**404 - 05**

@ For English translation of the speech made by the hon. Member, Shri VE. Vaithilingam in Tamil, please see the Supplement (PP 382A to 382B).

% For English translation of the speech made by the hon. Member, Shri Sanjay Uttamrao Deshmukh in Marathi, please see the Supplement (PP 400A to 400B).

Shri Vishaldada Prakashbapu Patil	**406**
Adv. Dean Kuriakose	**407 - 08**
Shri Anand Bhadauriya	**409 - 10**
Shri Brijmohan Agrawal	**411 - 12**
Shri Nityanand Rai	**413 - 24**
Motion for Consideration – Adopted	**425**
Consideration of Clauses	**425 - 42**
Motion to Pass	**443**

xxxx

LOK SABHA DEBATES

PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, December 12, 2024 / Agrahayana 21, 1946 (Saka)

S U P P L E M E N T

CONTENTS **PAGES**

XXX	XXX	XXX	XXX
Xxx	xxx	xxx	xxx
Xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx

DISASTER MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL **349A - 49B & 357A - 57B & 365A - 65B & 382A - 82B & 400A - 400B**

xxx	xxx	xxx	xxx
Shri K. Radhakrishnan			349A - 49B
xxx	xxx	xxx	xxx
Shri Navaskani K.			357A - 57B
xxx	xxx	xxx	xxx
Shri Subbarayan K.			365A - 65B
xxx	xxx	xxx	xxx
Shri VE. Vaithilingam			382A - 82B
xxx	xxx	xxx	xxx
Shri Sanjay Uttamrao Deshmukh			400A - 400B
xxx	xxx	xxx	xxx

xxxx

(1100/MK/SMN)

1100 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या-241.

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट, आप सब बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

सभा की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने के बारे में

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कल सदन में जो कुछ भी हुआ, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी माननीय सदस्य को विशेष रूप से महिलाओं पर विशेष टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह सदन की गरिमा और मार्यादा के अनुकूल नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे किसी जाति, समाज, महिला व पुरुष सब पर अपने भाषण के अंदर व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचें। यहां पर सहमति-असहमति और सकारात्मक तरीके से व्यंग्य भी हुए हैं, लेकिन एक विशेष तरीके से टिप्पणी करना, यह संसदीय मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है।

माननीय सदस्य ने इस बारे में सदन में क्षमा मांग ली है और मुझे लिखित में भी दे दिया है।

क्वैश्चन नम्बर- 241, श्री शफी परम्बिल जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज, आप सब बैठ जाइए। अब हो गया।

… (व्यवधान)

(Q.241)

SHRI SHAFI PARAMBIL (VADAKARA): Thank you hon. Speaker, Sir, for the opportunity.

Sir, I would like to bring to your attention through this House, the difficulties faced by the people of Vadakara Constituency due to the delay in the ongoing construction works of the national highways.

Sir, we have so many issues regarding underpasses, overbridges, width of service roads and so many junctions having embankments.

Sir, in places like Thikkodi, the people have been protesting for more than one year for allotting an underpass in the town where there is a railway station, where there is school, where there is mosque, where there is temple and so many other things.

I will come to the point. Will your goodself order a high-level meeting to be convened to discuss these difficulties faced in Thikkodi, Anela, Arayur, Panthalayani, Nandi, Vadakara Junction, and so many other places? Can you take appropriate action to settle this issue?

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Hon. Member, regarding this problem, Kerala is in such a situation that in Kerala, the whole development is the roadside development. On the one side, there are schools and colleges and on the other side, the residential area is there. So, everyone is demanding for an underpass. Suppose we are going to implement it, we have to make the road of underpasses and that will be a big problem. So, somewhere where there is the road connectivity, we can make it. Somewhere because of educational institutions, we consider it. Many times, many Members of Parliament from Kerala come to me. Even if that is up to the criteria also, we sanction it.

But regarding this issue, I will call the hon. Member. Again, I will go through all the problems which he has already presented here and I will try to find a way out positively as to how it can be helpful for them.

SHRI SHAFI PARAMBIL (VADAKARA): Sir, there is yet another long-pending public demand for an alternative road to the existing Thamarassery

Ghat road connecting Wayanad and Kozhikode districts. It is part of National Highway - 766 Kozhikode -Kollegal.

Sir, there is a proposal that has been proposed since 1993 for the Padinjarethara – Poozhidhode greenfield highway. It is a matter of just eight kilometres land. If the Central Government can involve and settle this issue, this will be a great blessing for an alternative road to the ghat road where landslides during monsoons are a common thing, and there even the narrow width of the road is creating havoc for traffic.

(1105/SM/SJN)

Even the narrow width of the road is creating havoc for traffic. This Padinyarathara-Puzithode road is a much-demanded and much-awaited proposal. If you can start an inquiry and do investigation on this, this will be much helpful for the people.

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Sir, the Question is only related to the port connectivity highway corridor in Kerala. It neither referred directly or indirectly to any other project. But this alignment is being figured out. It is still in the process. I do not know the details about it.

When I have a meeting with him, we will discuss it. By and large, I am always positive in considering the convenience of the people. I will try to find out the option.

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): As the hon. Minister has mentioned, the Question is mainly related to the National Highway 966-B. You were the Shipping and Port Minister and you know the importance of the Kochi Shipyard Limited. We are all proud to say that it built the first indigenous aircraft carrier, INS Vikrant, for this country.

Sir, Cochin Port has a historical importance. The highway, which you have proposed, connecting Nettoor Junction-Vyttila-Aroor with Cochin Port, has very much significance in the field of construction. Will this be a major interactive area? A flyover is built here. Further, it also intersects with NH 66 and NH 66B. How is the project progressing? How is the design? We all know that Cochin Port is in a very bad shape. This highway would be extremely helpful for the development of that port also.

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Sir, the Government, under the leadership of Prime Minister Modi ji, has decided to give the highest priority to the port development in the country. Anywhere in the world, in any country, the growth of a country depends upon the ports, and it is a very important thing.

Previously, I was the Shipping Minister. At that time, the Cochin Shipyard Limited was a flagship company of our Government. Now that company is doing a very, very miraculous job. It is a well-reputed company and is recognized in the whole world now.

At that time, when it went for capital market, there was a very, very big response from the people of India. At that time, we gave some land to the Cochin Shipyard Limited in the Cochin Port. But the Cochin Port was making losses. There was a big refinery constructed by the previous Government. But in the construction of the pipeline, there was a problem. I constantly pursued this matter for ten years. This is the first time that the present Shipping Minister has taken an interest, and he has completed it. That is the reason now the economic viability of the Cochin Port is increasing.

Regarding the port connectivity, we have overall 108 port connectivity projects. The cost is Rs.1,25,000 crore. We have already decided to construct all these projects. In Mumbai-Kanyakumari Highway, NH-966-B, we need to make a spur. Nettoor to Vyttila-Arror bypass with CIFT Junction in Willington Island is a very important project. The DPR is under process. Within a month we will get the DPR. Immediately we will go for the tender and we will start this project.

At the same time, there are also three port connectivity projects in Kerala. First is 4-lane NH-96B connecting Willingdon Island to Kundanoor. Second is Alappuzha Port. This is a non-major port providing ramps to the 6-lane elevated highway being developed from the Alappuzha beach to Allappuzha bypass intersection. And the third project is Azhikkal Port. That is also a non-major port. There is a proposal for widening of NH bypass up to two kilometres. The DPR is under process for all these three projects. Within a month, we will get the final DPR, and after that we will start the project.

(1110/RP/SPS)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you, Sir. I think, the hon. Minister has forgotten one more port which is the Vizhinjam Port in my constituency. As you know, the Government is supposed to have worked with the State Government, with the NHAI, to expedite approvals for interim and permanent cloverleaf intersection road connectivity to the Vizhinjam International Sea Port. As you know, it is supposed to be commissioned next month. So, there is a big lag between the progress and the commissioning of the port, and the need to modify the existing National Highway 66 in order to construct the highway to give us the port connectivity. What steps are you being able to take with the State Government and the NHAI to ensure that this is done in a timely manner? Otherwise, we will have a port, but no roads to take the goods inside the country.

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Hon. Speaker, Sir, whatever Dr. Shashi Tharoor has said is very, very important. I sanctioned that port when I was the Minister for Shipping. The problem is that the port is taken over by a private party, Adani Ports. Previously, they had committed that they would construct these roads but, now, they are backing out. There are some problems now. I have a long meeting with the Chief Minister four or five days back. We are now calling them. I will find out a way out because, as you have said, without road connectivity, there is no use of any port. So, within a week's time, I will find out a way out. It is already under process.

(ends)

(प्रश्न 242)

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह सवाल लुधियाना से संबंधित है, लेकिन मैं आपकी अनुमति से एक व्यापक सवाल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। 8 अप्रैल, 2022 को फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्थायी समिति ने लघु और छोटे उद्योगों के ऊपर एक रिपोर्ट इस सदन के पटल पर रखी थी। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि एमएसएमई सेक्टर के छोटे और लघु उद्योगों में जो क्रेडिट गैप है, वह 20 से 25 लाख करोड़ रुपये का है। सिर्फ 40 प्रतिशत ऐसे छोटे और लघु उद्योग हैं, जो औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से फाइनेंस लेते हैं। इस चीज से निजात पाने के लिए उस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि जैसे किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, उसी तरह से व्यापार क्रेडिट कार्ड्स की स्कीम को शुरू किया जाए।

महोदय, यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि भारत की 30 प्रतिशत जीडीपी लघु और छोटे उद्योगों से आती है, 45 परसेंट मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट लघु और छोटे उद्योगों से आती है, 48 परसेंट एक्सपोर्ट एमएसएमई सेक्टर से आता है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्थायी संसदीय समिति की 8 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट की सिफारिशों को आपके मंत्रालय ने लागू किया है?

श्री जीतन राम माँझी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य महोदय को धन्यवाद देता हूं कि हमारे एमएसएमई विभाग के बारे में चाहे एक्सपोर्ट की मात्रा हो या नौकरी देने का मामला हो या जीडीपी का मामला हो, उस पर उन्होंने एक अच्छी टिप्पणी की है। क्रेडिट गारंटी योजना के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारण्टी फण्ड ट्रस्ट के माध्यम से ऋण की विभिन्न श्रेणियों के लिए 85 प्रतिशत तक की गारण्टी कवरेज के साथ-साथ एमएसएमई को 500 लाख रुपये तक की सीमा का कोलैट्रल मुक्त ऋण सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारण्टी की स्कीम के तहत है। गारण्टी की सीमा को दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दिया गया है। दिनांक 01.04.2023 से वार्षिक गारण्टी फीस के लिए स्टैण्डर्ड दर को 50 प्रतिशत कम कर दिया गया है।

(इति)

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह प्रश्न केवल लुधियाना से संबंधित था। अगर उस परिप्रेक्ष्य में होता तो मैं मौका दे देता।

… (व्यवधान)

(1115/YSH/NKL)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नम्बर – 243.

श्री राजकुमार चाहर।

(प्रश्न 243)

श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक जनहित के मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके माध्यम से मोदी सरकार और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मोटर अधिनियम, 1988 की धारा 162 के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में घायल पीड़ितों के इलाज के लिए कैशलेस व्यवस्था की है, जिससे उनका इलाज हो सके, लेकिन यह व्यवस्था सिर्फ छ: राज्यों में लागू की गई है। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत यह योजना लागू की गई है, लेकिन यह योजना सिर्फ असम, हरियाणा, चंडीगढ़, पुडुचेरी तथा उत्तराखंड सहित केवल छ: राज्यों में है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि कई मरीज जो गंभीर दुर्घटनाओं में घायल हो जाते हैं जैसे किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, किसी के सिर में चोट आ जाती है, किसी के कई जगहों पर फ्रैक्चर हो जाता है तो मैं बताना चाहता हूँ कि कैशलेस इलाज के अंतर्गत एक बाध्यता है कि दुर्घटना के सात दिनों के भीतर और डेढ़ लाख रुपये तक का ही इलाज हो सकता है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह योजना पूरे देश भर में लागू की जाएगी? इसके अलावा सात दिन और डेढ़ लाख की जो बाध्यता है, क्या उसको समाप्त किया जाएगा?

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में दुर्भाग्य यह है कि रोड एक्सीडेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 4 लाख 80 हजार 583 क्रैशेस हुए और मरने वालों की संख्या, जो कि पहले डेढ़ लाख थी, वह अब 1 लाख 72 हजार 890 हो गई है। नीति आयोग और एम्स की रिपोर्ट में यह आया है कि टोटल डेथ का जो 30 परसेंट है, वह मेडिकल इमरजेंसी में जो सर्विस मिलनी चाहिए, जिनका एक्सीडेंट होता है, उनको यह सर्विस न मिलने के कारण होती हैं। इसलिए हम कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम लेकर आए हैं।

इस स्कीम के तहत अगर व्हीकल का इंश्योरेंस होगा तो सात दिनों तक का खर्चा या डेढ़ लाख रुपये, इसमें से जो भी होगा, वह उनको तुरंत मिल जाएगा। आयुष और हेल्थ कमीशन का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, उसके तहत स्टेट गवर्नमेंट की नेशनल हेल्थ अथॉरिटी तथा स्टेट हेल्थ एजेंसी से हॉस्पिटल्स को तुरंत ही ये पैसा मिल जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में असम, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और पुडुचेरी में यह स्कीम शुरू हो चुकी है और इसके तहत 2100 लोगों की जान बची है। अभी तक मैक्सिमम ट्रीटमेंट अमाउंट के रूप में केवल 1 लाख 25 हजार रुपये देने पड़े हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि वे उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश से ही इसकी शुरूआत हो रही है। अगले तीन महीनों में यह पायलट प्रोजेक्ट सेट हो जाएगा। उसके बाद पूरे देश में हम इस योजना की शुरूआत करेंगे।

इसके अलावा जिन लोगों का एक्सीडेंट होता है और उस समय यह कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है तो मुझे लगता है कि इससे अनेक लोगों की जान बचेगी और इसका सही उपयोग होगा। मैं आपके

मार्फत फिर से एक बार सदन के सभी सम्मानीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि हमने हर संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक एक्सीडेंट निवारण कमेटी हर जिले में बनाई है। कलेक्टर उसके सेक्रेटरी हैं। हर जिले में काफी लोग मर रहे हैं। इतने लोग न लड़ाई में मरते हैं, न कोविड़ में मरते हैं, न दंगों में मरते हैं। हर साल 1 लाख 78 हजार लोग एक्सीडेंट में मरते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो ब्लैक स्पोट्स हैं, बाकी सब बातें हम कर रहे हैं, तो आपकी अध्यक्षता में आप इसकी मॉनिटरिंग कीजिए। पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट तथा एनएचएआई को आप आदेश दीजिए। हम उसे सुधारेंगे।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप सबको एक बार दोबारा लैटर लिख दीजिए। कई संसद सदस्य मीटिंग नहीं बुलाते हैं। इसलिए एक बार दोबार लैटर लिख दीजिए।

श्री नितिन जयराम गडकरी : मैं दोबारा पत्र लिख दूंगा और आपके जिले में एक्सीडेंट्स कम हों, उसके लिए आप सब लोग सहयोग करें और इन लोगों की जान बचाएं। मैं आपको एक और दुखद बात बताना चाहता हूँ कि ये जो 1 लाख 78 हजार लोग मर रहे हैं, उनमें से 60 परसेंट लोग 18 से 34 एज ग्रुप के हैं। ये यंग लड़के हैं। इनमें इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं। रास्ते में जाते हुए स्कूटर पर हेलमेट न पहनने के कारण 30 परसेंट लोग मर रहे हैं।

(1120/RAJ/VR)

कुछ लोग रेड सिग्नल का पालन नहीं करते हैं। अभी भी कुछ लोगों में कानून के प्रति डर भी नहीं है और सम्मान भी नहीं है। ऐसी विचित्र अवस्था है। मैं यह सदन के माध्यम से आह्वान करता हूं कि आप सहयोग से यह काम जरूर करिए

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि आपने मुझे आदेश दिया है, मैं तुरंत इस संबंध में पत्र लिखूंगा।

माननीय अध्यक्ष : आप सप्लिमेंट्री प्रश्न नहीं पूछेंगे, आपने प्रश्न पूछ लिया है।

नवीन जिंदल जी।

श्री सतीश कुमार गौतम जी।

श्री सतीश कुमार गौतम (अलीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मोटर व्हीकल के संशोधन एक्ट में नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड की स्थापना की बात हुई थी, इसका स्टेटस क्या है और कब तक इस बोर्ड की स्थापना होना अपेक्षित है?

श्री नितिन जयराम गडकरी : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, छ: साल पहले इस बोर्ड की स्थापना के लिए निर्णय हुआ। उसके बाद इसके लिए रिटायर्ड सेक्रेट्री अपॉइंट करना, वह किस ग्रेड का होगा, मुझे दु:ख है कि इसके लिए पूरे एप्रूवल्स नहीं मिल पाए और इसके कारण इस बोर्ड का गठन नहीं हो पाया है। मैं जल्दी ही इसे करने की कोशिश करूंगा।

(इति)

(प्रश्न 244)

श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर (संगरूर) : माननीय मंत्री जी आप अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड हैं। आपने पूरे देश में बहुत अच्छे हाइवेज बनाए हैं, उन हाइवेज की वजह से लोग गाड़ियां 110, 120 और 150 किलोमीटर की स्पीड से भी चलाते हैं। अभी आपने जिक्र भी किया है कि हर साल तकरीबन पौने दो लाख लोगों की मौत भी हो रही है और पिछले 10 सालों में तकरीबन 15 लाख लोगों की मौत सिर्फ सड़क दुघर्टना के कारण हो गई है और प्रतिदिन लगभग 400 लोगों की मौत हो रही है।

माननीय मंत्री जी, पंजाब में पिछले एक साल में, अगर हम वर्ष 2023 से तुलना करें, तो दुर्घटना की डेथ रेट में 47 प्रतिशत कमी आई है। उसका कारण है कि हमने एक डेडिकेटेड फोर्स, सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब में लगाई है उसमें 1600 पुलिस ऑफिशियल्स को डिप्लॉय किया है। हर 30 किलोमीटर के बाद ट्योटा की एक तकरीबन 40 लाख रुपए की गाड़ी लगाई गई है उससे 47 प्रतिशत डेथ रेट कम हो गई है।

मैं मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार भी आने वाले समय में ऐसी कोई डेडिकेटेड फोर्स का गठन करेगी, जिससे सड़क दुर्घटनाएं कम हो सकें?

श्री नितिन जयराम गडकरी : सम्मानीय स्पीकर महोदय, मोटर व्हीकल एक्ट कंकरेंट लिस्ट में है। राज्य सरकार को जो कानून बनाने का अधिकार है, उसे स्टेट लिस्ट कहा जाता है, भारत सरकार जो कानून बनाती है, उसे सेंट्रल लिस्ट कहा जाता है और जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों कानून बनाते हैं, उसको कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है। यह राज्य सरकार के अधिकार में है। मैं पंजाब सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पॉजिटिव्ली प्रयास किया है। असम सरकार ने भी दुर्घटनाएं कम किए हैं।

मैं आपके सामने यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि देश में सबसे ज्यादा दुर्घटना में मरने वालों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश इसमें नम्बर वन पर है। उत्तर प्रदेश में दुघर्टना में मरने वालों की 23,652 है, जो टोटल ऐक्सिडेंट्स का 13.7 प्रतिशत है। दूसरे नम्बर पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु में दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 18,347 है, जो टोटल ऐक्सिडेंट्स का 10.6 प्रतिशत है। तीसरे नम्बर पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 15,366 यानी यह 9 प्रतिशत है और मध्य प्रदेश दुघर्टना में मरने वालों की संख्या 13798 है, यानी 8 यह प्रतिशत है।

अभी मैं लखनऊ गया था, तो ऊत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से डिटेल्ड बातचीत हुई है, उन्होंने इसको सीरियसली लिया है और मैं बाकी अन्य मुख्यमंत्रियों से भी बात करके इसके लिए कोशिश करूंगा।

भारत की सिटीज में सबसे ज्यादा लोगों की डेथ होती है। उनमें पहले नम्बर पर दिल्ली है – 1457 डेथ दिल्ली में होती है। बेंगलुरु में 915 डेथ होती है, जयपुर में 850 डेथ होती है। मैं यह मानता हूं कि इसके लिए रोड इंजीनियरिंग, ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग, दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। हमने ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग में 'भारत एनकैप' रेटिंग शुरू कर दी है। इकोनॉमिक कार मॉडल में छ: एयर बैग्स लगने लगे हैं। हमने पूरे ऑटोमोबाइल में सुधार कर दिया है। रोड इंजीनियरिंग में कमियां थीं। हम 40 हजार करोड़ रुपए ब्लैक स्पॉट्स इम्प्रूवमेंट के लिए खर्च कर रहे हैं। हमने काफी ब्लैक स्पॉट्स

दूर किए हैं। इनमें 49 प्रतिशत दुर्घटनाएं एनएच पर हो रहे हैं और यह मेरे लिए सबसे चिंता का विषय है। इसका कारण है कि जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, तो हमारी ऐसी सिस्टम है कि जो लोएस्ट बिड आती है, हम उसके गले में माला पहनाते हैं।

(1125/KN/SAN)

वे इतनी घटिया क्वालिटी की डीपीआर बनाते हैं, जिसके कारण फ्यूचर में यह प्रॉब्लम आती है। अभी हमने इस सिस्टम को भी, जो लोऐस्ट वाली बात है, हम उसको बदलकर उसकी रेटिंग कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर की भी रेटिंग कर रहे हैं और डीपीआर वालों की भी कर रहे हैं। अभी मैं रोज चार-चार, पांच-पांच कॉन्ट्रैक्टर्स, मैंने कल ही 5 लोगों को ब्लैक-लिस्ट कर दिया। हम कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट और अधिकारियों की, जो भी नेग्लिजेंस होगी, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के बारे में कोई सहानुभूति किसी के प्रति नहीं रखेंगे, क्योंकि लोगों की जान बचाना आवश्यक है और निश्चित रूप से हम करेंगे।

एक इम्पोर्टेंट चीज है कि देश में 18 लाख ड्राइवर्स की कमी है। ये जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, इसमें जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, आज कल क्या बतायें कि हमारे देश में ट्रेलर और ट्रक पर जो कंडक्टर होता है, वह चुपचाप ड्राइविंग सीखकर गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। मुझे दुर्भाग्यवश कहना पड़ रहा है कि दुनिया में जो नंबर एक पर देश है, जहां आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, उस देश का नाम भारत है। हम इसे सुधार रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से इसको काफी स्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा विश्वास है और हमने यह तय किया है कि मैं सब मैम्बर्स साहब को आह्वान करूंगा कि हमने ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर एवं फिटनैस सेंटर हर जिले में, हर तालुका प्लेस पर एक-एक शुरू करने की योजना बनाई है। उसमें आर्थिक मदद कर रहे हैं। हमने करीब 75 खोले हैं और अभी हमें एक हजार सेंटर्स खोलने हैं। आप अपनी कॉन्स्टीट्यूएंसी का प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भिजवाइये और मेरे पास से यह स्कीम लेकर जाइये। विशेष रूप से जो ट्राइबल एरिया है, जो सोशयली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, रूरल एरिया है, जहां एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहां फिटनैस सेंटर और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का कॉम्बिनेशन हमने किया है। हम आठ दिन में उस स्कीम को डिक्लेयर करेंगे। इसमें ट्रेन्ड ड्राइवर भी तैयार होंगे और फिटनैस के कारण 15 साल के बाद गाड़ियों की जो स्क्रैपिंग करनी है, उसकी सुविधा प्राप्त होगी। आप दोनों के लिए अपनी कॉन्स्टीट्यूएंसी में इस उपक्रम के लिए सहयोग करें। यह मैं अनुरोध करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री गौरव गोगोई जी।

श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर (संगरूर) : सर, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है।

माननीय अध्यक्ष : हाँ, आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है।

श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर (संगरूर) : सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो विकसित देश हैं, जैसे जापान, स्वीडन और आस्ट्रेलिया है। उन्होंने जीरो डेथ इन रोड एक्सीडेंट की कोई टाइम लाइन तय कर दी है। क्या हमारी भारत सरकार ने भी कोई टाइम लाइन तय की है कि जीरो डेथ इन रोड एक्सीडेंट हो?

श्री नितिन जयराम गडकरी : सम्मानीय स्पीकर महोदय, मैं उनकी भावना को समझता हूं। मुझे इस मिनिस्ट्री में 11 साल हो चुके हैं। स्वीडन ने जीरो किया है– नो एक्सीडेंट। बहुत से देशों ने यह रिकॉर्ड बनाया है। मैं जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छिपाता हूं, क्योंकि सबसे गंदा रिकार्ड अगर वर्ल्ड में किसी का है तो हमारे देश का है। मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूं, इसलिए मैं आपको सीधी बात बता देता हूं कि मैंने यह कहा था कि वर्ष 2024 के समाप्त होने के पहले हम 50 परसेंट डेथ और एक्सीडेंट कम करेंगे। कम तो हुए नहीं, उलटे एक्सीडेंट्स और बढ़ गए। यह एक ही सब्जेक्ट है, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट को सफलता नहीं मिली है। उसके वैरियस रीजन्स हैं। मैं आपको यही बताता हूं कि जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा, कानून के प्रति सम्मान पैदा नहीं होगा, तब तक यह मुश्किल है। आप सब के सहयोग से, हमारा पहला टारगेट तो फेल हो गया और उसको स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सच्चाई है। लेकिन इसके बाद फिर हम तेजी से आपके सहयोग से काम पर लगे हैं, हमने निश्चित रूप से आगे कोई टारगेट तय नहीं किया है, लेकिन कम करने की लगातार कोशिश करते हैं। मैं इसलिए संवेदनशील हूं कि मैं एक एक्सीडेंट का भुक्तभोगी हूं। मैं महाराष्ट्र में विधान मंडल में लीडर ऑफ अपोजिशन था। मेरे ड्राइवर को कैटरेक्ट था। पुलिस प्रोटेक्शन में पुलिस की सायरन वाली कार के साथ मेरी पत्नी, मेरा बेटा-बेटी पूरे ट्रक के नीचे चले गए। वे टायर के कारण, जो पीछे लटकता है, उसके कारण जान बची है। मैं दो साल तक हॉस्पिटल में था। मैं इसके प्रति तो बहुत ही ज्यादा संवदेनशील हूं। दुर्भाग्यवश बहुत कोशिश करने के बाद भी उसमें कमी तो हुई नहीं, बल्कि वह बढ़ी है। यह चिंता का विषय है। आप सब के सहयोग से इस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

प्रश्न काल के समय चंद ही एक ऐसे मंत्री हैं, अगर वह समय भी लें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि आपकी जो पूरी बात होती है, वह सकारात्मक होती है। रोड एक्सीडेंट्स के मामले में आपके उत्तर में विवरण है कि असम में लगभग 27 हजार एक्सीडेंट्स हुए हैं।

(1130/PC/SNT)

ज्यादातर एक्सीडेंट्स उसी चीज के कारण हुए हैं, जिसका आपने अपना खुद का उदाहरण दिया है, जो ट्रक्स के कारण हुआ। ये ट्रक्स ओवरलोड होकर आते हैं, बड़ी स्पीड में जाते हैं। रात के समय जब फॉग होती है, विशेष रूप से वर्तमान के शीतकालीन समय में जो फॉगी कन्डीशंस होती हैं, इन कन्डीशंस में रात के एक बजे या सुबह के तीन-चार बजे ये ट्रक्स जाते हैं। इस संदर्भ में आपका मंत्रालय क्या कर सकता है? लाइटिंग के संदर्भ में क्या कर सकते हैं? क्या हाईवे कॉन्ट्रैक्टर्स अलग-अलग जगहों पर लाइटिंग लगा सकते हैं? क्या अलग-अलग जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर, हालांकि वह कॉन्करंट विषय है, लेकिन क्या आप सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हैं, जिससे आपके पास डेटा पहुंचे और उसकी जानकारी पुलिस तक पहुंचे, ताकि जो भी ट्रक ओवरस्पीड कर रहा हो, उसको हम पहले ही रोक लें? क्या इस प्रकार की कोई सकारात्मक सोच है?

सर, मेरे क्षेत्र में इसका एक और कारण है और आपको भी पता है कि जोरहाट लोक सभा क्षेत्र में कितने साल हो गए और कितने कॉन्ट्रैक्टर्स चेंज हो गए, लेकिन हमारा एनएच-37 संपूर्ण नहीं हुआ है। वहां डिज़ाइन बहुत खराब है। उसके कारण और लाइटिंग के कारण वहां ट्रक्स के बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। क्या जोरहाट के संबंध में आपका मंत्रालय कोई डेडलाइन दे पाएगा कि वहां के हाईवे का काम कब तक संपूर्ण हो जाएगा? धन्यवाद।

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय स्पीकर महोदय, दिक्कत यह है कि एनएच रोड के ऊपर ट्रक्स खड़े रहते हैं। मैं बोलता हूं कि उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई करने का अधिकार, लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का होता है। हमने इससे तंग आकर एक नई टैक्नोलॉजी का नियम लगाया है। अब हमने ऑटोमैटिक एक्सेल में वेट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है। अब ट्रक्स के ऊपर लिखकर आएगा कि कितना वजन डाला हुआ है? मैं आपसे बोल नहीं सकता कि इसमें क्या-क्या होता है? इसलिए, मुझे लगता है कि यह भी होगा।

माननीय सदस्य का विषय जोरहाट-झांजी का है। यह आपका विषय है, मैं भी इसकी 10-12 मीटिंग्स ले चुका हूं, चीफ मिनिस्टर भी परसों आए थे, वे भी कह रहे थे। लगभग फरवरी, 2025 तक यह काम पूरा होगा। अब नए कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया है और काम गति से चल रहा है। फरवरी, 2025 तक वह पूरा होगा। ये जो कैमरे हैं, ये हमने लगाए हैं। अब हमने यह किया है कि हमारे पास खाली जगह पड़ी हुई थी, तो हमने एक 'हमसफर योजना' चालू की है, जहां पेट्रोल, डीज़ल और गैस स्टेशन होगा। वहीं, बाजू में एक छोटा रेस्टोरेंट-ढाबा भी होगा। वहां कम से कम दस ट्रक्स और 15-20 कार्स की पार्किंग भी होगी। उस छोटी जगह पर वॉशरूम्स-टॉयलेट्स भी होंगे। वहां ट्रक्स वगैरह अंदर खड़े होंगे। लोग जो रोड पर पार्किंग करते हैं, वह एक प्रॉब्लम है।

केवल हाई-स्पीड ही प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हाई-स्पीड चलती है। हाई-स्पीड एक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसमें दो मत हैं, लेकिन प्रॉब्लम लेन-डिसिप्लन की है। लेन-डिसिप्लन में ट्रक्स वाले इधर से उधर लेन्स बदलते हैं और स्कूटर वाले उसके अंदर घुसते हैं। इससे स्कूटर और गाड़ी वाले लोग ट्रक्स के नीचे आ जाते हैं। अत: लेन डिसिप्लन का पालन करना होगा। शहरों में कुछ जगहों पर कैमरे लगे हैं। बहुत फाइन्स भी लगने लगे हैं। मेरी कार पर मुंबई में दो बार फाइन लगा, जिसे मुझे भरना पड़ा। जो कैमरे में आता है, हम लोग उस पर भी तकरार कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि जितना इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम है, वह हम करेंगे और उसके साथ-साथ हमें अपने मन में ह्यूमन बिहेवियर को भी बदलना होगा।

फिल्म स्टार्स जैसे श्री अमिताभ बच्चन हैं, हर साल कार्यक्रम होता है, सबकी मदद कर रहे हैं। क्रिकेटर्स की मदद ले रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ को ले रहे हैं, स्कूल्ज़ में कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आपसे आह्वान करता हूं कि अपने एरिया में, स्कूल्ज़ में बड़े-बड़े कार्यक्रम कीजिए। हमारा डिपार्टमेंट आपको सहयोग करेगा। एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस, यूनीवर्सिटीज में कार्यक्रम कीजिए, ताकि हम सब 'रूल्स-ऑफ-दि-रोड' का पालन करें और उसका वॉयलेशन नहीं करें। मेरे सामने रेड सिग्नल होने के बाद एक गाड़ी बीच में घुस जाती है। वह गाड़ी आई और दूसरे ने डैश मार दिया। मैंने आंखों

से देखा था। आप सब इतनी जल्दी क्यों करते हैं? रेड सिग्नल हुआ है, तो आप रुक जाइए। ये सारी छोटी-छोटी बातें आप सबके और सोसाइटी के सभी स्टेकहोल्डर्स के सहयोग के बिना नहीं होंगी।

मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं विदेश जाता हूं। मैं चॉकलेट खाता हूं और उसके रैपर को नैचुरली मैं अपनी जेब में रखता हूं। हिन्दुस्तान में उसे खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, प्रॉब्लम यही है। हमें बदलना पड़ेगा। छोटे बच्चों के लिए कोर्सेज़ लगे हैं, कैंपेन चल रहे हैं। ऐसे ही आप लोग भी अपनी कांस्टिट्यूएंसी में इस बारे में मदद कीजिए। 'बस बॉडी कोड', यह मेरे से एक गलती हुई है। हर बार लोग हथौड़ा लेकर, रोड पर खड़े होकर बस बॉडी बनाते थे। जब मैं कहता था, तो गरीब लोग कहते थे कि हम लोग बेकार हो जाएंगे। लुधियाना, पंजाब और इंदौर में यह होता था कि गरीबों का क्या होगा? मैं हर बार उनको एक्सटेंशन देता था। हमारे समृद्धि महामार्ग पर एक प्राइवेट बस का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया, वह पूरी तरह जल गई और 45 लोग जलकर मर गए।

(1135/IND/AK)

जब मैंने यह देखा तो मुझे लगा कि यह तो अपनी गलती है। अब हमने वर्ष 2024 से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बस कोड से लागू कर दिया है। हिंदुस्तान में इसके बाद हर बस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेफ्टी के अनुसार होगी। यदि बस में एक्सीडेंट होगा तो उसमें इतना बड़ा कांच लगाया जाएगा और पास में रखी प्लास्टिक की हथौड़ी से उसे तोड़ कर यात्री सुरक्षित बाहर निकल सकेंगे। हमें अपने लोगों के जीवन के साथ किसी भी तरह से खिलवाड़ नहीं करना है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगणों, पूरा सदन इस बात को लेकर चिंतित है। यहां पूरा देश बैठा है। मैं सदन में सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। हमारी अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी भी है। हमें गंभीर प्रयास करना चाहिए कि हम सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में कामयाब हो सकें और इसके लिए जब तक हम समाज में जागृति पैदा नहीं करेंगे, विशेष रूप से नौजवानों को इन गंभीर दुर्घटनाओं के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक हम दुर्घटनाओं में कमी नहीं कर पाएंगे। समाज को जागृत करना, दिशा देना हम सभी जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। मुझे आशा है कि हम सामूहिक और गंभीर प्रयास करके सड़क दुर्घटनाओं में कमी करने के संकल्प के साथ अपनी बात को समाप्त करेंगे।

(इति)

(प्रश्न 245)

*SHRI OMPRAKASH BHUPALSINH *ALIAS* PAVAN RAJENIMBALKAR (OSMANABAD): The Hon'ble Minister replied that in Maharashtra about 69 projects are currently going on. Out of that 25 projects are stuck due to land acquisition issues. I wanted to tell the Hon'ble Minister that 10 years ago, land acquisition was done for Solapur- Sambhaji Nagar highway i.e NH-211. That time, one farmer named Laxmikant Shankar Veer got at the rate of Rs.2.30 lakh per acre. Now the land acquisition is going on for Surat- Chennai highway. One farmer named Balaji Madhav Patil got only at the rate of Rs.6,250 per acre for handing over his land for highway construction. There is a huge difference between land acquisition that took place 10 years ago and that is taking place today. That is why the farmers are approaching courts and the land acquisition takes time. Sir, through you, I would like to request the Hon'ble Minister to kindly complete the land acquisition process by implementing the 2013 law. There are constant efforts to dilute this 2013 law. With the help of this law, the farmers will get more financial benefits. So, please implement this law to complete the land acquisition process. Also to connect the Surat- Chennai highway to Osmanabad city, I have sent a connecting road proposal from my side. You also seem to be positive about the project. Please confirm the deadline to clear the project. Thank you.

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: #(Hon'ble Speaker Sir, land acquisition is a State Government issue. The district collectors decide the rates as per the concerned State Government norms. After finalising the cost, there is a provision for appeal. We have accepted the final cost. If we accept the compensation payment cost and if it is not acceptable to both the parties then, we can approach the court. I would like to suggest about the case the Hon'ble MP is referring to, kindly visit the local Collector office and ask him to recalculate.)

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य के क्षेत्र से एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क जा रही है। आपको याद होगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात केवल भाषण में करते थे। पहली बार हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में हमें मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए साढ़े तीन घंटे लगते थे लेकिन अब केवल आठ मिनट का समय लगता है। बाद में हिमालय के बीच में से हम लद्दाख-लेह तक 18 टनल्स बना रहे हैं और रोड का काम शुरू हुआ है। वहां से हम एशिया की सबसे बड़ी जोजिला टनल बना रहे हैं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप पार्लियामेंट कमेटी के साथ आएं। वह एशिया की सबसे बड़ी 11.6 किलोमीटर की रोड है। मुझे कहते हुए अभिमान होता है कि इस टनल की लागत 12 हजार करोड़ रुपये थी। हमने एक साल मेहनत करके टनल पर 5,600 करोड़ रुपये खर्च किए और पांच हजार करोड़ रुपये बचाए हैं। इस टनल का 75 परसेंट काम पूरा हो चुका है। इसके बाद जेड-मोड टनल आती है, जहां आतंकवादियों ने हमारे कैम्प पर हमला किया था। वह टनल पूरी हो चुकी है। प्रधान मंत्री जी से डेट लेकर हम उसका उद्घाटन करने वाले हैं। इसके बाद हम श्रीनगर की बात करते हैं।

---

* Original in Marathi

#( ) Original in Marathi

(1140/RV/UB)

महोदय, फिर हम श्रीनगर आते हैं। श्रीनगर से जम्मू के बीच 18 टनल्स बन गयी हैं। फिर हम कटरा-दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से अमृतसर होते हुए दिल्ली आते हैं।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली जुड़ने के बाद आपके मतदार क्षेत्र से आगे जो मुम्बई-दिल्ली हाईवे है, यह सूरत जाता है। जो लोग उत्तर से दक्षिण जाते थे, उन्हें पहले मुम्बई, पुणे, कोल्हापुर, शोलापुर जाना पड़ता था, पर अब उन्हें इन सब ज़गहों से होकर जाने की जरूरत नहीं है। अब नया एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, जिससे सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से शोलापुर, शोलापुर से कुरनूल और कुरनूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलुरु, मंगलुरु, कोच्चि आदि पूरे साउथ जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये हाईवे चेन्नई से दिल्ली के बीच की दूरी को 320 किलोमीटर कम कर रहा है। इसकी एक विशेषता है, जैसे आपके राजस्थान में, यह पूरे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स होते हुए जा रहा है। मुझे लगता है कि यह हाईवे पूरे हिन्दुस्तान में दिल्ली-मुम्बई हाईवे से भी महत्वपूर्ण सेक्शन है, जो उत्तर को दक्षिण से जोड़ने वाला है। इसमें माननीय सदस्य का क्षेत्र धाराशिव, उस्मानाबाद आता है और उसको एक 'स्पर' देना चाहिए, जैसा हमने कोटा के लिए दिया है। यह माननीय सदस्य की मांग है। हम उसको जरूर कंसीडर करेंगे।

*SHRI OMPRAKASH BHUPALSINH *ALIAS* PAVAN RAJENIMBALKAR (OSMANABAD): I have a question regarding Umarga -Solapur NH 65 highway.

In 2014, the work order was issued for the project work, and now it is 2024. It was expected to complete this project in 2.5 years but unfortunately, even after passing of 10- year time, the road is still incomplete. Taj Mahal would have been constructed earlier than this road. Due to this incomplete road, there is a life threat to a lot of lives as people are dying due to road accidents. Yesterday one of my known persons, died there due to wrong side driving. He was a small child and his name was Arnav Sonawane. It is very unfortunate incident. Please tell us by when this Umarga- Solapur road construction is likely to be completed. Is there any time bound schedule you have to share with us? Also, Tembhurni- Latur four lane DPR is also pending with you. Please start this project as early as possible. I expect an early completion of this project in a time-bound manner. Thank you.

---

* Original in Marathi

श्री नितिन जयराम गडकरी : टेम्भुर्णी से लातूर तक की जो रोड है, उसको 4-लेन के लिए मंजूर किया गया है। एक महीने के समय में उसका टेन्डर आ जाएगा। आप बोल रहे हैं कि वह एक गम्भीर समस्या है। मैं भी यह मानता हूं। उसके कारण काफी लोग तकरार करते हैं। दूसरा जो रास्ता है, जो शोलापुर तक आता है, उसमें जो कम्पनी थी, उसने दिवाला पीटा। वह एनसीएलएटी में गयी। फिर उस कम्पनी के ऊपर सी.बी.आई. और ई.डी. ने रेड मारी और उसके पैसे सीज़ कर दिए। अब प्रॉब्लम यह है कि वह कंपनी रोड के काम को पूरा नहीं कर पा रही है। फिर उसमें हम कोर्ट में गए। रोड के निर्माण में ये जो मेजोरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें लैंड एक्वीजीशन की प्रॉब्लम, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट का क्लियरेंस, रेलवे एप्रूवल, यूटीलिटी शिफ्टिंग, अदर क्लियरेंसेज़, लॉ एण्ड ऑर्डर सिचुएशंस, कॉन्ट्रैक्टर इश्यूज़ होते हैं। उससे बैंक का डिस्बर्समेंट रुकता है, 'फोर्स मेज्योर' होते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्टर ने दिवाला पीट लिया। वह एनसीएलएटी में गया। हम उसे शुरू करके दूसरे को लाए थे। उसके ऊपर सी.बी.आई. और ई.डी. की रेड पड़ी। उसके विरुद्ध वह कोर्ट में गया। कोर्ट ने भी उसमें स्टे दिया। ये सब 'बियॉण्ड कपैसिटी' कुछ प्रॉब्लम्स हैं।

क्वैश्चन आवर के बाद एक मीटिंग है। उसमें सभी एम.पीज़. आने वाले हैं। आप भी वहां आ जाइए। क्या फिर से इसमें कुछ वे-आउट निकल सकता है, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा।

श्री संजय हरिभाऊ जाधव (परभणी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने सविस्तार जानकारी दी है। फिर भी मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि परियोजनाओं को पूरा करने में भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण जो देरी हुई है, तो उसको किस तरह से पूरा किया जाएगा? इसमें महाराष्ट्र की परभणी संसदीय क्षेत्र की कुल कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग योजनाएं हैं? क्या सरकार परभणी क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों और राज्यों से जोड़ने के लिए कोई राज्य राजमार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर रही है या करने का विचार रखती है?

(1145/GG/SRG)

श्री नितिन जयराम गडकरी : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे संरक्षण दीजिए। 1800 रोड्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और प्रश्न केवल लिमिटिड इसका है। अब मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। जनरली वैसे थोड़ी बहुत जानकारी होती है। लेकिन मैं महाराष्ट्र के बारे में इतना ही बताऊंगा कि तीन सालों से 23 प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं, दो सालों से 18 प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं औ एक साल में 37 प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं, टोटल 78 प्रोजेक्ट्स हैं। सर, प्रॉब्लम्स हैं। मैं उनको इतना ही विश्वास दिलाऊंगा कि इसमें जल्दी करने की कोशिश करेंगे। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि परभणी की डिटेल के बारे में आप मुझसे मिलिए, मैं आपको जानकारी दूंगा।

(इति)

(प्रश्न 246)

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : माननीय अध्यक्ष जी, हमने मूल प्रश्न में स्पेसिफिक सवाल किया था और एक नवंबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2024 तक का ब्यौरा मांगा था। माननीय मंत्री जी ने उन प्रोजेक्ट्स का जो विवरण दिया है, वह इस बीच का नहीं दिया है। एक तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमने जिस समय अवधि के लिए ब्यौरा मांगा था, दिनांक एक नवंबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2024 तक सीएसआर और आर एंड आर फंड के अंतर्गत एनटीपीसी टांडा के द्वारा किन-किन परियोजनाओं पर कितनी-कितनी लागत का कार्य कराया गया और उसका चयन का आधार क्या है? किस आधार पर वे चयनित किए गए? मेरा पहला प्रश्न यह है कि आप यह डिटेल बताने की कृपा करें और उसी समय का बताएं।

दूसरा, मान्यवर, इसी के साथ जो व्यक्ति चयनित किए गए हैं, केवल एक विधान सभा में, जहां बाय इलेक्शन होना था और जिस दिन आचार संहिता लागू की गई, उसी दिन 25 स्कूटी भेंट की गईं, उसका चयन किस आधार पर किया गया?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने जो जानकारी मांगी है कि details of the funds for Rehabilitation and Resettlement (R&R) and Corporate Social Responsibility (CSR) utilized by the NTPC. इसमें हमने पूरा फंड वहां दिया है। रीहैबिलिटेशन और रीसैटलमेंट में दो करोड़ 76 लाख रुपये की लागत की गई है और सीएसआर के अंतर्गत 7 करोड़ 10 लाख रुपये की लागत की गई है। हमने इन दोनों की डिटेल दी है। जहां तक वर्षों की डिटेड की बात है, इसमें इन सभी वर्षों का ब्यौरा है। वर्ष 2021-22 में आठ प्रोजेक्ट्स के नाम दिए गए हैं। वर्ष 2022-23 में 21 प्रोजेक्ट्स के नाम दिए गए हैं। वर्ष 2023-24 में 26 प्रोजेक्ट्स के नाम दिए गए हैं। इस प्रकार से एक-एक प्रोजेक्ट के नाम की डिटेल माननीय सदस्य महोदय को उपलब्ध करा दी गई है।

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी उपलब्ध कराई है, उसमें इस दौरान का किस-किस प्रोजेक्ट में कितना खर्च है, इसका उल्लेख नहीं किया है। एक तो मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ इसमें प्रोजेक्ट वाइज़ कॉस्ट नहीं दी गई और उसका चयन का आधार क्या है? मान्यवर इसमें बड़े पैमाने पर, जो जिलाधिकारी का कार्यालय है, एसपी का कार्यालय है, एसपी को गाड़ी देने में, इन चीज़ों पर खर्च किया जा रहा है। हम लोग उसके प्रदूषण से पीड़ित हैं। … (व्यवधान) माननीय मंत्री जी, आप बैठ जाएं, पहले मैं सवाल पूछ लूं। … (व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ ना। … (व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : मान्यवर, पहले मेरा सवाल आ जाए।

माननीय अध्यक्ष : आप शॉर्ट में सवाल पूछो।

… (व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : मान्यवर, मैं पूछ रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप शॉर्ट में सवाल पूछो और मंत्री जी को डायरेक्शन मता दो।

… (व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : मान्यवर, मैं सीधा सवाल पूछूंगा।

मान्यवर हम लोग प्रदूषण से पीड़ित हैं। मान्यवर, हमारी जमीन ले ली गई, हमारा मकान गिरा दिया गया। हमारा नहीं बन पा रहा है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है?

… (व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : मान्यवर, उसके लिए नहीं दिया जा रहा है तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि केवल एक विधान सभा में चुनाव के समय इस तरह के कितने कार्यों पर पैसा दिया गया? दूसरा, इसमें दिया गया है कि स्थापना दिवस पर, स्थापना दिवस 29 सितंबर, 2023 में हुआ, 2024 में नहीं हुआ। उस पर जो खर्च किया गया, वह किसके आधार पर दिया गया? दूसरा, मेरा मानना है कि इसका चयन करने का, जो प्रोजेक्ट लिए जाते हैं … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

(1150/MY/RCP)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का प्रावधान कंपनीज एक्ट के सेक्शन 135 में किया गया है। इसमें बहुत विस्तार से सारा सिस्टम बनाया गया है। अगर जिस कंपनी का एक वर्ष के अंदर 1000 करोड़ रुपये या इससे अधिक टर्नओवर होगा अथवा जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये होगी, प्रॉफिट 500 करोड़ रुपये या इससे अधिक होगा तो ऐसी कंपनी को अपनी एक सीएसआर कमेटी बनानी होगी। उस सीएसआर कमेटी के अण्डर शेड्यूल 7 में प्रावधान दिये गये हैं। इसमें 12 तरह की एक्टिविटीज को शामिल किया गया है। वह कमेटी बैठ कर तय करेगी कि इनमें से किस-किस एक्टिविटीज की डिमांड आई हुई है, उस डिमांड के आधार पर कितना पैसा कहां खर्च करना है। खास कर जिस प्रश्न की बात की जा रही है, इसमें स्पष्ट बताया गया है कि उस कमेटी ने एनटीपीसी का जो प्रावधान बनाया है, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव को बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो डिमांड आएगी, उसको भी कंसीडर किया जा सकता है। पंचायतों से जो डिमांड आएगी, उसको भी कंसीडर किया जा सकता है। उनका अपना जो सर्वे है, उसमें भी कंसीडर किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की सेंट्रल गर्वनमेंट की जो गाइडलाइन है, उसे भी कंसीडर किया जा सकता है। ऐसे बहुत से प्रावधान किये गये हैं।

महोदय, इस पार्टिकुलर केस के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पत्र लिखा, जिसमें यह कहा गया कि इस क्षेत्र के अंदर 25 इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दे दी जाए। यह उस प्रावधान के अंतर्गत आता है। जहां तक इसकी डेट की बात है कि किस डेट को यह दिया गया और चुनाव के समय दिया गया। पहली बात तो यह है कि ये सारे विषय चुनाव के बाद के हैं। लोक सभा का चुनाव सितंबर में समाप्त होता है। यह डिस्ट्रीब्यूशन अक्टूबर महीने के अंदर हुआ है। 1 अक्टूबर, 2024 को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से पत्र दिया गया है। … (व्यवधान)

महोदय, अगली बात है कि अगर चुनाव से जुड़ा हुआ कोई विषय है, तो मैं अपने सदस्य महोदय से कहना चाहता हूं कि यह विषय चुनाव आयोग का होता है। वहां पर इनको कोई उल्लंघन लगता है कि यह काम चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है तो चुनाव आयोग के पास शिकायत करनी चाहिए और उसमें कोई न कोई निर्णय लेना चाहिए। इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन, यह सब उसके बाद के विषय हैं। इसका चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है... (व्यवधान)

इस प्रकार से यह जो 25 स्कूटीज दी गई है, इन 25 स्कूटीज का पूरा विवरण दिया गया है कि किस-किस परिवार और महिला को दिया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उसमें प्रावधान दिया गया है। एक तरफ हम लखपति दीदी की बात करते हैं, दूसरी तरफ महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं। अगर ऐसे गरीब परिवारों में, एससी महिलाओं को 25 स्कूटीज दे दी जाती हैं तो हमारे सदस्य महोदय को आपति होती है, यह मेरी समझ से परे है... (व्यवधान) क्या यह चाहते हैं कि एससी समाज की मदद नहीं की जाए? क्या यह चाहते हैं कि हमारी महिलाओं को और किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाए? क्या आप उनके सशक्तिकरण के विरोधी हैं? अगर यह विरोधी हैं तो फिर इनको सदन में स्वीकार करना पड़ेगा कि इस प्रकार की छोटी-छोटी बातों पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। अगर माननीय सदस्य चुनाव को लेकर कोई आपत्ति करते हैं तो आप जैसे लोगों के लिए यह शर्म की बात है... (व्यवधान)

(इति)

माननीय अध्यक्ष: श्री जी.के. पाडवी।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिए।

ADV. GOWAAL KAGADA PADAVI (NANDURBAR): Hon. Speaker, I want to ask a Supplementary on Q. 247, not on Q. 246.

माननीय अध्यक्ष: यह क्वेश्चन नंबर के बारे में नहीं है। आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने के लिए कहा गया है। अभी आपका क्वेश्चन नंबर नहीं आया है।

(प्रश्न 247)

श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिर्डी) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि महाराष्ट्र के लिए 68 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। मेरी जो अहमदनगर कंस्टीटुएन्सी है, वहां के 360 किलोमीटर सड़क के लिए मंत्री जी ने 68 हजार करोड़ रुपये सैंक्शन कर दिये हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। पूरे देश में माननीय मंत्री जी का काम चल रहा है। आपने पहले महाराष्ट्र में भी काम किया है।

(1155/CP/PS)

मैं इसके लिए आपको सलाम करता हूं, देश भी आपको सलाम करता है। आपने उत्तर के विवरण में इसके बारे में बताया। आप भी बाबा के भक्त हैं, साईं भक्त हैं। शिर्डी कांस्टीच्युएंसी में बहुत से भक्त आते हैं।

माननीय अध्यक्ष : आपका समय खत्म हो जाएगा। जल्दी प्रश्न पूछिए, 12 बजने वाले हैं।

श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिर्डी) : पूरे हिंदुस्तान से, अनेक राज्यों से लोग सावलीविहिर टू अहिल्यानगर के रास्ते से आते हैं। 12 सालों से यह रास्ता इतना खराब हो रहा है कि आने वाला हर एक भक्त गाली देकर चला जाता है। इस रोड पर अनेक एक्सीडेंट्स भी हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सवाल पूछ लीजिए, नहीं तो समय खत्म हो जाएगा। मैं इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं।

श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिर्डी) : इस रास्ते का काम जल्दी से जल्दी हो, मेरी आपसे यह विनती है।

श्री नितिन जयराम गडकरी : सम्माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह वस्तुस्थिति है। यह मालूम नहीं कि क्या हुआ? तीन बार टेंडर निकला, तीन कांट्रैक्टर्स भाग गए। एक की बैंक गारंटी फ्रॉड निकली। कल जब आया तो दो कांट्रैक्टर्स ने ही टेंडर भरा। उसमें अधिकारियों ने फिर सवाल पूछा, तो वह भी मैंने कैंसिल करने का आदेश दिया। अब इसका 15 दिनों का शार्टेस्ट टेंडर निकालेंगे। यह करीब ढाई हजार करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है। शिरडी में बहुत लोग आते हैं। मुझे भी बड़ा संकोच होता है, दु:ख होता है। जल्दी ही, दो महीने के अंदर इसका अच्छा काम करेंगे। नया टेंडर निकल रहा है तो वहां के सांसद ने भी मांग की थी कि इसको कंक्रीट का बनाएं, क्योंकि वहां की सिचुएशन खराब है। मैं उसका अध्ययन करके जल्द से जल्द यह काम शुरू कराऊंगा। रोड की बहुत खराब स्थिति है, तब तक उसकी मेंटीनेंस करके वह रोड राइडेबल रहेगी, ऐसी मैं जरूर कोशिश करूंगा।

श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिर्डी) : महोदय, इसके बारे में मेरा दूसरा एक प्रस्ताव है, मैंने उसका आपको निवेदन भी दिया है। शाहपुर टू गेवराई रोड अनेक जिलों और महाराष्ट्र के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। आप इसे जल्दी से जल्दी सैंक्शन करें। मैं आपको सुझाव तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि टेंडर न्यूनतम 40 से 50 पर्सेंट तक ही जाते हैं, इसको रोकने के लिए आप कोई प्रस्ताव लाएं।

दूसरा, जो ठेकेदार, इंजीनियर रोड बनाते हैं, उनके ऊपर निश्चित रूप से जवाबदेही रखनी चाहिए। इसके लिए कोई नया लॉ बनाना चाहिए। मेरी यह विनती रहेगी।

श्री नितिन जयराम गडकरी: सम्माननीय स्पीकर साहब, यह सच्चाई है कि पहले बड़े-बड़े लोग ही कांट्रैक्ट लेते थे। टेक्निकल और फाइनेंशियल जो क्राइटेरिया था, उसको हमने डाइलूट किया, ताकि और लोग कांट्रैक्टर बनें। हमने जो दिया, इसका गलत इफेक्ट आया। इसमें 38 पर्सेंट बिलो, 40 पर्सेंट बिलो, 42 पर्सेंट बिलो, 50 पर्सेंट बिलो तक टेंडर आए। जो टेंडर बिलो भरता है, उसको देना पड़ता है। जो टेक्निकल और फाइनेंशियल नार्म्स थे, वे बहुत लिबरल कर दिए थे। अब उनको हम फिर से थोड़ा कड़क कर रहे हैं, ताकि क्वॉलिटी वाला काम हो और इस प्रकार के काम में कांट्रैक्टर भी अच्छे डेवलप हों। थोड़ा बीच में ऐसा हुआ है। हमने यह अच्छे भाव से किया था। दुर्भाग्य से जो छोटे लोग थे, मैंने मजाक में कहा कि जो … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) थे, उनको हमने … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) बना दिया। हम इसके परिणाम भुगत रहे हैं। अब फिर से हम … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) ही बनाएंगे। अब उसको दुरुस्त करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : यह शब्द डिलीट कर देना।

*ADV**.** GOWAAL KAGADA PADAVI (NANDURBAR): Thank you, hon. Speaker, Sir, for allowing me to speak. Sir, my direct question is to the hon. Minister. The stretch between Pimpalner to Satana, road no. 21/427 is not in good condition. There are major construction challenges in this part. This part of the road needs a concrete work to avoid future accidents. I request you to look into this matter on priority basis because this has been pending for the last three years.

*SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Yes, sure I will look into it.

* Original in Marathi

(pp. 22-30)

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे (मावल) : अध्यक्ष महोदय, मैं गडकरी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। जो पालखी मार्ग है, वह देहू से पंढरपुर जाता है। देहू से एन.एच. 4 तक, देहू रोड तक रक्षा विभाग की जगह है। कई सालों से उस मार्ग का काम पेंडिंग है। इस मार्ग का काम कब तक पूरा हो जाएगा और रक्षा विभाग के लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे?

(1200/NK/SMN)

श्री नितिन जयराम गडकरी: अध्यक्ष महोदय, हम रक्षा विभाग से परमिशन के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम उनका भी सहयोग लेंगे और काम को जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे।

(इति)

प्रश्न काल समाप्त

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के संबंध में विनिर्णय

1200 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि, श्री बी. मणिक्कम टैगोर, डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद, श्री बजरंग मनोहर सोनवणे, श्री राजेश रंजन, श्री गौरव गोगोई, श्री के. सी. वेणुगोपाल, श्री शफी परम्बिल, श्री विजय कुमार दूबे, श्री धर्मेन्द्र यादव, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, प्रो. सौगत राय, डॉ. डी. रवि कुमार, श्री उम्मेदा राम बेनीवाल और श्री बैन्नी बेहनन के स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने किसी भी माननीय सदस्य को स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1200 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर – 2. श्री मुरलीधर मोहोल जी।

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल) : अध्यक्ष महोदय, श्री किंजरापु राममोहन नायडू की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

1201 hours (Shri Jagdambika Pal *in the Chair*)

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की उप-धारा 182 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) (पहला संशोधन) विनियम, 2024

जो दिनांक 24 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/रेग./2024/10 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 11 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-23/2018 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (नेट मीटरिंग और सकल मीटरिंग पर आधारित सौर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव प्रणाली) (पहला संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 11 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-23/2019 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच और लोकपाल) विनियम, 2024 जो दिनांक 27 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-31/2024 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतरा-राज्य पारेषण और वितरण में संयोजकता और मुक्त पहुंच) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 19 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-21/2024 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (चिकित्सा सुविधा) विनियम, 2024 जो दिनांक 20 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-34/2024 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) के (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियम, 2024 जो दिनांक 21 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/260/2021/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अधिसूचना सं. एल-1/260/2021/सीईआरसी जो दिनांक 10 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 16 सितम्बर, 2024 को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियम, 2024 के प्रभावी होने की तिथि के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(तीन) अधिसूचना सं. एल-1/260/2021/सीईआरसी जो दिनांक 5 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियम, 2024 में कतिपय संशोधन किए गए है।

(चार) अधिसूचना सं. एल-1/260/2021/सीईआरसी जो दिनांक 30 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियम, 2024 में कतिपय संशोधन किए गए है।

(पांच) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) (पहला संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 29 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/265/2022/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(छह) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र के शुल्क और प्रभार तथा अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2024 जो दिनांक 1 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/271/2024/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(4) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अंतर्गत का.आ.4490(अ) जो दिनांक 14 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 सितम्बर, 2022 की अधिसूचना सं.4554(अ) में कतिपय संशोधन किए गए है।

(5) (एक) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरू के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरू के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(11) (एक) फॉरम ऑफ रेगुलेटर्स (एफओआर), नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फॉरम ऑफ रेगुलेटर्स (एफओआर), नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी), नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी), नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जम्मू का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) डीएनएच और डीडी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, सिल्वासा के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डीएनएच और डीडी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, सिल्वासा का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) टीआरईडीसीओ राजस्थान लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टीआरईडीसीओ राजस्थान लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) टीयूएससीओ लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टीयूएससीओ लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड, देहरादून के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड, देहरादून का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी शोभा कारान्दलाजे) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, भिवाडी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, भिवाडी के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, भोपाल के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, भोपाल के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, पुदी (विशाखापट्टनम) के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, पुदी (विशाखापट्टनम) के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, पुदुचेरी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, पुदुचेरी के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, रोहतक के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, रोहतक के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, सितारगंज, ऊधम सिंह नगर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, सितारगंज, ऊधम सिंह नगर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का नियतन और संग्रहण) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 556(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) केंद्रीय मोटर यान (बारहवां संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 21 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 721(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केंद्रीय मोटर यान (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 14 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 709(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केंद्रीय मोटर यान (दसवां संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 20 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 514(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अधिसूचना सं. सा.का.नि.451(अ) जो दिनांक 26 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 15 जुलाई, 2024 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.407(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2874(अ) जो दिनांक 19 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में एनएच-130ए के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 18.700 तथा कि.मी. 25.900 से कि.मी. 38.000 (वर्तमान कि.मी. 7.750 से कि.मी. 26.542; कि.मी. 32.093 से कि.मी. 44.186) तक बिलासपुर से मुंगेली खंड तक पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(दो) का.आ. 2875(अ) जो दिनांक 19 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच-4 के डिजाइन कि.मी. 427.300 से कि.मी. 452.425 तक दिल्ली-वडोडरा एक्सप्रेसवे की आठ लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तीन) का.आ. 2876(अ) जो दिनांक 19 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में एनएच-12 (पुराना एनएच-34) के डिजाइन कि.मी. 48.553 से कि.मी. 115.272 (वर्तमान कि.मी. 48.553 से कि.मी. 115.272) तक बारासात-कृष्णानगर खण्ड की चार अथवा अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चार) का.आ. 2877(अ) जो दिनांक 19 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में एनएच-365ए के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 31.800 (एनएच-65क के वर्तमान कि.मी. 185.000 से कि.मी. 29.400) तक कोडाड-खम्माम खण्ड की चार अथवा अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पांच) का.आ. 2978(अ) जो दिनांक 26 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में एनएच सं. 22 (पुराना एनएच-83) के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 127.217 (वर्तमान कि.मी. 0.000 से कि.मी. 127.000) तक पटना-गया-डोभी खण्ड की चार अथवा अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छह) का.आ. 2979(अ) जो दिनांक 26 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में एनएच सं. 1ए (नया एनएच-44) के कि.मी. 67.000 से कि.मी. 156.900 तक उधमपुर-रामबन-मारूग खण्ड की चार अथवा अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सात) का.आ. 3017(अ) जो दिनांक 29 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच- 52 (पुराना एनएच -211) के डिजाइन चैनेज कि.मी. 390.000 से कि.मी. 457.231 तक बोधरे-धुले खण्ड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(आठ) का.आ. 3018(अ) जो दिनांक 29 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में एनएच 23 (नया एनएच - 43) के डिजाइन कि.मी. 26.00 से कि.मी. 89.170 (वर्तमान कि.मी. 26.00 से कि.मी. 88.600) तक एनएच-23 (नया एनएच-43) के पलमा-गुमला खण्ड की चार अथवा अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(नौ) का.आ. 3041(अ) जो दिनांक 30 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 344एम के एसपीयूआर के रूप में हरियाणा में गांव बरवासानी, सोनीपत में एनएच- 352ए के कि.मी. 00.000 से कि.मी. 29.600 के बवाना औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली (एनएच-344एम के कि.मी. 07.750 पर) से शुरू होकर सोनीपत बाईपास तक एनएच-344पी (यूईआर

पैकेज-04) की चार अथवा अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(दस) का.आ. 3042(अ) जो दिनांक 30 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में एनएच 125ए के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 74.619 तक दांगियावास-जाजीवाल खण्ड की दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 3043(अ) जो दिनांक 30 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 के कि.मी. 198.000 से कि.मी. 263.000 (डिजाइन चैनेज) तक भरूच-सूरत खण्ड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बारह) का.आ. 3044(अ) जो दिनांक 30 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में एनएच 8ई के कि.मी. 221.610 से कि.मी. 263.000 (डिजाइन चैनेज कि.मी. 222.400 से कि.मी. 263.430) और एनएच-8डी के कि.मी. 120.900 से कि.मी. 121.150 तक कोडिनार-वेराबल खण्ड की चार अथवा अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 3119(अ) जो दिनांक 5 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच सं. 752जी के डिजाइन कि.मी. 21.427 से कि.मी. 64.000 तक पिम्पलनेर से सताना खण्ड की दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 3130(अ) जो दिनांक 5 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच सं. 548एच के डिजाइन कि.मी. 71.530 से कि.मी. 132.958 तक अम्बोली जंक्शन-अजारा-संकेश्वर खण्ड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ. 3131(अ) जो दिनांक 5 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में एनएच सं. 55 (पुराना एनएच सं. 42) के डिजाइन चैनेज कि.मी. 0.400 (वर्तमान कि.मी. 0.400) से डिजाइन चैनेज कि.मी. 60.200 (वर्तमान कि.मी. 60.200) तक कटक-अंगुल खण्ड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 3132(अ) जो दिनांक 5 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में एनएच सं. 55 (पुराना एनएच सं. 42) के डिजाइन चैनेज कि.मी. 60.200 से कि.मी. 111.410 (वर्तमान कि.मी. 60.200 से कि.मी. 112.000) तक कटक-अंगुल खण्ड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 3208(अ) जो दिनांक 7 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. एनएच 44 के डिजाइन कि.मी. -0.687 से डिजाइन कि.मी. 57.568 (पठानकोट-जम्मू खण्ड के वर्तमान कि.मी. 86 से जम्मू श्रीनगर खंड के वर्तमान कि.मी. 15.068 तक) तक जम्मू रिंग रोड (एनएच-244ए) की दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 4791(अ) जो दिनांक 4 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में डिजाइन कि.मी. 184.912 से कि.मी. 230.060 (वर्तमान चैनेज कि.मी. 189.700 – कि.मी. 237.000) तक एनएच-75क के हासन-मारनहाली खण्ड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 4818(अ) जो दिनांक 5 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में एनएच-161ए के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 45.535 (वर्तमान कि.मी. 0.000 से कि.मी. 45.878) तक ओराड से बीदर खण्ड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बीस) का.आ. 4872(अ) जो दिनांक 11 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे संख्या एनई4 के कि.मी. 29.100 से कि.मी. 417.810 के खण्ड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 4873(अ) जो दिनांक 11 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब और हरियाणा राज्य में एनएच-07 के डिजाइन कि.मी. 35.500 से कि.मी. 44.500 तथा एनएच-09 के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 38.450 तक मलोट-मंडी डबवाली खण्ड (मलोट और मंडी डबवाली बाईपासों सहित) की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 4908(अ) जो दिनांक 12 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में एनएच सं. 53 (पुराना एनएच - 200) के डिजाइन चैनेज कि.मी. 388.000 (वर्तमान कि.मी. 388.382) से डिजाइन चैनेज कि.मी. 427.400 (वर्तमान कि.मी. 428.074) तक दुबुरी-चंडीखोले खण्ड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 4907(अ) जो दिनांक 12 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में एनएच सं. 42 (नया एनएच - 55) के डिजाइन चैनेज कि.मी. 112.000 से कि.मी. 262.858 (वर्तमान कि.मी. 112.000 से कि.मी. 265.000) तक अंगुल संबलपुर खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 4914(अ) जो दिनांक 13 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच - 42 के डिजाइन चैनेज कि.मी. 76.00 से कि.मी. 129.300 (वर्तमान कि.मी. 76.00 से कि.मी. 133.471) तक एनएच- 42 के अनंतपुरामू-मुद्दीगुब्बा खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 4915(अ) जो दिनांक 13 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच – 167बी के डिजाइन चैनेज कि.मी. 143.320 से कि.मी. 189.050 (वर्तमान चैनेज कि.मी. 143.505 से कि.मी. 188.445) तक मलकोंडा से सिंहरायकोंडा खंड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 4929(अ) जो दिनांक 14 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में एनएच – 149बी के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 38.200 (वर्तमान कि.मी. 5.750 से कि.मी. 27.150) तक चाम्पा-कोरबा-काटघोड़ा खंड की पक्के शोल्डर सहित चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 4043(अ) जो दिनांक 19 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 167 के डिजाइन चैनेज कि.मी. 14.900 से कि.मी. 69.700 (वर्तमान कि.मी. 14.900 से कि.मी. 70.000) तक चिंताकुंता से अडोनी खंड की

दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ. 4369(अ) जो दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 83 (पुराना एनएच-67) के डिजाइन कि.मी. 1.600 से कि.मी. 16.690 तथा कि.मी. 29.850 से कि.मी. 80.133 तक नागपट्टिनम से तंजावुर खंड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 4371(अ) जो दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 383 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 38.000 के डिंडीगुल-नाथम-कोट्टमपट्टी खंड की दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तीस) का.आ. 4385(अ) जो दिनांक 9 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु और पुदुचेरी राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 45ए (नया एनएच-332) के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 29.000 (वर्तमान कि.मी. 0.000 से कि.मी. 25.624) तक विलुपुरम से पुदुचेरी खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 4394(अ) जो दिनांक 10 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 752ई के डिजाइन कि.मी. -1.800 से कि.मी. 42.417 (वर्तमान कि.मी. 0.000 से कि.मी. 44.400) तक औरंगाबाद से बिडकीन से पैठान खंड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 4506(अ) जो दिनांक 15 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 548सी के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 35.786 (वर्तमान कि.मी. 565.653 से कि.मी. 529.867) तक खामगांव देउलगांव सकरशा खंड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 4540(अ) जो दिनांक 16 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-61 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 40.600 तक [सिन्नेर-शिर्डी-अहमदनगर (एनएच-160) सड़क के वर्तमान कि.मी. 163.400 से एनएच-222 के कि.मी. 228.700 तक]

अहमदनगर बाईपास खंड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 4584(अ) जो दिनांक 18 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 (नया एनएच-16) के कि.मी. 355.000 से कि.मी. 434.15 तक चिल्कालूरीपेट-विजयवाड़ा खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 4657 (अ) जो दिनांक 24 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. - 50 के कि.मी. 54.370 से कि.मी. 101.400 तक बीदर-हुमनाबाद खंड की दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ. 3634 (अ) जो दिनांक 28 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 66 (नया एनएच सं. 77) के डिजाइन कि.मी. 37.600 से कि.मी. 219.782 (वर्तमान कि.मी. 37.600 से कि.मी. 214.200) तक तिंडीवनम से कृष्णागिरी खंड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 3635 (अ) जो दिनांक 28 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-353जे के डिजाइन कि.मी. 34.000 से कि.मी. 62.035 तक नागपुर रिंग रोड खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 3711 (अ) जो दिनांक 30 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में एनएच - 968 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 67.950 तक मोकल सरकारीतल खंड तथा एनएच-68 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 125.573 तक तनोट-जेसलमेर खंड की दो/चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 3712(अ) जो दिनांक 30 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में एनएच सं. 23 (नया एनएच - 143) के डिजाइन कि.मी. 287.200 से कि.मी. 337.050 (वर्तमान कि.मी. 287.205 से वर्तमान कि.मी. 337.882) तक राजमुंडा-बारकोटे खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 3802(अ) जो दिनांक 4 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में एनएच – 08 (नया एनएच-58) के डिजाइन चैनेज कि.मी. 58.245 से कि.मी. 173.30 तक ब्यावर-गोमती खंड की पक्के शोल्डर सहित चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(इकतालीस) का.आ. 3803(अ) जो दिनांक 4 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.- 911 के डिजाइन कि.मी. (-)0.500 से कि.मी. 101.000 तक रायसिंह नगर-गजसिंहपुर-कर्णपुर-साधुवाली (गंगानगर) खंड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बयालीस) का.आ. 3829(अ) जो दिनांक 6 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 (पुराना एनएच-8) के डिजाइन कि.मी. 108.700 से कि.मी. 192.000 (वर्तमान चैनेज कि.मी. 108.700 से कि.मी. 192.000) तक वड़ोदरा-भरुच खंड की चार/छह लेन खंडों की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तैंतालीस) का.आ. 3857(अ) जो दिनांक 9 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 71 के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 57.046 (वर्तमान कि.मी. 124.600 से कि.मी. 183.400) तक रनीगुंटा-नायडूपेटा खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चवालीस) का.आ. 3858(अ) जो दिनांक 9 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य और पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र में कि.मी. 0.000 से कि.मी. 85.000 तक एनएच-544एच तक थोपुर-मेटूर-भवानी-इरोड खंड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पैंतालीस) का.आ. 3859(अ) जो दिनांक 9 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य और पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 32 के कि.मी. 0.000 से 32.290 तक पांडेचेरी-तिंडिवनम खंड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छयालीस) का.आ. 3860(अ) जो दिनांक 9 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग – 327ई के डिजाइन कि.मी. 49.000 से कि.मी. 93.983 (वर्तमान कि.मी. 49.000

से कि.मी. 93.983) तक बहादुरगंज से अररिया खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सैंतालीस) का.आ. 3921(अ) जो दिनांक 12 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 516ई के डिजाइन कि.मी. 2.400 से कि.मी. 51.772 तक पाडेरु-गोंडीगुड़ा और गोंडीगुड़ा-अराकू (भालूगुड़ा तक) खंड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अड़तालीस) का.आ. 3923(अ) जो दिनांक 12 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में डिजाइन कि.मी. 106.000 से कि.मी. 136.520 और 0.000 से 32.900 (वर्तमान कि.मी. 105.171 से कि.मी. 135.740 तथा कि.मी. 0.000 से कि.मी. 34.230) तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. एनएच-214 और एनएच-214ए (नया एनएच-216) के पसरलापुडी से लोसारी खंड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उनचास) का.आ. 3924(अ) जो दिनांक 12 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड और पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 18 (पुराना एनएच-32) के पुरुलिया (जेएचआर बार्डर)– बलरामपुर-चांडिल खंड के डिजाइन कि.मी. 70.524 से कि.मी. 453.705 (वर्तमान कि.मी. 70.524 से कि.मी. 153.705) (वर्तमान कि.मी. 70.524 से कि.मी. 153.705) तक पुरुलिया (जेएचआर बार्डर)– बलरामपुर-चांडिल (एनएच-33 के साथ जंक्शन) खंड की पक्के शोल्डर सहित दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पचास) का.आ. 3925(अ) जो दिनांक 12 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-26 के डिजाइन चैनेज कि.मी. 486.300 से कि.मी. 538.365 (वर्तमान कि.मी. 486.831 से कि.मी. 537.600) तक रायपुर-विशाखापट्टनम खंड की पक्के शोल्डर सहित दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(इक्यावन) का.आ. 3926(अ) जो दिनांक 12 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 167बीजी के डिजाइन चैनेज कि.मी. 36.400 से कि.मी. 107.224 (वर्तमान कि.मी. 36.400 से कि.मी. 107.830) तक दत्तालुरु से कवाली

खंड की दो/चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बावन) का.आ. 4042(अ) जो दिनांक 19 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. एनएच-730सी के कि.मी. 52.770 से कि.मी. 114.000 (राष्ट्रीय राजमार्ग सं. एनएच-730सी पर 52.770 कि.मी. पर शुरू होने वाला और कि.मी. 114.000 पर समाप्त होने वाला) तक अल्लाहगंज-मीरनपुर-कटरा खंड की दो/चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तिरपन) का.आ. 3209(अ) जो दिनांक 7 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में कि.मी. 263.000 से कि.मी. 502.000 एनएच-8 तक सूरत-दहीसर खंड की छह लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौवन) का.आ. 3237(अ) जो दिनांक 9 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में एनएच सं. 31 के डिजाइन कि.मी. 153.300 से कि.मी. 197.900 (एनएच- 31 के वर्तमान कि.मी. 153.300 से कि.मी. 204.741) तक बख्तियारपुर-मोकामा खंड की चार या अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पचपन) का.आ. 3238(अ) जो दिनांक 9 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 20 (पुराना एनएच-31) के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 50.890 (वर्तमान कि.मी. 152.780 से कि.मी. 101.650) तक बख्तियारपुर-राजोली खंड की चार या अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छप्पन) का.आ. 3441(अ) जो दिनांक 12 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में एनएच सं. 127 के डिजाइन कि.मी. 278.600 से कि.मी. 315.315 (वर्तमान कि.मी. 278.58 से कि.मी. 315.315) तथा एनएच सं. 715 के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 17.300 (वर्तमान कि.मी. 0.000 से कि.मी. 17.300) तक नौगांव बाईपास से कलियाबोर तिनियाली से दोलाबारी खंड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सत्तावन) का.आ. 3442(अ) जो दिनांक 12 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में दोलाबारी से जामूगुरी खंड के डिजाइन कि.मी. 17.300 से कि.मी. 182.000 और जामूगुरी से गोहपुर खंड की एनएच-715 के डिजाइन कि.मी. 182.000 से कि.मी. 265.500 तक एनएच-15 की (वर्तमान कि.मी. 182.000 से कि.मी. 264.100) चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अट्ठावन) का.आ. 3460(अ) जो दिनांक 14 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 927ए के डिजाइन कि.मी. 151.400 से डिजाइन कि.मी. 211.100 (वर्तमान कि.मी. 148.170 से वर्तमान कि.मी. 211.100) तक देवल-डूंगरपुर-हिराता-वर्दा-सागवाड़ा खंड की दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उनसठ) का.आ. 3461(अ) जो दिनांक 14 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में एनएच सं. एनई-4 के 844.667 से कि.मी. 936.141 (844.667 से शुरू होने वाली और शुल्क प्लाजा सीएच. 936.141 पर समाप्त होने वाली) (लंबाई 91.474 कि.मी.) तक खंड की आठ लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(साठ) का.आ. 3518(अ) जो दिनांक 20 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी आधार पर दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे (पैकेज-1 से पैकेज-12 से सीएच. 0.000 से 397.700) की चार लेन ग्रीन फील्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(इकसठ) का.आ. 3543(अ) जो दिनांक 21 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 66 (पुराना एनएच सं. 47) के कि.मी. 486.500 से कि.मी. 499.500 (कोल्लम बाईपास खंड) के उपयोग हेतु दिनांक 15 सितम्बर, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ. 3132(अ) के अधिक्रमण में परियोजना हेतु प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बासठ) का.आ. 3604(अ) जो दिनांक 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 965सी के डिजाइन चैनेज कि.मी. 48.375 से कि.मी. 79.533 (वर्तमान कि.मी. 51.575 से कि.मी. 82.800) तक पंढरपुर से संगोला खंड की दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तिरसठ) का.आ. 3605(अ) जो दिनांक 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 548ए के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 42.345 (वर्तमान कि.मी. 0.000 से कि.मी. 43.925) तक इंदापुर से अग्रडंडा खंड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौसठ) का.आ. 3606(अ) जो दिनांक 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में एनएच- 25 विस्तार के कि.मी. 0.972 से कि.मी. 69.910 तक बाड़मेर-घागरिया खंड की दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(4) (एक) इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दुर्गा दास उइके) : सभापति महोदय, कंपनी अधिनियम**,** 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. राज भूषण चौधरी) : सभापति महोदय, श्री तोखन साहू जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) मेट्रो रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 32 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:-

(एक) का.आ. 3587(अ) जो 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के संरेखण को अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 3588(अ) जो 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संरेखण को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 4018(अ) जो 19 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के संरेखण को अधिसूचित किया गया है।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. राज भूषण चौधरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ वॉटर एंड लैंड मैनेजमेंट, तेजपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ वॉटर एंड लैंड मैनेजमेंट, तेजपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) नमामि गंगे, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नमामि गंगे, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

लोक लेखा समिति

दूसरा से चौथा प्रतिवेदन

श्रीमती अपराजिता सारंगी (भुवनेश्वर) : सभापति महोदय, मैं लोक लेखा समिति (2024-25) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं:-

(1) 'अनियमित कर छूट के कारण राजस्व की हानि-दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय' विषय के बारे में लोक लेखा समिति के 80वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में दूसरा प्रतिवेदन।

(2) 'एक्स-इंजन की अधिप्राप्ति' विषय के बारे में लोक लेखा समिति के 81वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति का तीसरा प्रतिवेदन।

(3) 'चैनल एयर बॉक्स की खरीद पर परिहार्य व्यय : बनारस रेल इंजन कारखाना' विषय के बारे में लोक लेखा समिति के 90वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति का चौथा प्रतिवेदन।

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति
विवरण

श्री गणेश सिंह (सतना) : सभपति महोदय, मैं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) लिमिटेड में रोजगार में ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण हेतु किए गए उपाय' विषय के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित समिति के नौवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम-की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर पर सरकार द्वारा अंतिम-की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(3) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित समिति के अट्ठाईसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार पर सरकार द्वारा अंतिम-की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल), ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) और फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (एफएसीटी) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के बीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार पर सरकार द्वारा अंतिम-की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(5) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार पर सरकार द्वारा अंतिम-की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS
First Report

SHRI SUNIL DATTATREY TATKARE (RAIGAD): Sir, I beg to present the First Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas (2024-25) on Demands for Grants (2024-25) of the Ministry of Petroleum and Natural Gas.

(1205/SK/SM)

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति
विवरण

श्रीमती संजना जाटव (भरतपुर) : माननीय सभापति जी, मैं 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों से संबंधित अट्ठाईसवां प्रतिवेदन (की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन) तथा **'**भूजल**;** एक मूल्यवान लेकिन घटता संसाधन**'** विषय संबंधी बाईसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों से संबंधित पच्चीसवें प्रतिवेदन (की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन) पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
1st to 3rd Reports

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Sir, I rise to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj:-

(1) First Report on Demands for Grants (2024-25) pertaining to Department of Rural Development (Ministry of Rural Development).

(2) Second Report on Demands for Grants (2024-25) pertaining to Department of Land Resources (Ministry of Rural Development).

(3) Third Report on Demands for Grants (2024-25) pertaining to Ministry of Panchayati Raj.

STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 7TH, 25TH, 35TH, 18TH AND 26TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON ENERGY – LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I beg to lay the following statements regarding:-

(1) the status of implementation of the recommendations contained in the 7th Report of the Standing Committee on Energy on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Ministry of Power.

(2) the status of implementation of the recommendations contained in the 25th Report of the Standing Committee on Energy on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Power.

(3) the status of implementation of the recommendations contained in the 35th Report of the Standing Committee on Energy on Demands for Grants (2023-24) pertaining to the Ministry of Power.

(4) the status of implementation of the recommendations contained in the 18th Report of the Standing Committee on Energy on Development of Coal Blocks Allocated to Power Sector pertaining to the Ministry of Power.

(5) the status of implementation of the recommendations contained in the 26th Report of the Standing Committee on Energy on Review of Power Tariff Policy – need for uniformity in Tariff Structure across the country pertaining to the Ministry of Power.

अनुदानों की अनुपूरक मांगें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): माननीय सभापति जी, मैं माननीय निर्मला सीतारमण जी की ओर से वर्ष 2024-25 के लिए 'अनुदानों की अनुपूरक मांगें – पहला बैच' को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

*लोक महत्व के अविलम्बनीय मुद्दे

1207 बजे

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल): शून्य काल।

सुश्री एस. जोतिमणी जी।

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Thank you Chairman Sir. Our farmers, who are the spine of the nation, are protesting at Shambhu and Khanauri with a vow to fulfil their demands. This is not just a struggle of farmers; it is a struggle for India's soul. Their demands are simple. They are demanding for a legal guarantee for a minimum support price, loan waiver, pension for farmers and justice for victims of the Lakhimpur Kheri violence. All these demands were already promised by the Union Government but they are yet to be fulfilled and they are totally forgotten.

Dallewall ji is fasting unto death to thrust more on this. His health is seriously deteriorating and farmers are facing brutality and oppression while they exercise their fundamental right to protest since the Government has turned a blind eye to their demands for years now. Reports show that several farmers are injured as a result of police brutality, tear gas shells and water cannons. This is what our farmers are being treated with.

I call upon the Union Government to immediately halt the brutality, listen to the farmers' demands and ensure that justice is delivered and save the precious life of Dallewal ji. In order to cover this very serious farmers' protest, the BJP Government is raking up the issue of false charges. We are not afraid of this. It is very sad that … *(Not recorded)* is protected by this Government but the farmers are not. Thank you.

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): No, you cannot take the name. It will be deleted.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Richard ji.

… (*Interruptions*)

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Sir, why will it be deleted?

HON. CHAIRPERSON: You cannot take the name of a person who is not present in the House.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Richard ji.

… (*Interruptions*)

---

* Please see p.308 for list of Members who have associated

HON. CHAIRPERSON: Gaurav ji, you a deputy leader. Kindly take your seat. Either you or Shri K. C. Venugopal should stand. K. C. Venugopal ji, kindly request your Members to take their seats. Why is everybody standing? If you want to say something, you can say after Shri Richard. I will allow you.

SHRI RICHARD VANLALHMANGAIHA (MIZORAM): Sir, we all know about the communal violence in Manipur, which has been going on for the last one-and- a-half years. More than 200 people have lost their lives. More than 50,000 houses have been destroyed. More than 300 churches have been spoiled. Even if the Central Government has deployed more than one lakh paramilitary forces, this will not be a correct solution.

My State, being the neighbouring state of Manipur, has a number of internal displaced persons. It has also international displaced persons from Bangladesh and Myanmar. They are all our brothers and sisters.

(1210/RP/KDS)

As you know, the population of Mizoram is only 12 lakh whereas the budget and the resources are very limited. Knowing that the Central Government has given us a huge amount of fund to rehabilitate our sisters and brothers from Manipur, I would like to thank the Central Government wholeheartedly for their kindness towards these displaced people. … (*Interruptions*)

My request and suggestion to the Central Government is to act as a facilitator between these two community leaders under the guidance of the Central Government. Let them sit on one table to discuss, and negotiate many things. They can discuss many topics like the President's Rule, change of leadership, separate administration, ceasefire, compensation to the families whose loved-ones are dead, compensation to the wounded persons, and many, many more other things.

If we do not stop this, we do not know how many more lives will be lost. God has given us a precious life. Why are we taking the lives of others unnecessarily? We should find a measure to stop this. Thank you, Sir.

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, one of our Members, Ms. Jothimani raised an issue. During her deliberations, she mentioned one name. Then, you told her: "That should not go on the record."

Sir, yesterday, what happened was that during the 'Zero Hour', honourable Union Minister, Shri Piyush Goyal, intervened and mentioned all the same things what they were raising for the last two or three days. They levelled allegations against the leaders of the Congress Party. … (*Interruptions*) The Minister raised that

thing in the same way during the 'Zero Hour'. 'Zero Hour' is the prerogative of the Members. You know that. That is all on the record. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): I got your point. Now, I am giving a ruling.

… (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): I have just one question, Sir. You have already deleted what Ms. Jothimani said. Is it applicable only to the Opposition Members, Sir? Is it not applicable to them? … (*Interruptions*) Whenever a Union Minister intervened in such a way during the 'Zero Hour', you are not deleting it. … (*Interruptions*) Sir, this is the ... (*Expunged as ordered by the Chair*) … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: K.C. Venugopalji, you have raised an issue regarding your own Member. You are a senior-most Member. This is the tradition of this House. That is as per the ruling given by the hon. Speaker. Please go through the rules and regulations.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : के.सी. वेणुगोपाल जी, आपको मैंने अवसर दिया। आपको मैंने पूरा अवसर दिया। मैं अब रूलिंग दे रहा हूं, तो इसको सुन लीजिए।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I have already given you an opportunity. Kindly, listen to me.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: If Nishikantji has levelled any allegation against your party or any party Member, every Member of Parliament has a right to explain his position.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You have raised it, and I am mentioning it. You have expressed whatever your feelings were. I am only raising the same thing.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: If he had mentioned the name of your party leader or any Member of Parliament, then, every Member of Parliament has a right to explain his position.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Now, Shrimati Krishna Deviji.

… (*Interruptions*)

श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल (बांदा) : माननीय सभापति महोदय मै आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

महोदय, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। वहां चिकित्सा सुविधाएं नाममात्र की हैं। इस मेडिकल कॉलेज में मूलभूत जरूरतें/

आवश्यकतायें जैसे पीने का पानी, सफाई आदि की स्थिति बहुत ही दयनीय है। यहां की लिफ्ट भी काफी समय से संचालित नहीं है। मरीजों को उनके तीमारदारों द्वारा कंधे पर उठाकर वार्ड में ले जाना पडता है। इस मेडिकल कालेज की अति गम्भीर समस्या यह है कि किसी भी विभाग के विभागाध्यक्ष महीने में सिर्फ एक दिन आते हैं। अन्य कार्य दिवसों में अपने व्यक्तिगत अस्पतालों में मरीज देखने का काम करते हैं, जिससे मरीजों को अत्यधिक परेशानी होती है।

1214 hours

(At this stage, Sushri S. Jothimani and some other hon. Members came and stood near the Table)

HON. CHAIRPERSON: Jothimaniji, this is not fair. This is not fair.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Krishna Deviji, kindly conclude now.

… (*Interruptions*)

श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल (बांदा) : महोदय, इस मेडिकल कालेज में डाक्टरों द्वारा मरीजों को बाहर से दवा लाने के लिये बाध्य किया जाता है एवं पैथालॉजी द्वारा सही जांच नहीं की जाती। डॉक्टरों द्वारा बाहर जांच करवाने के लिये कहा जाता है। अतः आपसे अनुरोध है कि सदन के माध्यम से लोकहित के इन बिन्दुओं पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री गम्भीरतापूर्वक विचार करें। धन्यवाद।

(1215/MK/NKL)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : धन्यवाद सभापति महोदय। कांग्रेस से और राहुल गांधी जी से मेरे दस सवाल हैं। इन दस सवालों पर पिछले चार दिनों से विपक्ष मुझे बोलने नहीं दे रहा है। … (व्यवधान) मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि एफडीएल-एपी, जो कश्मीर को अलग देश मानता है, उसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन के सोनिया गांधी के साथ क्या संबंध है, जिसको सोरोस फंड करता है? सोनिया और सोरोस का रिश्ता क्या है? … (व्यवधान)

सर, मेरा दूसरा सवाल, नाम्बियार कमेटी की रिपोर्ट यह कहती है कि 150 करोड़ रुपये का घोटाला सैम पित्रोदा ने किया। वह ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस के चेयरमैन है। वह ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव चलाता है, जिसको सोरोस पैसा देता है, जिसको 'यूएसएड' भी पैसा देती है। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे का सारा खर्चा ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव, सैम पित्रोदा देता है। … (व्यवधान) यह खालिस्तानियों से मिलता है। यह कश्मीर तोड़ने वालों से मिलता है। सैम पित्रोदा, राहुल गांधी, सोरोस और ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव का संबंध क्या है?

मेरा तीसरा सवाल यह है कि वर्ष 2004 में सोरोस यहां आया और वर्ष 2009 में भी आया। उसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पांच परसेंट स्टेक लिया। वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2014 तक पूरा शेयर मार्केट से सोरोस पैसा लेता रहा। … (व्यवधान) वह गांधी फैमिली से मिला। सोरोस और गांधी फैमिली का संबंध क्या है? … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): Kindly conclude.

… (*Interruptions*)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, मेरा चौथा सवाल यह है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को सबसे ज्यादा पैसा सोरोस ने दिया। जो सोरोस है, वह मनोज भार्गव, हंस फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन और किंगस्टन

के साथ ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ सोरोस का रिश्ता क्या है? … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Jothimani ji, you have already been given the opportunity.

… (*Interruptions*)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, मनोज भार्गव के साथ राजीव गांधी फाउंडेशन का रिश्ता क्या है? हंस फाउंडेशन के साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी का रिश्ता क्या है? … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

… (*Interruptions*)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, मेरा पांचवां सवाल यह है कि सोरोस ने फ्रेशवर्क्स, एसईडी फंड, एस्पाडा फंड, इस तरह के फंड्स बनाए। उसने कांग्रेस पार्टी के 300 लोगों को स्टार्ट-अप्स के नाम पर पैसे दिए हैं। ये 300 लोग कौन हैं और उनका गांधी परिवार के साथ क्या संबंध है?

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

… (*Interruptions*)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, मेरा छठा सवाल यह है कि 'भारत जोड़ो यात्रा' में सलिल शेट्टी गया था। 'भारत जोड़ो यात्रा' में कांग्रेस ने कितने पैसे खर्च किए और सोरोस फाउंडेशन ने उसको कितने पैसे दिए? … (व्यवधान)

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	**सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।**
Dr. Nishikant Dubey	Shri Sudheer Gupta
Sushri S. Jothimani	Dr. T. Sumathy alias Thamizhachi Thangapandian

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही एक बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1218 बजे

<u>तत्पश्चात् लोक सभा तेरह बजे तक लिए स्थगित हुई।</u>

(1300/SJN/VR)

लोक सभा तेरह बजे पुनः समवेत् हुई।
(श्रीमती संध्या राय पीठासीन हुईं)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1300 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामले के अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

Re: Establishment of a Cancer Hospital in Gorakhpur, Uttar Pradesh

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन (गोरखपुर) : मेरा संसदीय क्षेत्र गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ कैंसर के मरीज़ों की संख्या बहुत बड़ी है। यहाँ एम्स अस्पताल है, लेकिन कैंसर का कोई अस्पताल नहीं है। गोरखपुर की आधारभूत संरचना पर आस पास के बीस ज़िले निर्भर हैं। उन्हें कैंसर का इलाज कराने के लिए दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता है जो मेरे क्षेत्र और आस पास के जिलों और पड़ोसी राज्य बिहार के गरीब लोगों के लिए अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है।

अतः मैं केंद्र सरकार से माँग करता हूँ कि गोरखपुर में यथाशीघ्र एक कैंसर अस्पताल का निर्माण करने की कृपा करें। (इति)

Re: Need to connect stepwells in Udaipur as a perennial water source under Jal Jeevan Mission and develop them as 'Gram Teerth' under Cultural Tourism

डॉ. मन्ना लाल रावत (उदयपुर) : विश्व आज शुद्ध पेयजल की कमी से जूझ रहा है। भारत सरकार भी जल जीवन मिशन चला कर हर घर शुद्ध पेयजल पहुँचाने को कटिबद्ध है। परन्तु मेरे लोकसभा क्षेत्र उदयपुर (राजस्थान) में 100 से अधिक बावड़ियों की जानकारी आई है, जिनका जल संरक्षण, सांस्कृतिक मिलन और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। समाज के विविध तीज - त्यौहार भी यहां बनाए जाते रहे है। इन स्थानों पर देवी - देवताओं के स्थान रहे हैं, लेकिन विगत कालखंड में ये पावन स्थान उपेक्षित होते गये, जिसमें प्रदूषण व मलबे के डंपिंग यार्ड भी बनाए जा रहे है। उदयपुर शहर में एक बावड़ी में मिट्टी डाल कर कब्जा करने की घटना भी चर्चा मे रही है। सनातन धर्म, संस्कृति व परम्परा में वास्तुकला के ये महत्वपूर्ण स्थान ग्राम समाज के स्थानीय तीर्थ के रूप में पुनः प्रतिष्ठित हो सकते है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन स्थानों को जल जीवन मिशन से जोड़कर जल स्रोत के रूप मे काम में लेने के साथ ही सांस्कृतिक पर्यटन में ग्राम तीर्थ के रूप में भी विकसित करने की आवश्यक है। यह कदम विकसित भारत @2047 की राह में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। (इति)

Re: Need to provide the electricity and pucca roads in Lawalong Block in Chatra Parliamentary Constituency

श्री काली चरण सिंह (चतरा) : आजादी के 77 वर्ष हो गए पर हमारे संसदीय क्षेत्र चतरा के अंतर्गत लावालौंग एक ऐसा प्रखंड है जहां अब तक बिजली और पक्की सड़क की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस प्रखंड में 50% आदिवासी, 30% अनुसूचित जाति तथा 20% ओबीसी आबादी की बसावट है। मैं माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से मांग करता हूँ कि बगहा मोड़ NH. 22 से पांकी तक 30 किलोमीटर पक्की सड़क बन जाने से दो जिले जुड़ जाएंगे। साथ ही 70 हजार की आबादी लाभान्वित होगी और मेरा माननीय ऊर्जा मंत्री जी से आग्रह होगा कि बिजली के लगे पोल पर तार टंगवा कर के इन ग्रामों में बिजली पहुंचाने का कष्ट करें ताकि यहां के गरीब बच्चे भी पढ़ लिख सके और टीबी, कम्प्यूटर और इंटरनेट का इस्तमाल कर सके। अतः माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री और माननीय ऊर्जा मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि सड़क और बिजली का कनेक्शन इन गाँवों में देकर लोगों को बेहतर जीवन स्तर देने में सहायक सिद्ध होंगी बल्कि विकास का मार्ग भी खुलेगा।

(इति)

Re: Utilization of portion of land acquired for establishment of Bokaro Steel Plant, Jharkhand

श्री दुलू महतो (धनबाद) : मैं आपके माध्यम से मा. इस्पात मंत्री जी का ध्यान बिहार सरकार द्वारा 1950-60 के दशक में बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए 31,287 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह अधिग्रहण 10 मिलियन टन क्षमता वाले संयंत्र के लिए किया गया था, लेकिन वर्तमान में केवल 4 मिलियन टन क्षमता का संयंत्र स्थापित किया गया है, और बाकी भूमि अनुपयोगी पड़ी हुई है। इस संदर्भ में, मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया यह स्पष्ट किया जाए कि शेष भूमि का उपयोग 6 मिलियन टन क्षमता के संयंत्र के लिए किया जाएगा या इसे रैयतों को वापस किया जाएगा। भूमि मालिकों के हित में यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि कितनी भूमि संयंत्र के लिए उपयोग की गई है, कितनी भूमि परती पड़ी है, और क्या इसे किसी अन्य परियोजना के लिए उपयोग किया जाएगा या रैयतों को वापस किया जाएगा। इस विषय पर कृपया शीघ्र और उचित निर्णय लिया जाए, ताकि प्रभावितों को न्याय मिल सके।

(इति)

Re: Need to set up 'Safal' Store for sale and storage of green peas in Jabalpur Parliamentary Constituency

श्री आशीष दुबे (जबलपुर) : जबलपुर संसदीय क्षेत्र में कृषि आधारित जीवन जीने वाले किसान भाई-बहन अपने कठिन परिश्रम से खाद्यानों का उत्पादन करते हैं, जैसे मक्का, मटर आदि सभी प्रकार के अनाज एवं सब्जियों सहित दालों आदि कृषि उत्पादों की पैदावार करते हैं। किन्तु इन्हें बाजार न मिल पाने के कारण हमारे कृषक भाइयों को समुचित दाम नहीं मिल पाते। समय पर बिक्री न हो पाने के कारण, भण्डारण के अभाव में अधिकांशत: सब्जी उत्पाद ख़राब हो जाती हैं, जिससे कारण किसानों को बहुत ही कष्टकारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि जबलपुर में मटर की खरीदी हेतु "सफल" का क्रय केंद्र एवं भण्डारण केंद्र स्थापित किया जाये। जिससे कि जबलपुर में बड़े पैमाने पर मटर उत्पादन करने वाले किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल सके एवं सम्पूर्ण देश में जबलपुर की मटर निर्बाध रूप से पहुँचाया जा सके।

(इति)

Re: Four laning of Bhilwara – Shahpura – Jahazpur – Deoli road in Rajasthan

श्री दामोदर अग्रवाल (भीलवाड़ा) : मै भारत सरकार से मांग करता हूँ कि भीलवाड़ा-शाहपुरा-जहाजपुर-देवली रोड़, जिसकी लंबाई 95 किलोमीटर है, वो दो लेन से बढ़ाकर चार लेन किया जाए। इस रोड पर अप्रैल व जुलाई 2024 में किए गए ट्रैफिक सर्वे में औसतन प्रतिदिन 12,072 यात्री कार तथा 2706 वाणिज्यिक वाहन चलने की बात सामने आई है जबकि मंत्रालय के आदेश के तहत जिस रोड़ का औसतन प्रतिदिन 10,000 यात्री कार इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है उस 2 लेन के रोड को 4 लेन में परिवर्तित किया जा सकता है। भीलवाड़ा लोक सभा राजस्थान का एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब है जोकि अपने वस्त्र और मिनरल उद्योग के लिए विश्वविख्यात है। इस रोड के 4 लेन हो जाने से भीलवाड़ा, टोंक रोड के माध्यम से जयपुर से ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट हो जाएगा और एन. एच. 48 पर भी ट्रैफिक का दवाब कम होगा, साथ ही पूर्वी राजस्थान से मेवाड़ क्षेत्र को आने वाले वाहनों को भी सुगमता बढ़ेगी।

(इति)

Re: Grant of GI tag to Basmati rice produced in Madhya Pradesh and declare MSP for procurement of the rice

श्री दर्शन सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में धान की उत्तम खेती होती है। यहां नर्मदा के कछार हैं, जिनमें बासमती की श्रेष्ठतम क्वालिटी की धान पैदा होती है। क्या मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग मिल सकता है? इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है? क्या बासमती धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हुए खरीदी की व्यवस्था की जा सकती है?

(इति)

Re: Need to provide package for development of Nandurbar District in Maharashtra and other Aspirational Districts

एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी (नन्दुरबार) : मैं जनवरी 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में बोलना चाहता हूँ। नंदुरबार जिले को 112 जिलों में से आकांक्षी जिले के रूप में चुना गया था। दुर्भाग्य से 2018 से इन आकांक्षी जिलों के लिए कोई विशेष पैकेज घोषित नहीं किया गया है। इन 112 अल्पविकसित जिलों की स्थिति में सुधार लाने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये सभी 112 आकांक्षी जिले 'अविकसित' बने हुए हैं। इन आकांक्षी जिलों में कोई बदलाव या विकास नहीं दिखता है। इन आकांक्षी जिलों को करोड़ों रुपये की राशि का कोई विशेष पैकेज नहीं मिला है। इन आकांक्षी जिलों को कोई बड़ी परियोजना नहीं मिली है। इन आकांक्षी जिलों को कोई लाभार्थी योजना नहीं मिली है। इन आकांक्षी जिलों को बड़े वादे भी नहीं मिले हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम बड़ी विफलता का उदाहरण बन गया है और ये अविकसित जिले पहले से भी बदतर स्थिति में हैं। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह वर्ष 2018 में किए गए अपने वादों को पूरा करे और नंदुरबार जिले और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के साथ-साथ अन्य आकांक्षी जिलों के लिए विशेष विकास पैकेज दे।

(इति)

Re: Safety of personal data of students utilized for generation of APAAR ID and Digi-locker

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले (भन्डारा-गोंदिया) : मैं सदन का ध्यान छात्रों की गोपनीयता और उनके अधिकारों से जुड़े एक गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देशभर के स्कूलों में छात्रों के आधार कार्ड और व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग APAAR ID और Digi Locker खाता बनाने के लिए किया जा रहा है। माता-पिता की सहमति ली जा रही है, लेकिन यह सहमति बाध्यकारी प्रतीत होती है। सरकार यह सुनिश्चित नहीं कर पाई है कि इस डेटा का दुरुपयोग नहीं होगा। साथ ही, ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार, जिनके पास डिजिटल सेवाओं की पर्याप्त पहुंच नहीं है, इस प्रक्रिया से वंचित हो सकते हैं। क्या यह उचित है कि सहमति न देने वाले छात्रों को शैक्षिक अवसरों से वंचित किया जाए? यह उनकी स्वतंत्रता और अधिकारों का उल्लंघन है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि: 1. छात्रों के डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। 2. सहमति की प्रक्रिया को स्वैच्छिक रखा जाए। 3. ग्रामीण और वंचित परिवारों को जागरूकता और संसाधन प्रदान किए जाएं। महोदय, शिक्षा के अधिकार और छात्रों की स्वतंत्रता के लिए सरकार को इस विषय पर स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। (इति)

Re: Need to revise the cost norms for supplementary nutrition meant for children and women under Supplementary Nutrition Programme

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): According to National Family Health Survey (NFHS)-5, 35.5% of children under five are stunted, 19.3% are wasted, and 32.1% are underweight, while 57% of women aged 15–49 years are anaemic. Despite this, the budgetary allocation for Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0 for FY 2024-25 has been reduced by 3.14% from last year's revised estimates. Comprehensive guidelines under MISSION SAKSHAM ANGANWADI AND POSHAN 2.0 for the Supplementary Nutrition Programme (SNP) were issued in January 2021, but ground realities remain dire. The cost norms for supplementary nutrition, last revised in October 2017, have not kept pace with inflation. Based on the 2012 base year, the Consumer Food Price Index rose from 139.4 in 2017 to 211.1 by October 2024, a 71.7 points increase. Current norms fail to reflect the rising prices of key inputs like pulses, oils, and vitamins. To address India’s hunger and nutritional deficiencies, a multi-pronged approach is essential, with increased budgetary allocations and improved disbursement mechanisms. I urge the Government to promptly revise cost norms for supplementary nutrition in the interest of children and women. (ends)

Re: Need to release funds and recruit staff in Kishanganj Centre of Aligarh Muslim University in Bihar

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): I wish to draw the attention of the House to the urgent matter of the lack of fund allocation for the AMU Kishanganj Centre. The Kishanganj Centre was established in 2013 to bridge the gap in lack of access to quality education in Kishanganj and adjoining districts. A decade long delay in release of funds and allocation of teaching and non-teaching staff for the AMU Kishanganj campus, since 2014 has kept the centre non-functional. For the youth of Seemanchal, this centre represents an extremely valuable opportunity to contribute towards India's growth and yet it simply remains a dream even in 2024. The Kishanganj Centre has an aim to establish three new departments of studies and research every year. All these plans have been failed to be materialized because of a shortage of funds and staff. The students of Seemanchal are still waiting for AMU Kishanganj and still dreaming about being a part of our country's march towards progress. For them and their dreams, on their behalf, I humbly request that this matter be considered on an urgent basis and funds as well as staff be allocated as soon as possible to save AMU Kishanganj.

(ends)

Re: Need to ensure treatment of patients in private hospitals under Ayushman Bharat Yojana

डॉ. धर्मवीर गांधी (पटियाला) : बहुचर्चित और बहु प्रचारित आयुष्मान कार्ड धारकों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में तथ्य और जमीनी हकीकत यह है कि सभी बड़े अस्पताल इन गरीब कार्ड धारकों का इलाज करने से आनाकानी करते हैं जिसके चलते इन गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने के कारण अक्सर जान से हाथ धोने पड़ते हैं या फिर गंभीर आर्थिक शोषण का शिकार होना पड़ता है मेरी सरकार से आयुष्मान भारत योजना को गंभीरता और ईमानदारी से लागू करने का अनुरोध है और मैं मांग करता हूं कि सभी निजी अस्पतालों को आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज करने को बाध्य किया जाये ताकि सभी लोग सरकार की इस योजना से लाभान्वित हो सके।

(इति)

Re: Need to ensure strict implementation of Forest Rights Act, 2006 in all the States.

SUSHRI IQRA CHOUDHARY (KAIRANA): The ineffective implementation of the Forest Rights Act of 2006 across India continues to marginalise traditional forest-dwelling communities. The FRA, enacted to correct historical injustices, seeks to recognise the land and forest rights of ST and Other Traditional Forest Dwellers. However, its poor implementation in many states has excluded thousands of rightful claimants and denied them access to Government schemes.

For instance, in Uttar Pradesh and Uttarakhand the pastoral Van Gujjar community, reliant on forest resources for livelihood, has faced significant hurdles in recognising their individual and community rights claims. Procedural lapses and denial of Gram Sabhas & CFR to commence the procedure of recognition under the Act have resulted in their exclusion from benefits under the FRA. Similarly, in Jharkhand and entire country delays in recognising the rights of forest dwellings communities have even led to their land being diverted for mining and non-forest purposes. The Forest Department is obstructing the process of implementation and administration is working according to their advice. SLMC (State Level Mon. Comm.) is not functioning in many states.

The root causes include a lack of awareness among communities, insufficient training for authorities, and procedural flaws in verifying claims. Across states, critical forest rights remain unrealised, impacting communities' socio-economic stability and violating their constitutional rights to equality and livelihood. I request the Government to urgently ensure strict implementation of the FRA and its provisions by State Governments.

(ends)

Re: Railway related issues of Etah Parliamentary Constituency

श्री देवेश शाक्य (एटा) : मेरी लोकसभा एटा कासगंज में जनपद कासगंज में नगर पालिका गंजडुडवारा एटा मार्ग पर गणेशपुर रेलवे फाटक एवं नगर पंचायत सहारा में अमापुर मार्ग पर रेलवे फाटक होने के कारण रोजाना घंटो-घंटो दोनों नगरों में जाम लगा रहता है, जिससे आम जनमानस को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इन रेल लाइनों पर ऊपरी पुल बनाए जाने के साथ-साथ देश की आजादी के बाद से अब तक जनपद इटावा कासगंज आज भी राजधानी दिल्ली से रेल लाइन से नहीं जुड़ पाए हैं। क्या भविष्य में कोई योजना इन जनपदों को रेल लाइन से सीधा दिल्ली के लिए बनाई जाएगी**?** जिससे यहां के लोगों के लिए सुविधा हो सके। इसी के साथ-साथ जनपद इटावा में मैनपुरी फाटक अंडरपास पुल के ऊपर मेरे द्वारा पूर्व में माँग उठाई गई थी। रेलवे मैनपुरी फाटक अंडरपास इटावा के ऊपर से पैदल दुपहिया पुल बनवाने के लिए अभी तक क्या कार्रवाई की है? मेरा माननीय रेल मंत्री से विनम्र आग्रह है कि इन जनहित की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करने का कष्ट करें। (इति)

Re: Exploitation of Vulnerable Communities by Micro-Finance Institutions and private Self-Help Groups in the country

DR. RANI SRIKUMAR (TENKASI): I rise to draw the attention of this House to the alarming exploitation of vulnerable communities by certain Microfinance Institutions (MFIs) and private Self-Help Groups (SHGs). These institutions are not empowering individuals but driving them into deep distress through predatory lending practices. This resulted in tragic consequences, including families being displaced and individuals taking their own lives. The distress is particularly acute in regions where Beedi and Matchbox industries, traditionally a source of livelihood for many, are in severe decline. With falling demand and rising operational costs, workers and small-scale producers in these industries are forced to borrow from MFIs and SHGs to survive. This cycle of indebtedness has taken a severe social and emotional toll on families. Reports of harassment by lenders, public humiliation, and relentless recovery tactics have led to unbearable mental distress for borrowers. I urge the Government to take immediate action to address this crisis. Firstly, MFIs and SHGs must be strictly regulated to ensure transparency in lending practices, with clear and accessible terms provided in local languages. Additionally, there should be caps on interest rates and strict penalties for exploitative practices. Borrowers must be empowered through financial literacy campaigns to better understand their rights. (ends)

Re: Construction of Panchdeori-Bhatni Railway Line Project

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : नार्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के हथुआ-भटनी रेलवे लाइन प्रोजेक्ट जो कि 79.64 किलोमीटर का है उसकी ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस हथुआ-भटनी रेलवे लाइन को बनाने के लिए वर्ष 2019 तक 277.13 करोड़ की राशि खर्च हो चुकी है। हथुआ-पंचदेवरी सेक्शन यानि 31 किलोमीटर तक काम पूरा कर लिया गया है लेकिन पंचदेवरी-भटनी सेक्शन जो कि 48.64 किलोमीटर का है, इस सेक्शन का काम रुका पड़ा है जबकि इस सेक्शन के लिए रेलवे ने Land Acquisition का काम पूरा कर लिया है। Land Acquisition हो जाने के बाद भी एवं सारी Clearance मिलने के बाद भी रेलवे ने पंचदेवरी से भटनी तक की रेलवे लाइन का काम शुरू नहीं किया है। इससे रेलवे को रेवेन्यू की क्षति हो रही है। रेलवे लाइन के अभाव में परिवहन एवं व्यापार में बाधा आ रही है। मैं रेलमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि बाकी पड़े पंचदेवरी से भटनी तक यानि 48.14 किलोमीटर का लंबित रेलवे लाइन के कार्य के लिए आवश्यक धनराशि और प्रशासनिक स्वीकृति देकर यथाशीघ्र शुरु किया जाए ताकि रेलवे को रेवेन्यू की प्राप्ति हो साथ ही मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के 32 लाख लोगों की पहुँच बाज़ार तक हो सके। (इति)

Re: Restoration of concession in rail fare for senior citizens

श्री संजय दीना पाटिल (मुंबई उत्तर-पूर्व) : 2020 में COVID-19 महामारी के दौरान भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतें बंद कर दी थीं, जो अब तक शुरू नहीं की गई हैं। इसका सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों पर पड़ा है, खासकर उन पर जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या निम्न आय वर्ग से आते हैं। पहले वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे किराए में 40-50% तक की छूट मिलती थी। लेकिन अब उन्हें पूरा किराया देना पड़ रहा है, जिससे रेल यात्रा उनके लिए मुश्किल हो गई है। खासतौर पर वे बुजुर्ग जो सस्ती परिवहन सेवाओं पर निर्भर हैं, इससे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। एक संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि Sleeper और 3AC श्रेणियों में वरिष्ठ नागरिकों को फिर से रियायत दी जाए, ताकि कमजोर वर्गों की मदद हो सके। मैं माननीय रेल मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस सिफारिश पर अमल किया जाए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायतें बहाल की जाएं। इससे हमारे बुजुर्गों को राहत मिलेगी और उनकी यात्रा आसान और किफायती बन सकेगी।

(इति)

Re: Need to collaborate with Pakistan to facilitate for guided tours, cultural festivals and academic exchanges at Indus Valley Sites situated in Pakistan

SHRI SUBBARAYAN K. (TIRUPPUR): It is 100 years since John Marshall announced the discovery of "Civilization of the Indus Valley" on September 20, 1924. The cumulative evidence from genetic, linguistic and archaeological studies reveal strong Dravidian ancestry of the 4500 year old civilization. Two Indus Valley sites are in the present day Pakistan. Harappa in the Punjab region and Mohenjo-Daro near the Indus river in the Sindh region. Facilitating visits to these archaeological sites can promote cultural exchange and heritage tourism. Union Government should initiate steps to collaborate with Pakistan to facilitate guided tours, cultural festivals and academic exchanges to these sites.

(ends)

Re: Problems faced by gig and platform workers in the country

DR. D. RAVI KUMAR (VILUPPURAM): I would like to use this opportunity to raise the alarming issue of exploitation of labour from Gig and platform workers in India. The gig workforce is expected to expand to 2.35 crore workers by 2029–30. Gig workers are expected to form 4.1% of the total livelihood in India by 2029–30. At present, about 47% of the gig work is in Semi-skilled jobs, about 22% in high skilled, and about 31% in unskilled jobs. By 2024, India's gig economy is projected to reach $455 billion, but workers face severe challenges. Classified as "independent contractors," they lack legal protections, social benefits, job security, and steady wages. Studies highlight poor working conditions, meagre earnings, and stress from uncertain employment. Algorithmic management and rating-based performance evaluations add further pressure. This contractual setup denies gig workers essential workplace rights and entitlements, exacerbating their vulnerabilities despite the sector's rapid growth. I, therefore, urge the Ministry of Labour and Employment to urgently address this issue. It is important that we include all emerging sections of our developing society. I urge the Ministry to take it up on high priority. (ends)

Re: Violence against the Satnami Community in Baloda Bazar, Chhattisgarh

ADV. CHANDRA SHEKHAR (NAGINA): The recent violence against the Satnami community in Baloda Bazar, Chhattisgarh, is a matter of grave concern that demands immediate action. On June 10, 2024, peaceful protests erupted in response to the shocking vandalization of their sacred 'jaitkhamb' on May 15-16. This incident has not only disrespected their cultural identity but has also ignited deep-seated anger and frustration within the community. What is more concerning is that about 200 individuals have been arrested, with a disproportionate number being marginalized members of the Satnami community. This targeted approach raises alarming questions about systemic discrimination and the violation of fundamental rights. It is imperative that we address these grievances with sensitivity and urgency. The targeting of marginalized sections and the use of excessive force by police are unacceptable and must be condemned. We must stand in solidarity with the Satnami community to uphold their rights and restore their dignity. Immediate Government intervention is essential to prevent further escalation and to promote peace and justice in our society. (ends)

…(व्यवधान)

Re: Need to establish an AIIMS in Siliguri, West Bengal

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): The northern most districts of West Bengal – Darjeeling, Kalimpong, Alipurduars, Jalpaiguri, Cooach Behar, North Dinajpur and South Dinajpur has a population of around 2.5 crore. People in these districts are dependent on tea estates for employment, or are engaged in farming for their sustenance. Due to low income, people here cannot afford treatment in private hospitals. Government run hospitals are inadequately staffed, and lack even the most basic equipment and facilities and most of the people of the region cannot afford to travel to distant cities for treatment. Additionally, 'Ayushman Bharat' scheme is yet to be implemented in the state and hence the poorest and most marginalized continue to suffer due to the lack of health care facilities. There is an urgent need to establish AIIMS at Siliguri for North Bengal. Siliguri is centrally located and lies in the heart of North Bengal. It is well connected by air, rail and road network. Thousands of people from across the North Bengal region travel to Siliguri for basic treatment already. Therefore, establishing an AIIMS in Siliguri will bring a major relief to the people from North Bengal. Even patients from eastern Bihar, parts of Sikkim, lower Assam will benefit.

(ends)

Re: Need to formulate a scheme for utilization of vacant land under Bhilai Steel Plant

श्री विजय बघेल (दुर्ग) : मेरे लोकसभा क्षेत्र दुर्ग (छत्तीसगढ़) में भारत का सबसे ख्याति प्राप्त भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। भिलाई इस्पात सयंत्र के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये उच्च स्तरीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अनके सेक्टर स्थापित किये गये तथा प्रत्येक सेक्टर में आवासीय मकान, खेल-कूद के लिये मैदान, स्कूल, बाजार, पार्क, मनोरंजन क्षेत्र स्थापित किये गये। वर्तमान में भिलाई इस्पात संयंत्र से बहुत से कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके है जिनके द्वारा आवासीय मकान खाली कर दिये गये है। साथ ही भिलाई में भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के अलावा संयंत्र के सहायक इकाईयों के कर्मचारी एवं आम जनता निवासरत है। वर्तमान में भिलाई इस्पात संयंत्र के क्षेत्राधिकार के अतंर्गत आवासीय मकान जीर्णावस्था में है। संयंत्र में कर्मचारी कम होने के कारण संयंत्र के अनेक स्कूल बंद कर दिये गये हैं। जिससे संयंत्र की भूमि पर कतिपय अनाधिकृत लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उक्त संयंत्र के क्षेत्राधिकार में स्थित भूमि को जनसुविधा के विस्तार हेतु उपयोग किये जाने हेतु एक योजना बनायी जानी चाहिये, जिससे की बेशकीमती रिक्त पडी भूमि का सही उपयोग हो सके एवं उन्हें अनाधिकृत लोगों के कब्जे से मुक्त किया जा सके। इस संबंध में आवश्यक योजना के क्रियान्वय की आवश्यकता है।

(इति)

Re: Disposal of claims under Pradhan Mantri Fasal Bima Scheme

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : मेरे संसदीय क्षेत्र चूरु में खरीफ 2023 की फसल के खराबे को लेकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा के क्लेम पर बीमा कंपनी के द्वारा लगभग 716 इन्श्योरेन्स यूनिट के क्रॉप कटाई डाटा पर आपति लगाई गई है। राजस्थान सरकार द्वारा एक साल बीत जाने के बावजूद भी इस मामले को सुनने हेतु राज्य स्तरीय शिकायत समिति का गठन तक नहीं किया गया है। खरीफ 2023 हेतु लगभग 170 करोड़ से अधिक का बकाया अभी भी किसानों को नही दिया गया है। बीमा कंपनियों द्वारा बार बार इस प्रकार आपति लगाकर किसानों का शोषण किये जाने का कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इन आपतियों के निस्तारण में समय लगाया जा रहा हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रावधान है कि बीमा क्लेम देने में देरी होने पर बीमा कम्पनी ब्याज के साथ बीमा क्लेम भुगतान करेगी। राजस्थान सरकार को निर्देशित करते हुए मेरे लोकसभा क्षेत्र के किसानों का खरीफ 2023 की फसल पर बीमा कंपनी द्वारा लगाई आपतियों के निस्तारण हेतु राज्य स्तरीय शिकायत समिति का गठन किया जावे और बीमा क्लेम जारी करने का निर्देश दिया जायें।

(इति)

Re: Need to control OTT and social media platforms streaming objectionable and obscene contents

श्री नरेश गणपत म्हस्के (ठाणे) : सोशल मीडिया और OTT प्लेटफार्मों पर प्रसारित होने वाली अश्लील और विकृत सामग्री हमारे राष्ट्र के सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों पर गहरा प्रहार कर रही है।यह न केवल हमारी पारिवारिक व्यवस्था की पवित्रता को नुकसान पहुँचा रही है,बल्कि समाज में असुरक्षित वातावरण पैदा कर रही है।हाल की घटनाएँ,जैसे आंध्र प्रदेश में 8वर्षीय लड़की की त्रासदी और डुंगरपुर व छत्तीसगढ़ की घटनाएँ, इस विकृति का उदाहरण हैं।इस सामग्री का प्रसार युवाओं में अपराध और भटकाव को बढ़ावा देता है।पैसा कमाने की प्रणाली ने इसे एक घातक इकोसिस्टम बना दिया है, जिसे तोड़ने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी OTT प्लेटफार्मों के नियंत्रण की कमी पर चिंता जताई है।मौजूदा कानूनों जैसे BNS एक्ट, महिलाओं का अभद्र प्रतिनिधित्व अधिनियम,और IT एक्ट में संशोधन कर कठोर प्रावधान जोड़े जाने चाहिए, ताकि ऐसी सामग्री के प्रसार को रोका जा सके और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिले।यह मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम का देश है,जहाँ शील और नैतिकता का विशेष महत्व है।अश्लील सामग्री से नागरिकों के मन,शरीर और आत्मा पर गहरा और हानिकारक प्रभाव पड़ता है।मेरा सरकार से अनुरोध है कि OTT और सोशल मीडिया पर अश्लील और विकृत सामग्री पर सख्त नियंत्रण के लिए कार्यवाई करें।

(इति)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1301 बजे

<u>तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।</u>

(1400/SPS/SAN)

लोक सभा चौदह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्रीमती संध्या राय पीठासीन हुईं)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, श्री गौरव गोगोई जी।

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : आदरणीय सभापति महोदया, धन्यवाद। हम बस यही आग्रह कर रहे हैं कि हम बार-बार देख रहे हैं कि एक विशेष कंपनी का नाम लेकर सदन और सत्तापक्ष वही पुराने आरोप लगा रहा है। ज़ीरो आवर में सब सदस्यगण प्रत्येक दिन अपना नाम देते हैं, लेकिन उनका नाम बैलेट में नहीं आता है, …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, यह विषय नहीं है। प्लीज बैठिए।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : यह कैसे होता है? … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : जो विषय उठ चुका है। … (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

माननीय सभापति : आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024, माननीय सदस्य श्री राम शिरोमणि वर्मा जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सभी माननीय सदस्य बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति जी, यह ठीक नहीं है। चेयर की जो वर्किंग है, लोक सभा सचिवालय की जो वर्किंग है, ये उस पर ही अटैक कर रहे हैं। यह तो ठीक नहीं है। यह कार्यवाही से हटाना चाहिए। यह विषय हटाना चाहिए। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। इसको रिकॉर्ड से हटा दीजिएगा।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : अगर एक विषय उठ गया है तो आप उसको बार-बार नहीं ले सकते हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य राम शिरोमणि वर्मा जी, आप बोलिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन कर रही हूं कि आप बैठिए।

… (व्यवधान)

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक - जारी

1401 बजे

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : सभापति महोदया, आपने मुझे आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज जो यह संशोधन बिल माननीय मंत्री जी द्वारा लाया गया है, जिसमें एक तरफ तो यह राज्यों की राजधानियों और नगर निगम वाले शहरों को एक अलग शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित करने का अधिकार देता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह बिल विशिष्ट मामलों पर नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों से ज्यादा शक्ति प्रदान करता है। हमें लगता है कि शक्तियों का केन्द्रीकरण होने से आपदा प्रबंधन में देरी हो सकती है, जिस कारण वित्तीय लेने-देन का हस्तांतरण और समय पर तत्काल आवश्यक कार्यवाई के साथ साथ जरूरतमंदों को राहत सहायता पहुंचाने में कठिनाई हो सकती है।

महोदया, उत्तर प्रदेश सरकार के पास बाढ़ प्रबंधन से निपटने के लिए पैसा ही नहीं रहता है। अभी इसी साल 2024 में बरसात के समय राप्ती नदी में भीषण बाढ़ आई थी, जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान मैंने बाढ़ खंड अधिकारी से बात की तो अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि बाढ़ खंड विभाग के पास कोई पैसा नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम संशोधन बिल लाकर और अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे है, लेकिन जब सरकारी विभाग ही कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो ऐसे में आपदा से कैसे निपटा जाएगा। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरी मांग है कि उक्त प्राधिकरणों के गठन के साथ उनको तात्कालिक जरूरी और गंभीर मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर अत्याधुनिक संसाधनों की उपलब्धता, बचाव एवं आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास हेतु धन की पर्याप्त व्यवस्था हो सके, यह इस विधेयक में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कई बार ऐसा होता है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ तमाम अन्य सहायता टीमों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक पहुँचने में दो-तीन घंटे का समय लग जाता है और वे समय पर नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके कारण भारी जान-माल का नुकसान हो जाता है। इससे बचने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संख्या को बढ़ाया जाए और उनको ब्लॉक स्तर पर रखा जाए, जिससे वो समय पर घटना स्थल पर पहुंच सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। देश और प्रदेश के सभी आपदा संभावित क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर एक आपदा निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए, जिसमें उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

(1405/YSH/SNT)

सभापति महोदया, इसके साथ ही खाड़ी और पूर्वी तट के राज्यों सहित देश में चक्रवात के कारण होने वाली भीषण तबाही से निपटने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों का उपयोग किया जाना चाहिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), भारतीय मौसम विभाग और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी (NRSA) की उन्नत तकनीकी का लाभ उठाकर चक्रवातों और भीषण तूफानों से होने वाले नुकसान को कैसे रोका जा सके इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है।

सभापति महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती और जनपद बलरामपुर एक आपदा प्रभावित क्षेत्र है, जो नेपाल सीमा से सटे तराई क्षेत्रों में राप्ती नदी के किनारे बसा है। राप्ती नदी में लगभग हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ के कारण जनपद श्रावस्ती के कई गांव जैसे जगरावल गढ़ी, लैबुड़वा, पासीपुरवा, लौकिहा, खैरी, भुतहा, सेहनिया, सिकारी चौड़ा, राम नगर, गणेशपुर, गोड़पुरवा आदि गाँव प्रभावित होते हैं, साथ ही जनपद बलरामपुर के गाँव चौकाकला, रामगढ़ मैटाहवा, लालपुर विशुनपुर, मदारगढ़, चंदापुर, भिटौड़ी, बलरामपुर देहात, जोगिया कला, भगवानपुर खादर, लैबुड़वा, सरदारगढ़ सहित तमाम ऐसे गाँव जो राप्ती नदी के किनारे बसे हैं, बाढ़ के कारण लगभग हर साल जलमग्न हो जाते हैं और किसानों की हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इसके कारण किसानों की सारी फसलें तो नष्ट हो ही जाती हैं, साथ ही लोगों के घर नदी में भी समा जाते हैं। गाँव के गाँव जलमग्न हो जाते हैं। बड़ी बड़ी सड़कें कट कर पानी में बह जाती हैं तथा जगह-जगह बांध टूट जाते हैं साथ ही लोगों की जान तक भी चली जाती हैं और जिस तरीके से उन्हे इसका मुआवजा मिलना चाहिए, उस तरीके से सरकार के द्वारा उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है।

राप्ती नदी में जब बाढ़ आती है तो नदी का कटान इतना तेज होता है कि किनारे पर बसे गावों से नदी एक दिन में अगर 200 मीटर दूर है तो दूसरे दिन वह 100 मीटर के करीब आ जाती है, जिससे नदी के किनारों पर बने घर मिट्टी के कटान से पूरे के पूरे नदी में समा जाते हैं।

सभापति महोदया, राप्ती नदी हमारे लोक सभा क्षेत्र श्रावस्ती व बलरामपुर, बहराइच से होते हुए सिद्धार्थनगर और गोरखपुर तक बहती है और ये सभी जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। एक व्यक्ति अपनी सारी जिंदगी की गाढ़ी कमाई को लगाकर अपना घर बनाता है, जो नदी में समा जाता है। जब घर का उचित मुआवजा देना होता है तो सरकार के माध्यम से कभी एक लाख, दो लाख या ढाई लाख देकर के फ्री कर दिया जाता है, जिससे जो किसान, गरीब, मजदूर और नदी के किनारे बसे लोग हैं वे और भी गरीब होते जा रहे हैं।

अत: सभापति महोदया, आपके माध्यम से मेरी केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार से मांग है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ मिलकर उनका सर्वे कराकर जो घर नदी के कटान में बह जाते है, उन्हें उचित मुआवजे के रूप में कम से कम 20 लाख रुपए उनके मकान की लागत के हिसाब से दिए जाए और साथ ही राप्ती नदी के दोनों तरफ स्थायी बांध बनाए जाए।

सभापति महोदया, इसके अलावा एक और गंभीर मामला है। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए आपदा जैसी स्थिति पैदा हो गई है। डीएपी खाद आपदा का ही एक तंत्र है। किसान इतना परेशान है कि वह अपनी खेती भी नहीं कर पा रहा है और डीएपी खाद की कमी हो गई है। किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। किसान परेशान है, क्योंकि अभी तक भी बुवाई नहीं हो पा रही है।

अत: सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूँ, चूँकि यहां पर मंत्री जी बैठे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में खाद की भारी कमी है। उसको पूरा कराने का काम किया जाए।

सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। (इति)

1409 hours

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): I rise to oppose this Bill. This Bill needs more deliberations, debate, and discussion before it is brought to this House.

When you look at it now, it has more omissions and commissions than what is actually going to benefit this country. Climate change has increased the risk of natural disasters. The increase in global surface temperatures is leading to more powerful storms, droughts, aridification, huge wildfires, and sea erosion, which is leading to loss of lives, livelihood, and displacement.

(1410/AK/RAJ)

The effect of climate change is just not something that we seem to be realising because all over the world, the floods, the fires and the droughts are unprecedented. Countries have never seen something like this happening, and in India practically every day we see a State flooded or affected by landslides. I think that it is time that we take disaster management much more seriously.

There is no harm in hoping for the best as long as you are prepared for the worst. We can never take anything for sure in this world except, of course, hon. Member, Shri Nishikant Dubey's matters during the 'Zero Hour'. I do not think that anything else can be taken as a sure thing.

Every time there is a cyclone, the Union Government proudly proclaims that they had warned the States. But sadly, the radars that you have are not powerful enough to predict the storm in advance and give us adequate advance warnings. Your information is more like astrological predications and not modern weather forecasts. Only when the storm is within 150 kms, you are able to give any clear information or indication about the storm and that is practically just one day's notice. What can a State really do? How many people can it move to more protected areas? What can it actually do in a day's time? Whereas, if you upgrade your high-end radars and are able to predict in advance because many countries are able to predict storms and disasters, particularly cyclones at least when it is 300 kms away, that is, if you give three days of advance warning then it will make a difference. If you are able to give the State Governments three days of advance warning, then that will make a lot of difference in protecting the people and moving them to safer places. Using satellite images with AI interpretations will also be very helpful and give us a clearer picture of disasters because we are not able to understand or predict so many other kinds of disasters.

You call yourselves global teacher or Vishwa Guru. Then, we cannot be unprepared. If you are going to teach and lead the world, then I think that we should show leadership in disaster management and in protecting our people. But we do not seem to be really caring about it because most of the times it is the under-privileged, the poor and the farmers who are the worst hit. We know how this Government treats its farmers. So, you have taken away their right to speak, dignity of life and liberty, and now you cannot take their lives away too.

Like most of the Bills passed by the NDA, this Bill is also detrimental to the rights of the States. Cooperative federalism -- which you keep talking about -- has become confrontational federalism in reality.

Disaster management is a State subject. Any amendments without consulting the States will have negative impact on disaster response. Para 6 (1) has proposed including technical guidance to the State Governments and their authorities. Does it mean that the States will be bound by the advice of the Union?

Further, the Bill also proposes to create a national-level / State-level disaster database. This is something, which I think everybody of us over here will welcome. But will that study really be a detailed study of all the terrains, all the villages, all the cities, all the districts of the State, and the landscape? If Thamirabarani breaches, then you should be able to understand through the data as to which are the areas that will get affected and which are the settlements that will get affected.

(1415/UB/KN)

If a lake breaches or a river breaches, this is the kind of data which has to be included in the database. And the most important thing is, once you collect data and create a database, most of the time the State Governments are not able to access that data. This should not be the case. They are playing with lives. It should be easily accessible to the State Governments also. We have to understand that there is sea erosion. We have a very long coastline, and every coastal city or village has the problem of sea erosion. The coastal areas are getting eroded. Also, there are predictions that many of the cities in this country will be submerged. So, we have to take this into consideration and plan ahead to keep our people safe.

Section 8(b), a new insertion in the Bill, talks about a High-Level Committee. This will act as a nodal body to decide whether the disaster is a serious disaster or not. I am worried. Since this Committee does not have powers on its own, it will be completely under the Government. So, when it is under the Government, it has to decide according to the Government. Maybe, serious disasters will only happen in

double-engine States, and States with single engine will be left to fend for themselves. The Bill fails to ensure disaster relief as a 'justiciable right'. Tamil Nadu has had to go to the Supreme Court for aid after it was affected very badly by the cyclone Migjaum. They wanted Rs. 37,000 crore to rebuild the lives of thousands of people, the houses we lost, and the farmlands we lost. Our hon. Chief Minister asked the Union Government and the hon. Prime Minister for aid to help these people in distress. But we did not get a single rupee from the Union Government. Today, we are forced to go to the Supreme Court. Wayanad has such a bad disaster in front of our eyes but they have not got any help. So, why is it that a State Government has to be forced to go to the Supreme Court? Every time there is an issue, every time there is a problem, every time we need help, we have to approach the court to get justice for us. The State had to argue that the Centre's inaction violates citizens' 'right to equality' and 'right to life with dignity' under Articles 14 and 21 of the Constitution.

You want to constitute a separate Urban Disaster Management Authority for State Capitals and municipal corporations. What is the point in it? Creation of multiple authorities without clear demarcation of powers leads to a lot of confusion and bureaucratic inefficiency. Already, we have different departments dealing with different calamities. The Centre for Seismology and Meteorological Department handles earthquakes. Mining disasters are dealt with by the Department of Mines. This actually only leads to delays and it starts a blame game among the departments. It is high time we needed one department, one agency and maybe, it is time for the Government to think of one separate Ministry for disaster management to take care of the number of disasters happening every second day in this country. For example, the West Bengal Chief Minister, Madam Mamata Banerjee, has said that the flood in South Bengal in 2023 was caused by deliberate mismanagement of the DVC. They released water without consulting us and now the people are suffering. So, this is what happens when you have various multiple agencies without any clear demarcation; and too many people will not be able to deliver anything.

(1420/SRG/PC)

In section 44A, you said you will constitute a State Disaster Response Force for specialist responses, but there is no mention about who will be funding for this mechanism.

There is a proverb in Tamil –

> "*Aathukulla irunthu aroharanu sonnalum sothukullathan irrukkum sokkanathan*."
>
> It means "Even if one is standing in knee deep river water and chanting the hymns, his mind will be full of thoughts about food".

So, if you do not tell us who is going to fund it, again that burden will come on us. I think the Bill has to be very clear about who is going to fund this Disaster Response Force for specialist response.

Moreover, India has witnessed over 5,000 deaths from 2014 to 2020 due to heat waves. Due to global warming, heat waves are expected to increase and become frequent. The Government has to notify "heat waves" as a disaster. The Tamil Nadu Government, under our Chief Minister, M. K. Stalin, has declared "heat waves" as a State specific disaster enabling relief and ex-gratia payment of Rs. 4 lakh to the families of the diseased. I would like to say, even if you would not want to hear it that it is a Dravidian-model Government. We lead by example. So, this is one more thing you could think of following us.

Regarding allocation of funds under the SDRF, 30 per cent weightage is given to population and the area. This puts States like Tamil Nadu, which has controlled population, at a very big disadvantage. You are giving 30 per cent weightage for the funds to be released to us. It puts us at a disadvantage. It is like you are punishing us for making sure that our population is under control.

*This is like punishing a student who is a First rank holder by making him stand outside the classroom. We are facing such a situation. Tamil Nadu continues to remain as a progressive and developed State and due to this very reason, we are so kuch affected. We as a State are providing good governance and hence deprived of what is due to us as a developed State. Even our neighbouring State Kerala too is facing a similar situation. The Union Government has shown empty hands to us. They do not provide any fund to Tamil Nadu.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) : माननीय सभापति महोदया, बहुत अच्छे से इनके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। **…** (व्यवधान)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, I am not yielding. … (*Interruptions*)

---

* Original in Tamil

श्री नित्यानन्द राय: लेकिन एक ही आग्रह है, ये लोग बैठे रहे, हमें आज गर्व होता है कि मोदी सरकार ने जो कार्य किया है ... (व्यवधान) हर प्रश्न का जोरदार उत्तर है। ... (व्यवधान) शानदार काम किया गया है। ... (व्यवधान)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Yes, yes, thank you. That is why, I am speaking. We want a good reply from the Minister.

In the Disaster Risk Index, you have put us along the West Coast. Historical study shows Eastern Coastal States are more prone to cyclones due to wind movement in the atmosphere circulation. But you have not put us in the “high risk category”. Please be fair. You have to put Tamil Nadu in the “high risk” category along with Andhra Pradesh because we are faced with frequent cyclones and storms and it is increasing.

Now, I hope the Minister has a reply for this particularly because I would like to read some numbers out. We do not deny the fact that when there is a storm or a disaster.

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य**,** आपका समय पूरा हो गया है। अब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए।

... (व्यवधान)

(1425/RCP/IND)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Madam, give me a few minutes. In 2015-16 when there were floods in Tamil Nadu, we asked for Rs.25,000 crore. What we got was Rs.1,737 crore. When there was drought, Rs.39,565 crore was asked and we got Rs.1,700 crore and then Rs.48 crore. When Vardah cyclone hit us, what we asked for was Rs.22,573 crore. What we got was a mere Rs.266 crore. Then again, when Ockhi cyclone hit Tamil Nadu, we wanted Rs.9,302 crore and we got Rs.133 crore. For cyclone Gaja, Rs.17,899 crore was asked and we got Rs.1,146 crore. Then again, when Nivar cyclone came, Rs.3,758 crore was asked and we got Rs.63 crore. Then again, there were rains and floods. Memorandums were given and nothing came. Last year again, we had cyclones and Tamil Nadu was badly hit. We got nothing. Thoothukkudi, my own constituency, was so badly affected. We got nothing, not a penny. Regarding cyclone Maichung, around Rs.37,000 crore was asked and we got nothing. Now, the Tamil Nadu Government has been forced to go to the Supreme Court to get justice. Regarding cyclone Fengal, initially the Chief Minister asked for Rs.2000 crore. Then, after the Central team visited there, we asked for Rs.6675 crore. We have got nothing.

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Madam, I am finishing in two minutes. But then the Union Government announced that they are giving Rs.944 crore and they made it sound like they are giving us compensation for the floods and the cyclone. But actually, it was the SDRF money which they had to pay. You are not giving us any money from the NDRF whereas the States have to bear all the brunt of what happens to its people, to the farmers, to the lands. Houses were washed away; lives were lost. We have to take care of all of them. But you call this as one nation.

Coming to GST compensation, Tamil Nadu has lost nearly Rs.20,000 crore in GST compensation. We have lost our fiscal autonomy.

माननीय सभापति : धन्यवाद। आप समाप्त कीजिए।

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): How do you expect us to take care of our people?

*Debt-ridden farmers are in anguish and pain with tears rolling down their cheeks as thousands of acres of their farm lands are affected with damaged and destroyed crops. These farmers are stranded on streets with their children as their houses were even damaged. Even in such a pathetic situation, the Union Government has not given a single rupee to the people of Tamil Nadu and other States. Their 'not-so-kind' attitude is unacceptable. The Union Government has been continuously ignoring the interests of the people of Tamil Nadu. We hope that definitely a lesson would be taught to the Union Government very soon. Thank you.

(ends)

(1430/PS/RV)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदया, मैं कुछ कहना चाहता हूं... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य, आपका विषय क्या है?

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदया, माननीय सांसद महोदया ने मेरा नाम लिया है... (व्यवधान)

महोदया, इस हाउस में क्वैश्चन आवर और ज़ीरो आवर को स्पीकर साहब अपनी व्यवस्था के हिसाब से तय करते हैं, उसे सरकार तय नहीं करती है... (व्यवधान) सोरोस का सबसे ज्यादा इंवेस्टमेंट डी.एम.के. शासित तमिलनाडु स्टेट में है... (व्यवधान) इसी को बचाने के लिए वे मेरा नाम ले रही थीं... (व्यवधान)

---

* Original in Tamil

1430 hours

SHRI KESINENI SIVANATH (VIJAYAWADA): Thank you, Madam Chairperson.

The Disaster Management (Amendment) Bill, 2024 is a timely legislation brought by the Government to address the increasing frequency of natural disasters in our country. From 2015 to 2023, funds released to SDRFs have nearly tripled, rising to Rs. 1 lakh crore under the leadership of our hon. Prime Minister Narendra Modi ji and hon. Home Minister Amit Shah ji.

The Bill focuses on the critical needs to address risks from extreme climate events like heatwaves, floods, and storms. Over 40 per cent of Andhra Pradesh's area is prone to tropical storms. From 2014 to 2020, it experienced the highest number of cyclones in India, including devastating events such as Cyclones Hudhud and Titli.

To strengthen the preparedness and resilience against such challenges, the Bill mandates the NDMA and SDMAs to assess and plan for these risks. It also introduces a Centralized Disaster Database at both the national and State levels. This system will enable better classification of disasters aiding in mapping, response planning, and mitigation. The most critical amendment is the creation of the Urban Disaster Management Authorities in the State capitals and cities.

I come from the constituency of Vijayawada, which is an urban constituency. The region was recently affected by severe flash floods in the month of September, 2024. The Vijayawada floods are a combination of both natural and man-made disasters. My city witnessing its highest rainfall in 50 years is the natural cause, while the previous State Government's failure to desilt River Krishna and cleaning its canals, is the man-made cause. Due to the neglect of the previous Government, the people of Vijayawada were severely impacted. More than three lakh people were shelter-less and countless hectares of land was flooded. The victims could not be accessed in the first 24 hours of flooding. The flood relief operation was effectively managed by our hon. Chief Minister Nara Chandrababu

Naidu Garu, who is an expert in crisis management. He used modern technologies like drones to provide relief packages, and fire engines were utilized to clean homes flooded with sand and debris. The Chief Minister's on-ground leadership ensured immediate relief for the affected citizens. This intervention was possible due to the timely coordination of the Central Government and synchronised working of the NDA Alliance. I appreciate the timely support extended by the Central Government and urge the hon. Home Minister to expedite the approval of the Rs. 1,100 crore flood relief funds for Vijayawada, which is currently pending with the High-Level Committee.

Experiencing how damaging floods can be, creation of the Urban Disaster Management Authority is a step in the right direction. However, to improve the functioning of UDMA, I recommend that Members of Parliament and other public representatives have to be a part of this Authority for comprehensive and localized disaster management. Countries like Japan that are highly disaster-prone, follow this convention. I stand in support of the Bill. The NDA alliance is strongly committed to good governance, transparency, and development.

To conclude, I would like to say that I have witnessed the devastation caused by the urban flooding in my constituency, and I am glad that my maiden speech in the Parliament is a progressive step towards sensitizing the issue of urban flooding to the august House and seeking support of the Central Government in rebuilding the affected areas.

Thank you.

(ends)

(1435/GG/SMN)

1435 बजे

श्री दिनेश चंद्र यादव (मधेपुरा) : सभापति महोदया, माननीय गृह मंत्री जी आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संशोधन का प्रस्ताव लाए हैं। यह प्रस्ताव दिसम्बर 2011 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित टॉस्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर लाया गया है साथ ही मई, 2020 में गठित विशेषज्ञ समिति एवं 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को भी आधार बनाया गया है। मुख्य संशोधन धारा 2, धारा 3, धारा 5, और धारा-6 में कुछ नई धाराओं का समावेश एवं अन्य कई धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव है। शब्दों को सरलीकरण के लिये नई परिभाषाओं का उल्लेख भी किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि संशोधन से आपदा प्रबंधन कानून और सशक्त एवं सक्षम होगा।

सभापति जी, अपने देश में प्राकृतिक और मानव निर्मित्त बड़ी-बड़ी आपदाओं का खतरा बना रहता है। समुद्री किनारे के लोगों को हमेशा प्राकृतिक आपदाओं, चक्रवात और सुनामी का सामना करना पड़ता है। देश के करीब 58.6 प्रतिशत भूभाग बहुत अधिक तीव्रता वाले भूकंप जोन में आता है। अतः यह एक बड़ा खतरा हमेशा बना रहता है। देश में खेती योग्य भूमि का करीब 12 प्रतिशत भाग बाढ़ और नदियों के कटाव से प्रतिवर्ष खतरा झेलने के लिये मजबूर है और इसका अधिकांश भाग मेरे राज्य बिहार में है। मेरे संसदीय क्षेत्र में तो कोसी नदी का प्रकोप प्रति वर्ष लाखों लोगों के लिए जान-माल की क्षति का कारण बना रहता है। इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा एवं भूस्खलन का खतरा रहता है। खेती योग्य जमीन का करीब 68 प्रतिशत भाग सूखे के खतरों का सामना करने की स्थिति में आ जाता है। अब तो ग्लोबल वार्मिंग एक मुख्य खतरे की घंटी बजा रही है और यह तो विश्वव्यापी खतरे को अभी से लोगों को सचेत कर रही है।

सभापति जी, कानून में संशोधन से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सशक्त बनाकर एक शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है। केन्द्र और राज्यों को आपदा प्रबंधन संबंधी योजनाएं तैयार करने का अधिकार दिया जा रहा है। देश में सभी बड़ी विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन कार्यकर्त्ताओं को शामिल करने का प्रस्ताव भी है। एक डेटाबेस बनाकर लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जाएगा। अब राज्य और केन्द्र मिलकर किसी भी खतरे की निगरानी करने, आपदाओं को कम या उसके प्रभाव को कम करने के उपायों और किसी आपदा या आपदा का खतरा उत्पन्न करने वाली स्थिति में समग्र, समन्वित और तुरंत कार्रवाई करने हेतु आवश्यक संस्थागत तंत्रों की स्थापना करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

सभापति जी, यह देखा गया है कि किसी भी आपदाओं से आर्थिक और समाजिक रूप से कमजोर वर्ग सबसे गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। इन कमजोर वर्गों में वृद्धजन, महिलाएं, बच्चे, बेसहारा महिलाएं, अनाथ हुए बच्चे और निःशक्त व्यक्तियों पर आपदा का प्रभाव अधिक पड़ता है। माल-मवेशी एवं खेतीबाड़ी और अन्य आधारभूत ढाँचे पर भी प्रभाव पड़ता है। मेरा कहना है कि इन प्रभावित वर्गों को अधिक ध्यान में रखकर योजनाएं बनाने की आवश्यकता है।

सभापति जी, मैं बिहार से आता हूँ और इस चर्चा में बिहार के बारे में चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। उत्तरी बिहार में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सारण, गोपालगंज, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं,

जबकि दक्षिणी बिहार के अधिकांश जिले सूखे से प्रभावित रहते हैं। यह समस्या प्रतिवर्ष आती है। बिहार राज्य के 94,160 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल के 68,800 वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र का 73 प्रतिशत हिस्सा बाढ़ के लिए कमजोर है। देश में बाढ़ से कुल क्षति का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा बिहार में आता है। देश में कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का 22.1 प्रतिशत बिहार राज्य में स्थित है। उत्तर बिहार में पाँच प्रमुख नदियां - कोसी, महानंदा, बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक नदी जो बाढ़ के लिये अति संवेदनशील हैं और इन नदियों का उद्गम स्थल नेपाल है। दरअसल बिहार में बाढ़ से क्षति में सबसे बड़ा योगदान कोसी नदी का ही है। इसी साल नेपाल के हिमालय क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होने से कोसी नदी उफान पर आ गयी। वराह क्षेत्र में अत्यधिक पानी होने से एकाएक लगभग 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। यदि पानी नहीं छोड़ा जाता तो भीमनगर का बैराज ही कोलेप्स हो जाता। नतीजा यह हुआ कि रातों-रात दोनों तटबंधों के बीच रह रहे लोगों के घर में 5 से 6 फीट पानी घुस गया।

(1440/MY/SM)

गनीमत यह रही कि 12 घंटा पूर्व से ही जिला प्रशासन लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए आगाह कर रहा था। … (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए।

श्री दिनेश चंद्र यादव (मधेपुरा) : महोदया, प्रशासन उनको चेतावनी दे रहा है, इसलिए लोग ऊंचे स्थान पर चले गये। अंतत: पश्चिम तटबंध टूटने से पानी का बिखराव हो गया और नेपाल में बारिश भी कम हो गई, नहीं तो हमारे क्षेत्र के सहरसा, मधेपुरा, सुपौल जिले में भारी जान-माल की क्षति होती और यह क्षेत्र बर्बाद ही हो जाता। उन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी आ जाता है। इसके साथ ही कोसी नदी में इतना गाद आ जाता है, जिससे नदी का सतह ऊंचा हो जाता है और प्रत्येक साल बाढ़ का प्रकोप बना रहता है।

सभापति जी, प्रश्न यह है कि बिहार में बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए क्या-क्या किया जाना चाहिए? मात्र बिहार सरकार के प्रयास से यह संभव नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार को आगे आना होगा। केंद्र सरकार बिहार को पूर्णरूपेण आर्थिक सहयोग दे। वहां के लिए परियोजना बनायी जाए और उसका कार्य समय से पूरा किया जाए। यहां दो देशों की बात है। केंद्र सरकार को नेपाल से बातचीत करके समुचित समाधान निकालना होगा, नहीं तो हर वर्ष बिहार बाढ़ की विभीषका को झेलने के लिए मजबूर होता रहेगा।

महोदय, अंत में, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। आपदा प्रबंधन के लिए 15वें वित्त आयोग में, बिहार को 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के चार गुना राशि देने की बात की थी, वह लंबित है। केंद्र सरकार बिहार को उसके हक और समाधान के लिए समुचित धन मुहैया कराए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

1442 hours

SHRI ANIL YESHWANT DESAI (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): Thank you, Madam. The Government has introduced the Disaster Management (Amendment) Bill, 2024 and the same is being discussed and deliberated upon in this House.

After the enactment of the Disaster Management Act, 2005, it is almost two decades since we have made any amendment or changes in this Act, which is now being considered. Despite the fact that we have seen progress and growth in our economy, we have also witnessed weather events, vagaries of nature and also the way the things have become unpredictable.

We have come across climate extremes, pandemics etc. and we all withstood the cascading effects of disasters. Therefore, the provisions under the Disaster Management Act, 2005 need to be amended by way of bringing in much-required changes in the existing robust framework of DM Act, 2005.

The Disaster Management (Amendment) Bill 2024 is shifting the emphasis from reactive approach to proactive approach. It is advancing from preparedness approach to a risk-preventive approach. The proposed Amendment Bill seeks to enhance India's disaster management framework by establishing Urban Disaster Management Authorities, that is, UDMA. It aims to empower National and State Disaster Management Authorities, NDMA and SDMAs. It aims to create a comprehensive disaster database, which is also a part of the Bill.

The Bill aims to focus on disaster risk reduction also. Its objective is to improve coordination among various authorities and strengthen urban disaster management. The Bill permits the State Governments to establish their own SDRF.

Madam, the existing bodies such as National Crisis Management Committee (NCMC) and the high-level committee will get statutory status which will formalise their roles in managing national level disasters and overseeing financial assistance during emergencies. While this piece of legislation is being discussed, there are a few questions or explanations which I feel that hon. Minister, while replying to the House, will put some light on this.

(1445/RP/CP)

My first question is this. The Bill grants substantial rule-making and regulatory powers to the Central Government in the form of NDMA. NDMA is being strengthened now. This will infringe upon the rights of the State Government which will lead to bureaucratic overlap. That might affect the effective system of disaster management.

Secondly, the financial and administrative capacity of local authorities, especially, in smaller cities, require resources and expertise to discharge their responsibilities effectively under UDMAs.

Today, Madam, the Mumbai Corporation is the biggest corporation not only in India but in Asia. It has the capacity and resources. The State Government is ploughing its resources to other things than the autonomous corporations of Mumbai. You are leaving it. All the corporations and local bodies in the State are literally dependent on the resources being provided by the State Government. From where will they get the resources? From where will they bring in the financial assistance which they need to fight emergencies? That needs to be explained by the hon. Minister.

Thirdly, there is multiplicity of authorities. Creation of new bodies like UDMAs along with formalisation of existing committees will create mix-ups in the decision-making process. It will be, ultimately, defeating the purpose of fighting with emergencies.

As far as the penalty for non-compliance is concerned, the Bill introduces a penalty clause wherein those who obstruct the disaster management efforts will be penalised up to Rs. 10,000. There is no clear criterion about the penalty. That needs to be explained in this Bill.

My State of Maharashtra has faced extremes of climate change during the last few years. The cyclones like Nisarga and Tauktae had devasted the entire coastal belt of Konkan Region in the year 2021-22. The then State Government did its best but a much-needed relief, which was expected to come from the Central Government, did not come on time. That is the reason why, the coastal people of that region suffered a lot.

Similarly, there were grave damages done by the unseasonal rains. The flash floods had caused tremendous sufferings to the farming fraternity. At that point in time also NDRF relief was much expected, but it did not come on time. So, the then State Government had to carry the entire responsibility on its shoulder which was not sufficient to cope up with the losses and damages which had happened.

The next point is related to landslides which were taking place in the Western Ghats of Maharashtra. During these landslides, a lot of villagers and their families had lost their lives and properties. Exactly, at that point in time, whatever was need to be done, could not be done because the teams of the Central Government, which were supposed to visit them and provide relief, did not come in time. These are the things which really made people suffer. That should not happen. As far as the Disaster Management Bill of 2024 is concerned, the hon. Minister would put some light on this by way of amendments.

If the State of Maharashtra, which is the number one State in the entire country, could suffer on these counts, we need to really think of it. How can we prevent others from such disasters? Prevention, mitigation, and relief should come at a time. Now, 'relief' is being made prominent and the word 'compensation' is being taken off. What is the difference between 'compensation' and 'relief'? That also needs to be elucidated by the hon. Minister at the time of reply. I think, if these things are put in place properly, then only this Amendment Bill will really be meaningful for the people of India. Thank you.

(ends)

(1450/NK/NKL)

1450 बजे

श्री राजेश वर्मा (खगड़िया) : सभापति महोदया, आपने मुझे आज आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक, 2024 बिल पर बोलने का अवसर दिया। मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद इसलिए करता हूं क्योंकि मैं जिस लोक सभा क्षेत्र से आता हूं, जिस राज्य से आता हूं, मेरा राज्य सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य है। आपने मुझे आज इस विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं खगड़िया लोक सभा की जनता और बिहार की जनता की तरफ से आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। मैं उस राज्य से आता हूं, जहां हम प्रति वर्ष किसानों की फसलों को बाढ़ से बर्बाद होते हुए देखते हैं। मैं उस खगड़िया लोक सभा क्षेत्र से आता हूं जहां प्रति वर्ष हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एक-एक रुपये जोड़ कर एक परिवार अपना मकान बनाता है और अपने आंखों के सामने ही उस मकान को ढहते हुए देखता है। मैं उस लोक सभा क्षेत्र से आता हूं।

सभापति महोदया, मैं प्रति वर्ष छोटे-छोटे बच्चों और परिवारों को सड़क किनारे बिलखते हुए देखता हूं, जब वह अपने घर से बेघर होते हैं। जिस तरीके से एक चिड़िया तिनका-तिनका जोड़ कर अपना घर बनाती है और किस तरीके से एक ही वार में यदि उसका घर उजड़ जाए तो उसको क्या महसूस होता है, वही मेरी कन्सटीट्यूएंसी के लगभग एक बड़ी आबादी महसूस करती है, जब वह अपना तिनका-तिनका जोड़ती है और अपने घर को ढ़हते हुए देखती है।

“यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल
एक जुनून सा दिल में भरना पड़ता है
पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना
बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार-बार
तिनका-तिनका उठाना पड़ता है।”

राज्य सरकार लगभग एक हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष बाढ़ सहायता के लिए पूरे बिहार में खर्च करती है लेकिन वह सहायता मात्र है। स्थायी समाधान की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बिल के माध्यम से हम स्थायी समाधान के ऊपर काम कर पाएंगे। इस बिल के लिए विशेष रूप से मैं गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के सभी कर्मचारियों और पदाधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके माध्यम से अब तक एनडीआरएफ की स्थापना के बाद से अब तक 1 लाख 55 हजार परिवारों को बचाने का काम किया गया है और लगभग 8 लाख फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया गया है।

बिहार की इस पीड़ा के संबंध में मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कुछ विषयों की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरी तरफ से एक सुझाव है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बाढ़ प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक योजनाएं, नदियों में प्रबंधन और जल निकासी को बेहतर बनाने की जरूरत है। स्थानीय समुदाय को आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है, सरकार की एक

बहुत महत्वपूर्ण योजना 'रिवर लिंकिंग योजना' है, जिसके माध्यम से मुझे लगता है कि सरकार को इसे बढ़ावा देना चाहिए ताकि खगड़िया लोक सभा और बिहार की एक बड़ी आबादी, जो बाढ़ से त्रस्त है, उसे बाढ़ से निजात मिले। इसके साथ ही कटाव एक बड़ी समस्या है। जिस कटाव को रोकने के लिए हजारों करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च होता है, लेकिन हम लोग उसके स्थायी समाधान के ऊपर बहुत खर्च नहीं कर पा रहे हैं। स्थायी समाधान के ऊपर बहुत खर्च करने की जरूरत है। कटाव को लेकर हम लोग बोल्डर पिचिंग और जीयो-बैक के माध्यम से पूरा पर्टिकुलर डिजाइन फ्रेमवर्क तैयार करके किस तरीके से कर सकते हैं, मुझे लगता है कि उस ओर सरकार और हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। जहां एक तरफ आपदा है वहीं इस आपदा में कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जो अवसर ढूंढने का काम करते हैं।

मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस ओर भी सरकार अपना ध्यान आकृष्ट करें। जितने ऐसे पदाधिकारी हैं जो आपदा के समय अवसर ढूंढने का काम करते हैं, उस पर भी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई और रुख अपनाने का काम करे।

(1455/SK/VR)

मेरे लोकसभा क्षेत्र में छ: विधान सभाएं हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें खगड़िया, परबत्ता, अलौली, बेलदोर, सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र पूरे तरीके से बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र खगड़िया में गोगरी-नारायणपुर तटबंध, जो लगभग 51 किलोमीटर है, वर्षों से स्थानीय लोगों द्वारा इसके चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की मांग की जा रही है। यह अति आवश्यक मांग है क्योंकि हर वर्ष बाढ़ के दिनों में उक्त तटबंध जगह-जगह पर बाढ़ के पानी के दबाव से जर्जर होता जा रहा है। इसकी रिपेयर के बाद लाखों लोगों को सुविधा मिलेगी।

मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के नयागांव के वीरपुर टोला में मुरादाबाद, विष्णुपुर और माधवपुर होते हुए आश्रमटोला गोगरी तक रिंग बांध के निर्माण के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। सिमरी बख्तियारपुर के पूर्वी कोसी तथा पश्चिमी कोसी तटबंध की दूरी लगभग 40 से 125 किलोमीटर है। यह परियोजना लंबे समय से लंबित है। मैं इस ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, उसे देखते हुए हम जैसे सांसद, जो पहली बार जीतकर आए हैं, इससे न केवल मनोबल बढ़ा है बल्कि लोकसभा क्षेत्र के जनता की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार का ध्यान बिहार की तरफ जाए। यदि बिहार पिछड़ेपन से जूझ रहा है तो इसके पीछे बड़ा कारण बाढ़ की आपदा है। बिहार को इस समस्या से बाहर निकलने की जरूरत है ताकि बिहार का विकास हो सके।

इस बिल के माध्यम से डिजास्टर मैनेजमेंट रिफार्म्स लाने का प्रयास किया गया है। अगर इसके प्रावधानों की बात करें तो आपदा प्रबंधन ढांचे को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाने के लिए अधिनियम, 2005 में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इसके लिए आपके माध्यम से सरकार और माननीय मंत्री जी का कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूं।

(इति)

1457 hours

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Thank you, Madam, for giving me this opportunity to speak on this important Bill. I rise to express my concerns regarding the proposed Disaster Management (Amendment) Bill, 2024, which under the guise of strengthening disaster management process poses a serious threat to India's federal structure. While disaster management is a crucial issue requiring cognitive efforts, the Bill undermines the principle of cooperative federalism enshrined in the Constitution.

The Act of 2005 was brought in because of the tsunami and the earthquake in the Indian Ocean in 2004. It had provisions for establishment of the National Disaster Management Authority (NDMA), the State Disaster Management Authorities (SDMA), the National Disaster Response Force (NDRF) and the State Disaster Response Forces (SDRF). This Government had a very good opportunity of bringing reforms through this Bill. But, unfortunately, the Bill has been just brought to ensure that everything is under the control of the Central Government.

Madam, what is happening with the NDMA. The Disaster Management Act of 2005 had a provision for a Chairman and nine members as part of it. In 2015, the Committee on Home Affairs had recommended that the members of the NDMA should come through a proper selection process just like the Election Commission of India or the Competition Commission, there should be a fixed age limit, qualification, so on and so forth. But nothing has been done and this Bill also does not bring up any of the provisions in this regard, and as a result, if you see, as of August 8, 2024, NDMA had only four members. A body, which is chaired by the hon. Prime Minister himself, which is supposed to have nine members with subject matter experts, as of August 8, 2024 had only four members.

The National Disaster Response Force is a very, very prime body which is there all over the country saving critical lives through rescue operations and so on. As of January 2023, this Force had about 24 per cent posts vacant. Against the total sanctioned strength of 18,557, the actual strength of the Force is only 14,197. There may be reforms in the Bill where they say that they want to have everything in the Central command, but they have failed to even strengthen the NDMA organization as such.

Since 2023, the NDMA has not published any risk assessment reports or studies. This is a very sham thing because had they been doing this, many critical lives would have been saved. If you look at any disaster, the States are asked to provide funds from the SDRF, and the NDRF comes into picture only when there is a big calamity or disaster.

(1500/SAN/KDS)

Madam, I will give you some statistics of the funds which were demanded by various States and the funds which were approved by the NDRF. In 2018-19, the States sought Rs. 19,984 crore while the Centre approved only Rs. 7,476 crore. In 2019-20, the States sought Rs. 48,107 crore and the Centre approved only Rs. 14,839 crore. In 2020-21, the States requested for Rs. 58,383 crore, but the Centre approved only Rs. 10,000 crore.

In 2021-22, the States requested for Rs. 14,000 crore while the Centre approved only Rs. 3,500 crore. In 2022-23, the States again requested for Rs. 10,313 crore, but the Centre unfortunately approved only Rs. 1,748 crore.

I will talk about some specific examples. At the time of Cyclone Fani, Odisha had requested for Rs. 20,000 crore, but the Centre gave only Rs. 3,338 crore. Telangana demanded Rs. 11,713 crore, but the Centre provided only Rs. 416 crore. Tamil Nadu demanded Rs. 37,000 crore while the Centre provided only Rs. 700 crore. Karnataka demanded Rs. 18,000 crore, but the Centre provided only Rs. 3,400 crore. Kerala demanded Rs. 2,262 crore, but the Centre provided no funds. But after a long time, they allowed Kerala to have a special cess from which they are collecting the funds and so on.

Madam, one of the main challenges which the initial Act had was that they do not have any funds at the district level.

You had an opportunity, Sir, to bring in reforms, but nothing is there. Instead, you are saying that the NDMA will independently prepare the disaster management plans. Let me tell you that if there is any disaster, the first responder is the district, the State and so on. The NDMA cannot make it 'one size fits all'. It can never happen that NDMA will prepare all the plans. There was a reason behind why the National Executive Committee was there under the initial Act. It was to ensure inter-sectoral collaboration among various Governments and Ministries, and now you are saying that the NDMA will do everything and prepare the State disaster management plans.

Madam, I will give you a case study of Odisha. The hon. Minister also said that around 10,000 people had died during the super cyclone in Odisha. Even after that, there happened many cyclones in the State of Odisha. Cyclone Phailin of 2013 was a category 4 cyclone with wind speeds of over 215 kilometres per hour and extensive damage was caused with a casualty of 44 lives. Cyclone Hudhud of 2014 was also a category 4 cyclone when massive landslides and flooding took place. Cyclone Titli of 2018 was a category 2 cyclone, which also had the same impact. It impacted Ganjam, Gajapati and Rayagada districts. Cyclone Fani of 2019 was a category 4 cyclone; Cyclone Amphan of 2020 was a category 5 cyclone; and Cyclone Yaas of 2021 was a

category 3 cyclone. Then, Cyclone Dana, which occurred in October 2024, resulted in damages worth Rs. 600 crore.

If you look at the example of Odisha, after the super cyclone where 10,000 lives were lost, we have come to a stage where we are proudly saying that there is zero casualty. We are trying to achieve zero casualty. This was because of the establishment of Odisha State Disaster Management Authority, OSDMA, immediately after the super cyclone. They coordinate with the NDMA, they coordinate with the State Governments; they coordinate with the NGOs; and they coordinate with the community-based organizations. It is a complete ecosystem where the preventive shelters are being created, and they do everything. What I am trying to say is that despite many challenges, the Odisha State Disaster Management Authority has been a very good example of how to fight disaster and so on.

Madam, I will ask seven questions before I conclude. Why is that they undermine such success by imposing centralized control that may stifle the State's innovation? My second question to the Government, through you, is: Why is there a need to centralize the disaster management when States have shown their competency? My third question to the Government, through you, is: How does the Bill address regional disparities in disaster vulnerabilities? The fourth question is: Does the Bill comply with the principles of cooperative federalism as envisioned in the Constitution? I come to my fifth question. India's diversity means that States face different natural calamities. Odisha faces cyclones; Gujarat faces earthquakes; and Assam faces floods. One size does not fit all.

My next point is that the States and the local bodies play a very critical role. This Bill undermines their capabilities. My seventh and last question to the Government is this. While the proposed Bill seeks to streamline the functioning of the disaster management bodies and enhance the statutory status of the existing committees, it fails to clearly establish the role of each of these bodies, which may result in overlap.

(1505/SNT/MK)

In conclusion, the natural calamities demand a robust and coordinated response, but this cannot come at the cost of federalism. The States must be empowered, not undermined. We need a system where the Centre supports and supplements States' efforts rather than overriding them. Let us reject this Bill in its current form and work towards a framework that upholds the spirit of federalism ensuring both efficiency and equity in disaster management.

Finally, I would like to say:

"शहंशाही भी देखी है, गरीबी भी देखी है,
जो न बांटे बराबरी, वह सियासत फरेबी है।"

Thank you, Madam.

(ends)

1505 बजे

श्री गणेश सिंह (सतना) : धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 के पक्ष में अपना विचार रख रहा हूं। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में यह संशोधन करने वाला विधेयक है। इसे संसद में 1 अगस्त, 2024 को माननीय गृह मंत्री जी ने संशोधन करने हेतु पुर:स्थापित किया था।

सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पर मुझे बोलने का मौका दिया है। साथ ही, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं आपदा विभाग से संबंधित गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी को भी धन्यवाद एवं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल एवं देश के अन्य भागों में जो आपदा का संकट आया था, वैसी महामारी और विपत्ति को देखते हुए आपदा प्रबंधन विधेयक, 2005 को और अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए आज संसद में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 को लाने का काम किया है। यह न केवल अत्यंत प्रभावकारी विधेयक है बल्कि पूरी तरह पारदर्शी, उत्तरदायी एवं आधुनिक तकनीकी तंत्र से परिपूर्ण है।

कांग्रेस के माननीय सांसद श्री शशि थरूर जी कल अपने भाषण में कह रहे थे, जब केरल में बड़ी आपदा आई थी तो भारत सरकार ने केंद्रीय दल भेजा था और पूरी मदद की थी, उसके बावजूद भी वे कह रहे थे कि इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिए।

इसी तरह से कल्याण बनर्जी जी कल अपने भाषण में कह रहे थे कि राज्यों के अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं। यह विधेयक पूरी तरह से राज्यों को ही मजबूत कर रहा है और उनको और अधिकार दे रहा है। कल अपने भाषण में उन्होंने पूरे देश की नारी शक्ति का अपमान किया है। यह कितना शर्मनाक है। कोविड जैसे समय में बंगाल की सरकार से जितनी मदद अपेक्षित थी, वह नहीं कर पाई। यह कितना नकारात्मक सोच है। यह सुनकर मैं हैरान हूं। तुष्टिकरण की राजनीति के आगे राष्ट्रहित सब भूल गए।… (व्यवधान)

भारत में प्राकृतिक और मानव निर्मित अपदाओं का अलग-अलग भू-भाग में अलग-अलग प्रकार का खतरा बना हुआ है। 58.6 प्रतिशत भू-भाग में मध्यम या तीव्र गति के भूकंप आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। 40 बिलियन हेक्टेयर भू-भाग में बाढ़ और नदी आपदा की आशंका रहती है। 7,516 किलोमीटर तटरेखा, जो हमारे देश में है, उसमें से 5,700 किलोमीटर में चक्रवात और सुनामी आने की हमेशा संभावना बनी रहती है। कृषि योग्य क्षेत्र की 68 प्रतिशत भू-भाग में सूखे की आशंका बनी रहती है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमस्खलन का जोखिम हमेशा हमारे देश में देखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में, जो कानून बना था, उस कानून में और

व्यापक संशोधन की जरूरत थी और उसमें और नये प्रावधान जोड़ने की जरूरत थी, जिसको इस विधेयक में शामिल किया गया है।

भारत सरकार ने दिनांक 23 दिसम्बर, 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम को अधिनियमित किया था। उसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए), जिसके अध्यक्ष सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री हैं। इस परिकल्पना में अब जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) भी कार्यशील होगा। यह प्राधिकरण राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेवार होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नवम्बर, 2016 में नई दिल्ली में आयोजित एशियन मिनिस्ट्रियल कांफ्रेंस ऑफ डिजॉस्टर रिस्क रिडक्शन के दौदान डिजॉस्टर रिस्क रिडक्शन (डीआरआर) के संबंध में 10 प्वाइंट्स का एक एजेंडा दिया था।

(1510/SJN/AK)

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस एजेंडे की तरफ आकृष्ट कराना चाहूंगा। उसमें पहला है कि सभी विकास क्षेत्रों को आपदा जोखिम प्रबंधन के सिद्धांत को अवश्य अपनाना चाहिए। दूसरा, जोखिम कवरेज की दिशा में गरीब परिवारों से लेकर, एसएमई एवं बहुराष्ट्रीय निगमों तथा राज्य तक सभी को इसमें शामिल किया जाना जरूरी है।

तीसरा, आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं का नेतृत्व और अधिक केन्द्रीय भागीदारी होनी चाहिए। चौथा, प्रकृति और आपदा जोखिम के वैश्विक समझ को बेहतर बनाने के लिए विश्वस्तर पर जोखिम मानचित्रण में निवेश।

पांचवां, आपदा जोखिम प्रबंध प्रयासों की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना। छठा, आपदा संबंधी मुद्दों पर काम करने के लिए एक नेटवर्क विकसित करना जरूरी है। सातवां, सोशल मीडिया और मोबाइल प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का उपयोग करना।

आठवां, आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ाने के लिए स्थानीय क्षमता और उसकी पहल का निर्माण करना। नौवां, आपदाओं से सीखने के लिए हर अवसर का उपयोग करना और दसवां, आपदाओं के प्रति अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं में अधिक एकजुटता लाना है।

इस विधेयक में सभी विषयों का समावेश किया गया है। आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर कतिपय प्राधिकरणों और समितियों की स्थापना की गई थी। इनके अतिरिक्त अधिनियम में भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख किया गया है। यह अधिदेश दिया गया है कि प्रत्येक मंत्रालय या विभाग आपदा प्रबंधन के संबंध में नोडल उत्तरदायित्वों को पूरा करेगा। आज तक इसके पहले उस कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार विकास आयोजनों में आपदा प्रबंधन को मुख्य धारा में लाने के केन्द्रीय सरकार के सतत प्रयासों और पूर्व में आई आपदाओं से मिली सीख और अधिनियम के कार्यवहन के दौरान प्राप्त अनुभवों के दृष्टिगत राज्य सरकारों सहित सभी धारकों के साथ परामर्श से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की समीक्षा की गई है।

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक में जो प्रावधान किए गए हैं, मैं आपका ध्यान उनकी तरफ आकृष्ट कराना चाहूंगा। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहे प्राधिकरणों, समितियों की भूमिकाओं में अधिक स्पष्टता और एकरूपता लाना है। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तर समिति जैसे अधिनियम पूर्व कतिपय संगठनों को संवैधानिक अधिकार दिलाना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के कार्यकरण को सुदृढ़ बनाना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समिति के स्थान पर राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और आपदा प्रबंधन संबंधी योजना तैयार करने के लिए सशक्त करना है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा संबंधी डेटाबेस तैयार करना है। राज्यों की राजधानी और बड़े शहरों एवं जहां नगर निगम हैं, उनके लिए भी शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा आपदा मोचन बल के गठन का भी प्रावधान है, जो अभी तक नहीं था। इसमें वह प्रावधान भी किया गया है।

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात पूरी करिए।

श्री गणेश सिंह (सतना) : सभापति महोदया, हम सभी जानते हैं कि देश में आपदा जैसी महाविपत्ति से प्रत्येक वर्ष जान-माल की भारी हानि होती है। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ है, अकाल है, भूकंप है, चक्रवात है, सुनामी है, भारी बारिश है, मानवकृत आपदाएं जैसे आगजनी है, अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं जैसे रोड दुर्घटना है, रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिस्ट एवं न्यूक्लियर आदि से भी केवल मनुष्यों को ही नहीं, बल्कि जीव-जंतुओं एवं पशु-पक्षिओं को भी नुकसान पहुंचता है।

अभी हाल ही में पाकिस्तान से लगा हुआ जो सीमा तट है, हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश में टिड्डी दल ने किसानों के खेतों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कहीं न कहीं यह भी एक आपदा ही है। आवारा पशु एवं जंगली जानवरों से भी किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। मैं चाहता हूं कि इसमें भी नुकसान का प्रावधान जोड़ा जाना चाहिए। इसके बदले किसानों को जो मिलता है, बड़ी संख्या में किसान अपनी फसलों में नुकसान उठाने की वजह से एक-एक दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं।

पहले हम लोगों ने देखा है कि जब प्राकृतिक आपदा आनी होती थी, तो प्रकृति की तरफ से, पशुओं की तरफ, पक्षियों या बुजुर्गों की तरफ से कुछ न कुछ इंडिकेट किया जाता था। जब सुनामी आई थी, तब अंडमान के ट्राइबल्स को 48 घंटे पहले ही पता चल गया था कि सुनामी

आने वाली है और वे सब खतरे के स्थान से उठकर चले गए थे। वह कौन-सी पद्धति थी? जब बाढ़ आनी होती है, तो गाय रंभाती है। वह कौन-सी पद्धति है?

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि क्या इन सारी पद्धतियों को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए वे कोई रिसर्च कराएंगे? क्या इनको विकसित करने के लिए फिर से कोई उपाय खोजेंगे? मुझे लगता है कि भारत में जितनी बड़ी संख्या में प्राकृतिक आपदा आती है, उसमें हमेशा भारत सरकार के अरबों रुपये खर्च होते हैं। राज्य सरकारें भी पैसा खर्च करती हैं, लेकिन उसका स्थायी हल नहीं निकल पाता है। मुझे लगता है कि इसका स्थायी हल निकालने के लिए आपने इस कानून में जो प्रावधान किया है, उससे काफी मदद मिलेगी।

(1515/SPS/UB)

जैसे हमारे यहां सूखे के क्षेत्र हैं, वहां हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के माननीय प्रधान मंत्री जी की मदद से केन बेतवा नदी जोड़ो पहला ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसका काम शुरू होने वाला है।

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य, प्लीज, कन्क्लूड कीजिए।

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदया, जिन क्षेत्रों में सूखा है, उन क्षेत्रों में हम पानीदार नदियों का पानी नहरों के माध्यम से पहुंचा दें। भोपाल में यूनियन कार्बाइड से लाखों लोग प्रभावित हुए थे और आज भी उसका बहुत तेज गति से असर है, तो उस पर भी विचार करने की जरूरत है। जैसे-जैसे कोविड खत्म हुआ है, उसके बाद अन्य तरह की बीमारियां लोगों के शरीर में आई हैं तो उनका भी कहीं न कहीं अध्ययन करने की जरूरत है और उसके दुष्परिणामों से लोगों को बचाने की जरूरत है।

मैं इतना ही कहते हुए, इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

(इति)

1515 hours

DR. GUMMA THANUJA RANI (ARAKU): Madam, while I am largely in support of this Bill, I would like to make a few constructive comments and raise concerns with respect to Andhra Pradesh floods. The very recent being the unhealed wounds inflicted by the man-made disaster, Vijayawada floods.

I would like to take this opportunity to recollect how the former Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Jagan Mohan Reddy, had taken concrete steps in implementing solutions in Vijayawada, which had a long-term impact on people.

Every year, during the monsoon season, there is flood and the people have to be rehabilitated on a large scale apart from the loss of property and other things. However, Shri Jagan Mohan Reddy *Garu* had constructed a retaining wall and Rs. 350 crore was allocated in two phases, especially in Krishnalanka, Ranigarithota and Tharaka Rameshwar Nagar. As a result of the construction of the retaining wall, the impact of disasters especially during the monsoon season has reduced.

Apart from that, on 8th September, in my constituency of Araku, there were huge floods which had been caused due to heavy rainfall in the hilly areas of Chatraipalli and Madigamallu. In the whole village, there were too many casualties and the roads were badly destroyed. I request the Central Government to kindly sanction funds to the State Disaster Relief Fund. The other main concern now is the restoration of the damaged roads. I urge upon the Central as well as the State Government to kindly complete the restoration of damaged roads as the roads are the only means of connectivity in such a hilly terrain of my constituency. I hope the hon. Minister would be kind enough to sanction the same.

Let us remember that the original Disaster Management Act, 2005, which stands to be amended today, was brought against a saddening backdrop of the Odisha Super Cyclone from 1999, the Gujarat Earthquake in 2001, the Indian Ocean Tsunami in 2004 and such tragedies that spoke loudly. As a country, we were not prepared for a fight against these natural disasters. Today, as we stand at the end of the year with several such tragedies – the floods in Vijayawada in my home State of Andhra Pradesh; the landslides in Wayanad, Kerala, and

several more – there is no better time for us to take responsibility of this issue and move the baton forward.

In light of that, I appreciate the broadened mandate given to the National and State Disaster Management Authorities by this proposed legislative amendment. Making the NDMA and SDMA responsible for preparation of Disaster Management Plans at the national and State levels instead of the existing system is a welcome change. Allowing the NDMA to specify its own staffing need, along with an ability to appoint experts where necessary, is greatly appreciated. It is also noteworthy that the Bill is sensitive to the differential needs of disaster handling in urban and non-urban settings. To that end, the inclusion of an Urban Disaster Management Authority is noteworthy achievement. However, there are a few shortcomings in this arrangement. Despite devolution of responsibilities at the local level, there is no clear promise or metric for the devolution of resources to the UDMAs that are newly constituted. This can lead to a hollow promise, creating toothless institutions that fail to provide support when necessary. I hope this can be rectified or clarified.

(1520/SRG/YSH)

Madam, efficient resource mobility is the most crucial aspect in a disaster situation where especially time is of the essence. Speed and agility in response could have saved dozens of lives at Vijayawada where at least 45 precious lives were lost. Departments such as Irrigation, Home, Revenue and the likes that had a stake in mitigating damages were mobilised with much delay, leading to an aggravation of the sufferings. A robust action plan and alert, agile response was the need of the hour, but this was not met due to the negligence of the current State Government of Andhra Pradesh. In that regard, I appreciate the Bill mandating a State Disaster Response Force for specialist response during a disastrous situation. Granting the ambit to determine the functions, terms of service and duties of the SDRF to the States is also appreciated in the spirit of federalism. It would be advisable to have a non-binding model document with minimum best-standards that can be used by the country to assess the preparedness of their States.

I also appreciate the “national and State level disaster databases" that are intended to be established. Data collection has been given importance throughout the Bill. With today's predictive algorithms and advancing technology

in climate risk mitigation, I am sure that these datasets, if collected and stored systematically, can be assets for the future. I hope, however, that clear instructions are provided to the various Departments that may be concerned at the ground level to coordinate with nodal officers in-charge of data collection at the district and urban DMA level to collate, process and store such information as the foundational base of this data pipeline. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य**,** प्लीज आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए।

… (व्यवधान)

DR. GUMMA THANUJA RANI (ARAKU): It is high time we recognize that disaster relief, mitigation and the right to move on with life with fair compensation and support for life, property and livelihood are not just moral rights, but should also become legal rights in a welfare state like ours. We saw in Vijayawada how when valuation of losses was left to the whims of a State Government, affected persons got very minimal and meagre relief … (*Interruptions*) that covers too little in comparison to the financial cost of the disasters that have taken place in their lives. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज आप बैठ जाइए।

DR. GUMMA THANUJA RANI (ARAKU): Finally, in enhancing future resilience, … (*Interruptions*) I appeal to the times ahead as much as all of us today to bring together mechanisms for mandatory periodic reviews of preparedness, harnessing geo-spatial technology and deploying predictive algorithmic assistance for mapping and foreseeing risks. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य**,** प्लीज आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए।

… (व्यवधान)

DR. GUMMA THANUJA RANI (ARAKU): I recommend mandatory mock-drills for high-risk areas and pre-prepared buffers such as alternative housing, stocked relief material reserves like arrangements at a local body level for immediate mobilization during disasters. … (*Interruptions*)

As I conclude, I hope this Bill can be strengthened with the above mentioned suggestions, made more decentralized, not just in the administration of responsibilities, but also in capacity and powers and that disaster relief can finally be made a legal right for our sisters and brothers.

With these suggestions, I support the Bill. (ends)

1524 **बजे**

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे (मावल) : माननीय सभापति महोदया, भारतीय आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। यह विधेयक मौजूदा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करने वाला विधेयक है। मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय सभापति महोदया, इतने बड़े भारत देश में कई सारी आपदाएं आती हैं और आपदाओं के कारण कई जीवित हानियां भी होती हैं। मनुष्य की हानि होती है और पशुओं की भी जीवित हानि होती है। कोविड महामारी में यह भी देखा गया कि आपदा प्रबंधन तंत्र में सुधार की कितनी आवश्यकता है। महामारी के दौरान भारत को 35 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ।

(1525/RAJ/RCP)

महोदय, देश की प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं में वर्ष 1999 में ओडिशा में सुपर साइक्लोन, वर्ष 2001 में गुजरात में भूकंप, हिंद महासागर में आई हुई वर्ष 2004 की सुनामी, महाराष्ट्र में वर्ष 2013 में सूखा और उत्तराखंड में वर्ष 2013 के बाढ़ के नाम लिए जाते हैं।

वर्ष 2024 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान के आंकड़ों के मुताबिक एक साल में ढाई हजार से ज्यादा लोग प्राकृतिक आपदाओं में अपनी जान गंवा बैठे हैं। इनकी वजह से कई लाख घर तबाह भी हुए हैं। इस साल में पूरे देश में बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं में 2,803 लोग मारे गए। इसी वर्ष 58,825 पशुओं की भी जान गई है। एक साल में 3,47,770 घरों को नुकसान पहुंचा है। ये सभी आंकड़े 27 नवंबर, 2024 तक के हैं।

आंकड़ो की मानें तो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य मध्य प्रदेश रहा है, जहां 373 लोगों की जान गई है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 358 लोग, केरल में 322 लोग, गुजरात में 330 लोग और महाराष्ट्र में 203 लोग मारे गए हैं।

माननीय सभापति महोदया, यह विधेयक वर्ष 2005 के विधेयक में सुधार करने के लिए लाया गया है। यह विधेयक देश में आने वाली प्राकृतिक आपदा में सहायता करने वाला विधेयक है। भारत अपनी भौगोलिक, जलवायु स्थिति, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के कारण विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। बाढ़, सूखा, चक्रवात, समुद्री लहरें, भूकंप, शहरी बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन और जंगल की आग जैसी आपदाओं का खतरा हमारे देश में सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। देश के सभी 36 राज्यों एवं संघ शासित राज्यों में 27 आपदा प्रबंधन क्षेत्र हैं। 58.6 प्रतिशत भूमि क्षेत्र मध्यम से लेकर तीव्र भूकंप के खतरे में है। 12 प्रतिशत भूमि बाढ़ और नदी कटाव से प्रभावित है। 7,516 किलोमीटर समुद्री तट क्षेत्र में से 5,700 किलोमीटर क्षेत्र चक्रवात और समुद्री लहरों के प्रति संवेदनशील है। 68 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि

सूखे के प्रति संवेदनशील है, और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमस्खलन का खतरा है। इसके अलावा 15 प्रतिशत भूमि क्षेत्र भूस्खलन के जोखिम में है और 5,161 शहरी स्थानीय निकाय शहरी बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। आग की दुर्घटनाएं, औद्योगिक दुर्घटनाएं और रासायनिक-जैविक पदार्थों से जुड़ी मानव निर्मित आपदाएं हमारे सामने गंभीर चुनौतियां हैं।

यह स्थिति आपदा रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता को दर्शाती है। भारत को अपनी प्राकृतिक संसाधनों और तकनीकी क्षमताओं का उपयोग करते हुए एक सशक्त आपदा प्रबंधन ढांचा तैयार करना चाहिए। यह न केवल प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में मदद करेगा, बल्कि हमारे नागरिकों को सुरक्षित रखने की दिशा में एक मजबूत कदम होगा।

माननीय सभापति महोदया, मैं महाराष्ट्र से चुन कर आया हूं। वहां कई सारी दुर्घटनाएं बाढ़ से होती हैं। केन्द्र सरकार द्वारा उन आपदाओं में तत्काल मदद मिलती है, लेकिन जब राज्य सरकारें सक्षम होंगी, राज्यों के प्रतिनिधि सक्षम होंगे तो राज्य प्राकृतिक आपदाओं में लोगों की तत्काल मदद कर सकती है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चल कर मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में, जब-जब किसी राज्य में प्राकृतिक आपदा आएगी, वहां इस बिल के माध्यम से मदद मिलेगी। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

(1530-1535/PS/KN)

1530 hours

*SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): Madam, I am here to take part in the discussion on the Disaster Management (Amendment) Bill 2024. The Disaster Management Act 2005 is being amended by this Bill. While presenting and discussing the Bill, I doubt whether the most important aspects of Disaster Management has been properly understood before drafting and introducing this Bill. The world as well as our country face large scale natural calamities. Different types of natural calamities are on the rise. I think that to mitigate the disasters occurring in the world as well as in the country, a comprehensive disaster management Bill should be introduced, discussed and passed. Such an approach is not visible in this Bill. The disasters happening all over the world bring large scale miseries to mankind. Be it a landslide, flood, cyclone or draught it affects the society as a whole. It is true that discussions are being held across the world as well as in the country to find solutions for the same. There is no doubt that in these circumstances, it is very significant that we have to discuss disaster management. It is doubtful whether the Government brought this Bill after due consideration of all these aspects.

The contents of the Bill have already been explained here. In 2005, the Disaster Management Bill was first brought and passed in this House. Now in 2024, the Government wants to amend the Bill and we are discussing it. As I said earlier, we need detailed discussion. The most important thing is to take into confidence all the State Governments. Not only the State Governments but the local self-governing bodies are also to be taken into confidence. The local self-governing bodies can considerably contribute in disaster management activities. But no discussions with them have taken place. The disaster management has to be implemented in a decentralised manner. The intention of the Government seems to centralise disaster management. This is evident in this amendment Bill. We can very well understand what will be the problems when there is an attempt to centralise disaster management. We must convince the people at the grass root level. Such an approach is missing in this Bill. And that is the major flaw. While we are discussing this Bill, many calamities are

* Originl in Malayalam

happening across the country. A major calamity that happened in recent time was landslide and flood in Kerala.

The Wayanad disaster happened on 30^{th} July 2024. The House has already discussed the matter and the honourable Prime Minister also took part in it. The people of Wayanad suffered heavily. Around 420 people lost their lives. 118 people are still missing. 397 people were severely injured. Educational institutions, hospitals, panchayat and Government offices were destroyed. 1555 houses were grounded. The inhabitants lost their livelihood also. Around 600 hectares of land was washed away. Out of this, 310 hectares were fertile land which was ideally suited for cultivation. Hard earned properties of these farmers were destroyed. The Government of Kerala has estimated a loss of Rs.2,221 crore and a memorandum regarding the same has been submitted to the Central Government.

Madam, many parents have lost their children and many children have lost their parents. From a family, only a single girl survived. Her marriage had been fixed and while she was travelling with her fiancee, another tragedy happened and he was killed in a road accident. And this orphaned and helpless girl, named Sruthi was given a Government job by the State Government through a special order. This is a matter of pride for the State Government. The State Government has done whatever is possible. Our honourable PM visited Wayanad on August 10. Later, many Central Ministers also visited Wayanad. We expected that the honourable PM, who personally saw and understood the extent of disaster, would extend all help to the people of Wayanad. But, after his return, the honourable PM did nothing. In these circumstances, to protect the interest of people of Kerala, all MPs cutting across political differences, submitted a memorandum to the Central Ministers. On 4^{th} December, we, all the MPs, including the recently elected MP from Wayanad, Smt. Priyanka Gandhi met the Hon. Home Minister and presented a memorandum.

But it was of no use. Not only that, the Central Government was running away from their responsibility. We are compelled to say that in this hour of crisis the Central Government is blaming Kerala and denying all help and relief. In times of disaster, this was not expected from the Central Government.

(ends)

1538 बजे

श्री सुधाकर सिंह (बक्सर) : माननीय सभापति महोदया, मैं आज इस सदन के सामने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 के बारे में गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

(1540/IND/SM)

सभापति जी, यह विधेयक, हमारे देश में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर लाया गया है। लेकिन क्या यह विधेयक इन आपदाओं से निपटने के लिए पर्याप्त है? मेरा मानना है कि नहीं। वर्ष 2024 जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का एक साल रहा है। CSE और डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के पहले 274 दिनों में से 255 दिन किसी न किसी तरह की जलवायु संबंधी आपदा से प्रभावित रहे। ये आंकड़े भयावह हैं और यह दिखाते हैं कि हम एक ऐसे संकट का सामना कर रहे हैं जिसके लिए हमें तत्काल और प्रभावी समाधान की आवश्यकता है लेकिन दुर्भाग्य से यह विधेयक इस संकट की गंभीरता को समझने में विफल रहा है। यह विधेयक सिर्फ 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम में कुछ संशोधन करने का प्रयास करता है, जबकि हमें एक तरह से नए और व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

महोदया, मुझे लगता है कि यह विधेयक सिर्फ एक औपचारिकता है। सरकार इस मुद्दे को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही है, जितना कि उसे लेना चाहिए। सिर्फ 2024 में ही जलवायु परिवर्तन के कारण हुई आपदाओं ने 3238 लोगों की जान ले ली। ये संख्या 2022 की तुलना में 18% अधिक है। 32 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा फसल बर्बाद हो गई, जो दो साल पहले के मुकाबले 74% की वृद्धि है। 2 लाख 35 हजार 862 घर तबाह हो गए और 9457 मवेशी मारे गए। सबसे बुरा हाल मध्य भारत का रहा, जहां साल के 218 दिन किसी न किसी तरह की आपदा से गुजरे। मध्य प्रदेश में तो 176 दिन ऐसे ही बीते। केरल में प्राकृतिक आपदा बाढ़ से सबसे ज़्यादा 550 लोगों की जान गई। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं हैं, ये हमारे देश के लोगों के जीवन की कहानियां हैं। ये उन किसानों की कहानियां हैं, जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत बर्बाद होते देखी। ये उन परिवारों की कहानियां हैं जिनके घर उजड़ गए। ये उन जानवरों की कहानियां हैं, जो अपनी जान गंवा बैठे। ये आंकड़े बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक भयानक वास्तविकता है। यह एक ऐसी वास्तविकता है जो हमारे देश के हर कोने को प्रभावित कर रही है। यह एक ऐसी वास्तविकता है जिसके लिए हमें एक साथ मिलकर लड़ना होगा।

महोदया, आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 के आने के साथ, हमारे सामने एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या यह विधेयक देश में लगातार बढ़ती आपदाओं से निपटने के लिए पर्याप्त है? क्या यह विधेयक हमारी संस्थाओं को आपदाओं के प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए तैयार कर पाएगा? दुर्भाग्य से इस विधेयक का गहन विश्लेषण करने पर पता चलता है कि यह इन सवालों के जवाब में नाकाम रहता है। यह विधेयक न केवल मौजूदा समस्याओं को हल करने में विफल रहता है, बल्कि कई नए मुद्दों को भी जन्म देता है। यह विधेयक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पहले से मौजूद जटिलताओं को और ज्यादा कर रहा है। यह राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तरीय समिति जैसे संगठनों को वैधानिक दर्जा देकर नौकरशाही की परतों को और मोटा कर रहा है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया और धीमी हो जाएगी और आपदाओं के समय त्वरित कार्रवाई में बाधा आएगी। यह Top Down Approach 2005 के मूल अधिनियम की भावना के ठीक विपरीत है। मूल अधिनियम का उद्देश्य था राज्य और जिला स्तर के प्राधिकरणों को सशक्त बनाना ताकि वे स्थानीय स्तर पर आपदाओं से निपट सकें। लेकिन यह नया विधेयक सत्ता को केंद्र में केंद्रित कर रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता कम हो रही है। एक उदाहरण के तौर पर हम राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) को ले सकते हैं। यह विधेयक इस कोष के उपयोग के स्पष्ट उद्देश्यों को हटा रहा है। इसका

मतलब है कि अब इस कोष के पैसे को किस काम में लगाया जाएगा, यह पूरी तरह से केंद्र सरकार के विवेक पर होगा। इससे इस कोष के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास के काम में देरी हो सकती है। बिहार, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों ने पहले ही इस तरह की देरी का सामना किया है। यह विधेयक आपदाओं की परिभाषा को इतना संकीर्ण रखता है कि इसमें हीट वेव्स जैसी जलवायु परिवर्तन से जुड़ी घटनाओं को शामिल ही नहीं किया गया है। 2024 में ही भारत में 36 दिन भीषण गर्मी पड़ी थी, जो पिछले 14 सालों में सबसे ज्यादा है। इन हीट वेव्स ने 210 लोगों की जान ले ली। फिर भी सरकार इन घटनाओं को आपदा नहीं मानती और इन्हें राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) से मदद नहीं देती। इस तरह की परिभाषा से स्वास्थ्य समस्याएं, फसलों का नष्ट होना और आर्थिक नुकसान जैसी कई समस्याएं नजरअंदाज हो जाती हैं जो जलवायु परिवर्तन के कारण होती हैं। इसके अलावा विधेयक से अनुच्छेद 12 और 19 को हटा दिया गया है। ये अनुच्छेद आपदा पीड़ितों को भोजन, रहने की जगह और इलाज जैसी बुनियादी सुविधाएं देने के लिए सरकार को बाध्य करते थे। इन अनुच्छेदों को हटाने से आपदा पीड़ितों की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। सबसे बुरी बात यह है कि विधेयक से मुआवजे के प्रावधान भी हटा दिए गए हैं। जिन लोगों ने आपदा में अपना घर, फसल या आजीविका खो दी है, उन्हें अब मुआवजा नहीं मिलेगा। यह दिखाता है कि सरकार आपदा पीड़ितों की कितनी कम परवाह करती है। ये आपदाएं सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि असली जिंदगियों की तबाह की कहानी है। इसकी सबसे ज्यादा मार किसानों, मजदूरों, महिलाओं और बच्चों जैसी कमजोर श्रेणियों पर पड़ रही है। सीएसई की रिपोर्ट के मुताबिक कृषि क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र और बिहार में सबसे ज्यादा फसलें बर्बाद हुई और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में भी हालात बहुत खराब हैं। जब किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं तो वे कर्ज में डूब जाते हैं और उनकी गरीबी बढ़ जाती है। हमें आपदा प्रबंधन को केंद्र और राज्यों के बीच लड़ाई का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हमें मिलाकर काम करना होगा। इस विधेयक से राज्य और स्थानीय सरकारों की ताकत कम हो रही है, जो कि सही नहीं है। हमें सभी को साथ लेकर चलना होगा।

महोदया, यह विधेयक हमें एक साथ आने और आपदाओं से लड़ने के लिए तैयार नहीं करता है। हमें एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जहां केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करें और प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाएं। हमें एक ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत है जहां किसानों, मजदूरों और अन्य कमजोर वर्गों को पर्याप्त मुआवज़ा मिले। यह विधेयक आपदा प्रबंधन के मूल उद्देश्यों को खोखला करता है। आंकड़ों और तथ्यों से स्पष्ट है कि हमारा देश जलवायु परिवर्तन की भयावह वास्तविकता का सामना कर रहा है और यह समय है कि हम इसे गंभीरता से लें। आपदाएं सिर्फ संकट नहीं हैं, बल्कि उन जिंदगियों की कहानी हैं जो उजड़ गई हैं। उन किसानों की कहानी हैं जो कर्ज में डूब गए और उन परिवारों की कहानी हैं जिन्होंने अपने घर खो दिए। यह विधेयक न केवल समाधान देने में विफल है, बल्कि उन कमजोर वर्गों के साथ अन्याय करता है जो इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अगर हम आज सही निर्णय नहीं लेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। हमें एक ऐसा कानून चाहिए जो सभी को साथ लेकर चले, आपदाओं से मजबूती से निपटे और पीड़ितों को न्याय दिलाए। सरकार को इस विधेयक को वापस लाकर एक ऐसा प्रावधान लाना चाहिए जो हर नागरिक को सुरक्षा और सम्मान दे। यह विधेयक नहीं, बल्कि हमारे देशवासियों का भविष्य दांव पर है। धन्यवाद।

(इति)

(1545/RV/RP)

1545 बजे

श्री छोटेलाल (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदया, आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। समाजवादी, 'पीडीए' के मसीहा माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से, संगठन की तरफ से मुझे इस विधेयक पर बोलने का जो मौका मिला है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदया, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निष्क्रिय है। जिस हिसाब से काम करना चाहिए, उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। इस विधेयक में बताया गया है कि इसके अध्यक्ष माननीय प्रधान मंत्री होते हैं। इसमें 9 सदस्य होते हैं और एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। इसके उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। जो अन्य 9 सदस्य होते हैं, उन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त है। अब इनको काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि माननीय सदस्यों को यह पद न देकर, मंत्रियों को ये पद दिए गए हैं। वे इसके लिए कहां खाली हैं? वे तो अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस प्राधिकरण में ज्यादा नौकरशाही है। इसमें सिर्फ नीचे का दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस वजह से निर्णय लेने का काम केन्द्र में होता है और स्थानीय अधिकारियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इससे आपदाओं के दौरान प्रतिक्रिया देरी से होती है।

इस अधिनियम में 'आपदा' और 'विपत्ति' जैसे शब्दों की परिभाषाएं साफ नहीं हैं। आपदाओं के दौरान जरूरत को पूरा करने के लिए आवंटित धन कम प्राप्त होता है। इसमें धन नहीं है। अगर धन को बढ़ाया जाएगा, तभी कोई कार्य हो पाएगा। इससे प्रक्रिया और रिकवरी में देरी होती है।

इस अधिनियम में आपदा-प्रवण क्षेत्र की घोषणा के प्रावधान का अभाव है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को साल 2004 के सुनामी के हमले के बाद पारित किया गया था। इसका मकसद आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को सूचित करना था, किन्तु आपदा प्रबंधन एक खोखली कल्पना साबित हो रही है। केन्द्र में इस सरकार को आए हुए दस साल हो चुके हैं, लेकिन यह कार्य अभी तक नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम आपके माध्यम से कुछ मांगें रखना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आपदा संबंधित कुछ बातों की ओर आकर्षित कर रहा हूं।

सरकार द्वारा घोषित 50,000 रुपये के बीमा की राशि को और बढ़ाते हुए इसे 20 लाख रुपये की जाए।

सभी आपदा मित्र एवं आपदा सखी को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कर्मचारी घोषित किया जाए। सभी आपदा मित्र एवं आपदा सखी को न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये की गारंटी दी जाए। सभी आपदा मित्र एवं आपदा सखी को स्वास्थ्य बीमा ई.एस.आई., पी.एफ. सहित अन्य सुविधाएं देकर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाए।

किसी प्रकार की भी आपदा की जानकारी एवं सूचना के लिए स्मार्ट फोन्स दिए जाएं। सभी आपदा मित्र एवं आपदा सखी की सेवा पंजिका निर्मित की जाए। अन्य राज्यों की भाँति बारह दिवसीय प्रशिक्षण के लिए 400 रुपये प्रति दिन के हिसाब से 4,800 रुपये का उन्हें तत्काल भुगतान किया

जाए। अन्य राज्यों की भाँति अब तक जितने दिवसों की ड्यूटी करायी गयी है, उसके लिए 800 रुपये प्रति दिन के हिसाब से तत्काल भुगतान किया जाए।

अभी तक जितने भी आपदा मित्रों एवं आपदा सखियों ने अपनी जानें गंवाई हैं, उनके आश्रितों को 20 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाए। अभी तक जान गंवाने वाले आपदा मित्रों एवं आपदा सखियों को 'शहीद' का दर्जा देकर सम्मानित किया जाए।

सरकार द्वारा प्रशिक्षित आपदा मित्र एवं आपदा सखी को प्रशिक्षण के उपरान्त 15,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। आपदा जागरूकता, आपदा कार्य को सरकार अन्य माध्यमों से संचालित कर रही है। उसे आपदा मित्र एवं आपदा सखी के माध्यम से संचालित किया जाए।

(1550/GG/NKL)

सभी आपदा मित्र एवं आपदा सखी के लिए जिला एवं तहसील स्तर पर आपदा मित्र कार्यालय बनाया जाए। किसी प्रकार की आपदा में फंसे व्यक्ति को सुरक्षित निकालने के लिए तहसील स्तर पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाए एवं समय-समय पर प्रशिक्षित किया जाए। अभी तक पांच लाख रुपये की बीमा स्लिप को जो आपदा मित्र और आपदा सखी पाने से वंचित रह गई है, कृपया उन आपदा मित्र और आपदा सखी को पांच लाख रुपये की बीमा स्लिप तत्काल दी जाए।

आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक सुधारना पड़ेगा। जो हमने बोला, सदन में लागू करवाना पड़ेगा। जरा भी प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी सुन लेंगे तो लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा।

मैडम, यह अधिनियम राष्ट्रीय स्तर के कई संगठनों की स्थापना करता है, हालांकि इनके बीच सहयोग में कठिनाई होती है, क्योंकि उनके कार्य समान दिखाई देते हैं। स्थानीय अधिकारी को निर्देशित करने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है, इस तथ्य के बावजूद कि वह किसी भी आपदा के मद्देनज़र पहले उत्तरदाताओं के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने, इस तथ्य के बावजूद कि अधिनियम में जिला स्तर पर भी आपदा प्राधिकरण का गठन है, किंतु आपसी तालमेल न होने के कारण आपदा प्रबंधन में कठिनाई उत्पन्न होती है। एनडीएमए के पास प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां नहीं हैं, इसलिए सभी फैसले गृह मंत्रालय के जरिए लिए जाते हैं, जिससे देरी और अकुशलता होती है। अधिनियम में कुछ प्रमुख शब्दों को ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है, इससे स्थानीय समुदायों को कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब आपदाएं लंबे समय तक चलती हैं, जैसे सूखा भी होता है, जैसे रोपाई करने के बाद भी किसान का धान सूख जाता है, धान नहीं हो पाता है। इसलिए अधिनियम में शक्ति विभाजन की वजह से सरकार की प्रतिक्रिया में देरी होती है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि सरकार को जमीनी स्तर पर हो रहे घटनाक्रमों की जानकारी नहीं मिल पाती है।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो इस तरह की कमियां हैं, जिनको आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2024 में सुधारा जा रहा है, इसमें बहुत अच्छे ढंग से सुधारा जाए।

मैं आपके माध्यम से बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।

धन्यवाद। जय अखिलेश यादव, जय समाजवादी पार्टी। (इति)

1553 hours

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Thank you, Madam Chairperson, Shrimati Sandhya Ray ji, for giving me this opportunity.

It is very unfortunate that while we are discussing on the Disaster Management (Amendment) Bill, 2024, in the whole first row, except Shri Sudip Bandyopadhyay ji here and Shri Manohar Lal ji there, not even a single leader is present. … (*Interruptions*) Shri Amit Shah was supposed to have piloted the Bill. He is also not there, leave alone Mr. Modi. Shri Nityanand Rai is at the second bench. So, this Bill has been relegated to the second bench, and not to the first bench.

Sir, this Bill is the product of the Bill brought by the UPA-I in 2005. A taskforce was formed in 2011. Then, the COVID-19 Pandemic came, and one Expert Committee was formed in 2020. After that, the Bill has now come. So, the Bill has been long delayed, which is the failure of the Government.

Madam, in this world, on this planet Earth of ours, we are constantly faced with disasters. The first and the most important are the natural disasters like floods, forest fires, landslides, earthquakes, etc. We all have seen the recent landslides in Wayanad, Kerala.

(1555/VR/MY)

Earlier we saw earthquakes in Bhuj, Gujarat and in Latur, Maharashtra. But there are also man-made disasters due to nuclear explosions. First were the Hiroshima and Nagasaki when men dropped bombs on men. Then, there is nuclear danger which is there in our country also. There has been the Chernobyl disaster in the Soviet Union where radioactive particles leaked. Then, The Three Mile Island in USA where there are many atomic reactors. We have to be careful about that. Lastly, there are volcanic eruptions. They are still taking place in Iceland, in Indonesia.

As human beings, we can prevent the man-made disasters, but we cannot prevent the natural disasters, but we create natural disasters. Like, Madam, you will be interested in reading a book called *The Great Derangement* by Amitabh Ghosh wherein he points out how human beings are driving this earth to natural disaster.

Look at Sundarbans in our State of West Bengal where mangroves are being cut. When mangroves are cut, the storm from the sea would come inland

and touch the city of Calcutta. I spoke several times in the House about this. But Mr. Bhupender Yadav, the Environment Minster said, 'No, I am busy with elections in Maharashtra. I do not have time to look into it.' The problem is that nobody cares in this country.

Look at the COVID-19 pandemic. In the first wave of COVID-19, the Government said that they were preparing for it. The Prime Minister said, 'थाली बजाओ, ताली बजाओ, बत्ती जलाओ'*....(Interruptions)* Then, we started manufacturing vaccines, first in Pune by the Serum Institute, and then in Hyderabad by Bharati Biotech. Then, suddenly our Prime Minister decided to become *Vishwaguru*. *....(Interruptions)* He said that we would export vaccines to all countries. We exported about 6.5 crore units of vaccine. When the second wave of COVID-19 struck, we did not have sufficient vaccines, and that is why in the second wave, the COVID-19 killed many, many people. *....(Interruptions)* In Uttar Pradesh, dead bodies were floated in the Ganges or they were laid on the Ganges. *....(Interruptions)* So, I will say that the biggest disaster in this country during Modi's Government was the COVID-19 disaster. *....(Interruptions)*

Madam, basically there is nothing wrong with this Bill. It creates a plethora of organizations. They have a National Disaster Management Authority; they have the State Disaster Management Authorities; they have the Urban Disaster Management Authorities; and they have the District Disaster Management Authorities. So, there are four units and you have the task force under the Crisis Management Committee, which is headed by the Cabinet Secretary itself. So, you have created a huge structure.

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): You are a kind lady, Madam. *....(Interruptions)*

So, they have a plethora of organizations, and because of all this, we have a large number of definitions in the Bill. I would also like you to read Rajdeep Sardesai's book, *2024: The Election that Surprised India*. It gives in detail how the Government failed in mitigation of the COVID-19 disaster.

(1600/SAN/CP)

Lastly, I say that they have brought in a lot of new English terms – disaster risk, evacuation, exposure, recovery, rehabilitation, resilience, urban authorities. By themselves, these words mean nothing. By themselves, these authorities

mean nothing. The question is whether we are able to rise to the challenge of disasters, natural or manmade, whether we can make a perspective plan to prevent disasters and whether we can provide funds to deal with disasters.

My young friend, Sayani Ghosh, gave me some facts. Look at how this Government deals with disasters in the Opposition-ruled State of West Bengal. In West Bengal, we had Bulbul Cyclone. We asked for Rs. 6,516 crore, but we got only Rs. 1,090 crore. We had Amphan Cyclone. We asked for Rs. 32,768 crore, but we got only Rs. 3,760 crore. When there occurred Yaas Cyclone, we asked for Rs. 4,222 crore and we got only Rs. 526 crore. This Government is discriminating even in the matter of giving assistance in the case of natural disasters.

Ours is a country which is prone to natural disasters. We have a long coastline. Especially in the East coast, there are cyclones very often originating in the Bay of Bengal. In Odisha, Shri Naveen Patnaik showed how people could be evacuated in time. During the time of Yaas Cyclone, our Chief Minister, Mamata Banerjee, was able to shift people to prevent the loss of lives.

Shri Nityanand Rai ji, your senior Minister, Amit Shah ji is not here. I do hope that you will assure the House that there will be no further discrimination in the matter of distribution of aid.

(ends)

HON. CHAIRPERSON (SHRIMATI SANDHYA RAY): Hon. Member K. Navaskani ji.

(1600-1610/SAN/CP)
1603 hours

*SHRI NAVASKANI K. (RAMANATHAPURAM): Hon Chairperson, Vanakkam. I thank you for allowing me to take part in the discussion on Disaster Management Amendment Bill, 2024. Disaster Management is a work that should be undertaken as per the needs of an emergency situation. This is a work to be undertaken by the State Government with the cooperation of the Union Government. The geographical nature of each and every State of India differ and it would be apt that if the management of Disasters should therefore be given under the control of the State Governments concerned. But this Bill is aimed to snatch away the rights of the States and leading to centralisation of powers with the Union Government. This is therefore against the federal structure. This Bill provides more powers to the Union which will again create a state of confusion. More powers will end in increased confusion which will be interfering in the execution of the rescue and relief measures during disasters. That too, at times of disasters, these confusion will result in heavy damage. The database that will be created through this Bill, Union Government will have the power to decide on issues like fund allocation, assessment of disaster, allocation of funds and incurred expenditure. In the past we faced several such disasters. We have even witnessed that how the Union Government had allocated funds during such times of disaster. Even during disasters, this Nation has witnessed the shameful act of the Government. In the States that are ruled by BJP and their allies, when disasters happen, adequate funds are allocated. And for the States ruled by the Opposition parties, the Union Government allocates fund in a partisan manner. Entire nation has witnessed such partisan nature of the present Government. When floods played havoc in the southern districts of Tamil Nadu last year, the State Government of Tamil Nadu demanded an amount as flood relief package from the Union Government. Till date that demand is unfulfilled. Hon Union Minister of Finance visited the affected areas. Teams of Officials from the Union Government too visited the affected areas in Tamil Nadu. Union Government had even accepted that devastation was huge. The amount of relief that was demanded by our Hon Chief Minister of Tamil Nadu has not been released yet. Till 1 October 2024, 14 States in India were affected by cyclones and floods. Flood relief assistance was provided to some States. Gujarat was provided Rs 600 Crore. Maharashtra got Rs 1492 Crore and even Andhra Pradesh received an amount of Rs 1200 Crore. But Tamil Nadu and Kerala did not receive even a single rupee from the Disaster Relief Fund. We have been ignored by the Union Government. If that is so, how can we agree to the provision providing all powers to the Union Government? Even now, Tiruvannamalai, Viluppuram, Krishnagiri, Kallakkurichi, Cuddalore and Dharmapuri districts of Tamil Nadu are affected due to Fengal cyclone. But what is the action taken by the Union Government in this regard? What is the fund allocated to mitigate the effect of this cyclone? Union Government has given a written reply to the question raised by our Tamil Nadu MPs. It was stated that no fund was provided to Tamil Nadu from Disaster Relief Fund. Even though an amount of Rs 1760 Crore was allocated to Tamil Nadu, not even the first instalment was released to the State of Tamil Nadu. At the same time, States like Andhra Pradesh, Bihar, Assam and Telangana have even received the second instalment of the Disaster Relief Fund from the Union Government. As many as 37 people have died in Tamil Nadu due to floods and rains. As many as 870 houses were damaged and 5521 livestock have died. This was the data of the Union Government. IT has accepted in the Parliament that several thousands of acres of cultivable land was affected. Hon Union Minister of Finance has in her reply stated that Rs 276 Crore has been provided only from the National Disaster Relief Fund. But Maharashtra which is ruled by BJP has been provided Rs 2984 Crore, the highest such allocation in the country. Uttar Pradesh has received Rs 1748 Crore as an instalment. So far several

---

*Original in Tamil

States have received Rs 14,878 Crore from the Union Government under the State Disaster Relief Fund. But not even a single rupee was released for Tamil Nadu. How is it justified? The politics of BJP over disaster is worse than the disaster itself. Our Hon Chief Minister of Tamil Nadu had met Hon Prime Minister several times and have requested for release of funds. Our Hon Finance Minister of Tamil Nadu and Hon. Ministers of all other States have even met our Hon Union Finance Minister and put forth their demands in this regard. Even an all-party delegation of MPs met Hon Union Minister of Home Affairs and placed before him our genuine demands. They even gave an assurance for release of funds within a prescribed date but that assurance was not even fulfilled by the Union Government. That is why we say that the Union Government is behaving in a partisan manner which is against the federal structure of our country. All the States of our country should be treated as one and the same by the Union. When a cyclone struck Odisha in 1999, an assurance was given that such a disaster will not recur and necessary preventive measures will be undertaken. In the year 2001 when earthquake shattered Gujarat and took away precious lives, this Government said that it will act with caution in future. Thereafter in 2004, when Tsunami caused huge spread devastation along the coastal areas of our country, Government gave an assurance to improve the management of disaster. But even after 20 years since 2004, Fengal cyclone has caused wide spread devastation. Disasters continue to teach us the lessons. But this Bill is showing interest for accumulation of powers with the Union Government. Rather this Bill has created fear that we have learnt any lessons taught by past disasters. Section 46 Subsection 1 of the Bill, is directionless and it deviates from the work done by National Disaster Response Force NDRF earlier. If a disaster strikes and people are clueless of what to do, instead of taking precautionary measures we will be forced to wait for the proposed procedure as detailed in this Bill. During every disaster, can we wait for the approval of the Union Government for executing immediate and instant action? This Bill gives extraordinary powers to the Union Government to control the funds of the NDRF which will be destructive to the management of disaster as such. Section 41 (A) of the Bill talks about Urban Disaster Management Funds. Urban Local Bodies do not have freedom to handle such funds by themselves. The Urban Local Bodies, which contribute to 60 percent of the GDP, are being provided only 0.6 %. This is unacceptable. This Government should review more on the work that are to be undertaken to prevent disaster rather the work done at the time of disaster. The normal life of our people will be in the midst of disasters, as cautioned in the Report of the IPCC, Geneva. Heavy rains and floods that devastated Germany and Belgium could not even be predicted by the technological experts well in advance. We need to discuss about these aspects of technological failure as well. Therefore we should work and improve upon the early warning systems about natural disasters and as per the Report of IPCC, Geneva, we need to act upon swiftly to undertake preventive measures in this regard. But at this time of caution and action, the Union Government has been implementing hydrocarbon projects, thermal power projects, coal and uranium mining projects. The shortcomings of this Bill should be addressed and rectified. Such a provision aimed to bring all the powers with the Union Government should be changed. This Bill should not snatch away the powers of the State Government. Union Government collects GST and all types of taxes even during disaster like situations. I urge that the Union Government should also immediately release funds to the State Governments which are required to carry out the relief measures during natural disasters.

(ends)

1611 hours

CAPTAIN VIRIATO FERNANDES (SOUTH GOA): Thank you, Madam Chairperson. At the outset, I would like to thank our Party leadership for giving me an opportunity to speak on this very important subject, disaster management.

Now, we have to go back to 2004 for the genesis of Disaster Management Bill. On 26 December, 2004, there was a huge disaster in the form of a major earthquake that happened on the West Coast of Sumatra, Indonesia in the Indian Ocean. The earthquake was massive, which triggered a number of Tsunamis. It affected 14 countries and over 2,80,000 people lost their lives.

1612 hours (Shri Jagdambika Pal *in the Chair*)

Now, I am telling this from my personal experience. I was in the Indian Navy. I was posted in Port Blair when this huge Tsunami occurred. That was a first of its kind. There was a Tri-Services Integrated Command in Port Blair consisting of Navy, Army, Air Force including the Coast Guard. The Armed Forces came to the rescue of the people. They were not prepared, but with innovation and whatever resilience is there in the Armed Forces, thousands of people were evacuated from various islands of the Andaman & Nicobar Islands.

I am stating this because I was involved during the rescue operations. Hence, when I look at the Bill that has been introduced, there is a serious requirement of going to the drawing board. Why I am saying so? I will let you know.

Before I go ahead, we are speaking about a holistic approach whenever there is a disaster, and it is mentioned in the Bill also. In 2004, when the disaster happened, the then Prime Minister, Dr. Manmohan Singh and the then NAC Chairperson, Shrimati Sonia Gandhi flew to Port Blair and told the Armed Forces and the people that, "The nation stands with you. There will be no stone left unturned. We will do all that is required for the rescue operations". This is the kind of support required right from the top.

If we look at the Bill, on page no. 15, paras 2 and 4 of the Statement of Objects and Reasons: "… for undertaking a holistic, coordinated and prompt response to any disaster or threatening disaster situation.".

(1615/UB/KDS)

However, on page 7, line 38, instead of making it holistic, it talks about creation of urban and local authorities. Now, this is where you are contradicting the holistic approach. You have a Command-in--Control at one place, which means, you will require equipment, you require logistic support, you require medical support, machinery, and generators at one place and we are trying to fight or manage a disaster at some other place.

I will give a simple example. In my State, in Vasco da Gama, the State Government has identified two nodal agencies, Goa Shipyard Limited and Mormugao Port Authority, along with the Indian Navy as part of the disaster management. Now, there itself, within a range of five kilometres, there are chemical tanks belonging to Zuari Agro, which is now Paradeep Phosphates. God forbid, if these tanks explode, neither MPD nor Goa Shipyard Limited will be able to extend support.

Similarly, there is a second airport at Mopa, which is at extreme north. How are we going to take the equipment and machinery from Vasco da Gama, from extreme south to extreme north? I would request the hon. Minister to have a look. I can also give inputs on this.

The Bill talks about ‘threatening situations’. Now, what are the ‘threatening situations’? What is happening in my State? There is reckless cutting of hills leading to landslides. It is happening in Uttarakhand. It is happening in other States. It has happened in Wayanad. Cutting of forests, cutting of trees, diversion of rivers, including river Madhai, and dredging of rivers, mean you are harming the ecology. There is filling of low-lying areas, illegal sand mining, illegal quarrying, and cutting of mangroves. Mangrove is the first line of defence in case of a tsunami or floods.

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): Please conclude and speak on the Bill. Time is limited. There are so many hon. Members of Parliament to speak.

CAPTAIN VIRIATO FERNANDES (SOUTH GOA): It is mentioned in the Bill – learning from past disasters and experience during the implementation of the Act, the Disaster Management Act, 2005, has been reviewed in consultation with all stakeholders including the State Governments. Sir, who is the real

stakeholder? It is the farmer, it is the fisherman, it is the tribal people, and it is the villager. They know what actually is going to happen and how to tackle a disaster.

HON. CHAIRPERSON: Kindly put your demands. Please conclude.

CAPTAIN VIRIATO FERNANDES (SOUTH GOA): Sir, in 2004, 24 hours before the tsunami, the primitive tribe called Jarawa climbed up the hill on higher altitude. After the tsunami, when the scientists went to Port Blair, they wanted to know, 24 घंटे पहले, ये जारवाज़ ऊपर कैसे गए? उन्हें कैसे पता चला की सुनामी आने वाली है? These are the indigenous people who have local knowledge, and today, we are displacing the indigenous people instead of tapping their knowledge to do a better disaster management.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

CAPTAIN VIRIATO FERNANDES (SOUTH GOA): We are talking about creation of a database. Database should have the details of the terrain and places where there is likelihood of landslide. There should be no development zone. We cannot allow construction in 'no development zones'. This is an impending danger where disaster is going to happen.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude in one minute.

CAPTAIN VIRIATO FERNANDES (SOUTH GOA): We have seen the disasters in Wayanad, Gujarat, Bihar, and in so many places. The same reason is there that we are not serious about tackling the disasters.

I am now coming directly to my State where the disaster is happening.

(1620/SRG/MK)

Now, three linear projects are directly impacting the rivers, hills, low-lying fields. For what and to benefit whom? We are only transporting coal. Coal becomes a bigger danger. It is going to become a bigger disaster.

Finally, before I conclude, I would like to say about the expansion of national highways. What are we doing? We have to be a little careful. In a village called Bhoma in Ponda Taluka, we are going to destroy four temples, including an ancient lake. For what? It is only to transport coal and benefit one and only *… (Not recorded)*.

Thank you.

(ends)

1620 बजे

श्री अरुण गोविल (मेरठ) : धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज हम यहां पर आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पर डिस्कशन कर रहे हैं। अभी-अभी हमारे एक माननीय सांसद जी ने कहा, यहां पर सभी ने प्राकृतिक आपदाओं की बात की, उन्होंने कहा कि आपदाएं प्राकृतिक ही नहीं बल्कि मैन मेड भी होती हैं।

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : माननीय सदस्य, वक्ताओं की सूची बहुत लंबी है, इसलिए कृपया अपनी बात को पांच मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री अरुण गोविल (मेरठ) : जी सर, मैं पांच मिनट में अपनी बात कह दूंगा। उन्होंने कहा कि आपदाएं मैन मेड भी होती हैं। मैं उनसे एग्री करता हूं। हमारे यहां संसद में रोज एक मैन मेड आपदा होती है। कुछ माननीय सांसद जैसे ही लोक सभा चलती है, वे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, नारे लगाते हैं, वेल में उतर आते हैं, दूसरे सांसदों पर पर्सनल टीका-टिप्पणी करते हैं और नारी शक्ति का अपमान करते हैं। क्या यह आपदा नहीं है?

सर, यह मेरे लिए बहुत बड़ी आपदा है। आपदा वह होती है, जिसमें नुकसान होता है, संसद की गरिमा का नुकसान होता है, पैसों का नुकसान होता है और समय का नुकसान होता है। जो लोग देखने आते हैं, मुझे बहुत सारे लोग मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि अब हम कभी संसद में नहीं जाएंगे। यह आपदा है।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है और अनुरोध है कि अगर आप इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाल देंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। मैं यहां नया सांसद बनकर आया हूं। मुझे कुछ ही महीने हुए हैं।

माननीय सभापति: संसद में अच्छी चर्चा होती है और आप अच्छी चर्चा में भाग ले रहे हैं। इसलिए, इस बात को पूरा देश महसूस करता है।

श्री अरुण गोविल (मेरठ) : धन्यवाद सभापति महोदय। हमारे यहां आपदाओं का इतिहास पुराना नहीं है। पहले अंग्रेजों के जमाने में प्लेग होता था, लेकिन उस समय राहत और मैनेजमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं था। पहली बार भारत में वर्ष 2004 में आई विनाशकारी सुनामी के बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 लागू किया गया था। हालांकि, इस तरह के कानून का विचार वर्ष 1999 में ओडिशा में आए सुपर साइक्लोन के बाद से ही चल रहा था। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर एनडीएमए और राज्य स्तर पर एसडीएमए, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान बनाया गया। इस अधिनियम के बाद वर्ष 2009 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति और वर्ष 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना बनाई गई। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के क्षेत्र में कितना महान काम किया है, यह इस बात से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1999 में ओडिशा में आए भयानक तूफान में जहां 10,000 लोग मर गए थे, वहीं वर्ष 2021 में ओडिशा में ही आए यास नाम के तूफान में, जहां तूफान की रफ्तार 165 किलोमीटर के लगभग थी, वहां सरकार, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, प्रशासन तथा सिस्टम सब के सब एलर्ट मोड में थे। संपत्ति का नुकसान तो हुआ, लेकिन मृत्यु केवल दो

लोगों की हुई। यदि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार न होती तो हम यह सोचकर सिहर जाते हैं कि यास तूफान से 2021 में कितनी भीषण जनहानि होती।

एनडीआरएफ द्वारा आपदा राहत का एक उत्तम उदाहरण पिछले साल उत्तरकाशी जिले की सिलक्यारा सुरंग में 41 श्रमिकों के फंसने के बाद किया गया राहत कार्य है। पूरा देश भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि श्रमिकों की जान बच जाए, लेकिन उम्मीद न के बराबर थी। लेकिन, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे बचाव राहत कार्य पर स्वयं निगाह रखी तथा एक असंभव राहत कार्य को अंजाम देते हुए 41 श्रमिकों की जान बचाई। सिलक्यारा सुरंग राहत कार्य से पूरी दुनिया हैरान हो गई थी। इससे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता का भी पता चलता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता तथा भारत के आज तक के सबसे लोकप्रिय गृहमंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में आपदाओं की गंभीरता को महसूस करते हुए 1 अगस्त, 2024 को लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया था। इस बिल के अनुसार आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम, 2005 के संस्थागत तंत्र पर विशेष ध्यान देने तथा साथ ही उसके लागू किए जाने की प्रक्रिया पर लगातार निगरानी पर बल दिया गया है। इसके लगभग दो दशक बाद इस पूरे सिस्टम की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की गई। बिल में बहुत अच्छा प्रावधान है। केंद्र, राज्य तथा जिला स्तर पर आपदा का आकलन व समाधान करने की शक्तियां दी गई हैं।

(1625/SJN/RCP)

अब अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राज्य की राजधानियों तथा उस राज्य में स्थित नगर निगम और नगर पालिकाओं के लिए भी काम करेगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिसर्स के साथ जुड़ने से मैनजमेंट बेहतर होगा, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा, because they know the place, its ins and outs and its problems. यह विधेयक राज्य सरकारों की स्थानीय प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए परिभाषित कामों तथा सर्विस कंडीशन के साथ राज्य आपदा प्रतिक्रिया बनाने का अधिकार देता है।

इस बिल की एक बहुत अच्छी बात यह है कि सभी मौजूदा समितियों जैसे राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तरीय समिति को वैधानिक दर्जा दिया जा रहा है। एनडीएमए के आपदा मित्र, आपदा सखी जैसी स्कीम्स बहुत ही उपयोगी साबित हो रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के शब्दों में कहा जाए, तो आपदा मित्र के रूप में युवा जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। जहां कोई आपदा आती है, तो लोग पीड़ित नहीं रहते, वॉलंटियर्स आपदा का मुकाबला करते हैं, यानी आपदा प्रबंधन अब कोई सरकारी काम नहीं है। ये सबके प्रयास का एक मॉडल बन गया है।

महोदय, बॉटम लाइन यह है कि आपदा प्रबंधन विधेयक और इसमें जो भी संशोधन किए गए हैं, वे सभी आपदा पीड़ितों के लिए सकारात्मक साबित होंगे और आपदाओं से निपटने के लिए बहुत ही सक्षम होंगे। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करने जैसा ऐतिहिसिक कदम उठाने वाले देश के जनप्रिय गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बिल का मैं समर्थन करता हूं।

जय श्री राम। (इति)

1626 बजे

श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर (संगरूर) : सभापति जी, आपने नए एक्ट में एनडीएमए और एसडीएमए की सहायता के लिए यूडीएमए एड कर दिया है। जब अलग-अलग राज्यों के लिए फंड्स का एलोकेशन होता है, तब सबसे बड़ी दिक्कत होती है। मुझे लगता है कि जैसे हमने जीएसटी पर कमेटी बनाई है, उसमें हर राज्य का प्रतिनिधित्व होता है। मुझे लगता है कि जब डिजास्टर के लिए फंड्स का एलोकेशन हो, तो उसमें भी राज्यों का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। जैसे वर्ष 2023 में बाढ़ आई थी।

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : मंत्री जी, अब तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना रहे हैं।

… (व्यवधान)

श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर (संगरूर) : सभापति जी, फंड्स एलोकेशन में सभी राज्यों की प्रतिनिधित्व नहीं है। जैसे वर्ष 2023 में बाढ़ आई थी, तब हिमाचल प्रदेश में भी नुकसान हुआ, बिहार में भी नुकसान हुआ और पंजाब में भी नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ था, हिमाचल में हुई बारिश का पानी वहां तो रुकेगा नहीं, जो मैदान का इलाका है, पूरा का पूरा पानी पंजाब में गया, जिससे हमारा ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन जो स्पेशल पैकेज था, वह बिहार को मिल गया। मैं सरकार की मजबूरी समझता हूं कि केन्द्र में जिस पार्टी की सरकार होती है, अगर स्टेट में उसकी पार्टी की सरकार होगी, तो उसको ज्यादा फंड्स मिलेंगे। अगर कोई कमेटी बने, तो मुझे लगता है कि एक समान फंड्स मिल सकते हैं।

दूसरा, जो एसडीआरएफ है, पंजाब के पास ऑलरेडी तकरीबन 9,000 करोड़ रुपये थे, लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि नॉर्म्स इतने पुराने थे, उसमें रेट्स इतने कम थे, जिससे लोगों और पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई फायदा नहीं पहुंच सका। उदाहरण के तौर पर अगर एक भैंस का रेट 37,500 रुपये है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पंजाब में कहीं पर भी 1,00,000 रुपये से कम में भैंस नहीं मिलेगी। हमने उसके लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया था कि नॉर्म्स में तब्दीली कीजिए। तब्दीली की भी गई, लेकिन उसमें लिख दिया गया कि 14.08.2024 के बाद हम इसको लागू करेंगे, लेकिन बाढ़ तो वर्ष 2023 में आई। नुकसान वर्ष 2023 में हुआ है, हम उसका क्या करें? 1,600 करोड़ रुपये का नुकसान केवल और केवल पब्लिक प्रॉपर्टी का हो गया। मेरे पास इरिगेशन विभाग था। मैं पंजाब सरकार में मंत्री था। 200 करोड़ रुपये का नुकसान केवल और केवल इरिगेशन विभाग में था।

मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो नए नॉर्म्स हैं, वर्ष 2023 में जो नुकसान हुआ है, उसके हिसाब से उसकी भरपाई की जाए। हमने इसमें सूखे को एड कर लिया, भूकंप को एड कर लिया, बाढ़ को एड कर लिया, पेस्ट अटैक को एड कर लिया, लेकिन मैं मंत्री जी यह

आग्रह करूंगा कि जो लाइवस्टॉक डिसीजेज़ हैं, उनको भी एड किया जाए। जैसे पंजाब में लंपी नामक स्किन डिसीज आई थी, उसकी वजह से तकरीबन 18,000 गायों की मृत्यु हो गई थी। उसको भी शामिल किया जाए।

सभापति जी, मैं पंजाब के प्वाइंट ऑफ व्यू से कुछ कहना चाहूंगा। वहां पहले पांच दरिया थे, जो पाकिस्तान में चले गए। अभी भी रावी, सतलुज, व्यास और घग्गर नदियां पंजाब में हैं। ये चार दरियां हैं। इन पर धुस्सी बांध बनाने के लिए बहुत से फंड्स की जरूरत है। पंजाब के माननीय गवर्नर हैं, वे सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करते हैं। वहां पर उन्हें बीएसएफ के लोग भी मिलते हैं और आर्मी के लोग भी मिलते हैं। चूंकि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, बीएसएफ और आर्मी ने भी कहा है कि वहां पर धुस्सी बांध है, उसको बनाया जाए। पिछले साल पंजाब सरकार ने इसका एस्टीमेट बनाकर केन्द्र सरकार के पास भेज दिया था, उसका बजट 180 करोड़ रुपये का है।

(1630-1635/SPS/PS)

उसमें 40 परसेंट शेयरिंग पंजाब की होगी और बाकी शेयरिंग केन्द्र सरकार की होगी, लेकिन पिछले एक साल से वह फण्ड पंजाब को नहीं मिल रहा है। उसके मिलने से किसानों का फायदा होगा और हमारा बॉर्डर भी मजबूत होगा। मेरा लोक सभा क्षेत्र संगरूर है। वहां घग्गर दरिया गुजरता है। यह दिक्कत आ रही है कि वहां हजारों किसानों की करोड़ों रुपये की फसल बर्बाद हो जाती है। मुद्दा वही है कि हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर वह दरिया है। हम जमीन एक्वायर के लिए तैयार हैं, लेकिन हरियाणा से हमें एनओसी नहीं मिल रही है।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि वहां पर दोनों राज्यों को बैठाकर कोई सॉल्यूशन निकाला जाए, ताकि खनौरी, संगरूर में पंजाब के हजारों किसानों की जो जमीन बर्बाद होती है और जो फसल का नुकसान होता है, उसको हम रोक सकें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1631 hours

*SHRI SUBBARAYAN K. (TIRUPPUR): Hon Speaker Sir, Vanakkam. If a legislation is enacted, that Bill should be able to fulfil the aspirations of the people. This proposed Bill does not provide any solutions to mitigate the sufferings of the people who faced severe losses due of disasters. Hence this Bill is not a welcome step. I oppose this Bill as it is not aimed to fulfil the aspirations of the people who are otherwise affected by natural disasters in one way or other. Present situation is such that the losses that are incurred due to disasters are to be borne by the State Government alone. State Governments are forced to bear that heavy financial burden on their shoulders. Union Government whereas earns a lot of income by way of GST. But at the time of natural disaster, State Governments have shortage of funds to involve in relief and rescue measures. This Bill too is aimed to put such conditions on State Government.

Therefore this Bill is unacceptable. The financial burden should not be put on the shoulders of State Governments. Rather the Union Government should bear 80 per cent of the losses and State Government may bear 20 per cent of the losses incurred due to disaster. But this Bill is not drafted in such a manner protecting the financial well-being of the States. There are no genuine efforts to scientifically find out as to why natural disasters happen in our country. I do not understand why is it so? There are no efforts to prevent these disasters well in advance before they strike us. This Bill does not deliberate upon that aspect as well. This Bill does not contain the procedure or guidelines as to how these disasters can be prevented in future.

Therefore this Bill is not covering the important aspects that are crucial in disaster management. Drought, Heat wave, and other forms of disasters are not listed under the types of disasters. Whichever State is

*Original in Tamil

facing losses, such loss should be compensated. This Bill should address such compensation provision. Then only there would be improvement in the situation. Or otherwise we cannot accept this Bill. Tamil Nadu and Kerala are very much affected by floods. It is all the more painful to say that when Wayanad was severely affected, even the Union Government was not ready to declare that as a disaster. A question arises whether this Government has a heart or not? I urge therefore that as demanded by the State Governments of Tamil Nadu and Kerala, the guaranteed fund should be allocated to these two States enabling to face the fury of the disasters.

I will conclude by saying one thing here. Everyone talked about decentralisation of powers. I can say that this decentralisation of powers is a drama. This is not only for the States. This should be extended up to the local bodies, starting from every Village Panchayat. Local bodies should be able to identify their financial needs and be able to collect funds to meet their needs. Till that is achieved this decentralisation will be mere word play. I conclude my speech. Thank you.

(ends)

1636 बजे

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं पहले कोरोना से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। कोरोना के समय को आप याद कीजिए, चूँकि यहां पर मंत्री जी भी है तो उस समय गंगा नदी के किनारे कितनी लाशें पड़ी थीं। आप उस स्थिति को याद कीजिए। आप स्टेट प्रॉब्लम को याद कीजिए कि वह कैसा डिजास्टर था। केन्द्र ने राज्यों के हाथों को बांध दिया था। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने आपत्ति दर्ज की थी कि आप हमारी पावर को कम कर रहे हैं। डिजास्टर में आप आम लोगों को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते हैं? हमारे समाज के जो लोग है, संस्कृति और शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग है, जो वैज्ञानिक लोग हैं, उनको आप क्यों नहीं इन्वॉल्व करते हैं?

अगर उत्तराखंड में आम लोग इन्वॉल्व होते तो 10 हजार से कम जानें जातीं। मैं चाहता हूँ कि आप पंचायत वाइज, जहां पर लोग बाढ़ या आग से प्रभावित हैं, वहां पर एक कमेटी बनाई जाए, जिसमें सामाजिक लोगों का महत्व हो सके।

कोरोना में प्रभावित 40 हजार लोगों को अभी तक केन्द्र के द्वारा मुआवजा नहीं मिला है। मैं मुआवजे की बात करना चाहूंगा। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जिसमें बिहार अत्यधिक प्रभावित है, मजदूर प्रभावित हैं तथा उत्तर प्रदेश के और पश्चिम बंगाल के लोग प्रभावित हैं।

मैं अटल जी के समय को याद करता हूँ। उनकी एक बहुत बड़ी परियोजना थी। उन्होंने नदियों को जोड़ने की बात कही थी। मैं नदियों को जोड़ने से अपनी बात शुरू करता हूँ। जब हम बाढ़ की या डिजास्टर की बात करते हैं तो हमें अटल जी जरूर याद आते हैं। उनका नदियों को जोड़ने का एक बड़ा निर्णय था, लेकिन हम उस पर अभी तक काम नहीं कर पाए हैं। हम किसी भी नदी का काम नहीं कर पाए हैं, जैसे हमारे इलाके में गंडक नदी है, सप्तकोशी नदी, जो कि नेपाल से आती है, इसी तरह से बूढ़ी गंडक नदी है, महानंदा नदी है, कमला नदी है, कनहर नदी है, सौरा नदी है, गंगा है तो जब हम इन नदियों की बात करते हैं तो उन पर काम होता नहीं दिख रहा है।

दूसरा, आपको याद होगा कि फरक्का बैराज सन् 1974 में बना था। बाढ़ के बाद फरक्का से लेकर भागलपुर तक तथा नौगछिया, मनिहारी वाले इलाके में नदियों का गाद आज तक नहीं निकाला गया है। मीटिंग में नरेन्द्र मोदी जी के सामने नीतीश जी और हम लोग भी थे। हमने इस प्रश्न को उठाया था कि क्या फरक्का का रिहैबिलिटेशन होगा या फिर हम नदियों को और कैसे मजबूत कर सकते हैं, जिसके तहत कोसी नदी पर भीमनगर बैराज बनाने की बात थी। हम भीमनगर का रिहैबिलिटेशन नहीं कर पाए। हम नए भीमनगर की बात नहीं कर रहे हैं।

दूसरा, हमने जयनगर पर एक नया बैराज बनाने का प्रपोजल दिया था। उस प्रपोजल का क्या हुआ? भीमनगर बैराज की बात बहुत लंबे समय से चल रही है। सबसे ज्यादा प्रेशर नेपाल से पड़ता है। नेपाल से बातचीत न होना भी एक चिंता की बात है। हम हाई डैम की बात करेंगे। आपने हमें वर्ष 2026 तक के लिए पत्र लिखा है कि आप वर्ष 2026 तक सारी चीज तैयार कर लेंगे। बिहार में आपदा से निपटने के लिए एक हाई डैम की जरूरत है। भीमनगर बैराज का नवीनीकरण का काम भी है।

इसके अलावा नदियों की सफाई की भी बात है। इतनी बड़ी सरकार होने के बावजूद भी हम लगभग 40 सालों से गाद पर काम नहीं कर पाए हैं।

(1640/RAJ/SM)

हम नदियों की सफाई नहीं कर पाए हैं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : कृपया, आप अपनी बात संक्षिप्त करें। आपको बोलते हुए पांच मिनट हो गए।

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : सर, मैं दो-तीन महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति : गृह राज्य मंत्री आपके राज्य के हैं, तो आप मिल कर भी बात कर सकते हैं।

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : सर, मैं महानंदा एक्सप्रेस वे की बात करूंगा। मैं आलम नगर से नौगछिया, नवीनीकरण और पक्कीकरण की बात करूंगा। मै आपका ध्यान कोसी-महानंदा एक्सप्रेस वे की ओर दिलाना चाहूंगा। मैं आपका ध्यान जानवर, घर और फसल की क्षतिपूर्ति की ओर दिलाना चाहूंगा। जब वहां बाढ़ आती है तो पूर्णिया, किशनगंज, अररिया या सहरसा के इलाके को देख लीजिए। आप कोसी-सीमांचल का जो भी इलाका देखेंगे, तो पाएंगे कि वहां सात बांधे टूटीं। आप गाइड बंध क्यों नहीं बनाते हैं। यदि आप गाइड बंध बनाएंगे तो बेहतर होगा।

माननीय सभापति : कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : सर, मुझे बोलने के लिए दो मिनट का समय दिया जाए।

माननीय सभापति : मैंने आपको बोलने के लिए छः मिनट का समय दिया है।

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : सर, मुझे बोलने के लिए दो मिनट का समय दीजिए।

माननीय सभापति : आप एक मिनट बोलिए।

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : सर, मैं आपसे गाइड बंध के लिए आग्रह करूंगा। सभी नदियों के जो बांध हैं, चाहे वे गंगा हो, महानंदा हो, हम चाहते हैं कि उन सभी बांधों का नवीनीकरण एवं पक्कीकरण हो।

कोसी से निकलने वाली नहर के दोनों किनारों का पक्कीकरण कीजिए, नहर का पक्कीकरण कीजिए।

मैं आपके माध्यम से गांव के सीवरेज की बात करूंगा। बिहार में पुल के नीचे नदियों की जमीन पर, सौरा के बगल में बड़ा अपार्टमेंट बना दिया गया है। वहां नदी से संबंधित कानून को तोड़ दिया गया। माफियाओं ने नदी की जमीन बेच दी। यह पूर्णिया की स्थिति है। हम चाहेंगे कि उनकी इंक्वायरी हो। पूरे बिहार में जहां पर नदियों की जमीन को जमीन माफियाओं ने बेच कर बड़े-बड़े अपार्टमेंट्स एवं मेडिकल हब्स बनाए हैं, आप उन जमीनों को खाली कराएं। आप नदियों के बगल में बनने वाले अपार्टमेंट्स को रोकें। सर, आप हर जिले में एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ को व्यवस्थित करें। हम लोग आग पर कभी बात नहीं करते हैं। (इति)

माननीय सभापति : श्री अनील बलूनी जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : राजेश जी, आपकी कई बातें आ गईं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री अनील बलूनी जी।

... (व्यवधान)

1643 बजे

श्री अनिल बलूनी (गढ़वाल) : मान्यवर, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपदा संशोधन विधेयक, 2024 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except the speech of Shri Anil Baluni.

… (Interruptions) … (Not recorded)

माननीय सभापति : अनिल बलूनी जी, केवल आपकी बात रिकॉर्ड में जाएगी।

… (व्यवधान)

श्री अनिल बलूनी (गढ़वाल) : महोदय, मैं उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से चुन कर आया हूं। हमारा आपदा के साथ बहुत नजदीक का संबंध है। महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हर मौसम में आपदा आती है। पिछले 10 वर्षों के दौरान देश में आपदा प्रबंधन कितना बदला है, यह उत्तराखंड के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। पिछले दस वर्षों के अंदर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत आमूलचूल परिवर्तन आया है।…(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : सर, मैं यह दे दूं।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप उसे माननीय मंत्री जी को भेज दीजिए।

श्री अनिल बलूनी (गढ़वाल) : महोदय, जब बरसात का मौसम आता है तो पूरा देश और पूरा विश्व टीवी चैनल्स के माध्यम से उत्तराखंड के बाढ़ के भयंकर रूप को देखता है। लैंड स्लाइड में कई-कई किलोमीटर सड़कें चली जाती हैं। हम लोगों के यहां बादल फटने की घटना आम है। हम लोगों के लिए बरसात का मौसम परेशानियां लेकर आता है।

1645 बजे (श्रीमती संध्या राय पीठासीन हुईं)

महोदय, अभी बरसात के मौसम के घाव समाप्त भी नहीं हुए होते हैं कि शीत ऋतु आ जाती है। हमारे यहां अत्यधिक बर्फबारी होती है। बर्फबारी में सैकड़ों गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट जाता है। जब बर्फबारी होती है, तो पानी की लाइन जम जाती है और बाद में फट जाती है।

(1645/KN/RP)

उसके कारण जल की आपूर्ति बंद हो जाती है, विद्युत की आपूर्ति बंद हो जाती है और बहुत बड़ा भू-भाग आपदाग्रस्त हो जाता है।

महोदया, जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है, तो हमारे यहां चीड़ का जंगल होता है, चीड़ के जो पत्ते होते हैं, वे बहुत ही ज्वलनशील होते हैं और कई-कई किलोमीटर लम्बा जंगल जलकर राख हो जाता है। इन सभी आपदाओं में जान-माल का नुकसान होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, जैव विविधता को नुकसान होता है। जब जंगल में आग लगती है तो लोगों के घर और गांव तो जलते हैं, साथ में वन्य जीवों का भी बहुत भारी नुकसान होता है। आपदा के समय में हम लोग

लगातार आपदा से डरते रहें और अगर पिछले दस सालों को छोड़ दें तो उसके पहले हम भगवान के सहारे रहते थे। पहाड़ में कोई मदद करने वाला नहीं आता था। हमारे यहां गढ़वाल में एक कहावत है–

"लगौंदु मांगल तो औदी रुवे, न लगादूं मांगल असुगण हवे।"

अर्थात् जब मंगलगीत गाता हूं तो रोना आता है और अगर मंगलगीत नहीं गाता हूं तो अशुभ होता है। उत्तराखंड तीनों मौसम में पूरे तरीके से आपदाग्रस्त रहता है।

महोदया, माननीय प्रधान मंत्री जी के आने के बाद हम लोगों ने पिछले दस वर्षों में जो परिवर्तन देखा है और मैं यूं भी कहूं कि वर्ष 2013 में केदारनाथ में जो आपदा आई, उत्तराखंड का कोई आदमी उसे भूल नहीं सकता है। नरेन्द्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्य मंत्री थे और केन्द्र में यूपीए की सरकार थी, तो वहां केन्द्र सरकार का कोई भी आदमी नहीं पहुंचा था तथा नरेन्द्र मोदी जी अहमदाबाद, गुजरात से चलकर देहरादून पहुंचे। उत्तराखंड में जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, उन्होंने उसमें भाग लिया। उत्तराखंड के लोग वह दिन कैसे भूल सकते हैं? मोदी जी का आपदा प्रबंधन को लेकर जो दृष्टिकोण है, मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं। जब वे वापस चले गए और उन्होंने गुजरात से तीन साढ़े तीन फिट की एक किट भेजी थी। उस किट में एक-एक चीज आपदा प्रबंधन के हिसाब से दी गई। चावल, चीनी, नमक, कटोरी– एक-एक चीज उत्तराखंड में दी गई। उस किट को 'मोदी किट' कहा जाता था। लोग उस किट को आज भी याद करते हैं। मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं। मैंने एक जगह पढ़ा कि आपदा प्रबंधन को लेकर मोदी जी का किस प्रकार का नजरिया है? जब वह राजनीति में नहीं आए थे, तो राजकोट के पास मौरवी में एक मच्छु डैम था। वह टूट गया। … (व्यवधान) प्लीज मुझे पांच मिनट दीजिए। मैडम, मेरा ही सबसे बड़ा इलाका है, जहां सबसे ज्यादा आपदा आती है, इसलिए कृपया मुझे पांच मिनट और दिये जाएं।

जब मच्छु डैम टूटा था, तो उस वक्त मोदी जी राजनीति में भी नहीं थे। लेकिन सारे स्वयंसेवकों को लेकर, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आपदा प्रबंधन को लेकर उनकी जो सोची है, उनकी जो समझ है, अगर वह किसी को देखनी हो तो जब भुज का भूकंप आया था, तो उसके बाद के पुनर्निर्माण को जरूर देखना चाहिए। उत्तराखंड के लोग लगातार आपदा प्रबंधन के बारे में बात करते हैं। हम देखते हैं कि पिछले दस सालों के अंदर उत्तराखंड में दो-दो एनडीआरएफ की बटालियन माननीय मोदी जी ने दी है। उत्तराखंड में जब भी आपदा आती है तो हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार, केन्द्र सरकार किस प्रकार से राज्य सरकार की मदद करती है। हम लोग वाकई ही उसकी प्रशंसा करते हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य, प्लीज अपनी बात कम्पलीट कीजिए।

श्री अनिल बलूनी (गढ़वाल) : महोदया, मैं इस बिल के बारे में जरूर कहना चाहता हूं। इस बिल में सभी पहलुओं को देखा गया है, सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। विभिन्न संगठनों के मध्य में समन्वय को किस तरह प्रभावशाली बनाया जा सकता है, उस पर विचार किया गया है। इसमें राज्यों, केन्द्र और स्थानीय प्रशासन में जो समन्वय है, उसको लेकर काफी विचार किया गया है। एनडीएमए और एसडीएमए को और मजबूत कैसे किया जा सकता है, उस पर विचार किया गया है। पर्यावरणीय संतुलन और जो जलवायु परिवर्तन है, उसके बारे में भी सोचा गया है।

महोदया, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है। दुर्भाग्य से अगर कोविड जैसी महामारी, समस्या फिर से आती है तो उससे कैसे निपटा जाए? इस बिल में उसका भी प्रावधान है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। (इति)

(1650/NKL/PC)

1650 hours

ADV. GOWAAL KAGADA PADAVI (NANDURBAR): Thank you, Madam Chairperson, for giving me the opportunity to speak on this extremely important and serious issue in the House. I stand in this House today to express my deep concerns regarding the Disaster Management (Amendment) Bill, 2024. It is extremely necessary to examine its various aspects in detail and in an analytical sense.

I will present each aspect of the Bill in detail so that it becomes clear why this Bill poses a significant challenge to the country's disaster management framework. Firstly, I would want to ask the Government and the Minister concerned to carefully explain the legislative intent of bringing this Bill. It is not enough to just introduce the Bill; it is not enough to just mention the Statement of Objects and Reasons of the Bill. I would like to know whether you are trying to resolve some conflict. Are you trying to follow some orders of the hon. Supreme Court? Are you trying to resolve some pending court cases? I think, that should be there in the introduction of the Bill or at least, in the reply.

Madam Chairperson, I am not going to beat around the bush. I will straight away dive into the contents of the Bill. In Section 2 of the Disaster Management Act 2005, they are trying to insert an explanation under Sub-section (i) of Clause (d) which I will read out right now:

> "For the removal of doubts, it is hereby clarified that the expression 'man-made causes' does not include any law and order related matter or situation, or any situation arising from a law and order related matter or situation."

I want to ask the Government, why can the law and order of the Government not be considered as a man-made cause of disaster. Is the Government immune from responsibility? I would like to know the clarification from the Minister concerned as well. Also, they have tried to mention 'man-made causes'. They have defined 'disaster' but they have not defined 'man-made disaster'. I think, it is very important because as you might be seeing, we have had 'n' number of railway accidents; we have had bridges collapse in this country; and we have had forest areas being converted into non-forest areas and used for non-forest activities. I think, that is a very big disaster and, therefore, we need to name it as 'man-made disaster'. So, I would request the Government to definitely look into this. And, I think, that word should be inserted inside this.

Moreover, they have mentioned the word ‘climate’ just once in the Bill. They have not mentioned ‘climate change’ at all. I want to ask the Government whether they are interested in introducing the definition of the word ‘climate change’ in the Bill or they are refraining to accept that there is no climate change. Also, I would like to mention that they are trying to insert a Clause (da) which is talking about disaster database. I like the idea of collecting data in this database. But in its definition, they have only mentioned that the Central Government will give input. The Government should know that the State Governments are also stakeholders. They should also be considered and asked what kind of statistics and data should be collected from the State Governments. So, I would like the Government to also give clarification regarding that.

In Clause (gc), they have defined the word ‘hazard’. I do not see the requirement of defining the word ‘hazard’ because we are talking about the Disaster Management Act. So, why are they defining the word ‘hazard’? They are defining ‘hazardous events’. They are trying to define ‘hazard prone areas’ instead of defining ‘disaster prone areas’. So, I would request the Government to clarify why are they using that word. Are they using it interchangeably? I would request to seek that kind of clarification from the Government.

Also, there is a very important clause, that is, Clause 36 of this Bill, which claims that the word ‘compensation’ be replaced with ‘relief’. I think, it is completely wrong to replace the word ‘compensation’ with ‘relief’. I am a lawyer, and I know that ‘compensation’ is recognized in consumer law, constitutional law as well as environmental law. It is a legal right. Even if the Government does not accept it, it is, at least, deemed to be a legal right. So, they should accept the word ‘compensation’ as and how it exists because compensation is given as a remedial measure when a fundamental right is violated.

I would like to mention the MC Mehta case, which is AIR 1996 SC 711. The hon. Supreme Court had held that they have the power under Article 32 to award compensation to the victims of pollution. I would like to define the word ‘compensation’ here. ‘Compensation’ is a social insurance, a welfare measure by the Government, and the Government’s obligation to protect its citizens. By replacing the word ‘compensation’ with relief, the Government is saying that it cannot be claimed as a legal right; and ‘relief’ becomes a discretionary option as per the whims of the Central Government.

(1655/VR/IND)

It cannot be claimed in court and, therefore, relief is only obligatory and not extended as a legal right.

Madam, since other MPs from the Government as well as the Opposition are present here, I would like to say that they should have an absolute say in the decision-making process. They are not in any of the committees. They are not in the response team.

Madam, they are trying to introduce Section 41A of in the Bill which is talking about Urban Disaster Management Authorities. I welcome that move. Again, there is no role of the Member of parliament in it. So, I would request the Government to at least give a certain role to a Member of Parliament in this Bill. It is urgently required because when problems do arise, people come to us. So, we are also stakeholders in the decision-making process.

HON. CHAIRPERSON (SHRIMATI SANDHYA RAY): Kindly conclude.

ADV**.** GOWAAL KAGADA PADAVI (NANDURBAR): Madam, I would request you to give me some more time. Three-four days ago, the hon. Speaker had said that if you speak genuinely about the Bill, you would be given extra five minutes. So, kindly give me just those five minutes.

Madam, as other Members have also mentioned about the over centralization, it is not centralization, it is over centralization. The Central Government is trying to absorb all the powers within themselves, and trying to take away the powers from the State Governments. I would like to give an example. When the Amphan cyclone did happen, the States of West Bengal and Odisha played a crucial role in disaster management. So, I think the role of the State Governments should also be taken into consideration. *....(Interruptions)*

I will just complete in one minute with a few suggestions. I will not talk about other parts of the Bill. I would request the Government that they should take the help of advanced technologies of ISRO, Indian Meteorological Department, and National Remote Sensing Agency. I would also request that AI Remote Sensing and big data analytics should be considered for research and development related tasks.

Moreover, when you are talking about rehabilitation, there should be a clause for psychological rehabilitation of victims of national disasters.

Madam, they are talking about preparedness in the Bill but they are not prepared to execute the Bill. So, I think they should reconsider the whole contents of the Bill and reintroduce it again. Thank you, Madam. (ends)

1657 बजे

श्री मियां अल्ताफ अहमद (अनन्तनाग-राजौरी) : सभापति महोदया, आज हमें बहुत ही अहम बिल और अहम विषय पर बोलने का मौका मिला है। यह मामला परेशानहाल और बेबस लोगों का है, जिनको नेचुरल क्लामिटी की वजह से परेशानियां होती हैं या तबाही होती है। बिल का मकसद बयां किया गया है कि सेंटर और स्टेट में बेहतर कोऑर्डिनेशन बनेगा। यह बहुत जरूरी है कि इन मामलात में पूरी कोऑर्डिनेशन राज्य सरकार की भी हो और केंद्र सरकार की भी हो। जब ऐसी कोई आफत आती है, तो हम सभी को उसका मिलकर मुकाबला करना है और मुसीबतजदा लोगों की मदद करनी है। मैं आपको इस विषय पर बिल लाने के लिए मुबारकबाद देता हूं लेकिन यह बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों को फौरन मदद पहुंचाई जाए। उनको बसाने का, उनके खाने का, उनके रहने का फौरन नोटिस लिया जाना चाहिए। उन्हें फौरन मेडिकल रिलीफ मिले, इंसानी मदद हो। जिस प्रकार की भी मदद उन्हें चाहिए, वह मुसीबतजदा लोगों तक फौरन पहुंचनी चाहिए। यदि मदद वक्त पर न दी जाए तो तबाही तो होती ही है लेकिन उससे नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसे समय पर मदद पहुंचा कर कम किया जा सकता है।

महोदया, हमारे राज्य में सैलाब से भी तबाही हुई, लैंड स्लाइड से भी तबाही हुई। खास कर जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर बहुत ज्यादा लैंड स्लाइड्स आती हैं। बालटाल, जहां अमरनाथ के दर्शन के लिए लोग जाते हैं, वहां लैंड स्लाइड होती रहती है और जम्मू-कश्मीर में बहुत से ऐसे स्थान हैं। ऐसी जगहों पर खास इंतजामात रहने चाहिए, जहां ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं या इकट्ठा होते हैं। मैं मंत्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। यदि किसी गरीब शख्स का मकान जल जाता है, तो उसे आज के समय सिर्फ एक लाख रुपये मिलते हैं और उसे बहुत ज्यादा फारमैलिटीज करनी पड़ती हैं। उसे पटवारी से, गिरदावर से, तहसीलदार से, डीसी आदि अधिकारियों से मिलना पड़ता है। इसमें उसके 50 हजार रुपये तो वैसे ही खर्च हो जाते हैं।

(1700/RV/SAN)

इस सिस्टम को सिम्प्लीफाई करने की जरूरत है। बुनियादी लेवल पर, लोकल लेवल पर यह इख्तियारात एक तहसीलदार को होनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि यह एक लाख रुपये बहुत कम हैं। लेकिन, अगर वही देना है तो कम से कम वह उन्हें 24 घंटे में मिले। हम ग्राउण्ड पर देखते हैं कि लोगों को इसके लिए बहुत दिक्कतें होती हैं। यह अमाउंट बहुत कम है। यह बढ़ना चाहिए। इसके लिए इंश्योरेंस का कोई एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं, अगर उन्हें गवर्नमेंट पैसे नहीं दे सकती है तो फिर इंश्योरेंस कंपनियां उन्हें दें और जल्द से जल्द दें।

कश्मीर में सबसे बड़ी डिजास्टर विन्टर के मौसम में होती है। वहां पुराने मकान हैं और वे सभी लकड़ी के बने हुए हैं। आपको वहां कंक्रीट की बिल्डिंग्स बहुत कम मिलेंगी, अब वे शहरों में मिलेंगी। वहां के जो पुराने 200-400 गांव हैं, वहां की बिल्डिंग्स की छत भी लकड़ी की होती हैं और उसमें बाकी दूसरे काम भी लकड़ी के ही होते हैं। खुदा बचाए, जब आग लगती है तो उससे पूरा गांव का गांव जल जाता है। वहां पर स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए, सेन्ट्रल गवर्नमेंट को चाहिए और जो डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी है, उनको भी चाहिए कि वहां पर फायर स्टेशन्स के दफ्तर ज्यादा

से ज्यादा हों। वहां पर इसके ज्यादा दफ्तर खुलने चाहिए, क्योंकि जब वहां आग लगती है तो वहां पर अभी 20-20, 30-30 किलोमीटर पर फायर स्टेशन्स हैं और वे वहां पहुंच नहीं पाते हैं, जिसके कारण वहां हमारे इकट्ठे 50-50, 100-100 मकान जल जाते हैं, चाहे वह गुरेज़ का एरिया हो, किश्तवाड़ का हो या वैली का हो। ये हमारी वैली के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेन्ट प्वायंट्स हैं। अगर वहां यह हो जाए तो वहां के मकान जलने से बच सकते हैं।

दूसरी बात है कि वहां गरीब लोग हैं, जो लाइवस्टॉक लेकर चलते हैं। उनके लिए इसमें कोई प्रोवीजन नहीं है। जो लोग भेड़-बकरियां लेकर चलते हैं, रेहड़ लेकर चलते हैं। अगर उनमें से 50-60 भेड़-बकरियां किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाएं तो उसके लिए इसमें कोई प्रोवीजन नहीं है। अगर किसी जंगली जानवर ने उनका माल खा लिया, तो इसके लिए कोई प्रोवीजन नहीं है। अगर चोर ले गए, तो कोई प्रोवीजन नहीं है। वह एक गरीब, बेसहारा, बेकश आदमी होता है। उसके लिए इस बिल में कुछ न कुछ पैसे का प्रोवीजन होना चाहिए। आपकी वैसे ही डायरेक्शंस होनी चाहिए। उन गरीब लोगों को कुछ नहीं मिलता है।

कश्मीर में हमारे जो सेब के बागात हैं, उसके लिए कश्मीर मशहूर है। लेकिन, वहां जब हवाएं चलती हैं, ओले पड़ते हैं तो हजारों कनाल ज़मीन पर हमारे बागात तबाह हो जाते हैं। वहां भी लोगों को इसके लिए माकूल रिलीफ नहीं मिलती है। अगर यह मिलती भी है तो यह बहुत दफ्तरी तवालत के बाद मिलती है।

मुझे लगता है कि आप मेरी इन बातों की तरफ पूरी तवज्जोह देंगे। आपका भी फर्ज़ है और यह हमारा भी फर्ज़ है कि हम उनको राहत पहुंचा सकें।

बहुत-बहुत शुक्रिया।

(इति)

1703 hours

SHRI PUTTA MAHESH KUMAR (ELURU): Madam Chairperson, I rise to support the Disaster Management (Amendment) Bill, 2024. We all know that the Disaster Management Act, 2005 established the National Disaster Management Authority, NDMA; the State Disaster Management Authority, SDMA; and the District Disaster Management Authorities. The Bill strengthens the working of NDMA and SDMA. This Bill empowers the preparation of disaster management plans and national-level and State-level disaster databases. Recently, in the Parliament, a YSRCP Member misled the House by blaming the Telugu Desam Party. When the YSRCP was in the Government, the State Disaster Management Fund was fully diverted and was being utilised for their own purposes. Recently, Vijayawada witnessed severe floods and the people of Vijayawada suffered a lot. Our Chief Minister, Chandrababu Naidu *garu* was present there, right in that situation, and did not go home for almost two weeks till the situation in Vijayawada was under control. It was only after giving compensation to the people that he went to his house.

Madam, these floods occurred because the YSRCP Government did not properly maintain the Budameru Canal. The whole funds were diverted and misused for their own purposes. It is only because of that Vijayawada suffered from floods in the month of September, 2024.

(1705/SNT/GG)

Our leader, Chandrababu Naidu Garu, was present there and taking care of everybody. He was giving assurance to the people that he is there and he will be there for the people. This is what our TDP Government has done. In YSRCP Government, nobody even used to take care of them. The people were worried whenever there were floods and whenever there was disaster management happening anywhere in Andhra Pradesh.

In 2014, there was the Cyclone Hudhud in Vizag. Due to that cyclone, people got affected. That time also, our leader was there to take care of the whole disaster management. After the whole city came to normal situation, only then he went to his home. That is what our Chandrababu Naidu Garu is working towards. Every time, YSRCP blames us. In Eluru constituency, whenever there are monsoons, our people are worried because there are two or three rivers which are going through Eluru constituency. Especially, the key projects like Kolleru Lake and major reservoirs face challenges during floods. Recently, there were floods in Velerupadu and Kukunur mandals, impacting nearly 5,000 people. There were no roads to go also. Our hon. Chief Minister has announced compensation for every member there. The houses were shifted from there and they were taken care of fully. Keeping in view the disasters, which have happened in Andhra Pradesh, and to strengthen our disaster management capabilities across the countries, I would like to highlight a few areas for further improvement. There should be establishment of a clear funding mechanism for the disaster management activities; defined role for responsibilities; enhanced representation of local Governments; integrated disaster risk reduction; ensuring transparency and accountability; and expanding urban disaster management. On behalf of Telugu Desam Party, I fully support the Disaster Management (Amendment) Bill, 2024. Thank you, Madam. (ends)

1708 बजे

श्री चंदन चौहान (बिजनौर) : सभापति महोदया जी, मैं आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे आपदा प्रबंधन संशोधन बिल, 2024 पर अपनी बात रखने मुझे मौका दिया है। मान्यवर, बहुत ही हर्ष की बात है और हमें सरकार की दूरदर्शिता दिखती है कि आपदाओं को फेस करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जब आपदा आती है तो हम उसका रेसक्यु तो कर सकते हैं, लेकिन आपदा आने से पूर्व अगर हम उसका पूर्वानुमान लगाएं और समाधान करने के लिए इस प्रकार के कानूनों का प्रावधान करें तो अच्छी बात है। बहुत अच्छे माहौल के अंदर आज जो चर्चा इस सदन के अंदर हुई है, मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की ओर से इस बिल का समर्थन करने का काम करता हूँ।

मान्यवर, किसी भी देश के मुखिया का, प्रदेश के मुखिया का या किसी परिवार के मुखिया का सबसे बड़ा काम होता है कि अपने परिवार को, अपने देश को आपदा की चुनौतियों के लिए हमेशा के लिए तैयार रखे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी और यहां बैठे हुए आदरणीय नित्यानंद राय जी ने इस कानून को ला कर निश्चित रूप से सरकार के विज़न को दिखाने का काम किया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यह विधेयक आने वाले समय में एक बड़ा सुरक्षा कवच, जो क्लाइमेट चेंज से ले कर, विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए है, उसमें लाने का काम कर रहा है।

मान्यवर, इस विधेयक की जरूरत के बारे में इंट्रोड्यूज़ करते हुए माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस बिल में संस्थाओं के एकीकरण का मामला है।

(1710/MY/AK)

इस बिल के अंदर प्राधिकरणों की स्पष्टता सुनिश्चित होगी। इस बिल के माध्यम से प्राधिकरणों की दक्षता सुनिश्चित होगी। वहीं डेटा बेस स्टडी पूर्वानुमान करने का काम करेगी। प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए निश्चित रूप से एक विज़न है, जो इस बिल के अंदर देखने को मिलती है।

मान्यवर, हम वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की बात करते हैं। हम अपने देश को बेहतर आपदा प्रबंधन के साथ तैयार करने के लिए और आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए इस विधेयक के अंदर जितने भी प्रावधान किए गए हैं, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। चाहे एनडीएमओ हो, एसडीएमए हो, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के लिए हो, या फिर अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात कही गई हो, ये सभी मुद्दे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मैं एक मूलभूत बात कहना चाहता हूं। चूंकि हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं।

हमारे चौधरी साहब कहा करते थे कि हिन्दुस्तान की आत्मा ग्रामीण क्षेत्र में बसती है। इसलिए, देश में विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी होनी चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ग्राम पंचायत लेवल पर इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने देश को तैयार करने का काम करेंगे।

मान्यवार, मेरे से पूर्व भी कई माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी हैं। हम यूडीएमए के अंदर प्रॉपर्टीज की नुकसान की पूर्ति की बात करते हैं... (व्यवधान)

मान्यवर, बस 30 सेकेंड के अंदर आपके आदेश का पालन करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। जहां हम प्रॉपर्टीज की नुकसान की बात करते हैं, वहीं क्लाइमेट चेंज और आपदाओं के कारण किसान की फसलों के नुकसान का भी असेसमेंट करना होगा। माननीय सदस्य मियां अल्ताफ ने बक्करवालों की समस्याओं के बारे में बताया। हमारे निर्वाचन क्षेत्र बिजनौर के अंदर हर वर्ष बरसात के कारण आई बाढ़ से फसलों का नुकसान होता है। हम देश के अंदर चक्रवात या अन्य समस्याओं को बड़े प्रारूप में देख सकते हैं। निश्चित रूप से देश में छोटी आपदाएं भी होती हैं। हमें अन्य देशों से भी शिक्षा लेकर आपदा प्रबंधन के मूलभूत तैयारियों पर ध्यान रखना चाहिए। हम इस बिल का समर्थन करने का काम करते हैं। हम आशा करते हैं कि इस प्रकार के समस्याओं के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर और ज्यादा निवेश करेंगे। फूड चेन सर्किल और एन्वायरन्मेंट चेन को ध्यान में रखते हुए, सरकार आगे भी जो बिल लाएगी, निश्चित रूप से यह सदन और पूरा देश उसके समर्थन में खड़ा रहने का काम करेगा।

मान्यवर, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

(इति)

1713 बजे

श्री सुदामा प्रसाद (आरा) : सभापति महोदया, आपका आभार कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया। आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 में आपदाओं की संख्या कम करने के बारे में या जिन वजहों से आपदाएं आ रही हैं, उन वजहों को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाने के बाद अगर इस संशोधन में यह बात रहती तो हम जरूर इसका समर्थन करते, लेकिन यह सिरे से गायब है।

महोदया, मैं समझता हूं कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, खनिजों का उत्खनन, पहाड़ों की कटाई और कार्बन उत्र्सजन पर फोकस करने की जरुरत है। अभी छतीसगढ़ के अंदर हसदेव प्रोजेक्ट चल रहा है। वहां कॉरपोरेट्स द्वारा कोयले का खनन करने के लिए हरे-भरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इसी तरह से ग्रेट निकोबार के नाम पर वहां के मूल आदिवासियों को दूसरे जगह विस्थापित करके लाखों-करोड़ों पेड़ों की कटाई की योजना बन रही है। अंडमान-निकोबार भारत का फेफड़ा है। इसे अमेजन कहा जाता है। मुझे लगता है कि इन चीजों पर रोक लगने से ही, दरअसल स्थायी तौर पर आपदा का प्रबंधन होगा।

(1715/CP/UB)

हमने प्रकृति के साथ छेड़-छाड़ करने, दुर्व्यवहार करने का नतीजा उत्तराखंड के जोशीमठ में देखा। वहां प्रलयकारी भूकम्प आया था, भूस्खलन हुआ था और बादल फटे थे। सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूर 17 दिनों तक फंसे थे, यह इसी का नतीजा था। ये आपदायें प्राकृतिक नहीं, बल्कि मानव निर्मित हैं। इस पर रोक लगाने के लिए नीतिगत फैसला लेना होगा। इसमें सिर्फ राहत की बात हो रही है।

महोदया, मेरे यहां भोजपुर जिले में एक तरफ सोन नदी है, तो दूसरी तरफ गंगा नदी है। कभी-कभी ऐसा होता है कि दोनों नदियों में भयंकर बाढ़ आती है। पिछले दिनों गंगा नदी में जो बाढ़ आई, उसमें दर्जनों लोगों की डूबकर मौत हुई। शाहपुर प्रखंड के जवनिया और बड़हरा प्रखंड खवासपुर में 64 घर गंगा की गोद में समा गए। अभी तक उन विस्थापित परिवारों को बसाने का इंतजाम नहीं किया गया है। जिन मछुआरों ने वहां नावें चलाई थीं, उनको पैसा नहीं मिला। जिन लोगों ने सामुदायिक किचेन में पैसा लगाया, उनको पैसा नहीं मिला। मैं समझता हूं कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

महोदया, हमारे जिले का खवासपुर यूपी के बार्डर पर है, जहां बीच में गंगा नदी पड़ती है। लोग वहां नाव से आते-जाते हैं। लोग 6 महीने पीपा पुल से और 6 महीने नांव से आते हैं। वहां अगर स्थायी पुल बन जाता है तो नाव पलटने से जो मौतें होती हैं, उस पर रोक लग सकती है। सोन नदी में बाढ़ के समय, बरसात के समय भयानक ढंग से पानी छोड़ा जाता है। जो जहां है, वहीं फंस जाता है। अगर कदवन में सोन नदी में जलाशय बन जाए तो जल का संचय सिंचाई के लिए होगा और बाढ़ की रोकथाम भी होगी। आप इस पर ध्यान दें। इससे आपदा से स्थायी प्रबंधन होगा, अन्यथा हवा में तलवारबाजी करने से फायदा नहीं होगा। जब से कहा जा रहा है कि कॉरपोरेट नीतियों को बढ़ावा मिल रहा है, अडानी को, अंबानी को बढ़ावा मिल रहा है, तब से नाना प्राकृतिक आपदायें हमारे देश में आ रही हैं। (इति)

1717 hours

SHRI M. MALLESH BABU (KOLAR): Madam, this is a good effort by the Government of India for bringing out the Disaster Management (Amendment) Bill, 2024. The Bill establishes National Disaster Management Authority, State Disaster Management Authority, and District Disaster Management Authority. These authorities are responsible for disaster management at the national, State and district levels respectively.

The Disaster Management (Amendment) Bill, 2024 seeks to bring more clarity and convergence in the roles of authorities and committees and provide statutory status to pre-Act organizations like the National Crisis Management Committees and the High-Level Committees. The Disaster Management (Amendment) Bill empowers the NDMA to take stock of the entire range of disaster risks, including fresh disasters that the country could face by severe climatic changes, thereby resulting in cyclones and floods. The creation of UDMAs is a welcome step. It draws from the NDMA's previous experiences of urban disasters, the scale of destruction caused and the complexities presented. Climatic changes have seen a lot of disasters in our country and the whole world. In our country, the Mumbai floods, the successive floods in the past four years in Chennai and the heavy rains in Bangalore have compelled the Government to rethink its approach to urban disasters. The Indian cities are densely populated and are centres of economic activity with vital physical, commercial, industrial and social infrastructure. As such, any disruptions caused by a disaster are likely to have serious all-round implications. This has led the NDMA to look at urban disasters differently and adopt a more proactive, pre-disaster preparedness and mitigation-centric approach.

With interlinking of rivers in our country, flooding of rivers will reduce the water, and water can be brought to drought-prone districts of the country, like my district of Kolar of Karnataka. I welcome the Disaster Management (Amendment) Bill proposed by the Central Government, which emphasizes the states like Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Kerala and Andhra Pradesh to adopt the amendments made in view of the Rapid Response Registry to protect the people and the civilians in the earmarked disaster-prone areas.

(1720/NK/SRG)

The Disaster Management (Amendment) Bill 2024, is introducing essential reforms aimed at providing preparedness throughout the country and its success will depend on leadership, coordination, financial empowerment and allocation of resources, which under the leadership of hon. Prime Minister Narendra Modi Ji and the Union Minister Shri Amit Shah Ji will be addressed positively. These will make this amendment Bill a success.

With these words, I and my Party, Janata Dal (Secular), support the Disaster Management (Amendment) Bill, 2024.

Jai Hind. (ends)

1721 बजे

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पर कुछ सुझाव सम्मिलित कराने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बिल देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति में बदलाव हो रहा है, जिसके कारण देश में कई ऐसी प्राकृतिक एवं दैवीय आपदाएं आ रही हैं, जिससे देश में धन और जन की भारी क्षति उठानी पड़ रही है। यह अधिनियम, वर्ष 2005 में उस समय बना, जब वर्ष 1999 में ओडिशा में चक्रवात आया, वर्ष 2001 में गुजरात का भूकम्प आया तथा वर्ष 2004 में जब सुनामी आयी तो इसके प्रबंधन की कमी महसूस हुई। तब यह अधिनियम वर्ष 2005 में बना।

जब वर्ष 2013 में महाराष्ट्र में सूखा, बिहार में बाढ़, उत्तराखंड में भूस्खलन और कश्मीर में भूस्खलन और बाढ़ के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हुई। इसके साथ ही कोरोना महामारी में इतने लोगों की जानें गईं, जिससे पूरे देश में भय का वातावरण पैदा हो गया। जिसके प्रबंधन में कठिनाइयां महसूस की गईं। जिसके कारण यह निश्चय किया गया कि हम इसमें कुछ संशोधन ले आएं। जो संशोधन माननीय मंत्री जी द्वारा लाया गया है, उस संशोधन में जनहित के मुद्दे को यदि रखा जाएगा तो निश्चित रूप से देश के लिए बहुत ही बढ़िया आपदा प्रबंधन साबित होगा। मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन की रूपरेखा रखी है, उसमें आश्चर्यजनक रूप से 2024-25 के लिए जो बजट रखा गया है वह पिछले वर्ष 2023-24 की तुलना में कम है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन योजना, जिसे एनआरसीएम कहते हैं, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, एनडीआरएफ को मजबूत किया जाना चाहिए, उसके लिए अलग से फंड दिया जाना चाहिए लेकिन राज्यों के ऊपर इसका ज्यादा भार दिया गया है।

मैं माननीय मंत्री जी से अपेक्षा रखता हूं, जहां तक राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की भागीदारी का सवाल है, उसको मिटाते हुए 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार को वहन करना चाहिए और 10 परसेंट राज्य सरकारों को वहन करना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के समय जो कमेटियां बनी हैं, कुछ कमेटियां प्रदेश स्तर पर और कुछ कमेटियों को जिले स्तर पर बनाने का प्रावधान है, लेकिन टाइम फ्रेम नहीं रखा गया है। कम से कम 8 घंटे से 12 घंटे में निर्णय हो ताकि आपदा प्रबंधन के समय राहत सामग्री और राहत कार्य वहां ठीक तरीके से शुरू किया जा सके। आपदा प्रबंधन कमेटी का गठन जिले स्तर पर किया जाता है, लेकिन जिलाधिकारी के साथ-साथ अगर क्षेत्रीय जन प्रतिनधियों को शामिल किया जाए तो ज्यादा ठीक तरीके से आपदा राहत के कार्य में सफलता मिल सकती है।

(1725-1730/SK/RCP)

जहां तक मैं जानता हूं कि एक जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का पता होता है, विधायक को भी मालूम होता है कि किस तरीके से आपदाओं के निपटारे हेतु निर्णय ले सकते हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जाए।

मैं अपने क्षेत्र की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में लखीमपुर, बहराइच, खीरी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर और बलिया जिले नेपाल से आती नदियों में बाढ़ के कारण प्रभावित होते हैं। इससे किसानों की खेती और घर चौपट हो जाते हैं। मैं लोकसभा क्षेत्र चंदौली से चुनकर आया हूं। वहां से गंगा नदी गुजरती है और बाढ़ की विभीषिका के कारण चाहनिया और धानापुर ब्लॉक में किसानों की हजारों एकड़ जमीन बह जाती है। आप दुर्भाग्य देखिए कि सरकार मात्र कुछ ही पैसे का मुआवजा फसलों के नाम पर देती है। इस बाढ़ के कारण बहुत से किसान भूमिहीन हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जमीन के मुआवजे की मांग करता हूं ताकि किसान अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें।

महोदया, चंदौली क्षेत्र में गर्मी के दिनों में सैंकड़ों एकड़ गेहूं की फसलों का आग की चपेट में आने से नुकसान हो जाता है, इसका मुआवजा बहुत ही कम मिलता है। मैं माननीय मंत्री जी से सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि दैवीय कारणों से यदि किसानों की फसल में आग लगती है तो उसे दैवीय आपदा मानकर उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों को कम से कम एक लाख रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाए ताकि उनके परिवारों का भरण-पोषण हो सके।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी को डिजास्टर मैनेजमेंट बिल लाने के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं।

(इति)

1727 hours

*SHRI VE. VAITHILINGAM (PUDUCHERRY): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. I thank the Leader of my party, the Indian National Congress and hon. Shri Rahul Gandhi for allowing me to speak on this Disaster Management Amendment Bill. We are discussing today about natural disasters. Last week a cyclone placed havoc in Tamil Nadu and Puducherry. There was heavy rainfall in some areas of Tamil Nadu even measuring up to 50 centimeters. This rainfall had even affected the normalcy of the people of Tamil Nadu. We could not extend help to the affected people. The situation was worse to handle. Particularly, Puducherry and places like Viluppuram, Cuddalore, Tiruvannamalai, Dharmapuri and Hosur of Tamil Nadu were severely affected due to cyclone and heavy rains. Our Hon Chief Minister of Puducherry has demanded Rs. 650 crore as flood relief to mitigate the sufferings of the affected people of Puducherry. Hon Chief Minister of Tamil Nadu has requested for release of Rs. 6500 crore as financial assistance to carry out relief measures. But the Union Government has not responded positively to these demands. What we want from this Bill? You had sent Central Teams. Even after they visited the affected places, they have not disclosed their report or assessment of damages. Not only for this cyclone, even during earliest occasions also, they visited the affected places but remained silent after the visit without any further development. The visit of Central Team seems to be an eyewash. They even do not provide the required financial assistance to the State concerned. My first and foremost demand to you is that, within a fixed time period, i.e. within one month period

---

* Original in Tamil

of the completion of the visit by the Central Team, their viewpoint should be communicated to the State Government. Only if they do so, the State concerned can act upon in this regard. How will the State come to know whether any Report will be presented by the Central team or not? I urge that such a provision should be included in this Bill. Future course of action, preventive action, are to be clearly indicated in this Bill. Not only that precautionary measure should be undertaken by the Union Government well in advance. This is my demand. Such disasters should be prevented and preventive measures can play a major role. There were landslides in Wayanad of Kerala. Many villages were washed away by flash floods and many people lost their lives. But the Union Government has neither provided any financial help nor given any report till now in this regard. What is the reason behind this? You should ponder over this. How the people would have been affected by these floods? They faced immeasurable losses. They lost their families. They lost their near and dear ones. They lost their property. Their houses were washed away by floods. Immediate relief assistance to be extended to them is of prime importance. But you are not extending this help immediately. If you delay in providing this help what is the use of such help? How can this inordinate delay be the right way to address this issue? This Bill should ensure that the relief assistance should be provided to the administration concerned well within the prescribed time. This is my demand. Thank you. Vanakkam.

(ends)

1732 बजे

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर) : महोदया, मैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के संशोधन बिल का स्वागत करता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी, गृह राज्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि वे बहुत ही महत्वपूर्ण बिल लाए हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारी आपदाएं देखने को मिलती हैं। खासकर, तूफान, बाढ़, ओलावृष्टि, भूकंप, बादल फटना, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन आदि इस कारण होते हैं। हमने देखा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन होता है, खासकर मध्य क्षेत्र में बाढ़ और तटीय क्षेत्र में तूफान आया करते हैं। इन आपदाओं के कारण बहुत जान-माल का नुकसान होता है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य है कि आपदा प्रबंधन के माध्यम से कम से कम नुकसान हो। इस हेतु जरूरी है कि आपदाओं का जो प्रभावी तरीका है, उससे निपटा जाए। आपदा प्रबंधन में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें स्थानीय स्तर पर किस प्रकार से बेहतर तालमेल रखें, यह इस बिल का मुख्य उद्देश्य है, इसीलिए यह बिल लाया गया है।

महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिल के बारे में बहुत ही गहन विचार-विमर्श हुआ है। खासकर जो टास्कफोर्स बनाई गई थी, उस संबंध में सभी स्टेकहोल्डर्स से बात की गई। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय स्तर पर सभी से बात करने के बाद यह बिल लाया गया है। इस बिल के आने से केंद्र सरकार के लगभग 16 विभिन्न विभाग, जो आपदा प्रबंधन में काम आते हैं, उससे चाहे राज्य सरकार हो, स्थानीय स्तर हो, सबकी भूमिका स्पष्ट हो जाएगी, जिससे आपदा में तुरंत कार्रवाई की जा सकती है।

महोदया, पूर्व में हमने देखा है कि चाहे सुनामी हो, सुपर साइक्लोन हो, उनसे भारत को बहुत नुकसान हुआ है और हजारों लोगों की जानें गई हैं। माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इन वर्षों में आपदा से किस प्रकार से निपटा जाए, उस हेतु बहुत ही कारगर उपाए किए गए हैं। एक-दो उदाहरण मैं देना चाहता हूं। पिछले वर्ष सरकार ने एनडीआरएफ की चार नई बटालियन्स की स्थापना की है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का प्रशिक्षण केंद्र नागपुर में स्थापित किया है। मौसम विभाग में आधुनिक यंत्र लगाए गए हैं, जिससे पूर्व में मौसम की जानकारी मिल जाती है। हाल ही में हमने देखा कि ओडिशा में दानव था और मद्रास में सागर तूफान आया था, लेकिन इतनी बड़ी आपदा के बाद भी केंद्र सरकार की आपदा प्रबंधन नीति के कारण जान-माल का नुकसान नहीं हुआ। यह सब माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हुआ।

महोदया, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मैं इन्दौर से आता हूं। यह भारत की क्लीनेस्ट सिटी है। हमारे यहां बहुत सारी हाई राइज़ बिल्डिंग्स बन गई हैं। मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि हाई राइज़ होने के कारण कभी आग लगने से फायर फाइटिंग और फायर बिग्रेड की योजना होनी चाहिए।

(1735/MK/SMN)

वह पुराना शहर है, उसमें छोटी व पतली गलियां हैं। उसमें रोबोटिक फायर फाइटर होना चाहिए।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि जिस प्रकार से आप नागपुर में एनडीआरएफ और एसडीआएफ को प्रशिक्षण दे रहे हैं, उसी प्रकार स्थानीय स्तर पर जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, उनका प्रशिक्षण भी नागपुर में होना चाहिए, ताकि हम आपदा में बेहतर तरीके से निपट सकें। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

(इति)

1735 hours

SHRI DURAI VAIKO (TIRUCHIRAPPALLI): Thank you, Madam.

Coming to the contents of the Disaster Management (Amendment) Bill, I have a significant concern regarding the composition of the high level committee established under Section 8(b).

Madam, this Committee determines the financial assistance to the disaster affected States but it lacks representation from the Chief Ministers and officials of disaster affected States.

Without the direct involvement of the disaster affected States, it is not possible to arrive at fair and adequate relief for the States, Madam.

Hence, I urge the Union Government to mandate for the inclusion of State representatives in the decision-making process for allocating financial assistance under the provisions of the Bill so that States get due importance and due assistance also.

I would like to make use of this moment to remind the Union Government that our hon. Chief Minister Mr. Stalin has presented a memorandum to the inter-ministerial central team seeking an assistance of Rs. 6675 crore for the disaster affected 14 districts by the cyclone Fengal.

He had also sought an interim relief of nearly Rs. 2000 crore but to the utter disappointment of our Tamil Nadu State, the Union Government had approved only Rs. 944 crore under the State Disaster Response Fund.

I request the Union Government to approve immediately Rs. 6675 crore for the disaster relief operations. I would also like to bring to the attention of the House that there has been a disturbing pattern of neglect and discrimination by the Union Government while providing assistance to States like Tamil Nadu and Kerala. During the period 2015-20, when cyclones like Gaja, Vardah, Nivar, Ockhi battered our State, lives were lost, livelihoods were lost, public infrastructure like roads, bridges, power transmissions were destroyed. During the period of those five years, our State had requested for a lakh and a sixty thousand crore rupee but we got a mere Rs. 5094, a pittance.

Last year, when cyclone Michaung caused immense disturbance to our northern districts and the floods in the southern districts caused damage, our Chief Minister requested for Rs. 38,000 crore but in spite of the Supreme Court directive and repeated appeals to the Centre, we had got just Rs. 276 crore, Madam.

Even brothers and sisters in Kerala have been denied adequate relief for the Wayanad landslide tragedy. So, it is obvious that Tamil Nadu and Kerala have been denied the due funds and this is a clear violation of the fundamental rights of the disaster affected citizens who are entitled for timely relief and rehabilitation.

I urge the Union Government to make States a part of the decision making process and I request this House humbly, let us forget our political differences, let us forget our ideologies, let us forget the bitterness we have towards each other but let us not forget the pain of the common man whose suffering is immense.

Let us all unite together – the Treasury Benches and the Opposition – in bringing about the changes in this Bill which will offer support and succour to the disaster affected citizens of this country.

Thank you, Madam.

(ends)

(1740/SJN/SM)

1740 बजे

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सभापति जी, आज सदन में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पर चर्चा हो रही है। विधेयक के उद्देश्य के बारे में मुझसे पूर्व पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सांसदों ने यहां अपनी बात रखी है। आपदा प्रबंधन जिसे मूल रूप से संस्थागत तंत्र, आपदा प्रबंधन योजनाएं और आपदा प्रभावों को रोकने के क्रम में आप यह बिल लेकर आए हैं।

मंत्री जी, यहां विराजमान हैं। मंत्री जी, कई बार हाउस में आपदा प्रबंधन पर चर्चा भी हुई है। अच्छा होता कि आप तमाम सांसदों से राय लेते और उसके बाद एक ऐसा बिल लेकर आते कि प्रत्येक व्यक्ति को आपदा के समय जिस चीज की आवश्यकता है, हम वह आवश्यकता मुहैया करवा सकें। मंत्री जी, मेरी आपसे यह मांग है। आप प्रत्येक एमपी से राय लें। अलग-अलग आपदाएं हैं, कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं अतिवृष्टि होती है, कहीं ओलावृष्टि होती है, कहीं भूकंप आता है, तो कहीं सुनामी आती है। हमारे देश में विभिन्न संस्कृतियां बसती हैं। हमारे यहां पहाड़-पर्वत से लेकर मैदानी और रेगिस्तान इलाके हैं। हर राज्य की अलग-अलग समस्याएं हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रत्येक सांसद से राय लेते, तो निश्चित रूप से इससे और बातें निकलकर सामने आतीं, जिससे ज्यादा लोगों को राहत मिलती।

मंत्री जी, आज मैं सरकार की एसडीआरएफ नॉर्म्स के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैदानी इलाकों में जो मकान नष्ट हो जाते हैं, उनके लिए 1,20,000 रुपये हैं तथा पहाड़ी इलाकों में 1,30,000 रुपये की सहायता राशि है। जिसका सब कुछ उजड़ जाता है, वह 1,20,000 रुपये और 1,30,000 रुपये में कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी आपसे मांग है कि कम से कम 10,00,000 या 15,00,000 रुपये की सहायता राशि दी जाए।

मंत्री जी, किसी कारणवश किसी के घर या झोंपड़ी में आग लगती है, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए इस विधेयक में कोई ठोस प्रावधान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों की शादी करने के लिए सामान इकट्ठा करता है, उधार लेता है, सोना, चांदी, पैसा इत्यादि है, अगर उसमें आग लग जाए, तो उसको सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिलता है। उसको भी इसके अंदर सम्मिलित किया जाए। मैं यह भी कहूंगा कि किसान ने अपनी उपज को स्टोर कर रखा है, जिसको हम लोग खलिहान बोलते हैं, अगर उस खलिहान में आग लग जाती है, तो उसको भी आपदा के तहत शामिल नहीं किया गया है। मेरी यह मांग है कि उसको भी उसमें शामिल किया जाए।

आप कपड़ों की हानि पर 2,500 रुपये दे रहे हैं। मेरी यह मांग है कि सरकार न्यूनमत 75 प्रतिशत भुगतान करे। उसका जितना नुकसान हो, उसका आकलन कराया जाए और उस व्यक्ति को अधिकतम राशि मिले। अतिवृष्टि या बाढ़, अकाल, शीतलहर या लू की वजह से भी लोगों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। आप इस संबंध में भी कुछ करेंगे। सांसद कोष या विधायक कोष से भी, ऐसी परिस्थिति में जहां किसी भी प्राकृतिक आपदा से लोगों का नुकसान हुआ है, उससे राहते दें। वैसे तो सांसद कोष बहुत कम है, अर्थात् 5 करोड़ रुपये है। राजस्थान में तो एक संसदीय क्षेत्र में कई-कई विधान सभाएं हैं, तो कम से कम सांसद कोष बढ़ाया जाए।

अभी उत्तर प्रदेश के एक सांसद महोदय ने कहा था कि जहां बाढ़ या कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उस समय आवश्यकता होती है कि हम उसे तुरंत क्या सहायता दें। जैसे स्कूल या सरकारी भवन होता है, उसमें खाने-पीने और दवाइयों की व्यवस्था करें। हम उसके लिए रैन बसेरा बनाएं, ताकि वर्षा के पानी को रोक सकें। हम उनको तुरंत क्या सहायता दें? इसलिए सांसद कोष को बढ़ाया जाए। आप सांसदों को यह अधिकार दें कि प्राकृतिक आपदा के समय सांसद कुछ मदद कर सकें। लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन हम उनकी मदद नहीं कर पाते हैं। आप इसके अंदर ऐसा प्रावधान करें और सांसद कोष को बढ़ाएं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के नॉर्म्स के अनुसार मदद करने की सिफारिश करने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। गृह राज्य मंत्री जी, हर व्यक्ति या सांसद का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। आप विशेष रूप से इस बात का भी ध्यान रखिए। लोग हमारी तरफ देखते हैं और हम सरकार की तरफ देखते हैं।….(व्यवधान)

हाल ही में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण से जुड़ा मेरा सवाल था, जिसके जवाब में गृह राज्य मंत्री जी ने कहा था कि अग्निशमन सेवा राज्य का विषय है। अनुच्छेद 243(बी) के तहत भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में एक नगरपालिका कार्य के रूप में सम्मिलित की गई है। मैं गृह मंत्री जी से यह मांग करूंगा कि ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में भी अग्निशमन सेवाओं…(व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य, आप अपनी बात पूरी करिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : महोदया, अग्निशमन सेवाओं को अनिवार्य करने का प्रावधान बनाया जाए। चूंकि 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपये के प्रावधान की सिफारिश की गई थी, लेकिन गांवों में अग्निशमन सेवाओं की आवश्यक जरूरत है। इसमें जो भी उपखंड और पंचायत समिति मुख्यालय नगरपालिका क्षेत्र में नहीं हैं, वहां प्रारंभिक तौर पर अग्निशमन सेवाओं को अनिवार्य करने का प्रावधान तत्काल करने की जरूरत है।

सभापति जी, मैं कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं। अगर आप कहें, तो मैं बोल दूं, अन्यथा मैं बैठ जाऊं।…(व्यवधान) आपदाओं की पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत किया जाए। ताप, लहरों, बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं का सटीक पूर्वानुमान लगाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए। वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए योजनाएं लागू की जाएं। औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाएं। आपदा के बाद राहत कार्यों को तेज और व्यवस्थित किया जाए। प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और रोजगार की व्यवस्था की जाए।…(व्यवधान)

राजस्थान में खेजड़ी का वृक्ष है। राजस्थान में खेजड़ी के वृक्ष की अंधाधुंध कटाई हो रही है। वहां बहुत से लोग आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान (मरु प्रदेश) की जीवन धारा खेजड़ी है। आप सोलर ला रहे हैं, नए उद्योग ला रहे हैं, लेकिन खेजड़ी के वृक्षों को न काटा जाए। वह छाया के साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी देता है। सांगरी की जो सब्जी होती है, वह पूरे विश्व में फेमस है। आप तो जानते हैं। इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए, इसमें आप लोग बड़े संशोधन करें।…(व्यवधान)

(इति)

(1745/SPS/RP)

1745 hours

SHRI ARUN NEHRU (PERAMBALUR): Thank you for the opportunity, Madam. As far as this Bill is concerned, I must appreciate the Government for getting the right intent. I really appreciate the intent. It is absolutely right. But, the execution of that particular intent is wrong on two or more instances. For example, the Union Government, with its own resources, cannot manage any State's disaster because all the force, including men, material, and knowledge is actually resting with the State Government. Now, the Central Government is trying to create an overarching body in the name of making sure that the disaster relief actually reaches to the common man. But, by centralizing power and unintentional consequences, there will be a lot of communication gap. It is because the local knowledge, the knowledge of the geography, and the knowledge of the local place, is known by people in the State Government. So, I urge this particular Government to amend the related clauses so that their intention actually translates into action.

As far as the disaster management model is concerned, if you see any success model with respect to disaster management world over, it has always been a decentralized one. Take for instance, the examples of Odisha and Haryana in the last decade when this law was not there. In the case of Haryana, hon. Khattar Sir, was there. I want to point out only one thing here. The Prime Minister, who was the then Chief Minister of Gujarat during the Bhuj Earthquake, did a fantastic job, not because of this law, but in spite of this law. So, the Government should take an example of what he did. The Government should have to, actually, get back on time and say that this Bill is not right. So, please take care to, actually, translate that intention into practice.

Thank you.

(ends)

1747 बजे

श्री संतोष पांडेय (राजनंदगाँव) : सम्माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपके प्रति आभारी हूं। अनिल बलूनी जी बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं उस क्षेत्र से आता हूं, जहां सबसे ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है तथा समय, बेसमय, मौसम, बिना मौसम वहां पर आपदाएं आती रहती हैं और मैं अपने बोलने के अवसर के लिए कब से इंतजार कर रहा हूं।

महोदया, मैं यह इसलिए बोल रहा हूं कि एक क्षेत्र, जहां सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ और मैं कहूं कि जो वायनाड है, उसके बारे में कल से चर्चा चल रही है, किंतु मैं उस विषय में बोलना नहीं चाहूंगा। इनके पहले भी जो सांसद थे और जो अभी सांसद हैं, उनकी संवेदनशीलता को आप, पूरा सदन और पूरा देश समझ सकता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का संशोधन विधेयक 2024 लाया गया है। यह वास्तव में सजगता, सतर्कता, राहत, बचाव और पुर्नवास के समग्र दृष्टिकोण के साथ लाया गया है। मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि जल संबंधी आपदाएं, भूवैज्ञानिक संबंधी आपदाएं, जैसे ओलावृष्टि, बादल फटना, चक्रवात, गर्म पवनें, शीत लहरें, भूस्खलन, भूकम्प, ज्वालामुखी, मानव निर्मित आपदाएं, जैविक आपदाएं आती हैं। इस देश में सबसे बड़ी आपदा आई, वह चीनी बीमारी और महामारी के रूप में आई। उस समय पूरे देश ने ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। ऐसी आपदा के समय संकटमोचन बनकर या कहें कि स्पाइडर मैन बनकर पूरी दुनिया में कोई उभरे हैं तो हमारे देश के ऐसे यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी हैं, जिनकी ओर लोग देखते हैं।

महोदया, आज केवल भारत में ही नहीं, बल्कि जब रूस और यूक्रेन की बात होती है तो कहते हैं कि इस कृत्रिम डिजास्टर के लिए भी विश्वास है, जो इसे समाप्त कर सकते हैं। चाहे वह जैविक आपदा हो, औद्योगिक आपदा हो, परमाणु आपदा हो, कोविड-19 महामारी से निपटने के अनुभव के आधार पर एक से अधिक राज्यों में होने वाली आपदा या आपदा की आशंका को प्रभावी ढंग से सम्भालने के उद्देश्य से समन्वय, नियंत्रण उपाय, निगरानी और पूर्वानुमान, विशेष टीमों की तैनाती, भौतिक संसाधन, पर्याप्त सार्वजनिक उपाय आदि के लिए निर्देश जारी करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी समिति एनईसी में एक नया कार्य जोड़ा गया है।

(1750/YSH/NKL)

सभापति महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी आपदा के समय यहां की लैब को, यहां के वैज्ञानिकों को सब प्रकार से प्रोत्साहन देने का काम यदि किसी ने किया, तो वह हमारे प्रधान मंत्री जी ने किया। पहली बार को वैक्सीन और कोविशील्ड का निर्माण आपदा के समय हमने किया। ये तो विदेश की ओर देख रहे थे। ये विदेशी कंपनी की वकालत कर रहे थे। ऐसे समय में वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत की बात और उसे उठाने का काम माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है।

मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे
कि दाना ख़ाक में मिलकर गुल-ओ-गुलज़ार होता है।

यह माननीय प्रधान मंत्री जी की विशेषता है। हम सब जानते हैं कि वायनाड के विषय में भी समय से पहले वार्निंग देने का काम किया गया था। मैं सुन रहा था कि केरल के लोग और ये विपक्ष के लोग किस प्रकार से आलोचना कर रहे थे। ये माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी और देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ही हैं, चूँकि मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि केदारनाथ के समय में भी वे गुजरात के मुख्य मंत्री थे, लेकिन आपदा में वे वहां पर पहुंचे और उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया था। वहां के मुख्य मंत्री ने उनको अनुमति नहीं दी थी। चाहे सुरंग की बात हो तो उत्तरकाशी के सिल्क्यारा सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को 17 दिनों के बाद भी सुरक्षित निकाल लिया गया, यह इस देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ही हैं, जिन्होंने यह काम करके दिखाया। इसके लिए मुझे वह पंक्ति याद आती है।

बाधाएं आती हैं आएं
घिरें प्रलय की घोर घटाएं,
पांव के नीचे अंगारे
सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं,
निज हाथों से हंसते-हंसते
आग लगाकर जलना होगा
उन्नत मस्तक उभरा सीना
पीड़ाओं में पलना होगा
कदम मिलाकर चलना होगा।

यह माननीय प्रधान मंत्री जी की विशेषता रही है। आज पूरी दुनिया में जब-जब आपदा आती है तो लोग देश के प्रधान मंत्री जी की ओर देखते हैं, क्योंकि वे अग्रसर की भूमिका निभाते हैं।

आपदामप हर्तारम दातारं सर्व सम्पदाम। एक व्यक्ति के लिए आज हम सबको गर्व है कि आज यह जो विधेयक आया है, यह आने वाले समय के लिए आपदाओं को खत्म करने के लिए है और जितनी भी इसमें बातें कही गई हैं, वह सब इसके समाधान के लिए है। मैं इसका सब प्रकार से समर्थन करता हूँ।

(इति)

1753 बजे

श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे (रामटेक) : सभापति महोदया, आपने मुझे आपदा प्रबंधन संशोधन बिल, 2024 पर बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपदा को बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान के रूप में परिभाषित किया जाता है, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव निर्मित। आपदाओं से मानवीय, भौतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय नुकसान होता हैं। आपदा देश के आर्थिक, सामाजिक और मानव विकास क्षमता को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। चाहे सन् 1999 में ओडिशा का सुपर चक्रवात हो, वर्ष 2001 का गुजरात भूकंप हो, वर्ष 2004 में हिंद महासागर में सुनामी हो, वर्ष 2007 में बिहार बाढ़ आपदा हो, वर्ष 2013 में उत्तराखंड बाढ़ हो, वर्ष 2014 में कश्मीर बाढ़ आपदा हो, वर्ष 2021 में केरल में बाढ़ आपदा हो या वर्ष 2024 में वायनाड लैंडस्लाइड हो, इस तरह की आपदाएं हमारे देश में आई हैं, जिनके कारण लाखों लोगों की जानें गई हैं।

सभापति महोदया, अगर मैं आंकड़ों की बात करुं तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के एक नए विश्लेषण से पता चला है कि वर्ष 1970 से 2021 के बीच 573 जलवायु संबंधी आपदाओं में लगभग 1,38,377 भारतीयों की मृत्यु हो गई, जो बांग्लादेश के बाद पूरे एशिया में दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। देश ने देखा कि उत्तराखंड के सिल्कयारा सुरंग में जब हमारे मजदूर फंस गए थे तो उन्हें निकालने में 17 दिन का समय लग गया। इसलिए माननीय मंत्री जी को मेरा सुझाव है कि आपदा प्रबंधन में दुनिया के सबसे अच्छे आपदा प्रबंधन मॉडल को अपनाया जाए।

सभापति महोदया, मैं महाराष्ट्र के रामटेक लोकसभा से चुन कर आया हूँ और पिछले 18-20 सालों में महाराष्ट्र के अलग-अलग क्षेत्रों में जो प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं आई हैं, उनका आंकड़ा रखना चाहता हूँ। वर्ष 2000 में मुम्बई लैंडस्लाइड में 78 लोगों की जान चली गई। वर्ष 2014 में मलिन लैंडस्लाइड, पुणे में 151 लोगों की जान चली गई।

(1755/RAJ/VR)

वर्ष 2020 के विदर्भ फ्लड में नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर जिले के लगभग एक लाख लोग प्रभावित हुए थे। उस समय प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे की बात की जाती है, उनके विस्थापन की बात की जाती है, लेकिन बाढ़ खत्म होने के बाद यह पूरा नहीं होता है। गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली और चंद्रपुर के लोगों को जो नुकसान हुआ है, उनका मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है। वर्ष 2021 के महाराष्ट्र फ्लड में पश्चिमी महाराष्ट्र के 13 जिलों में लगभग 209 लोगों की मृत्यु हो गई और लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ।

माननीय सभापति महोदया, मैं उम्मीद कर रहा था कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन विधेयक के माध्यम से आपदा प्रबंधन को बहुत ही व्यापक बनाने का काम करेंगे, लेकिन बहुत सारी कमियां हैं। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहां रखना चाहता हूं।

सभापति महोदया, यह विधेयक शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करता है, जिसकी अध्यक्षता नगर निगम आयुक्त करेंगे, जबकि जिला कलेक्टर उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। यह संरचना समन्वय की चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि जिला कलेक्टर, जो अक्सर नगर निगम आयुक्तों से वरिष्ठ होते हैं, उपप्रधान की भूमिका में होंगे इस विधेयक में "उभरते हुए जलवायु जोखिम" को शामिल किया गया है, लेकिन जलवायु-संबंधी आपदाओं में अलग अलग राज्यों में भिन्नताएं होती हैं, उन्हें

आपदा की अधिसूचित सूची से बाहर रखा गया है। मेरी सलाह है कि माननीय मंत्री जी राज्यों और भिन्नता को ध्यान में रखते हुए आपदाओं की सूची को व्यापक बनाने का काम करें। सरकार इस विधेयक में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करता है। शहरी क्षेत्रों का भारत की जीडीपी में बड़ा योगदान है, जबकि शहरी स्थानीय निकाय को जीडीपी का केवल 0.6 प्रतिशत राजस्व प्राप्त होता है। इसलिए, बिल में आवश्यक वित्तीय विकेंद्रीकरण की कमी है, जो अधिक समस्याएं पैदा कर सकता है।... (व्यवधान)

सभापति महोदया, मेरा आखिरी सुझाव है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सेक्शन 31 में यह अनिवार्य है कि सभी जिला आपदा प्रबंधन सुनिश्चित करेगा। मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि आपदा प्रबंधन के लिए सभी जिलों में वहां की भौतिक और प्राकृतिक स्थिति के अनुसार जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ाया जाए और इसके लिए सभी जिलों को फंड दे।

मैडम, जब भी कोई आपदा जिले में आती है, तो जिला कलेक्टर को ज्यादा से ज्यादा पावर वहां वित्तीय सहायता देने के लिए इस बिल में होनी चाहिए ताकि वहां तुरंत स्थानीय लोगों को मदद दी जा सके। अभी हमारे एक भाई ने जिस तरह से कहा है कि कोरोना में मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हमने देखा है कि कोरोना काल में लाखों उत्तर भारतीय सड़क पर पैदल जा रहे थे और भूखे मर रहे थे। उनको खाना खिलाने का काम भारत के लोगों ने किया।... (व्यवधान) सरकार ने कोई मदद नहीं की। केन्द्र शासन ने हमेशा भेदभाव किया। जहां विरोधी सत्ता रही है, वहां पर उनको वैक्सीन के लिए रोका गया एवं अन्य सारी सुविधाओं को रोकने का काम किया गया। इस बिल में ऐसा भेदभाव न हो। इसकी पूरी की पूरी खबरदारी ली जाए। मैं आप3
माध्यम से यही गुजारिश करना चाहूंगा।

(इति)

1758 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Madam Chairperson, for giving me this opportunity to take part in the discussion on the Disaster Management (Amendment) Bill, 2024. I have 22 notices of amendments. I may kindly be provided a little bit more time so that I can elucidate the amendment proposals.

Madam, the Disaster Management Act, 2005 was one of the landmark legislations in the legislative history of India. During the UPA Government led by Dr. Manmohan Singh, the Parliament enacted the Disaster Management Act of 2005 by invoking Entry-23, Schedule VII of the Constitution, that is, the Concurrent List - Social Security and Social Insurance.

The Act marked a paradigm shift from relief sending response to prevention and mitigation focused approach establishing the National Disaster Management Authority, the State Disaster Management Authorities, and the District Disaster Management Authorities. The institutional framework was further strengthened by constituting the National Institute of Disaster Management and also the National Disaster Response Force. Subsequent to the enactment of this legislation, revolutionary changes took place and it is seen in addressing and combating disasters. Absolutely, it was a landmark legislation and we have seen the experience from 2004 to 2024.

Madam, I will confine myself to certain points of the present amendment Bill 2024, which establishes a comprehensive disaster database. I fully support it. It is the need of the hour.

Secondly, the new amendment Bill has a provision for creating a new authority, namely, the Urban Disaster Management Authorities. I strongly oppose the suggestion because multiplicity of organisations is not needed. We are having the National Disaster Management Authority; we are already having the State Disaster Management Authorities; and we are also having the District Disaster Management Authorities. Now, another authority is being created in between. It is not needed at all because you cannot distinguish between an urban disaster and a rural disaster. Therefore, I would request the Government to reconsider it. ....*(Interruptions)*

(1800/KN/SAN)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य, प्लीज एक मिनट रुकिये।

माननीय सदस्यगण, अभी मेरे पास इस विषय पर बोलने वाले सदस्यों की लम्बी सूची है। यदि सभा की सहमति हो तो इस विषय की समाप्ति तक समय बढ़ा दिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य : हाँ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Madam.

My third point is about the creation of State Disaster Response Force, SDRF. I fully support that.

The Bill is giving statutory status to the National Crisis Management Committee and the High Level Committee. This requires more clarification.

Madam, I have certain reservations about the Bill. I have three strong objections to the definition clause (2) of the Bill. The first one is the definition of 'disaster'. The internationally acknowledged definition of 'disaster' includes wars, communal riots, conflicts etc. India is signatory to the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, which happened in Japan, and is bound to follow the principles of the Framework. The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-30 defines 'disaster' as follows.

1801 hours (Shri Awadhesh Prasad *in the Chair*)

Mr. Chairperson, disaster is a serious disruption of the functioning of a community or a society at any scale due to hazards/events leading to one or more of the following: - human, material, economic and environmental losses and impacts. This definition does not differentiate between manmade disaster and natural disaster. By virtue of the proposed amendment to exclude communal riots, conflicts and law and order situations will leave the victims outside the purview of any relief under this Act. Manipur is a typical example. So, that distinction has to be taken care of.

The term 'substantial' is not clearly defined in the Bill. It says 'a calamity, natural or manmade, which results in substantial loss of lives and human sufferings'. What is the meaning of the term 'substantial'? It is

internationally being accepted that if eight persons die, it is to be considered as a disaster. I would like to know whether ‘substantial’ is having any definition or interpretation. I am seeking this clarification from the hon. Minister.

My third objection to the definition clause is that restoration of livelihood of the affected community is not defined. Mr. Chairperson, Sir, there are many definitions, like reconstruction, recovery, etc. So many new amendments have come in the definition clause. Unfortunately, one thing is deliberately omitted and that is restoration of livelihood of the affected community. That has not been defined. That has to be defined along with reconstruction, recovery and rehabilitation. As per the international conventions, restoration of livelihood is a mandatory provision and its exclusion will result in further marginalisation of communities like the fisherfolk as in the coastal areas, they experience disasters on a regular basis due to coastal erosion.

The proposed amendment Bill by virtue of Clause 9 omits Sections 12 and 13 of the original Act. None of the Members have so far spoken about it. I would like to draw the attention of the Chairperson that I have a very serious objection because Section 13 empowers the National Disaster Management Authority, in case of disasters of severe magnitude, to recommend relief in repayment of loans. In Wayanad, repayment of loans is a big problem and also obtaining of fresh loans is a problem for the persons affected by disaster. It also says ‘…on such concessional terms as may be appropriate’. This relief is being taken away. Sections 12 and 13 are sought to be omitted. I would request the hon. Minister to kindly explain this. In this regard, the explanation given in the Statement of Objects and Reasons is that it belongs to the Finance Ministry and therefore, it cannot be included in the Bill. How can it be a logical and justifiable reason by which this relief is being taken away? That has to be explained by the Minister. A disaster of severe or grave nature of level three requires to provide the affected persons relief in regard to repayment of loans, adjustment of loans and allocation or granting of new loans on

concessional rates or waiving of loans. That benefit is being taken away. So, I would request the hon. Minister to explain it.

(1805/SNT/PC)

Sir, this is about the National Crisis Management Committee and the High-Level Committee. I would like to ask this to the hon. Minister. Do we really need a National Crisis Management Committee for managing the disasters as there are NDMA and NDRF already functioning effectively? Kindly see whether the HLC and NCMC be given the statutory status. I am fully confining to the Bill. So, kindly consider the suggestion also.

The last point is regarding the Urban Disaster Management Authority. I have already mentioned about it. The very interesting fact – the Minister may kindly note – is that the Chairman is the Municipal Commissioner of the Urban Disaster Management Authority. The Vice-Chairman is the District Collector. How is this going to work out for the Urban Disaster Management Authority? Kindly explain because the District Collector is having the authority of the whole district. He is acting as the Vice-Chairman. I do not know how this process will be done. It is not logical; it is not correct. So, that may also be looked into.

Finally, I am coming to the issue of Wayanad. The Government of India is saying that the State Government has not properly submitted the requirement in time. The State Government is alleging that the Central Government is not allocating the funds. On behalf of the people belonging to Wayanad and Kerala, we, the Members of Parliament, unanimously appeal to the Government that this is not the time for having political controversies. Kindly grant an advance and also consider the Wayanad disaster seriously. More than 500 people have died. Kindly consider it as a calamity of severe nature of Level 3 and advance payment may be allocated. … (*Interruptions*)

(ends)

1807 बजे

श्रीमती लवली आनंद (शिवहर) : माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पर बोलने के लिए उठी हूं। आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

महोदय, मैं कोसी में पैदा हुई हूं और बागमती क्षेत्र से सांसद हूं। ये दोनों ही क्षेत्र बाढ़ की विभीषिका झेलने को अभिशप्त हैं। विगत सितंबर माह के अंत में मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर जिले के तरियानी छपरा और सीतामढ़ी जिले के बेलसंड प्रखंड के मधुकौल एवं सौली-सिरसिया में बागमती नदी पर बांध टूटने से लाखों लोगों को भीषण त्रासदी का सामना करना पड़ा। अरबों-खरबों की फसल गई, मकानें, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, सभी बाढ़ की तबाही की भेंट चढ़ गए।

ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि बीसों वर्षों से बांध की कोई मरम्मत नहीं हुई। बांध की मरम्मत अटल जी के समय में हुई थी और उससे पहले इंदिरा जी के समय में हुई थी। तब से आज तक मरम्मत के नाम पर सिर्फ विभाग और संवेदकों की मिलीभगत से लूटमार और खानापूर्ति ही होती रही है।

महोदय, इससे बहुत ज्यादा क्षति हुई है। हमने देखा कि वहां महिलाएं भूख से तड़पते बच्चों को गोद में ली हुई थीं, क्योंकि उनके घरों में पानी भर गया था, उनके घर गिर गए थे। वे भूखे बच्चे मां की छाती से चिपके हुए थे। हमारी सरकार के द्वारा काफी कुछ किया गया, लेकिन जितनी तबाही हुई, जितनी क्षति हुई, उसके सामने यह बिलकुल नगण्य है, क्योंकि तबाही बहुत भयानक थी। हम लोगों ने खुद अपने द्वारा भी बहुत कुछ किया। अगर बांध की मरम्मत हो गई होती, अगर बांध की ठोस मरम्मत रहती, उसका पक्कीकरण हो गया होता, तो इस तरह की बात नहीं होती।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्रीय जल संसाधन और आपदा मंत्री से निवेदन करती हूं कि यह वक्त का तकाज़ा है कि बागमती के दोनों तटबंधों की पूर्ण मरम्मत कर उसका पक्कीकरण किया जाए, ताकि भविष्य में लोगों को इस भीषण त्रासदी का सामना नहीं करना पड़े।

महोदय, इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करती हूं कि जिस प्रकार यूपी में चार-चार रेल दावा अधिकरण हैं, लेकिन बिहार जैसे सघन आबादी वाले राज्य में एकमात्र पटना में ही है। ऐसे में इस अधिकरण की दूसरी शाखा उत्तर बिहार के समस्तीपुर जिले में खुलवाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि रेल दुर्घटना के शिकार उत्तर बिहार के लोगों को इस सुविधा का आसानी से लाभ मिल सके।

महोदय, यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं और इस बिल का जनता दल (यूनाइटेड) की तरफ से पुरजोर समर्थन करती हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

जय हिंद।

(इति)

(1810/IND/AK)

1810 बजे

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : सभापति जी, मैं इस बिल की मुखालफ़त में बोलने के लिए खड़ा हूं। इस बिल में सैक्शन-5 को तरमीम करके सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि स्कोप, नेचर, केटेगिरी ऑफ आफिसर्स एंड एम्प्लाइज को वे खुद तखरूर कर सकते हैं।

This is just a cosmetic amendment. If you see Section 5(1), it says that the National Authority can exercise this power only with the prior approval of the Central Government. Now, this greatly undermines the purpose of the amendment. Basically, there is no decentralization.

This Bill fails to set minimum standards and conditions so as to ensure that it is not filled by bureaucrats with limited knowledge of disaster relief and mitigation. In Section 18(1), Section (c) has been added. It requires that the District Plan has to be prepared in accordance with the National and State Plans. But at the hyper-local level, the local authorities should retain the power to shape specific measures for disaster relief, and the local plan should complement the National Plan and not the other way around.

The current definition of disaster and disaster risk is very restrictive. It does not include some of the major natural disasters like heat waves and pollution. Globally, heat waves are accepted as climate-related disaster given their ramification on ecosystem and human health. Thousands of people died in our country because of heat wave. Death due to heat wave should be included in the definition.

The Government of India has our foremost medical research institutes like ICMR. A study done by Pandey and Anamika has found that about 17 lakh deaths were attributed to air pollution in India in 2019. So, this definition of disaster should include air pollution and heat wave.

I would request the Government to examine it, and our country should have a debate on why we cannot start an academic year in mid-August. Now, climate change is a reality. As a result of climate change, heat waves, floods and heavy rainfall are happening in the month of July and August. This way, we can save human lives and economic loss as well.

Another important point is that there is always a lag in distribution of SDRF from three months to a year after the time of disaster or after the relief is announced. My request to the Government is that as an immediate measure, the SDRF amount due to the State for a year should be released at the beginning of the year as most of the calamities like heat strokes and floods happen between May and October.

The scale of finance under SDRF for relief is ridiculously low. For example, it is Rs. 60,000 per kilometre for district and rural roads. Who will make this road with Rs. 60,000? Please tell us. Even for recovery and reconstruction, the norms are kept at 50

per cent of the SSR of Government of India projects. It is Rs. 55 lakh per km for roads. Who will build it with Rs. 55 lakh? No road can be made now. I demand that the 50 per cent clause should be removed and it should be at par with SSR of NHAI.

Now, coming to PDNA, which is taken to assess the requirement for recovery and reconstruction with assistance of NDMA, many States like Kerala, Assam, Sikkim and Himachal have not released the funds under PDNA, and because of not releasing under the PDNA they cannot go to multi-lending agencies like the World Bank. The norms for releasing funds allocated under the SDRF as per the 15th Finance Commission is 70 per cent weightage for previous expenditure and only 15 per cent for area and population. Now, in my State of Telangana, the previous Government had not utilised their amount and Rs. 1,300 crore is outstanding. Now, because of not utilizing it, my present Chief Minister, Shri Revanth Reddy is being penalized. So, I would request this Government at the Centre that Governments should not be penalised if the funds are not spent by the previous Governments. I demand that this 70 per cent should be reduced to 15 per cent and more emphasis should be on the actual incidents of calamities.

I would like to remind the Government that this FRBM limit of three per cent is there. Let 0.5 per cent be earmarked for natural disasters. Climate change is a reality. So, 0.5 per cent should be earmarked in the FRBM so that the State Governments can go to multi-lending agencies like the World Bank.

Hon. Minister, Mr. Bandi Sanjay Kumar is sitting over here. In my State, in August-September, 2023, we had floods and huge rainfall where Rs. 10,000 crore has been the loss. There were Rs. 2,300 crore worth of damages to roads alone. Still now, the Government is not releasing the money. Districts like Mahabubabad, Suryapet, Khammam and Warangal have suffered huge losses.

(1815/UB/RV)

There has been human loss, cattle loss, and property loss, especially of Dalit community.

माननीय सभापति (श्री अवधेश प्रसाद) : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): On behalf of Telangana, let Mr. Bandi Sanjay pursue the request made by hon. Chief Minister, Shri Revanth Reddy.

Lastly, regarding vacancies in NDRF, there are 14,197 personnel in service against the sanctioned strength of 18,557. Why are you not able to stop mudslides and floods which are happening in Himachal Pradesh, Kerala and Bihar? What are you doing? The NDRF fund is Rs. 1,600 crore. Is Rs. 1,600 crore enough? Why do you not increase it to Rs. 10,000 crore if money is not an issue for you? Therefore, I oppose this Bill.

(ends)

1816 hours

*SHRI SANJAY UTTAMRAO DESHMUKH (YAVATMAL-WASHIM): Hon'ble Chairperson, thank you. Today, I rise to discuss the Disaster Management (Amendment) Bill, 2024. I would like to draw the attention of this House towards the calamity faced by the farmers of Maharashtra State. During July to August, around 25 districts lashed by heavy rains and due to this natural calamity 1,70,000 hectares of cultivated land got badly affected and the crops like soyabean and cotton mainly.

The situation in Vidarbha and Marathwada regions is really alarming. Around 97,652 hectares of land and the standing crops are completely destroyed in Vidarbha.

The farmers of Maharashtra sowed soyabean on 50 lakh hectares of land this year but due to heavy rainfall in the months of July and August, 2024 when the crops were about to bear the fruits, the crop got totally devastated.

I would like to share about the drastic condition in Yavatmal district. Due to the flood like situation, the standing crops on thousands of hectares of land got washed away completely and 7 persons and 46 cattle also died. Around 415 pucca houses also got damaged.

In Washim district, during February to September, the standing crops on thousands of acres of land got fully damaged due to heavy rains. Around 78,457 farmers got affected. During flood, 7 people and 50 cattle drowned in flood water.

1818 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

Sir, even after facing such a hardship, no significant help has been provided to the distressed famers yet. No assistance has been given to repair the damaged houses. So, the people and farmers have a little hope for any kind of relief from the Government.

---

* Original in Marathi

Hundreds of shops and houses got affected due to water logging in Sandwa, Mandwa, Ghansal, Karla, Pusad, Digras in Yavatmal. Very fertile black soil is also washed away from farms.

This Disaster Management (Amendment) Bill is very important but we need to consider a few points. The locals should be included in decision making process because it can work effectively only after recognizing the local needs. To carry out an effective disaster management, we need equipment and manpower. We should focus on desilting of rivers and nallas as it would help free flow of water. It would also help to avert the possible losses of lives and properties.

I would like to request the Government to deploy at least two battalions of NDRF in each district of Maharashtra and also to provide necessary relief and assistance to the affected people.

With these words, I support this Bill.

(ends)

माननीय अध्यक्ष : श्री चन्द्र शेखर जी।

घड़ी का और समय का ध्यान रखिए। साढ़े छ: बजे मंत्री जी के जवाब का समय है।

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके एक-एक शब्द की वैल्यू समझता हूं। अगर आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

माननीय अध्यक्ष : नहीं, नहीं, आप बोलिए। आपको बोलने के लिए देश की जनता ने भेजा है।

(1820/GG/SRG)

1820 बजे

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : अध्यक्ष जी, हम आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पर विचार कर रहे हैं, जिसमें मूल अधिनियम की 79 धाराओं में से 51 धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव है।

हालांकि ये संशोधन आवश्यक हो सकते हैं, परंतु यह तरीका कुछ जटिल हो सकता है, खासकर नए सदस्यगण के लिए, मेरे जैसे के लिए, जिन्हें मूल अधिनियम और संशोधन विधेयक दोनों का अध्ययन करना पड़ता है। इससे विधेयक की समझ में कठिनाई हो सकती है और विधायी प्रक्रिया में जटिलता आ सकती है। इस संदर्भ में मेरा सुझाव है कि यदि संशोधन विधेयक के माध्यम से हम मूल अधिनियम को ही प्रतिस्थापित करके एक नया विधेयक प्रस्तुत करें, तो यह न केवल विधेयक को अधिक स्पष्ट और समझने में आसान बनाएगा, बल्कि लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग प्रक्रिया को भी सरल करेगा।

वर्तमान में, संविधान की सातवीं अनुसूची में इसकी स्पष्ट एंट्री का उल्लेख नहीं किया गया है। मंत्रीजी कृपया यह बताने का कष्ट करें की वर्तमान विधेयक संविधान की सातवीं अनुसूची की किस एंट्री में कवर होता है। यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि हम इसे संविधान की सातवीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से दर्ज करते, तो यह विधेयक लाने का आधार और संसद की विधायी शक्ति को स्पष्ट रूप से मान्यता मिलती। इसके बिना यह विधेयक संविधान के तहत अपनी पूरी वैधता का दावा नहीं कर सकता है, जिससे इसके लागू होने में अस्पष्टता उत्पन्न हो सकती है।

इसलिए मेरा सुझाव है कि भविष्य में इस प्रकार के विधेयक लाते समय, संविधान की सातवीं अनुसूची में 'आपदा प्रबंधन' के लिए एक स्पष्ट प्रविष्टि जोड़ी जाए, ताकि संसद की विधायी शक्तियां स्पष्ट रहे और विधेयक का औचित्य पूरी तरह से स्थापित हो सके।

महोदय, मेरा लीक प्रश्न केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को आपदा के समय धनराशि और अन्य सहायता प्रदान करने के तरीके से संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई आपदा आती है, केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों को राहत देने के लिए धनराशि और सामग्रियाँ भेजती है। हालांकि, यह देखा गया है कि कभी-कभी सरकारें अपनी पार्टी शासित राज्यों को प्राथमिकता देती हैं, जबकि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों को धनराशि कम, विलंब और भेदभावपूर्ण तरीके से दी जाती है। इस भेदभाव के कारण राजनीतिक विवाद और आरोप-प्रत्यारोप उत्पन्न होते हैं। विशेषकर जब आपदा की स्थिति गंभीर होती है तो यह भेदभाव और देरी राज्यों के लिए और अधिक संकटपूर्ण हो सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस विधेयक में एक स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी राज्यों को आपदा सहायता समान रूप से और समान मानकों के आधार पर दी जाए। यदि प्रारंभिक सहायता प्रदान की जाती है तो यह सभी राज्यों के लिए समान हो और किसी भी राज्य को भेदभाव का शिकार न होना पड़े।

साथ-साथ, विधेयक में ये प्रावधान है कि आपदा डाटाबेस के साथ अगर Artificial Intelligence, Remote sensing और डाटा एनालिटिक्स जैसी टेकनोलॉजी का इस्तेमाल कर डाटाबेस की उपयोगिता बढ़ा सकते हैं। ऐसा प्रावधान भी विधेयक में हो।

सरकार एनडीएमए में जो अपना स्पेशलिस्ट स्टाफ रखेगी क्या इन नियुक्तियों में एससी, एसटी, और ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान दिया जाएगा?

क्या ये बल सिर्फ मैनपावर होंगे या आवश्यक राहत सामग्री एवं उपकरणों से भी लेस होंगे? इन बलों को वितीय संसाधन भी देने होंगे, जिससे ये प्रभावी ढंग से कार्य कर सके।

आपदा प्रबंधन नीति डिजाइनिंग में पूर्व चेतावनी प्रणालियों के उन्नयन को शामिल करके पूर्व चेतावनी प्रणालियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

महोदय, आपदा प्रतिक्रिया कोष में ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि आपदा होने के 24 घंटे में ही प्रभावित राज्य/जिला प्रशासन को एक निश्चित प्रारम्भिक जारी हो सके। जापान जैसे देशों की तरह 72 घंटे की महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया योजना को लागू करना चाहिए, ताकि समय पर बचाव कार्य और कुशल समन्वय सुनिश्चित हो सके।

जनता और एनजीओ को भी एक्ट के तहत बनी सभी एजेंसीज के साथ मिलकर काम करने की योजना पर बल दिया जाना चाहिए था। किन्तु संशोधन विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिखता जो की आपदा के समय नागरिकों, एनजीओ और सामजिक संगठनों के रोल को भी सुनिश्चित करे। आपदा राहत को नागरिकों के लीगल राईट बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपदाओं में अपने प्रियजनों और संपत्ति को खोने वाले व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य को सहायता प्रदान करने के लिए मनोवैज्ञानिक पुनर्वास कार्यक्रमों को आपदा प्रबंधन नीतियों में एकीकृत करने की आवश्यता है।

महोदय, वायु प्रदूषण भी एक तरह का डिज़ास्टर है। दिल्ली और एनसीआर के तमाम क्षेत्रों में बुरे हालात हैं। हवा ज़हरीली हो गई है। मेट्रो सिटीज़ में सभी जगह यह हाल है। इसको भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए। लोगों का जीवन कीमती है। लोग जब सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसा जीवन?

सर, मैं नगीना लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ। किसानों को हर बार बाढ़ के कारण नुकसान होता है। जब वे सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, तो अधिकारी धमका कर उनको वापस भेज देते हैं। उनको कोई मुआवज़ा नहीं मिलता है। मुआवज़े के नाम पर खानापूर्ति होती है। सभी लोगों में इस बात की चिंता है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि जो मांगे हमने इसमें रखी हैं, अगर उनको जोड़ दिया जाए, तो इसका फायदा आम जनता, किसानों और सभी उन वर्गों को मिलेगा, जिनके लिए हम सोचते हैं।

सर, भारत बड़ा देश है, बड़ा भू-भाग है। कहीं बाढ़ है, कहीं अग्नि है, कहीं रेत की समस्या है। तमाम तरह की मुसिबतें यहां हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि इस विधेयक को और मज़बूत करें, जिससे इसका लाभ जनता को मिले।

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, चन्द्र शेखर जी नए सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने विधेयक पर बहुत अच्छा बोला है। पड़ोस वाले भी समझ लो। यहां पर आप जैसे लोगों के अनुभव का लाभ इनको मिलता है। परंतु आप थोड़ा अनुभव इनको ठीक दीजिए।

श्री उमेश पटेल।

(1825/MY/RCP)
1825 बजे

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 का समर्थन करने के लिए सदन में खड़ा हुआ हूं, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन करना चाहता है। पिछले कुछ वर्षों में आपदाओं से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर ध्यान दिया जा रहा है। आपदा के बाद नुकसान के प्रभावी निगरानी और ऐसे घटनाओं के रोकथाम में स्थानांतरित हो गया है। यह मनुष्य और सामाग्री को समान रूप से भारी नुकसान पहुंचाता है। इन आपदाओं का प्रभाव हमेशा सभी समुदायों पर नहीं होता है। कुछ प्राकृतिक और मानव प्रेरित कमजोरियों के संयोजन के कारण असमान्य रूप से प्रभावित होते हैं। भारतीय मुख्य भूमि दुनिया की लंबी तट रेखाओं में से एक है, जिसकी लंबाई 7,516 किलोमीटर है। इस समुद्रतट का लगभग 2,800 किलोमीटर हिस्सा अरब सागर के साथ लगता है। भारत में पाँच राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेश अरब सागर के साथ एक सीमा साझा करते हैं। इसमें मेरा संसदीय क्षेत्र दमन और दीव भी शामिल है।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र की आबादी का एक बड़ा प्रतिशत आजीविका के लिए मछली पकड़ने पर निर्भर है। उनमें से अधिकांश छोटे स्तर के मछुआरे हैं, जिनके पास बहुत ही कम परिसंपत्ति है। प्रतिकूल जलवायु घटना की स्थिति में उनके ट्रॉलर, नौकाओं, मछली पकड़ने के जाल बह जाने या मरम्मत से परे क्षतिग्रस्त होने की संभावना होती है। इन घटनाओं का दीर्घकालिक प्रभाव शायद अधिक चिंताजनक है। इनमें से अधिकांश आजीविका के नुकसान से कभी उबर नहीं सकते हैं।

महोदय, आखिरी में जब तौकते तूफान आया था और हमारे प्रदेश के दीव में इस तौकते तूफान की वजह से मछुआरों को भारी नुकसान पहुंचा था। अभी तक उन मछुआरों के नुकसान की भरपाई प्रशासन की ओर से नहीं हुई है। इसके चलते प्रदेश के मछुआरे अभी भी उस नुकसान से उबर नहीं पाए हैं। मैं इस सभा के सम्मानित सदस्यों के समक्ष एक विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

महोदय, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दमन और दीव को चक्रवात जोखिमों के लिए अत्यधिक संवेदनशील जिलों में वर्गीकृत किया है। लेकिन, इस संघ राज्य क्षेत्र में कोई निगरानी केंद्र नहीं है। इसके साथ ही दमन और दीव में या इसके आसपास के क्षेत्र में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की कोई ईकाई नहीं है। हमें यह समझने की जरुरत है कि मेरे अपने संसदीय क्षेत्र सहित कुछ स्थानों का परिदृश्य ऐसा है कि यदि प्रतिकूल जलवायु घटनाओं के कारण कुछ पुल और सड़कें अनुपयोगी हो जाती हैं तो पूरा क्षेत्र पड़ोसी जिलों से दुर्गम हो सकता है। ऐसी स्थिति में राहत और पुनर्वास के प्रयासों को गंभीर रूप से विफल किया जा सकता है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपदा राहत कर्मियों को भेजा जा सकें ताकि लोगों की जान-माल बचाया जा सके।

महोदय, मैं केंद्र सरकार से दमन और दीव में एक-एक निगरानी स्टेशन और एक-एक एनडीआरएफ इकाई स्थापित करने का आग्रह करता हूं।

महोदय, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। दमन और दीव मेरा संसदीय क्षेत्र है और वहां मेरा निवास स्थान भी है। वहां पर दमन गंगा नदी आई हुई है। अब वह काफी प्रदूषित हो चुकी है। अगर आप गूगल मैप से देखेंगे तो यह नदी पूरी तरह से काली दिखती है।… (व्यवधान)

महोदय, अब मैं समाप्ति की तरफ आ रहा हूं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वापी, गुजरात से जो केमिकल वाला पानी हमारे यहां के दरिया और समुद्र में छोड़ा जाता है, उसे बंद कराया जाए। इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

1828 बजे

डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा (सिक्किम) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। डिजास्टर मैनेजमेंट (अमेंडमेंट) बिल 2024 का समर्थन करते हुए और आपकी अनुमति लेते हुए मैं यहां एक-दो बात रखना चाहता हूं।

महोदय, मैं सिक्किम को रिप्रेजेंट करता हूं। सिक्किम हमेशा से ही अच्छे इश्यूज और कॉज के लिए न्यूज में आया है। लेकिन, रिसेन्ट्ली अक्टूबर, 2023 में तीस्ता में जो फ्लैश फ्लड हुआ, उसकी वजह से भी सिक्किम न्यूज में आया। सिक्किम इन आपदाओं से लड़ते हुए आगे बढ़ा है। वर्ष 2011 में अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड हुआ था। Sikkim is well-known for these disasters. इस डिजास्टर मैनेजमेंट में जो अमेंडमेंट लाया गया है, मुझे लगता है कि यह बहुत ही टाइमली अमेंडमेंट है। इसमें डिसेन्ट्रलाइज करने की कोशिश की गई है। This is a very welcome move. इसलिए, हम इस बिल का समर्थन भी करते हैं। इस अमेंडमेंट में जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान लाया गया है, इसमें एनडीएमए और एसडीएमए दोनों को मैनडेट किया गया है। मुझे लगता है कि स्टेट का जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसको ज्यादा मैनडेट देनी चाहिए।

(1830/PS/CP)

India is such a diverse country. इसमें बहुत से जियोग्राफिकल एरियाज़ हैं और सबका अपना-अपना डिजास्टर एक्सपीरियंस है। इसमें विशेषकर लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, विधायक को, माननीय पंचायतगण को, जिला पंचायतगण को डिसीजन मेकिंग बॉडी में कहीं न कहीं इंक्लूड करना चाहिए।

तीस्ता फ्लड के एक्सपीरियंस से हमने देखा कि विभिन्न रूरल एरियाज़ में डिजास्टर हुआ, अर्बन एरिया में भी डिजास्टर हुआ, तो जो इस बिल में अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लाने का डिसीजन लिया है, this is a very welcome step. इसको और अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए विभिन्न जियोग्राफिकल एरियाज़ को भी कंसीडर करना चाहिए। We have coastal areas. We also have mountainous areas. गंगटोक, शिमला, दार्जिलिंग, ये सब मांउटेनियस एरियाज़ में आते हैं। इनकी अपनी यूनीक प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे ही प्लेन एरिया के बड़े-बड़े शहर, जैसे दिल्ली हो, पुणे, इन सबकी अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स हैं। इसको भी अगर ध्यान में रखा जाए तो अच्छा रहेगा।

स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फोर्स बनाने का जो डिसीजन लिया गया है, यह बहुत पहले होना चाहिए था। हम यह नहीं कहते हैं कि एनडीआरएफ की टीम ने काम नहीं किया, लेकिन जब डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में इस तरह का डिजास्टर होता है तो एनडीआरएफ का उस स्पेशलाइजेशन में काम करने का कई जगहों पर एक्सपीरियंस नहीं रहता।

एसडीआरएफ जो बनेगा, उसे अगर जियोग्राफी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन में ट्रेंड किया जाए तो मुझे लगता है कि डिजास्टर मिटिगेशन में एफीशिएंसी और भी ज्यादा आएगी और इंप्लीमेंटेशन के टाइम में इसको याद रखना बहुत ही जरूरी होगा।

अध्यक्ष महोदय, डेटा बेस बनाने का जो प्रावधान इस बिल में लाया गया है, यह बहुत ही इंपोर्टेंट है, because climate change is a reality now. क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इफेक्ट हम अब देखने और एक्सपीरियंस करने लगे हैं। If we have a proper database, then we will be able to mitigate it. इसमें मेरा छोटा सा सुझाव है कि डेटा बेस रखने के लिए नेशनल लेवल में मैनडेट किया गया है, एनडीएमए, एसडीएमए को मैनडेट किया गया है। इसके साथ-साथ, ऑटोनामस इंस्टीट्यूशन्स जो विभिन्न जगहों पर हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, ऐसे विभिन्न इंस्टीट्यूशन्स को भी मैनडेट कर देना चाहिए। जब इसका एनालिसिस हो, तब केवल गवर्नमेंट के डेटा को ही न लेकर, ऐसे ऑटोनामस इंस्टीट्यूशन के डेटा को साथ में लेकर एनालिसिस किया जाए तो यह सेल्फ करेक्टिंग मेजर हो जाएगा। This will actually help कि मिटिगेशन प्रोसेस और भी एफीशिएंट तरीके से लाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, हमें केवल डिजास्टर मिटिगेशन को ही न सोचकर प्रिवेंटिव मेजर्स में भी जाना है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, उसकी वजह से ग्लेशियल लेक्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में अभी भी बहुत खतरा बना हुआ है। इसको भी मिटिगेट करने के लिए कुछ न कुछ प्रावधान करना चाहिए। अगर इसका ठीक से मिटिगेशन नहीं हुआ तो केवल हिमालयन रीजन में ही नहीं, इसकी वजह से बिहार, असम, नार्थ-इंडियन प्लेन्स जितने हैं, वहां भी फलडिंग होने के चांस और बढ़ जाएंगे। हम इसका मिटिगेशन करते रह जाएंगे। हम अगर प्रिवेंटिव मेजर में जाएंगे तो यह और भी अच्छा होगा।

(इति)

1834 बजे

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील (सांगली) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरा राज्य महाराष्ट्र, खासकर मेरा निर्वाचन क्षेत्र सांगली लगातार आपदा से जूझ रहा है, चाहे बाढ़ हो, अकाल हो या अतिवृष्टि से होने वाला नुकसान हो। हम इस विधेयक की तरफ बहुत आशा की दृष्टि से देख रहे थे कि इसमें बहुत कुछ होगा, लेकिन दुर्भाग्य से बताना चाहता हूं कि इस विधेयक से थोड़ी निराशा हुई। 'The devil lies in the detail'. इस बिल को देखा जाए तो केंद्र सरकार चाहती है कि सारे राज्य हमेशा केंद्र शासन के सामने हाथ फैलाते रहें। क्लॉज 37 में कंपंसैशन या मुआवजा शब्द निकालकर क्या पीड़ितों का अधिकार निकालने की कोशिश हो रही है, क्या आप बता सकते हैं?

(1835/NK/SMN)

स्टेटमेंट्स, ऑब्जेक्शन और रीजन में कहा कि सरकार मुआवजा नहीं सिर्फ राहत देती है। क्या जिम्मेदारी झटकने की कोशिश सरकार की ओर से हो रही है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ के कारण नाव से बाहर निकलने में नाव पलट गई जिसके कारण 17 लोगों की मौत हुई। इन 17 लोगों के परिवार को आप क्या राहत दोगे? उन्हें मुआवजा की जरूरत है, क्या मुआवजा देना सरकार का काम नहीं है। अतिवृष्टि के कारण, बादल फटने के कारण बहुत लोगों की फसलों का नुकसान हुआ है। क्या उनको मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? गाय और भैंस, जिन पर हम जीते हैं, नदी की बाढ़ उसको बहा कर ले गई। क्या उनको मुआवजा देना सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Disaster fund disbursement cannot be discretionary. But this Bill further centralizes an already heavily centralized disaster management system. while I appreciate आपने अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना की। यह आपने बहुत अच्छा कदम उठाया। इस बिल में जो बाढ़ का कारण है, इंटर स्टेट डैम में फर्क होता है, इंटर स्टेट डैम का कंट्रोल भी इस बिल में लाते तो बहुत सुविधा हो जाती। कुछ इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते, जहां ज्यादा बाढ़ आती है, ज्यादा नुकसान होता है, वहां एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जल्दी आने के लिए रेलवे स्टेशन हों, एयरपोर्ट हों। सांगली में आज भी एयरपोर्ट का निर्माण नहीं हो पाया है। कई माननीय सदस्यों ने बताया, Prevention is better than cure. पन्द्रहवें फाइनेंस कमीशन में बताया गया है कि कम से कम 10 फीसदी निधि राज्य शासन को डिजास्टर के लिए रखना चाहिए। ये कॉमन पूल का पैसा है, कॉमन पूल का पैसा अगर आज यह हो जाता है तो बहुत फायदा हो जाता। मराठी में एक कहावत है, बैल गेला नि झोपा केला, मर जाने के बाद अपना इलाज कर रहे हैं, मरे हुए आदमी को सीपीआर देने की कोशिश कर रहे हैं।

एनडीएमए को एक अलग डिपार्टमेंट का स्टेट्स दे देते तो शायद बहुत अच्छा हो जाता। एनडीएमए को हफ्ते में सात दिन काम करने की बहुत जरूरत है। अगर एक वाइस चेयरमैन का पद निर्माण हो जाता तो वहां पर स्वतंत्र लीडरशिप का निर्माण कर सकते थे। एनडीएमए में चार सदस्य ही काम करते हैं, पहले छह-सात सदस्य काम करते थे। एनडीएमए में फाइनेन्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यहां नहीं दिख रही है।

अंत में, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बिल को रि-विजिट किया जाए। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, वह प्रो-एक्टिव हो, वह रिएक्टिव न हो, लोकल बॉडी और स्टेट को इम्पावरड किया जाए। धन्यवाद।

(इति)

1837 hours

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Thank you Sir for giving me this opportunity.

Sir, this is an important legislation. So many senior Members have also mentioned about the matter related to climate change. Climate change is the major concern nowadays we are facing.

Sir, we cannot predict where cloud burst is happening, what is the impact of that. We witnessed it on several occasions. And about the precautionary measures and the crisis management, in the part of the disaster management, there is a definite fault.

In Wayanad, if you could have evacuated more than 3000 people before the disaster, everybody would have been saved. That is the reality. So, in that part, inter-departmental coordination is very much beneficial. For that purpose, we have to face the disaster management. For my first submission here disaster management should have been formed as a full-fledged department. This department should function on 24x7 basis from top to bottom level.

Sir, in my district, I had an experience. My district Idukki is a disaster-prone area but even now, there is no deputy collector appointed. That is another disaster thing we are facing now.

So, inter-departmental coordination and disaster management system should be formed as a special department. That is my first point.

In this legislation, Clause 23 is about the creation of urban disaster management. Everybody has mentioned about it. Creation of urban disaster management authority will be a bureaucratic hurdle. It will be a clash between the disaster management authority and the other management authorities. I think the Government will take note of it.

My second point is about Clause 26. It seeks to insert a new section about a State disaster response force and there is no provision for funding. How will it run? Everybody has submitted their anxieties about that thing.

(1840/SM/SK)

My third point is that Clauses 30, 31 and 32 continuously emphasise on the creation of urban authority. There is no mention of creating any rural authority. Major disasters are happening in rural areas. Where is Mundakkai? Where is Chooralmala? They are in rural areas. So, our panchayats and block panchayats must be equipped fully.

This Government is not at all bothered about the rural areas. That is why we, Kerala MPs, held a meeting with the hon. Home Minister. But nothing has been provided by the Central Government to Wayanad people. Our local self-Governments should be equipped for disaster management and for funding also … (*Interruptions*) Sir, I am concluding.

माननीय अध्यक्ष: आपको तीन मिनट का समय दे चुके हैं।

… (व्यवधान)

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): There is a provision about threatening disaster.

माननीय अध्यक्ष: क्या आप 15 सैकिंड में कन्कलूड कर रहे हैं?

… (व्यवधान)

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, just one minute. Mullaperiyar dam is in my constituency. I want to know whether the dam burst comes under the provision of threatening disaster or not. The Government has to give the answer. If anything happens to the Mullaperiyar dam, lakhs and lakhs of people will be the victims … (*Interruptions*) So, we want a clear-cut definition of threatening disaster.

(ends)

माननीय अध्यक्ष: श्री आनंद भदौरिया।

… (व्यवधान)

1841 बजे

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के माध्यम से आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पर अपनी गहरी आपत्तियां और वाजिब चिंताएं प्रकट करना चाहता हूं।

मैं सरकार का धन्यवाद देता हूं कि वह ऐसे गंभीर विषय पर, जलवायु परिवर्तन और मानव निर्मित आपदाओं के बढ़ते दुष्प्रभाव के कारण आपदा प्रबंधन जैसे विधेयक पर संशोधन लेकर आई है। अगर तमाम लोगों के, आईआईटीयन्स के, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनता के और जनप्रतिनिधियों के सुझाव लिए गए होते तो शायद यह अमेंडमेंट और ज्यादा बेहतर होता।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको कैसे पता कि सुझाव नहीं लिए, सबसे सुझाव लिए हैं। इसके बारे में माननीय मंत्री जी बताएंगे।

… (व्यवधान)

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) :महोदय, माननीय मंत्री जी उत्तर में बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन के पश्चात् क्लाज़ 23 में सब-सैक्शन 2 लाया जा रहा है, इसके तहत एनडीएमए और एसडीएमए स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के स्थान पर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार करेगी। यह कहीं न कहीं फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला होगा और जो राय आनी चाहिए थी, वह नहीं आ पाएगी।

दूसरा इश्यू है कि अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन हो रहा है जो नगर निगम आयुक्त के अंडर काम करेगी और डीएम वाइस चेयरमैन होंगे। अब सवाल यह है कि पहले से कमजोर एसडीएमए को और कमजोर किया जा रहा है और इस तरह एसडीएमए केवल रूरल एरिया की अथॉरिटी बनकर रह जाएगी। अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो महानगरों में नगर निगम अलग प्लान तैयार करेगी और एसडीएमए अलग प्लान तैयार करेगी, इसमें कहीं न कहीं कोलेप्स होगा इसलिए हम इसके गठन का विरोध करते हैं।

अध्यक्ष जी, विकसित देशों में एक रुपये में से 80 पैसे प्री-डिजास्टर पर खर्च होता है लेकिन हमारे यहां पोस्ट डिजास्टर पर 80 पैसे खर्च होते हैं और इसे आपदा आने के बाद मुआवजा राशि बांटने में खर्च करते हैं। क्या हमें प्री-डिजास्टर पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है? मैं इस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके साथ ही मैं एनडीएमए और एसडीएमए में आईआईटीएन्स को, विश्वविद्यालय और जन प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग करता हूं।

(1845/KDS/RP)

अध्यक्ष जी, साथ ही साथ इस एक्ट के द्वारा आपदा प्रबंधन को लेकर क्या हम आपदा रहित प्रदेश प्रदेश बनाने की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं? उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में सुनामी नहीं आती है, भूस्खलन नहीं होता है, पहाड़ नहीं गिरते हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि बाढ़ उत्तर प्रदेश की बड़ी समस्या है। ग्रामीण इलाकों में आग लगना भी उत्तर प्रदेश की एक समस्या है। क्या फायर ब्रिगेड टीम सही समय पर पहुंचती है? जब पूरा का पूरा आशियाना उजड़ जाता है, तब फायर ब्रिगेड पहुंचती है। क्या समय कम करने पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए? हमें पता है कि हर साल बाढ़ कब आती है, इसलिए बाढ़ आने से पहले हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए, बांध बनाने चाहिए, बाढ़ का स्थायी हल निकालना चाहिए, जिससे हमारे धौरहरा लोक सभा क्षेत्र के प्रभावित इलाकों में बाढ़ की रोकथाम की जा सके।

महोदय, अंत में मैं एक गीत सुनाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : क्या आप कवि हैं? यहां कवि सम्मलेन नहीं हो रहा है।

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : हुजूर आते आते बहुत देर कर दी।

मसीहा मेरे तुमने बीमार-ए-गम की,
दवा लाते-लाते बहुत देर कर दी।

अत: पूरा इंतजाम करिए। प्री-डिजास्टर पर ज्यादा काम करिए।

धन्यवाद।

(इति)

1846 बजे

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं वर्ष 2005 के इस आपदा संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी, श्री नित्यानंद जी को धन्यवाद देता हूं कि वर्ष 2005 के बाद आज 19 साल बाद एक ऐसा संशोधन विधेयक आया है, जो संशोधन विधेयक पूरे देश की आपदाओं के बारे में चिंता कर रहा है, मानव जनित आपदाओं के बारे में चिंता कर रहा है, दंगा-फसाद के बारे में चिंता कर रहा है, पहाड़ी राज्यों के बारे में चिंता कर रहा है। इस विधेयक की 40 धाराओं में संशोधन किया गया है। इस विधेयक की दो धाराओं का लोपन किया गया है। इस विधेयक की 4 धाराओं की जगह नई धारा लाई गई है। मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन में भी एक आपदा प्रबंधन विभाग बनना चाहिए। पिछले सात दिनों से ये इस सदन को चलने नहीं दे रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप कृपया विधेयक पर बोलें। यहां की आपदा को मैं देख लूंगा।

… (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर) : सर, मैं आपदा प्रबंधन पर बोलने के लिए मैं सात दिनों से इंतजार कर रहा था। 7 दिन बार नंबर आया है।

माननीय अध्यक्ष : यह जिम्मा मेरा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, आखिर विरोध किस बात का है? सिर्फ इनकी धाराओं में संशोधन किया गया है, तो राज्यों को, जिलों को पावर देने के लिए किया गया है। मैं शहर से आता हूं। शहर का विकास प्राधिकरण बन रहा है, क्योंकि शहर की समस्याएं अलग होती हैं। शहर में डिजास्टर अलग प्रकार का होता है। वहां दंगे-फसाद होते हैं, आग लगती है। उसके बारे में पहली बार शहरी विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण होगा। उसके बाद राज्य प्राधिकरण, उसके बाद जिला प्राधिकरण होगा, उसके बाद नगरीय प्राधिकरण होगा। इन चार प्राधिकरणों को पूरी सहायता देने का काम केंद्रीय प्राधिकरण करेगा। आपदा मोचन निधि होगी। यह निधि केंद्र, राज्य, जिलों व नगरीय प्रशासन के लिए भी होगी। आपदा मोचन बल केंद्र, राज्य, जिलों, शहरों में होगा। इस हेतु पूर्व में तैयारी करने के लिए योजनाओं की घोषणा की गई है।

महोदय, अभी बात की जा रही थी कि पहले से तैयारी होनी चाहिए। इस विधेयक में यही तो लाया गया है कि पहले से तैयारी होनी चाहिए। इसमें 342 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। प्रशिक्षण, मॉनिटरिंग, पूर्व सूचना, निवारण, समय और क्षमता निर्माण इसके माध्यम से होने वाले हैं। 15वें वित्त आयोग के निर्देश के आधार पर यह विधेयक लाया गया है। मोदी जी की पूरे देश के लिए जो चिंता है, उस चिंता को दूर करने हेतु यह विधेयक लाया गया है। अगर आप देखें, वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2024 तक आपदाओं में मरने वालों की संख्या 80 प्रतिशत कम हुई है। मैं इसके लिए मोदी जी को, अमित शाह जी को, श्री नित्यानंद जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदय, जो राष्ट्रीय प्राधिकरण होगा, उसका 3 वर्ष में पुनरावलोकन होगा।

(1850/MK/NKL)

पांच साल में उसको अद्यतन किया जाएगा। इसी प्रकार से राज्य के जो प्राधिकरण होंगे, उसमें भी तीन साल और पांच साल में पुनर्विलोकन होगा। जो केंद्रीय प्राधिकरण होगा, उसमें हर राज्य के

डीजीपी मेम्बर होंगे। अगर डीजीपी मेम्बर होंगे तो उन राज्यों को सहायता पहुंचाने में बहुत आसानी होगी।

अध्यक्ष महोदय, जो नगरीय विकास प्राधिकरण होगा, नगरीय विकास प्राधिकरण के माध्यम से जो शहरों की आपदा है, उसके निराकरण के लिए जो सहायता है … (व्यवधान) ये उसका विरोध कर रहे हैं। मैंने विपक्ष के सभी नेताओं को सुना है। आखिर आप शहरों का विकास क्यों नहीं चाहते हैं? गाँव की आपदा अलग प्रकार की होती है और शहरों की आपदा अलग प्रकार की होती है। भारत सिर्फ अपदाओं के मामले में अपने देश के लिए काम नहीं कर रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में खनन का क्षेत्र है, वहां पर उद्योग, जंगल, पहाड़ और जंगली-जानवर हैं। वहां पर हाथियों के कारण प्रॉब्लम है। वहां पर नक्सलवाद के कारण प्रॉब्लम है। वहां पर सीमेंट उद्योग है। मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का आग्रह करना चाहूंगा, चूंकि छत्तीसगढ़ से बहुत रेवेन्यू प्राप्त होता है, अगर आप छत्तीसगढ़ में आपदा प्रबंधन संस्थान स्थापित करेंगे तो छत्तीसगढ़ को उसके माध्यम से फायदा मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में अब तक 320 विश्वविद्यालयों में नेटवर्क स्थापित किया गया है। आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। एक लाख से ज्यादा सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई है।

माननीय अध्यक्ष: यह सब तो माननीय मंत्री जी बता देंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस और बीएसजी के माध्यम से 2 लाख 37 हजार आपदा मित्रों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, क्षमता निर्माण के लिए 24,007 सरकारी अधिकारी और 925 क्षमता निर्माण प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वर्ष 2023 में 5000 करोड़ रुपये क्षमता निर्माण के लिए जारी किए गए। भूस्खलन के लिए 1000 करोड़ रुपये जारी किए गए। भूस्खलन से संबंधित राज्यों, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के लिए 150 करोड़ रुपये जारी किए गए। शहरी बाढ़ जोखिम के लिए 3,075 करोड़ रुपये जारी किए गए। इस प्रकार से राज्य सरकारें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में लगतार आपदाओं के प्रबंधन के लिए काम कर रही हैं।

अंत में, माननीय मंत्री जी, माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में एक आपदा प्रबंधन संस्थान खोला जाए, जो छत्तीसगढ़ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सके और वहां पर नक्सल गतिविधियों का सामना करने, बाढ़ से सामना करने और दंगों से सामना करने के काम को यह पूरा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और सरकार को इस विधेयक को लाने के लिए बहुत-बहुत बधाई।

(इति)

1853 बजे

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): अध्यक्ष महोदय, आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पर यहां 50 सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने अपने विचार से सदन को और देश को अवगत कराया है। माननीय शशि थरूर जी से लेकर माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी तक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं।

महादेय, आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 को लोक सभा के समक्ष 2 अगस्त, 2024 को प्रस्तुत किया गया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम को वर्ष 2005 में संविधान की सातवीं अनुसूची के 'सूची III – कॉन्करेंट लिस्ट' की एंट्री-23 के प्रावधानों को लागू करके अधिनियमित किया गया था। पिछले कई घंटों से इस विधेयक पर इस महान सदन में चर्चा हुई है। मैं इस माननीय सदन को इस संशोधन विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण पहलूओं के बारे में बताना चाहूंगा। यह संशोधन विधेयक केंद्र, राज्य और जिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन संस्थानों को उनकी भूमिकाओं में स्पष्टता और एकरूपता लाकर मजबूत करने के लिए है।

(1855/SJN/VR)

महोदय, जब तक किसी की भूमिका निर्धारित नहीं होती है और सभी की अपनी भूमिका में आपदा प्रबंधन की सोच और विचार के साथ एकरूपता नहीं लाएंगे, तब तक आपदा प्रबंधन को मजबूत नहीं किया जा सकता है। नेशनल क्राइसेस मैनजमेंट कमेटी और हाई लेवल कमेटी को भी वैधानिक दर्जा प्रदान करना है। कई सदस्यों ने इस पर चिंता व्यक्त की है, मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के साथ अधिनियम के प्रावधानों को अलाईन करने के उद्देश्यों पर सार्थक चर्चा की गई है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न सरकारी संगठनों के कामकाज में अधिक ट्रांसपैरेसी, रिस्पॉन्सबिलिटी, एफिशियंसी और सिनर्जी लाने वाले ऐतिहासिक विधेयक को पारित करने के लिए आज यह महान सदन विचार कर रहा है।

वर्तमान अधिनियम का इतिहास और उसकी संवैधानिक स्थिति पर भी कई लोगों ने बात कही है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम को वर्ष 2005 में भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसके तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए), स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी (एसडीएमए) और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट

अथॉरिटी (डीडीएमए) का गठन किया गया था, जो केन्द्र और राज्य सरकार के समन्वय से आपदा प्रबंधन और उससे जुड़े मुद्दों पर कार्य करते हैं।

इसके साथ ही साथ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस एंड मिटिगेशन फंड और राज्य तथा जिला स्तर पर इस तरह के फंड्स की स्थापना का प्रावधान था। आज बदली हुई परिस्थितियों और जरूरतों के लिए इस अधिनियम में संशोधन करना बहुत ही आवश्यक महसूस किया गया है। इसके क्रियान्वयन की सीमाओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, इसकी समीक्षा में संशोधन करने हेतु कई लोगों ने सवाल उठाए हैं कि इस पर बहुत कम विचार किया गया है। कई अन्य लोगों की सलाह ली जानी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं उसके संबंध में कहना चाहूंगा कि मार्च, 2011 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसने मार्च, 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सभी स्टेकहोल्डर्स के परामर्श के साथ-साथ रिपोर्ट को तब की सरकार और सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया, जो व्यापक परामर्श के पश्चात् हुआ है। इसके पश्चात् जून, 2019 में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक पर कैबिनेट नोट सभी राज्यों से चर्चा के उपरान्त कैबिनेट के विचार हेतु भेजा गया था। परंतु 18 मार्च, 2020 को वह वापस ले लिया गया था, जिसका कारण कोविड महामारी जैसी स्वास्थ्य आपदा, मैनमेड डिजास्टर, आग लगने से संबंधित आपदाएं और प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम, समन की तैयारी और मोचन के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर सकें। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की फिर से विस्तृत समीक्षा की जाए, उसमें यह विचार आया था।

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 के जो मुख्य बिंदु हैं, हमारा भारत देश पहाड़ों, मैदानों और अनगिनत प्राकृतिक विपदाओं के साथ-साथ विभिन्न कृषि जलवायु, जल-मौसम और जीवमंडल के कारण प्रभावित होता है। अपना देश स्वाभाविक रूप से आपदाओं के प्रति संवेदनशील है और सबको इसके प्रति संवेदनशील होना भी चाहिए। इसी उद्देश्य से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकार के अलग-अलग संगठनों की भूमिका में अधिक स्पष्टता और समन्वय लाना आवश्यक है, ताकि आपदा के दौरान अधिक प्रभावी प्रबंधन किया जा सके।

(1900/SPS/SAN)

इस अधिनियम के पहले गठित कुछ संगठनों जैसे नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और हाई लेवल कमेटी के लिए वैधानिक प्रावधान भी किया गया था। इसमें शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सृजन के लिए प्रावधान करना, एनडीएमए और एसडीएमए को अधिक प्रभावी बनाना, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस के सृजन करने के लिए प्रावधान करना भी है। इसमें 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के साथ अधिनियम के प्रावधानों को संरेखित करना है। मोदी सरकार के नेतृत्व में डिजास्टर मैनेजमेंट अप्रोच में बदलाव की जरूरत के रूप में आया है और माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण लाया गया है। यह राहत केन्द्रित तथा रिएक्शनरी दृष्टिकोण से हटकर अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के साथ लाया गया है।

महोदय, महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय भी हुए हैं। अर्ली वार्निंग एवं पूर्व तैयारी आधारित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना का पहले से तैनाती रेस्पॉन्स फोर्स, आपदा निधि का वैज्ञानिक वितरण, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और इन सब पर मोदी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काफी संपूर्णता के साथ काम किया है तथा इसके सफल परिणाम भी आए हैं। मैं इन संशोधनों को बेहतर चर्चा के उद्देश्य से चार श्रेणी में विभाजित करना उचित समझता हूं। एक ट्रांसपेरेंसी, दूसरा रेस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरा एफिशिएंसी और सिनर्जी की जो बात मैंने कही है, उस पर जोर देना है। मैं इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि सारी बातें ट्रांसपेरेंसी की हैं, फिर आज आरोप लगाए गए हैं कि भेदभाव किया जाता है और पारदर्शिता नहीं है तथा इसके परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। मैं उत्तर के रूप में जरूर इस प्रकार से कहना चाहूंगा।

महोदय, जब माननीय शशि थरूर जी ने इस चर्चा को प्रारम्भ किया था तो उन्होंने सबसे पहले एक विषय उठाया था कि यह विधेयक संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है। यह लिस्ट – थ्री की प्रविष्टि 23 के तहत लाया गया है और इस पर उन्होंने प्रश्नचिह्न खड़ा किया था। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आपदा प्रबंधन अधिनियम यूपीए सरकार द्वारा वर्ष 2005 में संविधान की सातवीं अनुसूची की थर्ड लिस्ट की प्रविष्टि 23 की सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा और रोजगार के तहत अधिनियमित किया गया है। प्रस्तावित आपदा प्रबंधन विधेयक, 2024 उसी प्रविष्टि के तहत किया जा सकता है, जिसका पूरा अनुपालन हुआ है। यह प्रविष्टि समाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा से संबंधित है। आपदा प्रबंधन अधिनियम संस्थागत और वित्तीय तंत्र के माध्यम से आपदाओं के प्रभाव को कम करने और राहत सहायता के माध्यम से लोगों को आपदा जोखिम से काफी हद तक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसके लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय प्राधिकरणों तथा सरकारी मशीनरियों को आपदा की तैयारी, मोचन, रिकवरी और पुर्ननिर्माण के साथ क्षमता निर्माण और शमन के उपाय करने की भी जिम्मेदारी दी है।

महोदय, वायनाड की काफी चर्चा हुई है और कई सदस्यों ने इस विषय को उठाया है। मैं उस पर भी कहना चाहूंगा कि वायनाड में निश्चित रूप से बड़ी दुर्घटना आपदा के रूप में आई। उस

समय 30 जुलाई, 2024 को केरल के वायनाड में भूस्खलन और अचानक बाढ़ की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। केन्द्र सरकार पर आरोप है कि केन्द्र सरकार ने वायनाड की घटना को संवेदनशीलता से नहीं लिया है। मैं स्पष्ट रूप से इस सदन में कई बार कह चुका हूं और माननीय गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से वायनाड के विषय में बताया है।

(1905/YSH/SNT)

कई बार जब विपक्ष ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस विषय को उठाया तो उसको भी यह स्पष्ट हो गया कि वायनाड में किस प्रकार से मोदी सरकार सजग और संवेदनशील रही। प्रधान मंत्री जी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए थे। खुद माननीय गृह मंत्री जी मुख्य मंत्री जी से लगातार सम्पर्क में थे। सरकार की ओर से हर संभव सहायता समय पर प्रदान की गई थी। केन्द्रीय सरकार ने एसडीआरएफ के तहत राहत के लिए काम किया। … (व्यवधान) आप पहले पूरा सुन लीजिए। आपकी बात को मैंने पूरे ध्यान से सुना है। … (व्यवधान) वहां के लेखाकार के द्वारा जो रिपोर्ट की गई थी, उस रिपोर्ट के हिसाब से आपदा प्रबंधन के लिए सरकार ने बाद में नहीं, पहले ही चिंता की थी। इस देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है, … (व्यवधान) चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, आंध्र प्रदेश हो, हिमाचल हो या छत्तीसगढ़ हो, ऐसा कोई भी राज्य नहीं है, जिसके पास एसडीआरएफ फंड की राशि उपलब्ध न हो। … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, राशि को पहले दिए जाने का उद्देश्य यह होता है कि आपदा के संकट में राशि मांगनी न पड़े और राज्यों के पास इतनी राशि उपलब्ध हो कि अगर कोई भी आपदा आए तो राज्य की सरकार केन्द्र के पैसे के माध्यम से अपने प्रभावित लोगों की सहायता कर सके। … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, सभी राज्यों के पास कितना फंड है, एनडीआरएफ के द्वारा कब-कब मदद की गई है, कोई भेदभाव नहीं किया गया है, उसका ब्यौरा मैं आपके समक्ष, इस माननीय सदन के समक्ष सभा पटल पर रखता हूँ। … (व्यवधान) अगर ये सुनने के लिए तैयार हैं तो मैं बता देता हूँ कि राज्यवार क्या-क्या मदद की गई है। … (व्यवधान) मैं इन सबको टेबल करता हूँ। … (व्यवधान) अगर फिर भी इनको शक है तो मैं ऐसे विचार को समझाते रह जाऊँगा, लेकिन न तो उनका विचार बदलेगा और न ही उनके समझ में यह बात आएगी। … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, उसी वायनाड में भारत की वायु सेना लगी। उसी वायनाड में एनडीआरएफ पहुंची। उसी वायनाड में पुल बनाए गए। दिन-रात राज्य के सहयोग से, चूँकि मैं राज्य के सहयोग से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको भी मोदी सरकार के सहयोग को स्वीकारना चाहिए। … (व्यवधान) आपके जैसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। … (व्यवधान) यह संवेदनशील मामला है। मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। … (व्यवधान) मैं स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड पर बोल रहा हूँ। मेरे पास पूरा ब्यौरा है।

1909 बजे

(इस समय श्री एम. के. राघवन, श्री टी. आर. बालू और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।)

केन्द्र सरकार ने एसडीआरएफ के तहत राहत और बहाली के लिए राज्य सरकार को तत्परता से धनराशि जारी की। … (व्यवधान) केरल के पास एसडीआरएफ के लिए 394 करोड़ 99 लाख रुपये की धनराशि पहले से ही मौजूद थी। … (व्यवधान) उसके बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा वायनाड की आपदा के अगले ही दिन 31 जुलाई को 145 करोड़ रुपए जारी किए गए और फिर से 1 अक्टूबर को 145 करोड़ रुपये जारी किए गए। … (व्यवधान) इस तरह से राज्य के पास कुल मिलाकर 700 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की धनराशि उपलब्ध थी। 10 अगस्त को माननीय प्रधान मंत्री जी वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित चूरलमाला, मुंडकई तथा विभिन्न क्षेत्रों में हवाई सर्वेक्षण कर प्रभावित लोगों की तथा अपने परिजनों को खो चुके बच्चों की सहायता के लिए नई दीर्घकालीन योजना बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

(1910/RAJ/AK)

माननीय प्रधान मंत्री जी ने वायनाड के लोगों को आश्वासन दिया था कि देश और केन्द्र की सरकार इस क्षेत्र में आजीविका बहाल करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी, चाहे वे घर हों, स्कूल्स हों, सड़क और संरचना हों या बच्चों का भविष्य हो। राज्य सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री जी के इस अनुशासन के अनुपालना में अत्यधिक देरी की।…(व्यवधान) अभी भी स्थिति क्या है, मैं बताना चाहूंगा। इस घटना के कई माह तक, कोई आंकलन ज्ञापन नहीं भेजा गया। राज्य सरकार ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। इसके तहत रिकवरी और पुर्निर्माण के कार्यों के लिए 2,219 करोड़ रुपए अपने अनुमान के साथ अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया।… (व्यवधान) यह हाल ही में किया गया है। जब इस पर विचार का प्रावधान होता है, तो स्थापित प्रक्रिया के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की रिपोर्ट की जांच करने के उपरांत तुरंत ही एक आईएमसीटी का गठन किया है और इसकी रिपोर्ट के उपरांत पुनर्निमाण के लिए उचित केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।…(व्यवधान)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): This is a mitigation fund used for relief work. … (*Interruptions*)

श्री नित्यानन्द राय :महोदय, प्रक्रिया में इन्होंने विलंब किया है। जैसे ही इनका ज्ञापन हुआ है, आईएमसीटी गठित की गई है और उसकी प्रक्रिया प्रारंभ है, लेकिन सभी को समझना होगा कि केन्द्र सरकार जो राहत सहायता देती है, वह मुआवजा नहीं है। बार-बार लोग ये बोलते हैं कि यह विषय राज्यों का है, लेकिन मोदी सरकार मानती है कि विषय राज्यों का है, लेकिन अगर आपदा आती है तो राज्यों के साथ-साथ दर्द केन्द्र को भी होता है एवं केन्द्र सरकार राज्य के लिए चिंतित रहती है।

महोदय, बहुत सारे विषयों पर विचार रखे गए हैं।…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दम दम) : कोई काम के नहीं हैं।…(व्यवधान) कोविड में कितने लोगों की जानें गईं, आप बताइए।…(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय : कोई काम के नहीं हैं।...(व्यवधान) दादा, मैं आप ही पर बोलता हूं।...(व्यवधान) महोदय, दादा ने दो चिंताएं व्यक्त की है।...(व्यवधान)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): It is a shame. … (*Interruptions*) Do you know the difference between mitigation fund and relief fund? … (*Interruptions*)

श्री नित्यानन्द राय : दादा ने बहुत ही तत्परता के साथ दो विषय रखे हैं। उन्होंने एक विषय रखा, परमाणु बम का भय दिखा कर और उन्होंने यह कहा कि यह मानवजनित दुर्घटना है। दादा, आपको भी आज यह भरोसा करना चाहिए, जिस प्रकार से पूरा देश कर रहा है। परमाणु बम हिरोशिमा पर गिरा था, जिसकी आपने चर्चा की है। भारत हर तरह से सक्षम है। जिस प्रकार से किसी भी आपदा से, सभी के सहयोग से, उस चुनौती को स्वीकार कर, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए वह लड़ती है। आज भारत को कोई एटम बम का धौंस नहीं दिखा सकता है और आपको भी डरने की जरूरत नहीं है।...(व्यवधान) इन्होंने कोविड पर कहा है कि कोविड के समय में केन्द्र सरकार ने कुछ काम नहीं किया।...(व्यवधान)

महोदय, केन्द्र सरकार ने 14 करोड़ से भी ज्यादा, लगभग 15 करोड़ वैक्सीन्स के डोज पश्चिम बंगाल में दिए गए, उसमें से दादा ने भी तीन डोज लिए हैं।...(व्यवधान)

महोदय, कनिमोझी जी ने पश्चिम बंगाल की चिंता की है।

(1915/KN/UB)

दादा के बोलने से पहले वे बोल चुकी थीं। उन्होंने एक आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल में पानी बिना राज्य सरकार की सूचना के छोड़ दिया गया। … (व्यवधान) दामोदर बैराज कोई डैम नहीं है। इसके प्रबंधन में वेस्ट बंगाल के प्रतिनिधि होते हैं। उन्होंने दामोदर नदी की चर्चा की कि नदी का पानी छोड़ दिया गया। वहां कोई बांध नहीं है और वहां जो प्रतिनिधि होते हैं, पश्चिम बंगाल के भी होते हैं। यह कहना कि राज्य को कोई सूचना नहीं थी, जबकि वहां उसके ऑलरेडी प्रतिनिधि थे।

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक बात और कही कि तमिलनाडु सरकार राशि के लिए सुप्रीम कोर्ट में गई। उन्होंने यह नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? यह तो बताना चाहिए और जरूर बताना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? मैं उस पर कोई बात नहीं कहूंगा। वित्तीय प्रबंधन पर काफी लोगों ने चर्चा की और यह महत्वपूर्ण विषय भी है। उस पर चर्चा होनी भी चाहिए, लेकिन जब आप सत्ता में थे तो आपने क्या किया? जिस प्रकार से देश जान रहा है, उस प्रकार से आपका मन भी जान रहा है। … (व्यवधान) क्या करना चाहिए था? … (व्यवधान)

महोदय, वित्तीय प्रबंधन के बारे में हमारे सांसद जो सरकार की तरफ के हैं, वे तो जानते ही हैं कि हमारा वित्तीय प्रबंधन कितना बढ़ा है? उनको भी मालूम है, लेकिन वे बोलते नहीं हैं। मैं थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से जरूर कहना चाहूंगा कि एसडीआरएफ का वर्ष 2004-2014 के बीच 38000 करोड़ रुपये का बजट था और वर्ष 2014-2024 में तीन गुना बढ़कर 1 लाख 24 हजार करोड़ रुपये हो गया है। आखिर पैसा राज्यों में ही गया। राज्यों के पास पहले 38 हजार करोड़ रुपये होते थे, आज केन्द्र सरकार राज्यों को 1 लाख 24 हजार करोड़ रुपये भेज रही है। इसका प्रावधान

किया गया है और उसकी स्वीकृति है। उसका जो अंश उनको चाहिए, वह प्राप्त भी करवा दिया गया है। … (व्यवधान)

महोदय, वर्ष 2004-2014 में एनडीआरएफ फंड में मात्र 28 हजार करोड़ रुपये का बजट था और वर्ष 2014-2024 में तीन गुना बढ़कर 79 हजार करोड़ रुपये हो गया है। जब इन फंडों को देखेंगे तो इन फंडों में जो कुल राशि बढ़ी है, उसमें वर्ष 2004-2014 के बीच 66 हजार करोड़ रुपये का बजट था और वर्ष 2014-2024 में तीन गुना बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा का बजट हो गया है। यह तीन गुना बढ़ा है। यह पैसा कहां गया, राज्यों के पास गया। … (व्यवधान) शमन फंड भी बनाया गया। कई माननीय सांसद बता रहे थे, शायद भदौरिया साहब बता रहे थे और कई माननीय सांसद बता रहे थे कि आपदा से पूर्व कुछ प्रबंधन होना चाहिए। … (व्यवधान) उसके लिए एक शमन कोष का प्रावधान किया गया है कि हम किस प्रकार से उसकी चिंता कर सकें। … (व्यवधान)

महोदय, बिहार के कुछ माननीय सांसदों ने बाढ़ की चिंता व्यक्त की है। … (व्यवधान) यह तो देश जानता है, देश को तो वैक्सीन का डोज मिला ही है। … (व्यवधान) लाखों-करोड़ों में और दुनिया के सैकड़ों देशों को मोदी जी का … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, एक मिनट रुकिये। श्री अवधेश प्रसाद जी, आपने वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई? क्या आपने वैक्सीन लगवाई थी?

… (<u>व्यवधान</u>)

(1920/PC/SRG)

माननीय अध्यक्ष : दादा, आपने वैक्सीन लगवाई थी? आप बिलकुल ठीक हैं।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी – आप आगे बोलिए।

… (<u>व्यवधान</u>)

श्री नित्यानन्द राय : अध्यक्ष महोदय, बिहार के माननीय सांसदों ने बाढ़ के विषय पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। … (व्यवधान) बिहार बाढ़ प्रभावित है। … (व्यवधान) ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के बाढ़ की चिंता की गई। मैं आगे बताऊंगा कि पूरे देश में बाढ़ के इलाकों के लिए किस प्रकार से मोदी सरकार ने काम किए। … (व्यवधान) मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। बिहार में बाढ़ की रोकथाम के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने 11,000 करोड़ रुपए दिए। … (व्यवधान) जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यों के माध्यम से बाढ़ पर नियंत्रण … (व्यवधान)

श्री पी. पी. चौधरी (पाली) : ये अच्छी बातें नहीं सुनते हैं। ये ऐसी बातें कम सुनते हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप हर राज्य के बारे में बताएंगे।

… (<u>व्यवधान</u>)

श्री नित्यानन्द राय : अध्यक्ष महोदय, मैं अब समापन की ओर हूं, लेकिन मोदी सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, उन कदमों से, उन पहलों से इनकी सारी शंकाओं का समाधान भी होता है और इनकी चिंता भी दूर हो जानी चाहिए। … (व्यवधान) सबको मिलकर, हमारे माननीय प्रधान

मंत्री जी जो आह्वान करते हैं कि आपदा हो या देश के विकास का मामला हो, देश की एकता-अखंडता का मामला हो, उसके लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। … (व्यवधान) कोविड आपदा में तो उन्होंने माना भी कि सबका उसमें सहयोग रहा है। … (व्यवधान)

महोदय, मैं यह बात इसलिए बताना चाहूंगा, जिस पर आपको भी गर्व होगा। … (व्यवधान) पूरे देश को इस बात पर गर्व है। … (व्यवधान) पूरी दुनिया ने जिसकी सराहना की है। … (व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2016 में डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए दस सूत्रीय एजेंडा दिया था। … (व्यवधान) मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि कई लोगों ने कहा था कि हमारे घरेलू अनुभव का उपयोग होना चाहिए। … (व्यवधान) इस दस सूत्रीय एजेंडा में वह भी है। … (व्यवधान) इसमें महिलाओं की सहभागिता भी है। इसमें डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट के विकास के जो सभी क्षेत्रों के सिद्धांत हैं, उनकी भी चिंता की गई है। यहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों और राज्यों तक, सभी के लिए रिस्क कवरेज सुनिश्चित किया गया है। इसमें महिलाओं की लीडरशिप और उनकी भूमिका भी सुनिश्चित की गई है।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, मोबाइल का इस्तेमाल न करें।

… (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय : अध्यक्ष महोदय, हर स्तर पर प्रकृति और आपदा के जोखिम को समझने के लिए रिस्क मैपिंग में निवेश किया गया है। आपदा संबंधी विषयों पर कार्य करने के लिए विश्वविद्यालयों का नेटवर्क खड़ा किया गया है, हम उसके लिए प्रचार-प्रसार भी करते हैं। जो घरेलू अनुभव हैं, उनका अध्ययन करके उनसे सीखने और उन्हें आपदा के प्रबंधन में लाने के लिए भी मोदी जी के उस संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, प्राकृति आपदा को प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए, उस सिद्धांत को भी अपनाया गया है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भारत के आपदा प्रबंधन में 'जीरो कैजुअल्टी एप्रोच' को अपनाया है। प्रधान मंत्री जी के डिज़ास्टर रेज़िलिएंट भारत के विज़न के अनुकूल है। पहले चक्रवात में … (व्यवधान) दादा, हम देख रहे थे। हम एनडीआरएफ के कंट्रोल रूम में देख रहे थे। … (व्यवधान) पश्चिम बंगाल से कहा गया था कि तूफान आने वाला है, कोलकाता पर प्रभाव जाएगा, बिजली काट दीजिए। आपने बिजली नहीं काटी और उसमें चार लोगों की जान चली गई। … (व्यवधान) चक्रवात में 98 प्रतिशत मानव नुकसान, जान का जो नुकसान होता था, उसमें कमी आई है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी ने पांच घंटे सबको सुना है, अब वे भी तो पांच घंटे बोलेंगे।

… (व्यवधान)

(1925/IND/RCP)

प्रो. सौगत राय (दम दम) : अध्यक्ष जी, आप मंत्री जी को कहिए कि शार्ट में उत्तर दें।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी ने पांच घंटे सुना है तो आपको भी पांच घंटे सुनना पड़ेगा।

मंत्री जी, आप पूरा बोलिए। एक-एक माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब दीजिए।

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, जब प्रश्न किया जा रहा था, तब मैंने कोनिमोझी जी को बताया था कि आप जवाब सुनने के लिए तैयार रहिएगा। आप जितने प्रश्न पूछेंगे, उन सभी प्रश्नों को मैं अपने जवाब के माध्यम से आपको संतुष्ट जरूर करूंगा। आप यह कह दीजिए कि आप संतुष्ट हैं, तो मैं 'जय हिंद भारत' बोलकर मोदी जी की जय बोलकर भाषण समाप्त कर देता हूं।… (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, चक्रवात में जितनी जान जाती थी, उसमें 98 प्रतिशत की कमी आ गई है। एनडीआरएफ के विषय में भी कई सदस्यों ने कहा है। एनडीआरएफ की चार बटालियन बढ़ा दी गई हैं। अब कुल 16 बटालियन हैं और देश के विभिन्न क्षेत्रों में एनडीआरएफ फैला हुआ है। इसकी उपलब्धि देश और विदेश, दोनों जगह है।… (व्यवधान) जितने चैप्टर में इनका प्रश्न है, इसलिए जो चैप्टर खुलता है, उस चैप्टर के माध्यम से मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रश्न का उत्तर देना मुनासिब समझता हूं।… (व्यवधान) बटालियन में बहनों की भी सहभागिता सुनिश्चित की गई है।… (व्यवधान) अध्यक्ष जी, इन्होंने भारत के आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय स्तर पर क्या मान्यता है, इस विषय में बात कही थी, इसलिए मैं इसका उत्तर जरूर देना चाहूंगा। आपदा प्रबंधन में मोदी जी का वाक्य 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना के साथ आत्मसात करते हुए इस क्षेत्र में काम किया गया है।… (व्यवधान) वर्ष 2015 में मैत्री ऑपरेशन नेपाल में भूकम्प के संदर्भ में हुआ।… (व्यवधान) वर्ष 2018 में ऑपरेशन समुद्र मैत्री इंडोनेशिया के संदर्भ में हुआ। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में भूकम्प आपदा के समय हुआ। वर्ष 2023 में ऑपरेशन करूणा बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के समय हुआ। ऑपरेशन सद्भाव वियतनाम में तूफान यागी के समय हुआ।… (व्यवधान) यही नहीं, सौगत जी मैन मेड डिजास्टर के बारे में बोल रहे थे। पूरे विश्व में फंसे अपने नागरिकों को तथा इस डिजास्टर से ग्रसित देशवासियों की सहायता के लिए वर्ष 2015 में ऑपरेशन राहत चला। वर्ष 2016 में ऑपरेशन संकटमोचन और कोविड के समय वंदे भारत मिशन के तहत काम किया गया। वर्ष 2020 में ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वारा भारतीय नौ सेना द्वारा ईरान, मालदीव, श्रीलंका से चार हजार भारतीयों को सुरक्षित अपने देश में लाया गया।… (व्यवधान) ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से आठ सौ भारतीयों को और साथ में कुछ अन्य देशों के नागरिकों को सुरक्षित भारत लाया गया, जो भारत से अपने देश में सुरक्षित गए। वर्ष 2022 में ऑपरेशन गंगा हुआ।… (व्यवधान)

(1930/RV/PS)

महोदय, 'ऑपरेशन गंगा' के तहत यूक्रेन से 18,000 भारतीय नागरिकों को, खासकर विद्यार्थियों को 90 स्पेशल फ्लाइट्स से सुरक्षित भारत वापस लाया गया।… (व्यवधान)

1930 बजे

(इस समय डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, श्री वी. वैथिलिंगम और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

महोदय, 'ऑपरेशन कावेरी' के तहत युद्धग्रस्त सूडान से 4,000 भारतीय और विदेशी नागरिकों को 18 स्पेशल फ्लाइट्स के द्वारा सुरक्षित वापस लाया गया।… (व्यवधान) इज़रायल-हमास युद्ध के समय 'ऑपरेशन अजय' के तहत 1300 से अधिक भारतीय नागरिकों को 6 स्पेशल

फ्लाइट्स से भारत वापस लाया गया।... (व्यवधान) इसमें भारत के हजारों लोगों को लाया गया।... (व्यवधान) इसमें भारत के हर राज्य के और हर क्षेत्र के लोग शामिल थे।... (व्यवधान)

महोदय, जी-20 सम्मेलन के समय भारत की पहल से जी-20 में 'डिजास्टर रिस्क रिडक्शन' से संबंधित एक वर्किंग समूह का गठन किया गया।... (व्यवधान) इस वर्किंग समूह की तीन महत्वपूर्ण बैठकें भी हुई हैं।... (व्यवधान)

महोदय, मैं जो भी बोल रहा हूं, वह इनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों के जवाब में बोल रहा हूं।... (व्यवधान) आज यहां शंघाई सहयोग संगठन के विषय में जिन माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी थी, तो उन्हें बताना चाहता हूं कि आपात स्थितियों के निवारण और रोकथाम के लिए उत्तरदायित्व शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विभाग प्रमुखों की बैठक भारत में हुई।... (व्यवधान) इस पर हमें गर्व होना चाहिए।... (व्यवधान) इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, सी.डी.आर.आई., आपदा प्रबंधन में भारत के वैश्विक नेतृत्व का एक बड़ा उदाहरण है। माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा इसकी नींव 23 सितम्बर, 2019 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के क्लाइमेट एक्शन सम्मिट में रखी गयी।... (व्यवधान) अब तक 40 देश और 7 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने सी.डी.आर.आई. की सदस्यता ग्रहण की है... (व्यवधान) वैश्विक स्तर पर यह भारत की स्वीकार्यता को दर्शाता है।... (व्यवधान)

महोदय, बहुत-से माननीय सदस्यों की तरफ से कहा गया कि इसमें सामाजिक संगठनों को भी जोड़ना चाहिए।... (व्यवधान) 350 डिजास्टर-प्रोन जिलों में एक लाख आपदा मित्रों को प्रशिक्षित किया गया है।... (व्यवधान) आज वहां उनकी मौजूदगी है।... (व्यवधान) 370 करोड़ रुपए के व्यय से ... (व्यवधान) कम्युनिटी वॉलिन्टियर्स को भी प्रशिक्षित किया गया है।... (व्यवधान) एक लाख कम्युनिटी वॉलिन्टियर्स आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं।... (व्यवधान)

महोदय, आपदा प्रबंधन से संबंधित मोबाइल एप्लीकेशन्स को भी डेवलप किया गया, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन 'मौसम', 'मेघदूत', 'फ्लडवॉच', 'दामिनी', 'पॉकेट भुवन', 'सचेत', 'वन अग्नि' इत्यादि।... (व्यवधान) विभिन्न प्रकार की आपदाओं की चर्चा की गयी थी।... (व्यवधान) मोबाइल एप्प 'मौसम' के तहत आज सात दिन पूर्व ही आई.एम.डी. द्वारा सटीक पूर्वानुमान किया जाता है।... (व्यवधान) 'मेघदूत' एप्प के तहत किसानों को मौसम संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है।... (व्यवधान)

महोदय, ये लोग किसानों से संबंधित बातों को नहीं सुन रहे हैं।... (व्यवधान) 'फ्लडवॉच' के तहत बाढ़ की स्थिति और फॉरकास्ट से संबंधित जानकारी को रियल टाइम में जनता तक पहुंचाया जाता है। 'दामिनी' लाइटनिंग स्ट्राइक से पहले एलर्ट जारी करता है।... (व्यवधान) आज ये माननीय सदस्य हीट वेब की चर्चा कर रहे थे।... (व्यवधान) 'पॉकेट भुवन' मैप और सैटेलाइट डेटा को विजुअल और व्वॉयस नैविगेशन सुविधा के साथ बढ़ाया जा रहा है।... (व्यवधान) 'सचेत' के तहत नाविकों को रियल टाइम में जियो टारगेट एलर्ट प्रदान किया जाता है।... (व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, आप लोग मेरी बातें सुन लीजिए... (व्यवधान) यह आपके काम आएगा।... (व्यवधान) इन सब मोबाइल एप्लीकेशन्स का आप उपयोग कीजिए।... (व्यवधान) 'वन अग्नि 3.0' जनता, राज्य और वन विभाग के फील्ड स्टाफ्स को देश के वर्तमान वन के आग की स्थिति की जानकारी देता है।... (व्यवधान)

(1935/GG/SMN)

महोदय, समुद्र मोबाइल एप्लिकेशन, महासागर की जानकारी को आसानी से समझने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए, इसकी सुविधा प्रदान करती है। ... (व्यवधान) भूस्खलन की भी इन लोगों ने बात की थी। ... (व्यवधान) भारत में भूस्खलन अध्ययन के लिए नोडल एजेंसी है। ... (व्यवधान) राष्ट्रीय भूस्खलन सूची को समृद्ध किया जा रहा है। ... (व्यवधान) प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना से विभिन्न फसलों के लिए विशेष मौसम की स्थितियों का बीमा किया जाता है। ... (व्यवधान) आज बीमा की भी बात कही जा रही थी। ... (व्यवधान) नेशनल डेटाबेस फॉर द इमरजेंसी के लिए भूस्थानिक लेयर्स और डिज़ास्टर स्पेसिफिक सर्विसेज़ उपकरण को भी शामिल किया गया है। ... (व्यवधान) भूकंप के मापदंडों को स्थान, समय और परिणाम का ऑटोमेटिड प्रसारण किया जाता है। ... (व्यवधान)

महोदय, इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह की पहल की गई। ... (व्यवधान) इस पहल से बहुत सारी सफलता मिली है। ... (व्यवधान)

महोदय, ये लोग तमिलनाडु के विषय में पूछ रहे थे। ... (व्यवधान) सुन लीजिए, मैं तमिलनाडु के विषय में बोल रहा हूँ। ... (व्यवधान) तमिलनाडु की जनता देख रही है कि उनकी बातों को आप सुनना नहीं चाहते हैं। ... (व्यवधान) तमिलनाडु में वर्ष 2023-24 में एसडीआरएफ को फंड के रूप में 900 करोड़ दिए गए। ... (व्यवधान) एनडीआरएफ के वर्ष 2024-25 में 276 करोड़ रुपये दिए गए। ... (व्यवधान) महोदय, तमिलनाडु को वर्ष 2024-25 में 944 करोड़ रुपये दिए गए। ... (व्यवधान) इसलिए आप शोर मचा कर, सदन और देश को गुमराह नहीं कर सकते हैं। ... (व्यवधान) मोदी जी ने आज से नहीं, उन्होंने वर्ष 2014 में शपथ ग्रहण के साथ ही आपदा के दर्द को समझा था और उन्होंने आपदा के प्रबंधन के क्षेत्र में कितना काम किया है, यह जगजाहिर है। ... (व्यवधान) चाहे किसी भी प्रकार की आपदा हो, माननीय गृह मंत्री जी भी आपदा प्रबंधन को ले कर हमेशा राज्यों के संपर्क में रहते है, स्टेक होल्डर्स के संपर्क में रहते हैं और उस पर हमेशा चिंतित हो कर आपदा प्रबंधन के माध्यम से आपदा के नुकसान को न्यूनतम से न्यूनतम किया जाए, इसका प्रयास करते हैं। ... (व्यवधान) आपदा के समय लोगों को राहत ... (व्यवधान) सहायता के रूप में हम उनको तत्परता के साथ मदद करते हैं। कोई भी आपदा आए तो केंद्र सरकार के सारे विभाग, सारे मंत्रालय एकजुट हो कर कार्य करते हैं। हम आपदा के किसी क्षेत्र में कोई कमी नहीं रखते हैं।... (व्यवधान)

मैं अंत में इनसे आग्रह करना चाहूंगा कि वर्ष 2024 के आपदा संशोधन विधेयक का आप समर्थन कीजिए। यह राज्यों से ले कर, नगर निगमों से ले कर, गांव से ले कर शहरों से ले कर सारी

इकाइयों को मज़बूत करने के लिए है। कोऑर्डिनेशन के लिए और आपदा के प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। ... (व्यवधान) इस आपदा संशोधन विधेयक, 2024 का आप समर्थन कीजिए। ... (व्यवधान) नहीं तो आपको देश पूरी तरह से देख रहा है। ... (व्यवधान) चेन्नई को भी बाढ़ प्रबंधन के लिए पांच सौ करोड़ रुपये दिए गए हैं।

(1940/MY/SM)

महोदय, चेन्नै शहर के लिए भी 500 करोड़ रुपये की राशि बाढ़ नियंत्रण के लिए दी गई है। तब भी ये लोग शोर मचा रहे हैं, लेकिन देश और तमिलनाडु की जनता जानती है।... (व्यवधान)

महोदय, अंत में, मैं इन लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस विधेयक को सर्व सम्मति से पास कीजिए।... (व्यवधान) चूंकि आपदा किसी पार्टी के लिए नहीं होती है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती है, किसी क्षेत्र के लिए नहीं होती है।... (व्यवधान) जब आपदा आती है तो भारत के दिल पर चोट पहुंचती है। आपके दिल पर भी चोट पहुंचती है। कुछ विदेशी लोगों के विचारों को, उनके सुझावों को, भारत के मान-स्वाभिमान के ऊपर चोट पहुंचाने वाले विचारों को जब आप लेकर आते हैं तो उस समय भारत के दिल पर चोट पहुंचती है। आप इस आपदा से बचिए।... (व्यवधान) भारत के आपदा प्रबंधन पर आप सर्व-समर्थन कीजिए। यही आपसे आग्रह है। आप सर्व सम्मति से इस बिल को पास कीजिए। जिन लोगों ने भी इस चर्चा में भाग लिया है, उन सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।... (व्यवधान)

(इति)

1941 बजे

(इस समय डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, श्री वी. वैथिलिंगम और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब यह सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 से 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, it is quite unfortunate to note that the hon. Minister has not responded to very material issues, which were raised by the Opposition. He has confined most of his answers to the disaster relief fund. I would like to say that you cannot use the State Disaster Response Fund like that of NDRF. So many issues were there. It is quite unfortunate reply on the part of the hon. Minister. Kindly explain as to how much you have given to the State of Tamil Nadu.

माननीय अध्यक्ष: क्या आपको मूव करना है?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, in Clause 2, there are three amendments.

I beg to move:-

Page 2, lines 5 and 6,-

for "any law and order"

substitute "any declared law and order". (1)

Page 2, lines 6 and 7,-

for "a law and order"

substitute "a declared law and order". (2)

Page 2, line 13,-

for "determined"

substitute "notified". (3)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 से 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 23 से 26 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

प्रो. सौगत राय (दम दम) : सर, संशोधन संख्या 23 से 26 मैंने इस कारण से लिया कि कोविड के समय जिनकी मृत्यु हुई, उसका जवाब इनको देना चाहिए। … (व्यवधान)

I beg to move:-

Page 2, line 16,-

for “recovery and reconstruction”

substitute “recovery, reconstruction and measures to ensure livelihood for survivors”. (23)

Page 3, line 3,-

for “loss of life”

substitute “loss of life or livelihoods or livestock”. (24)

Page 3, line 35,-

after “Community affected by disaster”.

insert “with measures to ensure building of disaster resilient infrastructure” (25)

Page 4, line 4,-

after "and meet the”

insert “essential”. (26)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 23 से 26 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील जी, क्या आप संशोधन संख्या 38 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): Sir, I am not moving.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

… (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): In protest, we are walking out.

1944 hours

(At this stage, Shri T. R. Baalu, Shri A. Raja and some other

hon. Members left the House.)

… (*Interruptions*)

खंड 5

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 4 से 10 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, these are the amendments to Clause 5 of the Bill.

I beg to move:-

Page 4, line 41,-

for “preparing disaster management”

substitute “preparing and coordinating disaster management”. (4)

Page 4, line 45,-

after “preparing”

insert “and coordinating”. (5)

Page 5, line 4,-

for “and reconstruction”

substitute “, reconstruction and rehabilitation”. (6)

Page 5, line 11,-

after “climate events”

insert “fragile land, environment”. (7)

Page 5, line 14,-

after “disaster management for”

insert “people representatives,”. (8)

Page 5, line 24,-

after “Government of India"

insert “and provide necessary guidelines to control and regulate the movement of very important person with security protocol and celebrities in the disaster affected area during the period of rescue operation”. (9)

Page 5, line 37,-

after “for”

insert “children,”. (10)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 से 10 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 27 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I want to highlight the failure of the Government.

Sir, I beg to move:-

Page 5, after line 42,-

insert “(x) prepare norms for strict implementation to check felling of trees, study on the drastic changes in agriculture systems and steps to ban commercial use of natural water resources, setting up of hotels and resorts and commercial activities in the eco-sensitive areas and encourage ground water harvesting.”. (27)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 27 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

(1945/RP/CP)

माननीय अध्यक्ष: श्री के. राधाकृष्णन जी, क्या आप संशोधन संख्या 39 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): Sir, I beg to move:

Page 5, line 4,-

for "and reconstruction"

substitute ", reconstruction and rehabilitation". (39)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री के. राधाकृष्णन द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 39 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील जी, क्या आप संशोधन संख्या 40 और 41 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): Sir, I beg to move:

Page 5, after line 31,-

insert "Provided that the said national disaster database shall be developed with comprehensive climate change risk maps to identify vulnerable areas, updated with vulnerability assessments biennially to monitor changes in risk factors, collaborated with scientific institutions to develop advanced predictive modeling techniques, and mandates the integration of climate projection data into all disaster management strategies and plans.". (40)

Page 5, *after* line 42,-

insert "(v) specialized protocols for heat-vulnerable populations;
(vi) dedicated relief corpus for climate-induced displacement;
(vii) specific provisions for marginalized and economically vulnerable communities; and
(viii) long-term rehabilitation and resilience-building strategies.". (41)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 40 और 41 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: श्री बैन्नी बेहनन जी, क्या आप संशोधन संख्या 42 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I beg to move:

Page 5, *after* line 42,-

insert "(x) innovate on institutional mechanisms to deal with disaster risk; and

(y) undertake measures to integrate climate change and vulnerabilities caused by it under the disaster preparedness and response mechanisms.”. (42)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री बैन्नी बेहनन द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 42 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 11 और 12 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the Members’ qualification procedure has to be determined by the Parliament, not by the Government. It is a discretionary authority to the Government. So, my amendments are “with the prior approval of the Parliament”.

I beg to move:

Page 6, line 10,-

after "Central Government"

insert "with the prior approval of the Parliament". (11)

Page 6, lines 20 and 21,-

after "Central Government"

insert "with the prior approval of the Parliament". (12)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 और 12 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I have raised this amendment to highlight the failure of the Government of India to give the help.

I beg to move:

Page 6, line 5,-

after "State Government"

"insert "and experts in the field of environment, geology, climate change, chemical hazardousness, explosives etc." (28)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 28 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री बैन्नी बेहनन जी, क्या आप संशोधन संख्या 43 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, this amendment is to strengthen the Disaster Management Authority at the State level because the State level management authority has to enter first when any disaster happens.

I beg to move:

Page 5, lines 48 and 49,-

for "as the nodal body to deal with major disasters which have serious or national ramifications"

substitute "as a coordinating body and provide technical assistance to State Disaster Management Authorities for major disasters". (43)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री बैन्नी बेहनन द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 43 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री बैन्नी बेहनन जी, क्या आप संशोधन संख्या 44 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Yes, Sir, I am moving my amendment because in the Committee the Chief Minister must be included.

I beg to move:

Page 6, line 20,-

after "Chairperson"

insert "the Chief Minister(s) of the States(s) affected in the event of disaster". (44)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री बैन्नी बेहनन द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 44 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 13 से 16 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, these are very important amendments. Nowadays, at the disaster sites, the visitors, the VIPs, and the celebrities are creating big problems. My suggestion is to provide necessary guidelines to control and regulate the movement of VIPs and celebrities with security protocols in the disaster-affected areas during the period of rescue operation. Some restrictions have to be imposed during that period. Please accept my suggestion.

I beg to move:

Page 6, line 29,-

after "mitigation"

insert ", coordination". (13)

Page 6, line 45,-

for "and relief"

substitute ", relief and rehabilitation". (14)

Page 6, line 49,-

after "disaster management"

insert "and provide necessary guidelines to control and regulate the movement of very important persons with security protocol and celebrities in the disaster affected area during the period of rescue operation". (15)

Page 7, line 7,-

after "deployment of"

insert "army, navy, air force and". (16)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 13 और 16 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

Page 7, after line 14,-

insert " (viii) immediate arrangements of temporary accommodation for the survivors of disaster, ensure supply of food, facilities for medical treatment and treatment for mental health problems;". (29)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 29 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

(1950/NK/NKL)

माननीय अध्यक्ष: श्री के. राधाकृष्णन जी, क्या आप संशोधन संख्या 45 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): Sir, I beg to move:

Page 6, line 45,-

for "and relief"

substitute "relief and rehabilitation". (45)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री के. राधाकृष्णन जी द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 45 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रख गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the National Plan has to be reviewed every year, and updated once in three years. This is my amendment. Kindly accept it.

I beg to move:

Page 7, for line 31,-

substitute "every year and update at least once in every three years". (17)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री के. राधाकृष्णन जी, क्या आप संशोधन संख्या 30 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): Sir, I beg to move:

Page 7, *for* lines 30 and 31,-

substitute "(4) The National Authority shall review the National Plan every year and update at least once in every two years.". (30)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री के. राधाकृष्णन जी, द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 30 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी, क्या आप संशोधन संख्या 36 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, I beg to move:

Page 7, line 31,-

for "five years."

substitute "three years.". (36)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 36 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री बैन्नी बेहनन जी, क्या आप संशोधन संख्या 46 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I beg to move:

Page 7, line 31,-

for "five years

substitute "two years". (46)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री बैन्नी बेहनन जी द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 46 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 8, line 13,-

after "relief"

insert "and rehabilitation". (18)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 10 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 18 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री के. राधाकृष्णन जी, क्या आप संशोधन संख्या 47 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): Sir, I beg to move:

Page 8, line 13,-

after "relief"

insert "and rehabilitation". (47)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री के. राधाकृष्णन जी द्वारा खंड 10 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 47 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 और 12 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 13

माननीय अध्यक्ष: श्री बैन्नी बेहनन जी, क्या आप संशोधन संख्या 54 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I beg to move:

Page 8, line 28,-

for "and the Urban Authorities"

substitute ",the Urban Authorities and the Local Authorities". (54)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री बैन्नी बेहनन जी द्वारा खंड 13 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 54 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 13 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

<u>खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

खंड 14

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 19 और 20 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am not moving the amendments.

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 31 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

Page 9, *for* lines 8 and 9,-

substitute "(5) The State Authority shall review the State Plan every year and update at least once in every two years.". (31)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय जी द्वारा खंड14 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 31 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी, क्या आप संशोधन संख्या 37 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, I beg to move:

Page 8, line 44,-

for "as the State Authority may deem fit."

substitute "elected to various local bodies, legislative assembly and the Parliament". (37)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी द्वारा खंड 14 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 37 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

" कि खंड 14 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

(1955/VR/SK)

खंड 16

माननीय अध्यक्ष: श्री के. राधाकृष्णन जी, क्या आप संशोधन संख्या 32 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): Sir, I beg to move:

Page 9, line 14,-

for	"two other Members"	
substitute	"four other Members".	(32)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री के. राधाकृष्णन द्वारा खंड 16 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 32 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री बैन्नी बेहनन जी, क्या आप संशोधन संख्या 48 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I beg to move:

Page 9, line 14,-

for	"two other Members"	
substitute	"five other Members".	(48)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री बैन्नी बेहनन द्वारा खंड 16 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 48 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 18

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 21 और 22 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am moving those two amendments. It should be evaluated along with monitoring; and along with the preparedness, coordination should be there.

I beg to move:

Page 9, line 22,-

for	"and monitor"	
substitute	", monitor and evaluate".	(21)

Page 9, line 27,-

after	"preparedness"	
insert	", coordination".	(22)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 18 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 21 और 22 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।</u>

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 33 और 34 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

Page 9, line 27,-

after	"mitigation"
insert	"evaluation plan in crisis period,". (33)

Page 9, line 32,-

for	"mitigation"
substitute	"evacuation plan in advance in the ecologically sensitive areas, steps to minimize degree of any loss or harm". (34)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 18 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 33 और 34 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।</u>

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 18 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

<u>खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>खंड 19 से 22 विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

खंड 23

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 35 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am not moving my amendment.

माननीय अध्यक्ष: श्री बैन्नी बेहनन जी, क्या आप संशोधन संख्या 49 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I beg to move:

Page 10, *for* line 30 to 32,-

substitute "41A.(*l*) The State Government may, by notification in the official Gazette, constitute Urban and Rural Disaster Management Authorities for all cities with Municipal Corporations and rural districts identified as disaster-prone, except for". (49)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री बैन्नी बेहनन द्वारा खंड 23 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 49 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: श्री विशालादादा प्रकाशबाबू पाटील जी, क्या आप संशोधन संख्या 50 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): Sir, we are asking for 10 per cent of the budget of local self-government bodies to be kept for preparedness against the disasters. Hence, I am moving my amendment No.50 to clause 23 of the Bill.

Page 10, *after* line 33,-

insert "*(1A)* Subject to the directions of the State Government, the Urban Disaster Management Authority shall: (a) develop

city-specific Disaster Resilience Plans; (b) allocate minimum 10% per cent of municipal budget for disaster preparedness; (c) conduct mandatory annual multi-stakeholder disaster simulation exercises; and (d) include representation from local government, scientific experts and community representatives.”. (50)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री विशालादादा प्रकाशबाबू पाटील द्वारा खंड 23 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 50 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 23 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 24 से 26 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 27

माननीय अध्यक्ष: श्री विशालादादा प्रकाशबाबू पाटील, क्या आप संशोधन संख्या 51 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): Sir, I beg to move:

Page 11, *after* line 37,-

insert "Provided that the Central Government shall disburse grants from National Disaster Response Fund within fifteen days of declaration of disaster, establish transparent criteria for immediate relief allocation and mandatorily publish quarterly financial transparency reports.". (51)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री विशालादादा प्रकाशबाबू पाटील द्वारा खंड 27 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 51 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री बैन्नी बेहनन जी, क्या आप संशोधन संख्या 52 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I beg to move:

Page 11, *after* line 37,-

insert " Provided that all expenditures from the Disaster Response Fund shall be audited by the Comptroller and Auditor General and reviewed by the Parliament annually.". (52)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री बैन्नी बेहनन द्वारा खंड 27 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 52 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 27 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 28 विधेयक में जोड़ दिया गया।

(2000/KDS/SAN)

खंड 29

माननीय अध्यक्ष : श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील जी, क्या आप संशोधन संख्या 53 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): Sir, it is infructuous. So, I am not moving it.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 29 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 30 से 51 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, और नाम, विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, at the third reading stage, that is, passing of the Bill, I would like to caution the Government. Even in my speech also, I have stated about the multiplicity of organisations – the National Crisis Management Committee, the High Level Committee and the Urban Disaster Management Authority. So many authorities have been constituted by virtue of this Bill. If this Bill is passed, it will be going to trouble the situation. So, I would like to caution the Government because the impact of the Bill will not be positive. So, that has to be taken care of, before passing the Bill.

Thank you.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

2002 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2024/ 22 अग्रहायण, 1946 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।